भारत सरकार

परिणाम बजट
2014-2015

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 2
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 3
भारतीय जनसंचार संस्थान 3
फोटो प्रभाग 4
भारतीय प्रेस परिषद 4
पत्र सूचना कार्यालय 6
प्रकाशन विभाग 7
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 8
न्यू मीडिया विंग 8
गीत एवं नाटक प्रभाग 8
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V 9
(घ) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 9
(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 10
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 10

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 11
बाल फिल्म समिति, भारत 12
फिल्म समारोह निदेशालय 12
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 13
फिल्म प्रभाग 14
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 14

सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 14
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीम
(क) एंटी पायरेसी पहल 15
(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार 15
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 16
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 17

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 17
प्रसार भारती 17
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 21
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 22
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन 22

अध्याय - I

उद्देश्य एवं लक्ष्य, नीति निर्धारण एवं नीतिगत ब्यौरा

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 24
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 25
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 25
भारतीय जनसंचार संस्थान 26
फोटो प्रभाग 26
भारतीय प्रेस परिषद 27
पत्र सूचना कार्यालय 27
प्रकाशन विभाग 31
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 32
न्यू मीडिया विंग 32
गीत एवं नाटक प्रभाग 34

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V 35
(ख) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 35
(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 35

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 36
बाल फिल्म समिति, भारत 37
फिल्म समारोह निदेशालय 38
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 39
फिल्म प्रभाग 40
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 41
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 41
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीम
(क) एंटी पायरेसी पहल 42
(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार 43
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 45
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 45

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 46
प्रसार भारती 47
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीम
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 54
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 54
(ग) डिजीटलाइजेशन का मिशन 55

अध्याय-II

वित्तीय परिव्यय, अनुमानित वास्तविक परिणाम एवं अनुमानित परिणाम

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 56
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 58
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 60
भारतीय जनसंचार संस्थान 61
फोटो प्रभाग 65
भारतीय प्रेस परिषद 66
पत्र सूचना कार्यालय 67
प्रकाशन विभाग 72
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 75
न्यू मीडिया विंग 77
गीत एवं नाटक प्रभाग 78
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V 79
(ख) नीति संबंधी अधययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि। (प्रसार भारती को छोड़कर) 80
(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 81
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 82

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 83
बाल फिल्म समिति, भारत 86
फिल्म समारोह निदेशालय 88
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 90
फिल्म प्रभाग 92
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 96
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 97

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल 99
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 100
(ग) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार 101
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 102

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 103

प्रसार भारती

आकाशवाणी (वार्षिक योजना) 104
दूरदर्शन (वार्षिक योजना) 121
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 127
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 129
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन 130

अध्याय - III
सुधार के लिए उठाए गए कदम और नीतिगत पहल
सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 131
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 132
एम्पलॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार 132
भारतीय जनसंचार संस्थान 132
फोटो प्रभाग 133
भारतीय प्रेस परिषद 133
पत्र सूचना कार्यालय 134
प्रकाशन विभाग 134
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 136

गीत एवं नाटक प्रभाग 137
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण–V 138
(ख) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 139
(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 139

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 139
बाल फिल्म समिति, भारत 140
फिल्म समारोह निदेशालय 140
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 141
फिल्म प्रभाग 141
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 141
सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 141
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीमें
(क) एंटी पायरेसी में पहल 142
(ख) फिल्म सामग्रीक, विकास संचार एवं प्रसार 142
(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 143
(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 143

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 143
प्रसार भारती 144
मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीम
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 148
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 149
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन 151

अध्याय - IV

सूचना क्षेत्र

पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय 152
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय 156
एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोज़गार समाचार 157
भारतीय जनसंचार संस्थान 158
फोटो प्रभाग 160
भारतीय प्रेस परिषद 162
पत्र सूचना कार्यालय 164
प्रकाशन विभाग 168
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय 178
न्यू मीडिया विंग 182
गीत एवं नाटक प्रभाग 182
मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें
(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-V 186
(ख) नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, मूल्यांकन आदि (प्रसार भारती को छोड़कर) 187
(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण 188
(घ) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 189

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 190
बाल फिल्म समिति, भारत 192
फिल्म समारोह निदेशालय 193
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे 195
फिल्म प्रभाग 198
भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार 201

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 205
मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग की स्कीम
(क) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार 207
(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन 208
(ग) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना 209

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) 210
प्रसार भारती .....
आकाशवाणी 211
दूरदर्शन 253
मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग की योजनाएं .....
(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन 270
(ख) प्रसारण विंग का स्वचालितीकरण 271
(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन 271

अध्याय - V

वित्तीय समीक्षा 272

अध्याय - VI

स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रदर्शन एवं समीक्षा

प्रसारण क्षेत्र
भारतीय जनसंचार संस्थान 295
भारतीय प्रेस परिषद 295

फिल्म क्षेत्र
बाल फिल्म समिति, भारत 297
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे 298
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता 299

प्रसारण क्षेत्र
प्रसार भारती 300

कार्यकारी सारांश

सूचना और प्रसारण मंत्रालय सरकार की उपलब्धियों , कार्यक्रमों, पहल नीतियों और सूचना मास कम्यूनिकेशन मीडिया के द्वारा प्रचार करता है। इस मीडिया में रेडियो, दूरदर्शन, फिल्में, प्रेस, प्रिंट प्रकाशन, विज्ञापन समाज के सभी वर्गों के लाभ के लिए संचार के पारम्परिक तरीके जैसे गीत और नाटक प्रभाग शामिल हैं। सभी आयु समूहों की मनोरंजन जरूरतों के प्रबंधन में मंत्रालय जुटा हुआ है। और राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन के मुद्दों तथा महिलाओं, बच्चों एवं अल्पसंख्यकों और लाभ से वंचित समाज के अन्य वर्गों से संबंधित मुद्दों पर लोगों का ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

मंत्रालय के कार्यकलापों को जिन प्रभागों द्वारा संचालित किया जाता है। वह प्रभाग हैं-सूचना, प्रसारण चलचित्र और फिल्में। सूचना प्रभाग प्रेस और प्रिंट मीडिया के नीति संबंधी मामलों तथा सरकार की प्रचार जरूरत को संभालता है। प्रसारण प्रभाग दूरदर्शन और आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), एफएम रेडियो एवं समुदाय रेडियो को शामिल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित नीति मामलों को संभालता है। चलचित्रों, चलचित्र पुरस्कारों और चलचित्र प्रदर्शनियों की ज़िम्मेदारी फिल्म विभाग संभालता है।

वर्ष 2014-15 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए 3316.00 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है जिसमें 1005.00 करोड़ रुपये योजना राशि के रूप में और 2311.00 करोड़ रुपये गैर-योजना राशि के रूप में शामिल हैं। मंत्रालय अपनी 21 मीडिया ईकाइयों/संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक सेवा ईकाइयों (पीएसयू) के माध्यम से कार्य करता है। इन कार्यालयों के कार्य संचालन तथा उपलब्धियां और विभिन्न योजना परियोजनाओं के परिणाम आगे दिए गए अध्यायों में सारांश रूप में दिये गए हैं।

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय का कार्य: विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की नीतियों कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को प्रचारित करने वाली नोडल मल्टी मीडिया एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञापनों, प्रसार भारती के माध्यम से टीवी स्पॉट्स, तथा केबल और सैटेलाइट नेटवर्क चैनलों , रेडियो/टेलिविजन पर प्रायोजित कार्यक्रमों, स्पॉटजिंगिल्स, डिजिटल सिनेमा, प्रदर्शनियों, मुद्रित प्रचार सामग्रियों और बाहरी प्रचार माध्यमों की सहायता से केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों-विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिये प्रचार अभियान चलाती है.जबकि, क्षेत्रीय प्रचार के लिये मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव के अनुसार उनसे निधि प्राप्त होती है। विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय अपनी योजना/ गैरयोजना निधि से उन क्षेत्रों में इसके प्रचार की पहल और कार्यक्रम सुनिश्चित करता है,जहां इसकी आवश्यकता अनुभव की जाती है, या जहां समग्र पहुंच की जरूरत हो।

योजना स्कीमों के लिये निधि: शीर्षस्थ कार्यक्रमों के संपूर्ण तरीके से प्रचार को सशक्त करने और उसकी सेवाओं/कार्यों को प्रभावी बनाने हेतु विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को दो सुनियोजित योजनाओं के लिये निधि में वृद्धि दी गयी है ये योजनाएं हैं-(i) विकास संचार के माध्यम से लोक सशक्तीकरण और (ii) मीडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीएवीपी को 'विकास संचार के माध्यम से लोक सशक्तीकरण' के लिये 467.50 करोड़ रुपए और एमआईडीपी के लिये 15 करोड़ के सैद्धांतिक परिव्यय की मंजूरी मिली है.

प्रचार को सुस्पष्ट एवं सरल बनाया जाना: सरकारी विज्ञापनों और प्रचार के विभिन्न पहलुओं को सुस्पष्ट एवं कारगर बनाने तथा इस संबंध में और अधिक पारदर्शिता लाने हेतु सरकार ने प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विज्ञापन/प्रचार के संबंध में नई विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार नीति जारी की है। समाचारपत्रों की नई सूची बनायी गयी है। जबकि, श्रव्य-दृश्य मीडिया की दरों का निर्धारण प्रक्रियाधीन है।

इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम: भुगतान की गति और उसमें सुधार लाने के लिये डीएवीपी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से भुगतान करना आरंभ कर दिया है। ताकि इसमें पारदर्शिता लायी जा सके। बिलों की स्थिति वेबसाइट www.davp.nic.in पर देखी जा सकती है।

आरटीआई मामलों से संबंधित शिकायतों के निवारण को सरल तथा सुस्पष्ट बनाया जाना: डीएवीपी की आरटीआई से संबंधित व्यवस्था को विकेंद्रित करते हुए विंग के प्रत्येक निदेशक को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी बनाया जा रहा है। यह भी उल्लेख किया जाता है, कि डीएवीपी ने नागरिक चार्टर में भी संशोधन किया है। ताकि सेवोत्तम व्यवस्था के तहत शिकायतों का निवारण हो सके जिसके द्वारा नागरिकों को समयबद्ध सेवा उपलब्ध करायी जा सके।

खर्च पर निगरानी: डीएवीपी की योजना स्कीमों/गैर योजना व्यय पर वित्तीय एवं प्रत्यक्ष उपलब्धियों अर्थात् वार्षिक योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों के विश्लेषण के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा तथा जांच की जाती है।

डीएवीपी की संरचना एवं सेवाओं का आधुनिकीकरण: डीएवीपी के आधुनिकीकरण एवं सेवा अदायगी के संबंध में स्वतंत्र परामर्शदाता की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिसे 12 वी पंचवर्षीय योजना के तहत क्रियान्वित किया जाएगा।

प्रभावी मूल्यांकनः डीएवीपी अब बाहर की एजेंसियों से मंत्रालयों/विभागों के लिये चलाये जा रहे विज्ञापन अभियान के परिणामों/प्रभावों के मूल्यांकन को सरल एवं सुस्पष्ट तरीकों और प्रक्रिया के लिये प्रयासरत है। इस संबंध में एक व्यापक मसौदा मंत्रालय के अनुमोदन एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अध्यादेश को जारी रखने के लिए क्षेत्र प्रचार निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ फील्ड पब्लिसिटी) ने, सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/परियोजनाओं के बारे में लोगों में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रमों की ज़िम्मेदारी उठाई। सरकार के विकास कार्यक्रमों और कल्याणकारी पहल को प्रभावशाली ढंग से लागू करना, विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत अपने अधिकारों के बारे में अभीष्ट लाभार्थियों के बीच जागरुकता पर आधारित है। तदनुसार डीएफपी जानकारी रखने वाले लोगों के वर्ग तैयार करता है ताकि वो इस तरह के कार्यक्रमों/परियोजनाओं को लागू करने में स्वैच्छिक और उत्साहवर्धक सहयोग देने में सक्षम हो सकें। डीएफपी के जागरुकता उत्पन्न करने वाले प्रयास अंतरव्यैक्तिक संवाद पर आधारित हैं। स्थानीय अभिमत नेताओं (नायकों) और लक्षित लाभार्थियों के साथ अंतरसक्रिय (इंटरएक्टिव) सत्रों, समूह चर्चाओं, घर-घर जाकर, सार्वजनिक बैठकों इत्यादि के माध्यम से डीएफपी कार्य करता है। इन प्रयासों को पारम्परिक और लोक मीडिया तथा अन्य रूढ़िवादी एवं गैररूढ़िवादी तरीकों को अपनाने से प्रोत्साहन मिला। इस प्रक्रिया में डीएफपी को दूसरे केन्द्र और राज्य विभागों/एजेंसियों से भी मदद मिली। डीएफपी के क्षेत्र पदाधिकारियों ने लागू करने वाली एजेंसियों के लाभ के लिए सरकार के कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लागूकरण पर प्रतिपुष्टि भी एकत्र की।

निदेशालय के उद्देश्यः

- अपने कर्मचारियों और सामग्रियों को लोगों के बीच लाकर भारत सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को सामने लाना और उनके हित के लिए सूत्रबद्ध की गई योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में उन्हें बताना।

- लोगों के बीच लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिक सद्भाव जैसे राष्ट्रीय मूल्यों को बढ़ावा देना।

- विकासशील गतिविधियों में लोगों की सक्रिय भागीदारी के लिए ज़मीनी स्तर पर उनके (लोगों के) साथ सौहार्द्र कायम करना, साथ ही कल्याण एवं विकासशील कार्यक्रमों के लागूकरण के पक्ष में जन विचारधारा को लामबंद करना।

- सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों तथा उनके लागूकरण पर लोगों की प्रतिक्रियाएं एकत्र करना और अनुकूल कदम उठाने तथा जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक उपाय करने के लिए उन प्रतिक्रियाओं को निदेशालय तक पहुंचाना।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जन संचार संस्थान का मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में मीडिया और जनसंचार के इस्तेमाल एवं विकास के लिये प्रशिक्षण और शोध का आयोजन करना है। भारत सरकार, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से कुल वार्षिक सहायता अनुदान के रूप में इस संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारतीय जनसंचार संस्थान के स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम आम लोगों के लिए खुले हैं और उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। यह संस्थान विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकासशील देशों के कार्यरत पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान विकास पत्रकारिता में दो पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। यह संस्थान भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के गुप 'ए' और ग्रुप 'बी' के परिवीक्षार्थियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। भारत सरकार के विभिन्न विभागों/संगठनों के अधिकारियों के लिए और राज्य के अधिकारियों के लिए भी कई अन्य अल्पकालीन पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह संस्थान लोक मीडिया से संबंधित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन करता है। अधिकांश अध्ययन प्रायोजित होते हैं। यह समय-समय पर पत्रकारिता/जनसंपर्क पर पुस्तकें आदि भी प्रकाशित करता है।

यह अनुभव किया गया है कि वर्तमान स्थिति में इस संस्थान द्वारा चलाए जा रहे एक वर्ष के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को दो वर्षीय एडवांस पाठ्यक्रमों के समकक्ष घोषित किये जाने और इन पाठ्यक्रमों को एम ए की डिग्री के समकक्ष घोषित किये जाने की जरूरत है। वर्तमान में भारतीय जनसंचार संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के स्तर तक अपग्रेड करने हेतु संचार अनुसंधान विभाग को सशक्त किया जाना नितांत आवश्यक है। भारतीय जनसंचार संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के लिये संसद अधिनियम लाये जाने के बाद एडवांस पाठ्यक्रम तथा डायरेक्ट कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

योजनागत गतिविधियां:

उपर्युक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में''भारतीय जनसंचार संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नयन'' विषयांतर्गत 62.00 करोड़ रुपये के सकल परिव्यय के लिए 51.50 करोड़ रुपये का बजट अनुमोदित किया। यह सरकार की 43 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नई योजना ''भारतीय जन संचार संस्थान के नए क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना'' को मंजूरी दी गई है। इसके लिये कुल परिव्ययय 94.20 करोड़ रुपये है और शुद्ध बजटीय सहायता 90.00 करोड़ रुपये है।

फोटो प्रभाग

फोटो डिवीजन एक ऐसी मीडिया इकाई है जो भारत सरकार के लिए आंतरिक और बाह्य प्रचार के लिए दृश्य दस्तावेज और तस्वीरें तैयार करती है। फोटो डिवीजन देश में घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं का तस्वीरों के रूप में रेकॉर्ड रखती है और विकास के विभिन्न आयामों को दर्ज करती है। ये प्रभाग फोटो प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं के जरिए युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देता है। फोटो डिवीजन आम जनता और गैर-प्रचारित संगठनों को भुगतान पर तस्वीरों की आपूर्ति करता है। देश के उत्तरपूर्व के विकास पर जोर देते हुए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फोटोग्राफी उद्योग में बदलते रूझानों के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए, 'नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी एंड स्पेशल ड्राइव फॉर नॉर्थईस्टर्न स्टेट्स' नाम से एक प्लान योजना चलाई गई है।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा के आधार पर स्थापित भारतीय प्रेस परिषद प्रेस की, प्रेस के लिये और प्रेस द्वारा, समकक्ष सांविधिक प्राधिकरण है। यह संवैधानिक उत्तरदायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रेस की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा परामर्श और फैसला सुनाने के अपने अधिकार के माध्यम से रिपोर्टिंग के मानकों को बढ़ावा देती है।

परिषद,आलोच्य वर्ष में अन्य बातों के अलावा इस बात पर भी संतोष कर सकती है कि उसने राष्ट्र हित, सम्प्रदायिक सदभाव, चर्चित हस्तियों की निजता की तुलना में जनहित में रिपोर्टिंग आदि जैसे विषयों पर अपने निर्णयों के निचोड़ से बने महत्वपूर्ण सिद्धांतों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। निर्णयों के बारे में बाद के अध्यायों में दिये गये आंकड़ों से यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है। परिषद ने (1) पत्रकारिता में कर्त्तव्य का निर्वहन करते वक्त सुरक्षा विशेषकर पूर्वोत्तर और महिला पत्रकारों के संदर्भ में(2) छोटे और मझोले समाचार पत्रों की वृद्धि और वित्तीय स्थायित्व के लिये तंत्र, (3) पत्रकारों के लिये आदर्श विज्ञापन एवं प्रत्यायन नियम,(4) प्रिंट मीडिया में एफडीआई (5) मीडिया स्वामित्व (6) बिहार में प्रेस की आजादी (7) महिलाओं का अभद्र निरूपण और अन्य मामलों से जुड़े विषयों का भी अध्ययन किया है, जिनका विस्तृत विवरण निष्पादन समीक्षा से संबंधित अध्याय में दिया गया है।

परिषद ने जहां 2013 में विधानसभा चुनावों के दौरान हुई रिपोर्टिंग का स्वतंत्र आकलन किया, वहीं हाल में सम्पन्न आम चुनाव के दौरान इसने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गठित एमसीएमसी के सदस्यों को पेड न्यूज के मामलों की निगरानी के लिये विशेषज्ञता उपलब्ध कराई। गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने संबंधी कार्य योजना मुहैया कराने वाली भारत सरकार के लिये भारतीय प्रेस परिषद के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इसका संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही भारत सरकार को प्रस्तावों को लागू करने के लिये समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तब से सरकार उस पर कार्य कर रही है।

परिषद अपने अध्यक्ष और सदस्यों के माध्यम से देश के दूर-दराज के इलाकों के पत्रकारों तक पहुंच बनाने संबंधी कार्यक्रम भी जारी रखे हुए है, ताकि उन्हें रिपोर्टिंग के नियमों की जानकारी दी जा सके और उनकी समस्याएं सुलझाई जा सकें।

अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क के तहत परिषद, नेपाल प्रेस परिषद के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में है ताकि परस्पर वृद्धि और पत्रकारिता के लाभ के लिये नैतिकताओं और मानदंडों को बढ़ावा दिया जा सके। परिषद सार्क देशों में भी प्रेस परिषदों का परिसंघ स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2013 के दौरान 'लोकहित में मीडिया की भूमिका' पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता में उत्कृष्टता पर छह श्रेणियों मसलन- राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, ग्रामीण पत्रकारिता, विकासात्मक रिपोर्टिंग, स्त्री शाक्ति, फोटो पत्रकारिता और उर्दू पत्रकारिता में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

ई-गवर्नेंस और पारदर्शिता के उपाय के तहत सभी निर्णयों, रिपोर्ट्स और परिषद की घोषणाओं को प्रेस परिषद की वैबसाइट पर अपलोड किया गया है और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया है।

निर्णयों के संबंध में, यह बेहद उत्साहजनक है कि प्रेस परिषद के प्रस्ताव ज्यादा अधिकार के साथ प्रदान किये जा रहे हैं ताकि निर्णय संबंधी निर्देशों के साथ उनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके। इसकी सभी मंचों पर सराहना की गई है और इसे किसी बाहरी नियंत्रण की जगह भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे आंतरिक स्वतंत्रता नियामक तंत्र में विश्वास की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। परिषद को सशक्त होने का विश्वास है ताकि वह देश की संसद द्वारा सौंपे गये अधिदेश का प्रभावपूर्ण तरीके से निर्वहन कर सके।

लक्ष्य

वर्ष 2014-15 के प्रमुख लक्ष्य :-

1. प्रेस परिषद को सशक्त बनाने के प्रस्तावों पर जोर देना।
2. मीडिया से संबद्ध विभिन्न विषयों के अध्ययनों की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना।
3. परिषद में दाखिल शिकायतों का त्वरित निपटारा/निर्णय।

4. प्रेस के विरूद्ध और उसके द्वारा दाखिल शिकायतों संबंधी निर्णय सूची अद्यतन करना तथा प्रेस परिषद की वेबसाइट पर उसकी पहुंच बनाना।

5. मीडिया से संबंधित मामलों पर चर्चाओं का आयोजन करना।

6. परिषद के 12वें सत्र का पुनर्गठन।

7. लाइब्रेरी का ऑटोमेशन।

8. सेवा विवरणों का डिजिटाइजेशन विशेषकर सभी कर्मचारियों के निजी आंकड़ों के संदर्भ में।

9. कार्यालय के महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन।

10. समाचारपत्रों के बकाया लेवी शुल्क की वसूली।

11. कार्यालय का ऑटोमेशन।

12. एनआईसी/सीसीडब्ल्यू के साथ समन्वयन से लेन कनैक्टीविटी।

13. ई-मंजूरी देने संबंधी प्रक्रिया की चरणबद्ध शुरूआत करना।

14. हार्डवेयर्स/सॉफ्टवेयर्स का उन्नयन और पुराने तथा अप्रचलित उपकरणों को हटाना।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जो सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी सरकार तक पहुंचाती है। पत्र सूचना कार्यालय, प्रिंट एवं इलेट्रॉनिक मीडिया के जरिये सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाता है। सरकार के कामकाज और रीति एवं नीति की स्वीकार्यता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बेहद जरूरी है। पत्र सूचना कार्यालय इस काम का निर्वहन बखूबी करता है।

पीआईबी मुख्यालय के अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के संपर्क में बने रहते हैं और मीडिया को संबद्ध मंत्रालयों की गतिविधियों के बारे में सूचित करते रहते हैं। यही नहीं अधिकारी मीडिया के सलाहकार के तौर पर भी कार्य करते हैं और जनपरक नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया के साथ तालमेल बनाए रखते हैं।

पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालय/शाखाएं कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। ब्यूरो का इंटरनेट पर एक होमपेज भी है, जिसे www.pib.nic.in पर देखा जा सकता है। इस पेज पर देश और विदेशों में इस्तेमाल की जा सकने वाली सूचनाएं एवं प्रचार सामग्री मौजूद रहती हैं। क्षेत्रीय शाखाओं के अलावा पीआईबी की विज्ञप्तियां कंप्यूटर नेटवर्क की बदौलत स्थानीय समाचार पत्रों और स्थानीय संवाददाताओं को भेजी जाती हैं। फीचर और ग्राफिक्स भी इंटरनेट नेटवर्क पर मौजूद रहते हैं।

मीडिया प्रतिनिधियों को ब्यूरो कार्यकारी सुविधाएं भी मुहैया कराता है। इसके लिए भारतीय एवं विदेशी मीडिया के पत्रकारों, कैमरामैन, और तकनीशियनों मान्यता दी जाती है। मार्च 2014 तक 230 संवाददाता, 55 कैमरामैनों को ब्यूरो मुख्यालय से कवरेज के लिए मान्यता दी गई है। इसके अलावा 9 तकनीशियन और 108 संपादक/मीडिया आलोचक भी ब्यूरो से जुड़े हैं। भारतीय और विदेशी संवाददाताओं की जरुरतों को पूरा करने के लिये नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित किया गया।

मीडियाकर्मियों तक सूचना के प्रेषण के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। इन तरीकों में प्रेस विज्ञप्तियां, फीचर, प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कांफ्रेंसों के आयोजन के अलावा मीडिया के लिए टूर भी आयोजित किए जाते हैं।

पीआईबी के आउटपुट की मॉनिटरिंग प्रेस काफ्रेंसों उसके द्वारा भेजी गई विज्ञप्तियों, फीचर्स आदि के मीडिया में प्रकाशित न्यूज स्टोरीज से तत्काल हो जाती है।

पीआईबी ने इस अवधि के दौरान देश भर में जयपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरू आदि में 11 क्षेत्रीय प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कीं। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह पर 14 राज्यों में प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की गई। इसके अलावा पीआईबी के क्षेत्रीय (शाखा) कार्यालयों ने विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर 283 प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की।

पीआईबी ने महत्वपूर्ण मामलों पर मीडिया कवरेज पर मंत्री समूह को मीडिया संबंधी सहायता देने के साथ-साथ विकासात्मक समाचारों, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को कवर किया। पीआईबी की प्रधान महानिदेशक के निर्देशन में हिन्दी और अंग्रेजी में मीडिया रिपोर्ट जारी की गईं।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग देश में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। निदेशालय द्वारा हिन्दी, अंग्रेज़ी और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें देश के नागरिकों के अनुरूप होती हैं जो लोगों की समझ का दायरा विस्तृत कर रही हैं।

2 इस विभाग का उद्देश्य प्रसिद्ध व लोकप्रिय पुस्तकों और पत्रिकाओं का उत्पादन, बिक्री और वितरण करना है। राजस्व अर्जित करने वाला यह विभाग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है:-

(i) राष्ट्रीय महत्व की उन पुस्तकों का प्रकाशन जिन्हें अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता और पुस्तकों को कम मूल्य पर जनसाधारण को उपलब्ध कराना।

(ii) अनेकता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता की धारणा और भावना को मज़बूत बनाना तथा बढ़ावा देना।

(iii) वर्ष 2014-15 के दौरान इसका लक्ष्य 18 पत्रिकाओं और 75 पुस्तकों को प्रकाशित करने का है। प्रकाशन विभाग अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की बिक्री देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित बिक्री इंपोरिया के माध्यम से करता है। बदलते वक्त के साथ कदम मिला कर चलने के लिए प्रकाशन विभाग ने चरणबद्ध तरीके में अपने सभी बिक्री इंपोरिया के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा है।

(iv) बिक्री इंपोरिया नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरूअनंतपुरम में स्थित हैं। बंगलुरू, गुवाहाटी और अहमदाबाद में योजना कार्यालय में बिक्री केन्द्र बनाए गए हैं।

(v) 2014-15 के गैर-योजना के तहत प्रकाशन विभाग का अनुमानित बजट 2605 लाख है।

(vi) 2014-15 के गैर-योजना के तहत इम्प्लायमेंट न्यूज का अनुमानित बजट 2519 लाख है।

(vii) 2014-15 में प्रकाशन विभाग का इम्प्लायमेंट न्यूज सहित अनुमानित लाभ 500 लाख रू है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचार पत्रपंजीयक कार्यालय की स्थापना जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। इस कार्यालय का कार्य देश भर में प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का एक रजिस्टर तैयार करना, उनका रखरखाव तथा समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का विवरण संकलित करना है। विभिन्न श्रेणी के समाचारपत्रों-पत्रिकाओं की सूचनाएं, आंकड़ों तथा बदलावों पर प्रेस इन इंडिया नामक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना है। आरएनआई के गैर-वैधानिक श्रेणी अखबारी कागज आयात करने के लिए समाचारपत्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना। समाचार प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री संबंधी आवश्यक जरूरतों का मूल्यांकन और प्रमाणपत्र जारी करना।

न्यू मीडिया विंग

1945 में स्थापित गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, का नया नाम न्यू मीडिया विंग है। यह यूनिट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करती है। मंत्रालय के दिनांक 4 सितंबर, 2013 के आदेश के अनुसार न्यू मीडिया विंग मंत्रालय के नवगठित सोशल मीडिया सेल को कार्यात्मक एवं प्रचालन सहयोग उपलब्ध कराएगा। संयुक्त सचिव (पी एंड ए) न्यू मीडिया विंग के प्रमुख हैं। संयुक्त सचिव (पी एंड ए) के कार्य में विशेष कार्य अधिकारी (सी) सहयोग करेंगे और गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का समस्त वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चकर और सोशल मीडिया सेल से जुड़े भारतीय सूचना सेवा के समूह 'क' एवं समूह 'ख' अधिकारी न्यू मीडिया विंग के लिए कार्य करेंगे ताकि इसे सुदृढ़ बनाया जा सके। ये अधिकारी न्यू मीडिया विंग के अपर महानिदेशक को सीधे रिपोर्ट करेंगे एवं अपर महानिदेशक मंत्रालय को रिपोर्ट करेंगे। इस समय यह विंग सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार संबंधी फीडबैक एवं प्रतिक्रिया का कार्य सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यू ट्यूब एवं ट्विटर के जरिए करता है। मंत्रालय एवं इसके मीडिया एककों और जनसंचार से जुड़े अन्य एककों के उपयोग के लिए भूमिका, संदर्भ और शोध सामग्री उपलब्ध कराता है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एककों को शोध हेतु सामग्री जुटाना, संकलन आदि के कार्य में सहायता करता है, साथ ही, महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचनाओं का संग्रह तैयार करना समसामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन करने एवं बैकग्राउंड नोट तैयार करने का कार्य करता है जिसका उपयोग माध्यम एकक कर सकें।

उपर्युक्त कार्य के अलावा, न्यू मीडिया विंग को प्रिंट मीडिया (अखबारों को दिए गए) के भारत निर्माण संबंधी उन विज्ञापनों की निगरानी का कार्य भी सौंपा गया था जिन्हें प्रचार हेतु तीन चरणों में जारी किया गया था। न्यू मीडिया विंग माननीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और अवर सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठकों जिनमें मीडिया प्रमुख भी शामिल होते थे, में विचार-विमर्श के लिए अनेक अखबारों से विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट जैसे विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, संस्करणवार रिपोर्ट, प्रसार संख्या-वार रिपोर्ट आदि भी तैयार करता था।

गीत एवं नाटक प्रभाग

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक परम्परागत स्वरूपों को सामने लाने हेतु एक प्रयोगात्मक ईकाई के रूप में की गई। सजीव प्रचार माध्यम, जैसा यह अब बहुत बड़े पैमाने पर पहचाना जाता है, बहुत ही प्रभावशाली साबित हुआ क्योंकि इसने जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों को अंतर्निहित (inherent) कर लिया और समसामयिक मुद्दों, विचारों एवं तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में नम्यता (flexibility) को अपना लिया।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग की स्कीमें

(क) सूचना भवन का निर्माण, पांचवा चरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बड़ी परियोजनाओं में से एक है सूचना भवन का निर्माण। मंत्रालय की मीडिया इकाईयों को पर्याप्त जगह मिल सके, इस इच्छा को पूरा करने के लिए यह फैसला किया गया कि मंत्रालय को तमाम अलग-अलग जगह पर बिखरी हुई विभिन्न मीडिया इकाईयों को (डीजी: आकाशवाणी और डीजी: दूरदर्शन को छोड़ कर) एक जगह पर समायोजित करने के लिए स्वयं की इमारत का निर्माण करना चाहिए। योजना आयोग ने परियोजना को स्वीकृति दे दी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया। तदनुसार, मंत्रालय को लोधी रोड पर एनवेलप संख्या 8 पर जमीन का एक टुकड़ा 1981 में आबंटित कर दिया गया, जिसका क्षेत्रफल था 8368.3 वर्ग मीटर है। बहरहाल, इस पर निर्माण कार्य 1985 में शुरू हो पाया। आर्थिक तंगी की वजह से निर्माण कार्य चरणों में पूरा किया जा रहा है। भवन का निर्माण कार्य सिविल निर्माण विंग, आकाशवाणी द्वारा किया गया। निर्माण के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। पांचवां चरण भी पूरा हो चुका है और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के अधिकारियों से प्रमाणपत्र मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ख) मीडिया इकाइयों (प्रसार भारती के अलावा) सभी तीनों क्षेत्रों में नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, सम्मेलन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि (प्रसार भारती को छोड़कर)

(नई योजना)

अर्थव्यवस्था के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के पास उच्च विकास क्षमता है। वृद्धि संवेग को पकड़ने की दिशा में, और परिभाषित लक्ष्यों/उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलचित्र, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, नियमित निगरानी करने और पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक प्रक्रिया को स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। मीडिया इकाइयों (प्रसार भारती को छोड़कर) सभी तीनों क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी अध्ययन, सम्मेलन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि परियोजना को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान लागू किया जाना है:-

- चलचित्र सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रों में प्रबंध सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) का विकास।
- चलचित्र सूचना एवं प्रसारण क्षेत्रों के संबंध में नियमन और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन और पुनर्मूल्यांकन।
- चलचित्र, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में सम्मेलन, कार्यशाला, प्रपत्रों के प्रस्तुतिकरण को संचालित करना और उनमें भाग लेना।
- मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र में नवीनता को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेना।

(ग) मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

सिविल सेवा की दिशा में एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है जो प्रत्येक सिविल सेवक की क्षमता और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य को देखते हुए प्रशिक्षण के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की भूमिका के अंतर को कम करेगी। मीडिया प्रबंधन सक्षमता को भी समझा गया है। सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और अन्तरव्यक्तिक प्रवृति का कार्य करने वाली विभिन्न मीडिया इकाईयों में उनके कार्यकाल के दौरान नियुक्त करता है। इसी तरह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी विभिन्न मीडिया इकाईयों की प्रशासनिक व्यवस्था और मीडिया क्षेत्र के लिये नीति निर्धारण का कार्य करते हैं। यह जरुरी है कि यह सभी अधिकारी प्रशिक्षित हों ताकि वह अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को जिम्मेदारी से पूरा कर सकें। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के लिये सेवारत प्रशिक्षण और विदेशी संस्थाओं में मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण की योजनागत स्कीम को मुख्य सचिवालय द्वारा चलाया जा रहा है।

सिविल सेवा की दिशा में एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है जो प्रत्येक सिविल सेवक को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखती है जिन्हें मंत्रालय/विभागों/संगठनों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उनका मूल्यांकन, प्रेरणा और विकास करती है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के तहत यह आवश्यक है कि उस सेवक की क्षमता और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य में समानता आवश्यक हो और प्रशिक्षण के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की भूमिका के अंतर को पाटा जा सके।

2. सक्षमता ज्ञान, कौशल और व्यवहार में है जिनकी पद के कार्य प्रभावी तरीके से करने के लिए एक व्यक्ति में होना आवश्यक होता है। सक्षमता मुख्यत: उन को कौशल में बांटी जा सकती है जिसकी सरकारी सेवकों को विभिन्न कार्यों अथवा स्तर के लिए विभिन्न सक्षमता स्तरों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ सक्षमताएं नेतृत्व, संचार, वित्तीय तथा मानव प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित होती है। अन्य का संबंध पेशेवर अथवा विशेषज्ञता कौशल से होता है, जो कि विशेष कार्यों जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण उपाय करना, नागरिक उड्डयन, चिकित्सीय देखभाल, मीडिया प्रबंधन आदि के लिए प्रासंगिक है।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय है। अपनी विभिन्न मीडिया इकाईयों के माध्यम से मंत्रालय विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न मीडिया हैं - इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, फिल्म, अंतरवैयक्तिक प्रचार, जीवंत कला और संस्कृति, जनसूचना अभियान आदि। अपने कैरियर के दौरान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा अंतर वैयक्तिक मीडिया इकाईयों में तैनात किए जाते हैं। इसी प्रकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में कार्यरत हैं और विभिन्न मीडिया इकाईयों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हों और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हो।

(घ) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

यह नई योजना के तहत 'मानव संसाधन विकास' का एक विभाग है। यह मंत्रालय 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत संगठित किया गया है। मीडिया विनिमय कार्यक्रम, संयुक्त कार्य समूह, समझौता कर सूचना एवं फिल्म क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय मीडिया सेमिनार कार्यशाला का आयोजन करना है। मुख्य लक्ष्य का कार्यक्रम निम्निलिखित है :

- उत्कृष्ट समझ को बढ़ावा देने के लिए मीडिया की भूमिका और देश और क्षेत्र में समन्वय द्वारा विनिमय मीडिया कर्मी से बातचीत और सूचना एक-दूसरे के साथ करना है।

- लोकतंत्र के मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है।
- विभिन्न देशों के बीच दोस्ताना संबंध सूचना और प्रिंट मीडिया के लिए लक्ष्य है। सूचना और प्रिंट मीडिया का दूसरे देशों के बीच अच्छे और नजदीकी संबंध कायम करने में सहायक है।
- भारत अन्य देशों के बीच संबंधों में मजबूती लाना।
- विचारों का आदान-प्रदान भारत और अन्य देशों के बीच मास मीडिया, प्रसारण और फिल्म के क्षेत्र में करना है।
- उन्नत मीडिया प्रशिक्षण।
- समन्वय में कमी।
- सामाजिक और मल्टीमीडिया प्रशिक्षण।
- 12 वीं पंचवर्षीय योजनाओं में परिव्यय के लिए 1.50 करोड़ रू रखे गए जिसमें से 34 लाख रुपये 2014-15 के लिए लिया गया।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1. फिल्मों को लोक प्रदर्शन करने लिए प्रमाणित करने के उद्देश्य से सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जून 1983 में 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' को नए नाम से स्थापित किया गया।

2. वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 19 गैर सरकारी सदस्य हैं जिन्हें 25 मई 2011 को नामित किया गया। बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में तथा 9 क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु, तिरूवनंतपुरम, दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में है।

3. प्रमाणन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीबीएफसी ऑन लाइन प्रमाणन प्रक्रिया में अग्रसर है। सीबीएफसी की गतिविधियों को प्रेस विज्ञप्ति तथा इसकी वेबसाइट http://cbfcindia.gov.in के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

बाल फिल्म समिति, भारत

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वायत्त निकाय के रूप में 1860 के समिति पंजीकरण अधिनियम XXI के अंतर्गत मई 1955 में बाल चलचित्र समिति, भारत की स्थापना की गई। बाल चलचित्र समिति, भारत का प्रारंभिक उद्देश्य हर बच्चे के अधिकार स्वरूप मूल्य आधारित मनोरंजन कार्यक्रम बनाना, बच्चों के चलचित्रों को बढ़ावा देना और इस अभियान को मज़बूती प्रदान करने का था, और इस तरह फिल्मों के माध्यम से भावी अच्छे नागरिक के रूप में बच्चों के विकास में योगदान का था।

उपर्युक्त उद्देश्यों को निम्नलिखित तीन हिस्सों में बांटा गया:

i फिल्मों का निर्माण (उत्पादन)

ii स्कूलों में फिल्मों का प्रदर्शन और

iii फिल्म महोत्सव

फिल्मों के निर्माण पर समितियों द्वारा नज़र रखी जाती है। इन समितियों में शामिल हैं-चलचित्र उद्योग की नामी हस्तियां और कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया द्वारा भी चलचित्रों के निर्माण पर नज़र रखी जाती है। यह प्रक्रिया चलचित्र प्रस्तावों को दाखिल करने की पहल करती है।

स्कूलों में चलचित्रों की प्रदर्शनी के संदर्भ में, लक्षित बच्चों तक पहुंच के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल किया गया है। वेबसाइट के ज़रिये बड़े पैमाने पर प्रचार और निरीक्षण किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को आकर्षित करने के लिए और सीएफएसआई द्वारा बनाई गई फिल्मों को एक मंच उपलब्ध कराने हेतु हर दूसरे वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह प्रस्ताव रखा गया है कि हर दूसरे वर्ष राष्ट्रीय बाल फिल्म उत्सव आयोजित किया जाए ताकि बच्चों के लिए फिल्म बनाने वालों की संख्या बढ़ सके और यह दूसरा वर्ष वह साल होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव नहीं आयोजित होगा। विपणनीकरण (मार्केटिंग) और पहुंच के उद्देश्य के लिए सुदूर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेने/प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु सीएफएसआई फिल्मों को भी भेजता है।

उपर्युक्त सभी गतिविधियां सीएफएसआई की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से उपलब्ध है ताकि सही-सही अवलोकन सुनिश्चित किया जा सके और सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बनाया जा सके।

फिल्म समारोह निदेशालय

फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) का गठन, देश के भीतर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करने के लिये किया गया था। निदेशालय देश के बाहर आयोजित विभिन्न फिल्म समारोहों में भारत की फिल्मों की भागीदारी की व्यवस्था करता है। भारत में विदेशी फिल्मों तथा विदेशों में भारतीय फिल्मों के कार्यक्रम आयोजित करता है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह भी आयोजित करता है।

निदेशालय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को मजबूत बनाता है। विश्व सिनेमा के नये रुझानों से परिचित, फिल्म क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन और भारतीय फिल्मों का स्तर बेहतर बनाने में योगदान देना उद्देश्य है।

डीएफएफ निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियां संचालित करता है:

1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

2 विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी

3 भारतीय पैनोरमा के लिये फिल्मों का चयन

4 सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

5 भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

डीएफएफ सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम कॉम्प्लेक्स का संचालन और रखरखाव भी करता है

2- 12 वीं योजना स्कीम में "फिल्म क्षेत्र में ढांचागत विकास कार्यक्रम" और "विकास, फिल्मी तत्वों का संचार एवं प्रसार," डीएफएफ की गतिविधियों को दर्शाता है।

3- डीएफएफ द्वारा आयोजित इन प्रमुख गतिविधियों की सूचना का प्रसार, जनता के बीच निम्नलिखित माध्यमों से किया जाता है-

(क) पत्र सूचना कार्यालय की नियमित प्रेस विज्ञप्ति द्वारा

(ख) समाचारपत्रों में नियमित विज्ञापन

(ग) समारोह के दौरान बैनर और पोस्टर का प्रदर्शन

(घ) विभिन्न समारोहों के दौरान संबंधित प्रकाशन जारी किये जाते हैं

(ङ) भारत स्थित विदेशी दूतावासों और विदेशों में भारतीय दूतावास के माध्यम से

(च) वेबसाइट द्वारा, जैसे, http//www.dff.nic.in एवं http//www-iffi-nic-in आदि।

भारत का फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख संस्थान है, जो फिल्म निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम तैयार करने की कला और तकनीक का प्रशिक्षण देता है।

बाद के अध्याय में योजना, गैर-योजना आवंटन, संस्थान के कार्यकलाप, विभिन्न गतिविधियों के प्रस्तावित लक्ष्य, पिछले वर्ष में हासिल किये गये लक्ष्य, पिछले निष्पादन का आकलन, प्रस्तावित नीतिगत पहलों आदि की जानकारी दी गई है। व्यापक कवरेज और अत्याधिक पारदर्शिता के लिये पाठ्यक्रमों का प्रिंट मीडिया और वेबसाइट में विज्ञापन दिया जाता है। संस्थान की सभी गतिविधियों को फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की वेबसाइट www.ftiindia.com पर प्रचारित किया जाता है।

फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग की स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बंगलुरू, कोलकाता और नई दिल्ली में तीन निर्माण केंद्रों के अलावा देश भर में इसके 10 वितरण शाखा कार्यालय भी हैं। फिल्म प्रभाग कृषि से लेकर कला एवं संस्कृति तक, उद्योग से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों तक, स्वास्थ्य, आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि जैसे विषयों पर वृत्त चित्र बनाता है।

देश में वृत्त चित्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म प्रभाग द्विवार्षिक "मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह" (एमआईएफएफ) आयोजित करता है।

फिल्म प्रभाग की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी जनता को निम्नलिखित माध्यमों से दी जाती है :-

पत्र सूचना कार्यालय की नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए

फिल्म प्रभाग की वेबसाइट www.filmsdivision.org के जरिए

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था है जिसकी जिम्मेदारी देश के चलचित्र (फिल्म) परम्परा (हैरिटेज) के संरक्षण की है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एनएफएआई ने विभिन्न योजनाएं लागू की है। इन योजनाओं में पुरातत्वीय सामग्री का अधिग्रहण और इसके संरक्षण के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण भी शामिल है. वर्ष 2014-15 के दौरान एनएफएआई ने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दो योजना परियोजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव रखा है:-

1. पुरातत्वीय चलचित्रों और चलचित्र सामग्री का संरक्षण

2. जयकर बंगले को शामिल करते हुए एनएफएआई की आधारभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।

एनएफएआई की योजना परियोजनाओं की प्रगति का अवलोकन मासिक/त्रैमासिक/अर्धवार्षिक भौतिक और आर्थिक प्रगति विवरणों द्वारा किया गया है जिन्हें नियमित रूप से मंत्रालय को भेजा गया। एनएफएआई द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रगति पर सूचना एनएफएआई की वेबसाइट nfaipune.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत दूसरा राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान है, जो फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों के निर्माण के क्षेत्र में कला और तकनीक का प्रशिक्षण देता है।

बाद के अध्याय में योजना, गैर-योजना आवंटन, संस्थान के कार्यकलाप, विभिन्न गतिविधियों के प्रस्तावित लक्ष्य, पिछले वर्ष में हासिल किये गये लक्ष्य, पिछले निष्पादन का आकलन, प्रस्तावित नीतिगत पहलों आदि की जानकारी दी गई है। व्यापक कवरेज और अत्याधिक पारदर्शिता के लिये पाठ्यक्रमों का प्रिंट मीडिया और वेबसाइट में विज्ञापन दिया जाता है। संस्थान की सभी गतिविधियों को सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की वेबसाइट- srftii.ac.in पर प्रचारित किया जाता है।

मुख्य सचिवालय-फिल्म विंग स्कीम

(क) एंटी पाइरेसी पहल (नई स्कीम)

उपभोक्ताओं को पाइरेसी के कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाले नुकसानों से अवगत कराने की आवश्यकता है, क्योंकि वे ही तरह-तरह की पाइरेसी से प्रभावित होते हैं। इसलिये 12वीं योजना के दौरान एक प्रभावशाली और मल्टी मीडिया प्रचार सहित व्यापक प्रचार अभियान शुरू किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें फिल्म और संगीत जगत के सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पाइरेसी के प्रभाव का सटीक अनुमान लगाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रारम्भ करने की भी जरूरत है।

एंटी पाइरेसी के लिये आयोजना योजना का लक्ष्य निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता पहुंचाना है :-

क. पाइरेसी पर मल्टी मीडिया प्रचार अभियानों के प्रसार में

ख. पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को कॉपीराइट कानून की जानकारी देने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन में

ग. पाइरेसी से निपटने के लिये उसके प्रभावों पर शोध कराने में, ताकि विकास के साथ-साथ सार्वजनिक-निजी रणनीतियां भी लागू हो सकें।

(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार

भारतीय फिल्मों के निर्माण, संवर्धन और संरक्षण के प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य प्रचार इकाईयों ने 12वीं योजना के अंतर्गत ''फिल्म संबंधी विषयों के विकास, प्रचार और प्रसार'' विषय पर एक विस्तृत योजना को लागू किया है। इस योजना के प्रमुख घटक हैं :

क) भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म वितरण के जरिए भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन।

ख) विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म तथा वृत्तचित्रों का निर्माण।

ग) भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह का आयोजन (आयोजन हो चुका है)।

घ) फिल्म प्रभाग के फिल्मों के संग्रहों की वेबकास्टिंग

च) पुरानी फिल्मों तथा फिल्म सामग्रियों का अधिग्रहण।

यह योजनाएं निम्न मीडिया इकाइयों द्वारा लागू की गई।

1) फिल्म समारोह निदेशालय।

2) भारतीय बाल फिल्म समिति।

3) फिल्म प्रभाग।

4) राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया (एनएफएआई)।

5) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम।

इन प्रमुख आयोजनों की सूचना निम्न प्रकार से जनसाधारण के बीच प्रसारित की जाती है।

अ) पत्र सूचना कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्तियों द्वारा,

आ) विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापनों द्वारा,

इ) आयोजनों के दौरान बैनर एवं पोस्टरों के प्रदर्शन द्वारा,

ई) आयोजनों के दौरान जारी समारोह सामग्री द्वारा,

उ) विभिन्न वेबसाईट जैसाकि : htt://www.dft.nic.in, http://www.iffi.nic.in, http://www.filmdivision.org, http://ctsindia.org. द्वारा सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

वर्ष 1930 से 1931 के दौरान भारत में मोशन पिक्चर के प्रारम्भ होने के साथ, लगभग 1300 मूक फिल्मों का निर्माण हुआ तथा वर्ष 2010 तक 40000 से अधिक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। साथ ही, वर्तमान में, भारत में प्रतिवर्ष 900 लघु फिल्मों तथा डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का निर्माण किया जाता है। सरकार फिल्म विरासत को डिजीटलाइजेशन एवं अनुरक्षण के जरिए संरक्षित करती है।

योजना का लक्ष्य ''प्रिजर्वेशन विदाउट एरर्स, एक्सेज विदाउट एंड'' है। इस प्रकार 12वीं योजना के दौरान एक राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एन एफ एच एम) की स्थापना का प्रस्ताव है।

(1) बिल्कुल ख़राब हुए फिल्म निगेटिव के जीर्णाद्वार के लिए फिल्म जमा करने का कार्य किया जा रहा है,

(2) 1,32,000 फिल्मों का संरक्षण,

(3) 2के/4के का निगेटिव और ध्वनि का संरक्षण कर 1050 फीचर फिल्मों और 1200 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण,

(4) अभिलेखीय उद्देश्य के लिए फीचर फिल्म और लघु फिल्मों का संरक्षण करना ताकि धूल, उमस से बचाया जा सके,

(5) पुनरुद्धार की गई फिल्मों का एफीटीआईआई में संरक्षण,

(6) पुनरुद्धार और संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन

इस योजना का कुल प्रस्तावित आउटले 597.41 करोड़ रुपए है। एन एफ एच एम की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। योजना का ई एफ सी मेमो व्यय विभाग तथा योजना आयोग को परिचालित किया जा चुका है।

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

वैश्विक मनोरंजन के क्षेत्र में ऐनिमेशन और गेमिंग वृद्धि और विकास के सफल क्षेत्रों में से एक बनकर उभरे हैं। इस उद्योग में यह बात स्वीकार की जाती है कि इसमें वृद्धि की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं, ऐसे में भविष्य में इसकी वृद्धि इसे उपलब्ध होने वाले लोगों की उपयुक्त तादाद पर निर्भर करती है। एनिमेशन और गेमिंग के लिये प्रशिक्षित लोगों की मांग वर्तमान में उपलब्ध होने वाले लोगों की तादाद से कहीं ज्यादा है और प्रतिभाशाली लोगों की अनुपलब्धता भारतीय कम्पनियों की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में विषेशकर अन्य एशियाई बाजारों की प्रतिस्पर्धा के मद्देनजर इस क्षेत्र पर प्राथमिकता से ध्यान दिये जाने की जरूरत है।

इस लिये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ऐनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके लिये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और योजना आयोग ने इस योजना के लिये 12वीं योजना में परिव्यय प्रदान किया है। पंजाब सरकार ने इस केंद्र के लिये मोहाली में 12 एकड़ जमीन निशुल्क आवंटित की गई है।

ऐनीमेशन और गेमिंग के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिये आगामी योजनावधि में कुल प्रस्तावित परिव्यय 57 करोड़ रखने का प्रावधान किया गया है। इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर संचालित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) की स्थापना टीवी चैनलों को 24 घंटे, सातों दिन रिकार्ड और मानीटर करने के उद्देश्य से की गई है। 12वीं योजना के अंत तक ईएमएमसी की मानीटरिंग क्षमता का विस्तार चरणबद्ध तरीके से वर्तमान 300 चैनलों से बढ़ा कर 1500 चैनलों की निगरानी करने के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस सुविधा की मौजूदा क्षमता को 300 टीवी चैनलों से बढ़ा कर 600 टीवी चैनलों तक करने का कार्य चल रहा है। पूरी तरह से सक्रिय ईएमएमसी एक माडल मानीटरिंग केंद्र होगा जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को प्रमुख टीवी चैनलों, निजी एफएम चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी करने में सक्षम करेगा।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश की एक सार्वजनिक प्रसारक सेवा है। उसके दो संघटक हैं- आकाशवाणी और दूरदर्शन। 23 नवंबर 1997 से प्रसार भारती अस्तित्व में आया। इस सेवा का उद्देश्य सार्वजनिक प्रसारण सेवा के रूप में सर्वसाधारण को जानकारी देना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना एवं देश में प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना है।

संगठनात्मक ढांचा

निगम के मामलों का सामान्य निरीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन प्रसार भारतीय बोर्ड करता है। बोर्ड समय-समय पर बैठकें करता है और महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर विचार विमर्श करता है व नीतियों के कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है। कार्यकारी सदस्य निगम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)के रूप में कार्य करते हैं और बोर्ड का नियंत्रण और निरीक्षण करते हैं। सीईओ बोर्ड में इस तरह अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा और अपने सभी कार्य इस प्रकार करेगा जिस प्रकार अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

महानिदेशक आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रमुख के तौर पर कार्य करते हैं। बोर्ड के नीति निर्देश और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की दैनंदिन मामलों के प्रबंधन के लिए वे सदस्य(वित्त), सदस्य (कार्मिक) और सीईओ के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में, विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रोग्राम, इंजीनियरिंग, प्रशासन, वित्त और समाचार के लिए व्यापक स्तर पर चार भिन्न खंड हैं।

सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 5583 करोड़ रुपये के कुल बजट की स्वीकृति दी है जिसमें से 2633.00 करोड़ रुपये का आबंटन जारी योजनाओं के लिए और 2950 करोड़ रुपये नई योजनाओं और विशेष परियोजनाओं के लिये है। इसे बढ़ाकर 3826 करोड़ रुपये कर दिया गया है और इसमें से 3500 करोड़ रुपये प्रसार व इन्फ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत संपत्तियों का नेटवर्क विकास योजना के लिये, 186 करोड़ रुपये विषयवस्तु विकास एवं प्रसार और 140 करोड़ रुपये विशेष परिस्थितियों के लिये निर्धारित किए गये।

सरकार ने वर्ष 2014-15 की वार्षिक योजना के लिए प्रसार भारती को 605.03 करोड़ रुपये आंबटित किये हैं जिसमें 120 करोड़ रुपये अनुदान सहायता (विशेष परियोजना-किसान चैनल के लिए) और 485.03 करोड़ रुपये पूंजीगत संपत्ति तैयार करने के लिये है।

आकाशवाणी

आकाशवाणी (एआईआर)प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में दिए गए प्रावधान के तहत कार्य करता है। आकाशवाणी विभिन्न स्टेशनों पर अपने कार्यक्रम प्रसारणों के माध्यम से सर्वसाधारण को जानकारी देता है, उन्हें शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। ध्वनि प्रसारण के माध्यम से यह देश के सभी लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की जानकारी देता है। इसके कार्यक्रम संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, महत्वपूर्ण समाचार और प्रासंगिक रुचि की समसामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। यह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए अपने प्रसारण के माध्यम से विभिन्न विचारों को प्रस्तुत करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम संतुलित और निष्पक्ष हैं(अध्याय-1)।

वार्षिक योजना 2014-15 के लिए आकाशवाणी का प्रत्यक्ष बजटीय सहयोग 227.01 करोड़ रुपये है जिसमें 217.01 करोड़ रुपये पूंजी घटक के अंतर्गत एफएम सेवा के विस्तार, उत्तर पूर्व के विशेष पैकेज के तहत एफएम सेवा के विस्तार, आकाशवाणी नेटवर्क के डिजिटलीकरण के लिए हैं और 10.00 करोड़ रुपये सीमांत क्षेत्रों में आकाशवाणी/दूरदर्शन के दायरे को मजबूत करने और राजस्व फुटकर व राजस्व सॉफ्टवेयर के लिए सुनिश्चित हैं। पूंजी योजना स्कीमें सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण द्वारा वित्त पोषित होती हैं जबकि राजस्व योजना के तहत स्कीमें अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं।

सार्वजनिक प्रसारक के रूप में संगठन के अधिक विकास से संबंधित नीतिगत फैसलों के आधार पर आकाशवाणी द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं। इन्हें आम जनता की जरूरतों और विशेष लक्षित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कल्याण, महिला सशक्तीकरण और उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर लागू किया जाता है।

वार्षिक योजना 2012-13 और 2013-14 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन का योजनागत विवरण अध्याय IV में दिया गया है। वार्षिक योजना 2012-13 का स्वीकृत परिव्यय 299.00 करोड़ रुपए था और खर्चा 165.89 करोड़ रुपये था। इसी प्रकार वार्षिक योजना 2013-14 का कुल परिव्यय 318.50 करोड़ रुपये है जिसमें से 272.44 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

निगरानी प्रणाली

विभिन्न स्तरों पर समीक्षा और प्रसार भारती को जारी अनुदान के समय ही मासिक व्यय विवरण के माध्यम से आकाशवाणी की सभी योजना स्कीमों के प्रदर्शन का नियमित निरीक्षण किया जाता है। मंत्रालय द्वारा रखी गई अन्य शर्तों को पूरा करने के आधार पर अनुदान को जारी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत फॉरमेट में अर्द्धवार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट (एचवाईपीआर)को तैयार किया जाता है जो समग्र रूप से सभी योजनाओं के विकास की समीक्षा करती है।

सदस्य (वित्त) योजनाओं की प्रगति का नियमित निरीक्षण करते हैं और जहां कहीं आवश्यकता होती है उसके सुधार के उपाय करते हैं। योजनाओं के लिये एक नोडल अधिकारी को भी नामित किया गया है। परियोजना के लिये की जाने वाली खरीद और अन्य प्रमुख गतिविधियों के समय सीमा तय की गई है और उसकी प्रगति की समीक्षा भी की जाती है। खरीद की प्रक्रिया को बेहतर बनाने और पारदर्शी बनाने के लिए ई-निविदा प्रणाली को भी अपनाया गया है।

दूरदर्शन

भारत में दूरदर्शन की शुरुआत, दिल्ली में एक प्रायोगिक प्रसारण के माध्यम से सितंबर 1958 में की गई जिसे बाद में 1965 में एक स्थायी सेवा के तौर पर जारी किया गया। 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का ही हिस्सा रहा, तत्पश्चात इसे अलग किया गया और महानिदेशक की अध्यक्षता में इसे अलग विभाग बना दिया गया। रंगीन टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत 1982 में की गई। तब से दूरदर्शन विश्व के प्रमुख सार्वजनिक प्रसारक के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। निशुल्क डीटीएच सेवा के साथ, दूरदर्शन 35 चैनलों का संचालन करता है। दूरदर्शन का 67 स्टूडियो का क्षेत्रीय नेटवर्क है। देश के भू-भागीय रूप को देखते हुए दूरदर्शन ने देशभर में 1416 ट्रांसमीटर लगाए हैं। इसके अलावा 32 चैनल इस प्रकार हैं :

दूरदर्शन सैटेलाइट चैनल

दूरदर्शन के 32 सेटेलाइट चैनल कार्य कर रहे हैं। ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं	प्रकृति और चैनल का नंबर			चैनल के नाम और उसका क्षेत्र		
1.	अखिल भारतीय चैनल	5	डीडी नेशनल डीडी न्यूज	डीडी उर्दू	डीडी भारती	डीडी स्पोर्ट्स
2.	क्षेत्रीय चैनल	15	डीडी पोगाली डीडी मलयालम डीडी बिहार डीडी गुजरात	डीडी पूर्वोत्तर डीडी चंदना डीडी सह्याद्रि डीडी यूपी	डीडी ओडिया डीडी राजस्थान डीडी कशीर डीडी एमपी	डीडी बांग्ला डीडी पंजाबी डीडी तेलुगु
3.	राज्य नेटवर्क	11	उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश हरियाणा छत्तीसगढ़	अरूणाचल प्रदेश नगालैंड चंडीगढ़ उत्तर प्रदेश	मिज़ोरम मेघालय मणिपुर हरियाणा	झारखंड त्रिपुरा
4.	अंतर्राष्ट्रीय चैनल	1	डीडी इंडिया			

दूरदर्शन नेटवर्क

कार्यक्रम निर्माण केंद्र

देश भर में कार्यक्रम निर्माण के लिए 67 स्टूडियो केंद्र हैं इनमें राज्यों की राजधानियों में 17 बड़े स्टूडियो केंद्र, दिल्ली में एक केंद्रीय निर्माण केंद्र, गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय निर्माण केंद्र और देश के विभिन्न भागों में 49 अन्य स्टूडियो केंद्र शामिल है।

भूभागीय ट्रांसमीटर

भूभागीय कवरेज के लिए, इस समय अलग-अलग क्षमता के 1416 ट्रांसमीटर हैं। डीडी1 के अंतर्गत 1242 ट्रांसमीटर हैं भूभागीय मोड में डीडी1 चैनल की कवरेज देश के करीब 92 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। डीडी न्यूज चैनल में 49 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध है। क्षेत्रवार, डीडी1 चैनल 81 प्रतिशत और डीडी न्यूज चैनल 26 प्रतिशत भू-भाग को कवर करता है। इन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा इस प्रकार है:

सेवा	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	ट्रांसपोसर	कुल
डीडी 1 ट्रांसमीटर	138	733	355	18	1244
डीडी समाचार ट्रांसमीटर	73	78	17	-	168
अन्य ट्रांसमीटर (डिजिटल)	4	-	-	-	4
कुल	**215**	**811**	**372**	**18**	**1416**

नि:शुल्क डीटीएच (डीडी फ्री डिश)

दूरदर्शन ने दिसम्बर 2004 में 33 टीवी चैनलों के गुच्छे के साथ अपनी नि:शुल्क "डीडी डायरेक्ट प्लस" सेवा शुरू की। इस सेवा का प्रमुख उद्देश्य अब तक भू-भागीय प्रसारण से अछूते क्षेत्रों को टेलीविजन कवरेज उपलब्ध कराना था। इसके बाद डीटीएच प्लेटफार्म की क्षमता बढ़ाकर इसमें 59 टेलीविजन चैनल शामिल कर लिए गए। अंडमान और निकोवार द्वीप समूह को छोड़कर डीटीएच सिग्नल देश के सभी हिस्सों में छोटे आकार की डिश के जरिए उपलब्ध हैं। अंडमान और निकाबार द्वीप समूह में सितम्बर 2009 में सी-बैंड के साथ 10 चैनलों वाली डीटीएच सेवा शुरू की गई। ये चैनल नि:शुल्क उपलब्ध है और दर्शकों को इनके लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता।

दूरदर्शन को 2014-15 की वार्षिक योजना के लिए प्रत्यक्ष बजट सहायता 278.02 करोड़ रुपये दी गई है। पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिये आंबटन 268.02 करोड़ रुपये है जिसमें विशेष परियोजनाओं के लिए 0.02 करोड़ रुपये की आंबटन शामिल है। विशेष परिस्थितियों के लिए आंबटन प्राथमिक तौर पर प्रसारण इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास योजना के लिये है। इस योजना के तहत मुख्य तौर पर दूरदर्शन नेटवर्क का डिजीटलीकरण डी टी एवं विस्तार, एचडी टीवी का विस्तार, दूरदर्शन स्टूडियो का आधुनिकीकरण, ट्रांसमीटर और उपग्रह प्रसारण उपकरण तथा भारत नेपाल सीमा पार टी वी कवरेज का विस्तार किया जाना है। 10 करोड़ रुपये का बाकी परिव्यय विषयवस्तु विकास और प्रसार के लिये है। (अध्याय-II)। 2012-13 और 2013-14 की वार्षिक योजना की योजनागत स्कीम का योजनावार वास्तविक और वित्तीय प्रदर्शन विस्तार से अध्याय IV में दिया गया है। 2012-13 (बजट अनुमान) की वार्षिक योजना के लिए 286.00 करोड़ रुपये आबंटन किया गया और 269.19 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इसी तरह 2013-14 की वार्षिक योजना में आईईबीआर के लिये 125.00 करोड़ सहित 395.50 करोड़ रुपये के आबंटन में से 360.84 करोड़ रुपये खर्च किये गये।

निगरानी की व्यवस्था

दूरदर्शन की स्कीमों का नियोजन, निर्माण और लागू करने की प्रणाली दूरदर्शन महानिदेशालय में तय की जाती है। विभिन्न केंद्रों/कार्यालयों से जुड़ी स्कीमों का कार्यान्वयन उस क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। ऐसे चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में रख-रखाव गतिविधियों की देखरेख के लिए गुवाहाटी में पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष क्षेत्र बनाया गया है। विभिन्न परियोजनाओं का सिविल कार्य आकाशवाणी और दूरदर्शन के सिविल कंस्ट्रक्शन विंग (सीसीडब्ल्यू) द्वारा किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं के प्रमुख कार्यों की निदेशालय में निगरानी की जाती है। क्षेत्रीय चीफ इंजीनियर और सीसीडब्ल्यू के चीफ इंजीनियर विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत अपने-अपने क्षेत्रों की निगरानी करते हैं।

दूरदर्शन की सभी प्रमुख स्कीमों के लिए लक्ष्य तय किए गए हैं जिनकी क्षेत्रीय कार्यालयों और निदेशालय में लगातार निगरानी होती है ताकि ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं और पूर्व निर्धारित लागत से ज्यादा रकम खर्च न हो। क्षेत्रीय चीफ इंजीनियर सिविल कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए समय-समय पर सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के साथ बैठकें करते रहते हैं। मुख्यालय में इंजीनियर इन चीफ के स्तर पर और क्षेत्रीय अधिकारियों और सीसीडब्ल्यू अधिकारियों के स्तर पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती है। महानिदेशक दूरदर्शन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती के स्तर पर भी निश्चित समय अंतरालों में समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। दूरदर्शन की स्कीमों के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए मंत्रालय ने समय-समय पर बैठकें आयोजित करता है।

मुख्य सचिवालय की प्रसारण विंग स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

संचार, विकास और लोकतंत्र की सफलता का केंद्र है। सामुदायिक रेडियो (सीआर) यह एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम है, विशेषकर ऐसे समुदायों में जहां ज्यादातर लोग लिख-पढ़ नहीं सकते। यह बेजुबानों को आवाज देने का एक अनोखा और अदृश्य माध्यम भी है।

मंत्रालय ने सामाजिक बदलाव लाने और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिये सीआर की छुपी हुई सम्भावनाओं को ढूंढ निकाला है। सीआर स्टेशन कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन हैं, जो स्थानीय समुदायों द्वारा स्थापित और संचालित किये जाते हैं। सीआर स्टेशन स्थानीय समुदाय के बीच स्थित होता है, जिससे उसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के विकास के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का लाभ मिलता है।

पिछले चार वर्षों में सीआर स्टेशनों के बारे में मंत्रालय के दृष्टिकोण में व्यापक बदलाव आया है। उसकी भूमिका अब लाइसेंस देने वाले/नियामक से बढ़कर, सहायक की बन गई है। इस महत्वपूर्ण बदलाव की बदौलत सीआर की वृद्धि को प्रोत्साहन मिला है और इस समय भारत के विभिन्न हिस्सों में 170 सीआर स्टेशन संचालित किये जा रहे हैं। इसके अलावा 300 स्टेशन शुरू होने की प्रक्रिया में है और इसके साथ ही मौन क्रांति का सूत्रपात हो चुका है।

आवेदन की पद्धति को सरल बनाने, आवेदनों पर निपटने में पारदर्शिता में सुधार लाने, मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने, जागरूकता बढ़ाने, सीआरएस की वित्तीय सहायता के लिये आयोजना योजना शुरू करने, हितधारकों के बीच सहक्रियता बढ़ाने और सीआर प्रसारण में सरकार के मंत्रालयों को शामिल करने जैसे कदमों ने भारत मे सीआर की सार्थक वृद्धि की सशक्त बुनियाद रखी है।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वर्ष 2011 में अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति जारी करने का अधिकार है तथा इसके साथ ही मंत्रालय को मल्टी सिस्टम आपरेटर की अनुमति, डीटीएच लाईसेंस, एचआईटीएस लाईसेंस और सीआरएस, तथा आईपीटीवी सेवा की मंजूरी देने का भी अधिकार है। मंत्रालय ने इन सेवाओं के प्रदाताओं को विभिन्न मंजूरियां देने के लिए सिंगल विंडो प्रणाली शुरू की है। भारत की जमीन से पहली बार निजी टेलीवजन चैनल को अपलिंकिंग की मंजूरी वर्ष 2000 में दी गयी थी। इससे पहले अपलिकिंग विदेशी जमीन से होती थी। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास के साथ ही भारतीय जमीन से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति देने की मांग जोर पकड़ने लगी। जिससे वर्ष 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाउनलिंकिंग की नीति-निर्देश घोषित कर दिए गए। इन दिशा-निर्देशों को 2011 में एक बार फिर संशोधित किया गया। मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को इन दिशा निर्देशों के तहत अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति प्रदान कर दी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रसारण शाखा के विभिन्न भागों को स्वाचालित करने का प्रस्ताव किया गया। इनमें टीवी विभाग, बीपी एंड एल विभाग और सीआरएस विभाग और प्रसारण सेवा की अनुमति देने वाले कई विभाग शामिल थे। इस परियोजना में समग्र ऑनलाइन पोर्टल का विकास, परीक्षण और उसका स्थापन शामिल है। योजना राजस्व के अंतर्गत इस नयी योजना का नाम प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण रखा गया। इस योजना का कार्यान्वयन एनआईसी को टर्न की के आधार पर करना होगा। इसमें प्रणाली, श्रम और अगले पांच वर्ष की अवधि तक कार्यान्वयन रखरखाव भी शामिल है।

इस योजना का उददेश्य कम्प्यूटर आधारित प्रणाली तैयार करना है जिससे पंजीकरण और अनुमति मांगने वाले आवेदकों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लायी जा सके। आवेदन का साफटवेयर अन्य संबद्ध मंत्रालयों को भी उपलब्ध होगा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वर्ष 2011 में अनुमोदित दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में टेलीविजन चैनलों को अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की अनुमति जारी करने का अधिकार है। विभिन्न अनुमतियां मांगने वाले आवेदकों के लिए मंत्रालय ने सिंगल विंडो प्रणाली उपलब्ध कराई है। सामान्यतया आवेदकों को मंजूरी लेने में बहुत सारे कागजातों का प्रबंध करना होता है और कई अधिकारियों के पास जाना होता है। इससे जरूरी अनुमति और लाईसेंस जारी करने में अनावश्यक देरी होती है और योजनाबद्ध तरीके से काम करना मुश्किल हो जाता है। यह कई बार प्रणाली की नाकामी के रूप सें देखा जाता है।

आवेदनों की पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन लाइन पोर्टल का प्रस्ताव का किया है। इससे विभाग के अधिकारी और संबद्ध पक्ष आवेदन की स्थिति देख सकते है और पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप कम से कम होता है।

(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन

चार चरणों में केबल टीवी नेटवर्क का डिजटलाईजेशन एक महत्वाकांक्षी योजना है। मंत्रीमंडल ने इसे मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया है। चार चरणों में टीवी नेटवर्क का पूर्णत: डिजटलाईजेशन होगा जिसमें 31 दिसम्बर 2014 को एनालॉग टीवी सेवा को पूर्णत: बंद करने की योजना है। प्रथम दो चरण में केबल टीवी डिजिटलाइजेशन पूर्णत: सफल रहा। प्रथम चरण अक्टूबर 2012 में पूरा हुआ। इसमें चार महानगर दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को पूर्ण डिजटलाईजेशन किया गया। चेन्नई में कोर्ट केस के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरे चरण में 31 मार्च 2013 को 38 शहरों (लगभग 10 लाख की जनसंख्या) 14 राज्यों केन्द्रशासित प्रदेशों में कार्य हुआ। दूसरे चरण में 36 शहरों में लगभग कार्य पूरा और दो शहर में कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण में लगभग तीन करोड़ सेट टॉप बॉक्स लगाए गए।

लक्ष्य की प्राप्ति व जनता की जागरूकता के लिए मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक और प्रिंट मिडिया द्वारा प्रचार किया। विडियो विज्ञापन और रेडियो जिंगल द्वारा मंत्रालय ने टेलिविजन और रेडियो द्वारा भी प्रचार किया। एसएमएस द्वारा मोबाइल फोन में प्रचार किया गया। साथ में फिल्म स्लाइट और बस में भी होडिंग द्वारा प्रचार कार्य हुआ। 'ब्लैक आउट विज्ञापन' को सभी प्रमुख टीवी चैनल पर देकर डिजिटलाईजेशन की अंतिम तारीख दिखा जनता को अधिकाधिक जागरूक बनाया गया। 200 से अधिक चैनलों ने 'ब्लैक आउॅट विज्ञापन' का सिक्रोनाइज फैशन शॉर्ट दिखाकर रिकार्ड बनाया।

मंत्रालय ने बड़ी सावधानी से एसटीबी, विभिन्न एमएसओ और डीएचटी की निगरानी की। विशेष टास्क फोर्स ने इस पूरी प्रक्रिया में विभिन्न स्टेक होल्डर के साथ सहयोग दिया। मंत्रालय ने विशेष डिजिटाइजेशन भी आरंभ किया। राष्ट्रीय स्तर के एमएसओ, स्वतंत्र एमएसओ और क्षेत्रीय केवल ऑपरेटर का उप समूह मंत्रालय को फीडबैक देता था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी और तकनीकी टीम 'बेसील' ने विभिन्न स्थानों का कार्य देखकर लगातार फीडबैक दिया। इससे जमीनी हकीकत समझने में मंत्रालय को आसानी हुई। एक टोल फ्री नंबर भी आरंभ किया गया जिसमें एक कंट्रोल रूम के साथ 5 टेलिफोन लाइन है। यह लोगों को जानकारी और प्रश्नों के उत्तर देते हैं।

पहले दो चरण में सकारात्मक परिव्यय और स्टेक होल्डर का प्रदर्शन अच्छा था। प्राथमिक डाटा में राज्य सरकार का दो से तीन हिस्सा मनोरंजन टैक्स का बढ़ा। समाचार प्रसारण में 30 प्रतिशत भुगतान घटा। एमएसओ ने बताया कि 35 प्रतिशत प्रसारण सब्क्रिपशन बढ़ा है।

तीसरे चरण में अन्य शहरी क्षेत्र और बाकी बचे भारत में चौथे चरण का कार्य पूरा होगा। तीसरे और चौथे चरण का कार्य (III और IV) 30 सितम्बर 2014 और 31 दिसम्बर 2014 तक है। तीसरे और चौथे चरण का ब्लूप्रिंट तैयार है। पूर्ण डिजिटलाइजेशन द्वारा केबल टीवी देखना सुगम हो जायेगा।

अध्याय-1

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति वक्तव्य

अधिदेश: विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की प्रमुख मल्टी मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। यह विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों के जरीये जनता तक पहुंचाने का काम करती है। डीएवीपी अनेक स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचार आवश्यकताओं को भी पूरा करती है। समाज से जुड़े संदेशों को आम आदमी तक पहुंचाने के लिये यह निम्नलिखित माध्यमों का सहारा लेती है।

क. समाचार पत्रों में विज्ञापन

ख. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रव्य-दृश्य स्पॉट, जिंगल्स आदि

ग. उभरता नया मीडिया अर्थात् डिजिटल सिनेमा, मोबाइल, टेलीफोनी इंटरनेट , सोशल नेटवर्किंग साइट

घ. मुद्रित प्रचार साहित्य, पुस्तिकाएं, ब्रॉशर, पोस्टर आदि

ड. बाह्य प्रचार माध्यमों होर्डिंग्स, मेट्रो रेल पैनल, बस पैनल, कियोस्क, सार्वजनिक सुविधाएं इत्यादि

च. ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चुने हुए विषयों पर फोटो प्रदर्शनी। इनमें मेले भी शामिल हैं।

नीतिगत ढांचा: कुल मिला कर डीएवीपी कई वर्षों से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के क्षेत्र में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। यह जनता के बीच जागरूकता निभाने, विकासात्मक गतिविधियों में जनता की भागीदारी प्राप्त करने और गरीबी तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुद्रित माध्यम प्रचार तथा श्रव्य-दृश्य प्रचार, बाह्य प्रचार और नया मीडिया प्रचार जैसे डिजीटल सिनेमा, ईंटरनेट सोशल मीडिया और एस.एम.एस. को भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी क्रमशः विज्ञापन नीति और दृश्य श्रव्य प्रचार नीति के तहत किया जाता है।

लक्ष्य: www.davp.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध चार्टर अपने ग्राहकों, नागरिकों आदि को मात्रात्मक तरीके से सेवाएं देने का एक प्रयास है। डीएवीपी वर्तमान में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बार-बार गुणवत्ता बोध के साथ ग्राहक समर्पित संगठन बनने के लिये तैयार कर रहा है। इसके लिये सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं का व्यवसायीकरण तथा कार्य प्रक्रियाओं और ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आगे, मीडिया आउटलेट के लिये विभागों/मंत्रालयों की आवश्यकताओं के लिये मात्र डाकघर होने के स्थान पर डीएवीपी ऐसी सामग्री/विषयवस्तु को तैयार करने का लक्ष्य बना रहा है जो कि सरकारी सूचना और सरकारी माध्यमों के लिये एकीकृत भूमिका निभा सके।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

मंत्रालय की मीडिया ईकाइयों में से एक है क्षेत्र प्रचार निदेशालय जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के प्रचार कार्य में जुटा हुआ है। वह यह प्रचार कार्य 22 क्षेत्रीय कार्यालयों की देखरेख में 20 क्षेत्रीय प्रचार ईकाइयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से कर रहा है।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों के नियंत्रण में 32 क्षेत्रीय प्रचार ईकाइयों के साथ 1953 में क्षेत्र प्रचार निदेशालय अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना ''पंचवर्षीय योजना प्रचार संगठन'' के आंतरिक प्रचार कार्यक्रम के तहत की गई। मंत्रालय ईकाइयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर सीधा प्रशासनिक नियंत्रण करता है। बाद में क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियों पर नज़र रखने और संचालन करने हेतु 1959 में पूर्ण विकसित निदेशालय स्थापित किया गया और इसे नाम दिया गया क्षेत्र प्रचार निदेशालय।

सन् 1962 में चीन-भारत युद्ध और 1965 में भारत-पाक युद्ध के बाद डीएफपी की कार्यप्रणाली में कुछ आधारभूत परिवर्तन किए गए जो देश के मनोबल को बढ़ाने और किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार करने के दृष्टिकोण के तत्काल रूप से आवश्यक थे। तदनुसार 1963 में 34 नई ईकाइयां स्थापित की गई और 1965 में प्रचार के लिए, अन्य 33 ईकाइयां विशेषकर सीमावर्ती क्षेत्र के लिए स्थापित की गई।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

रोज़गार समाचार सापताहिक अंग्रजी, हिंदी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यहां भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि में नौकरी के विज्ञापन, पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सूचनाएं तथा संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग और अन्य सामान्य भर्ती परीक्षाओं तथा परिणामों की जानकारी होती है। रोज़गार समाचार में एक सम्पादकीय खंड भी होता है जिसमें एक या दो लेख छपते है।

कुल राजस्व और अधिशेष :

इंप्लायमेंट न्यूज ने 2013- 14 में 4601.70 लाख रु. राजस्व अर्जित किया। व्यय को घटा कर अधिशेष 2556.15 लाख रु. रहा। मई 2014 तक राजस्व 6962.76 लाख रु. तथा अधिशेष 906.19 लाख रु. था।

राजस्व :

इंप्लायमेंट न्जूज ने रोजगार संबंधी पत्रों में सर्वोच्च स्थिति बरकरार रखी और 2013- 14 में विज्ञापनों के जरिए 2911.82 लाख रु. का राजस्व अर्जित किया। मई, 2014 तक विज्ञापनों से 776.83 लाख रु. और प्रसार से 185.93 लाख रु. का राजस्व अर्जित किया। इस वित्त वर्ष में अब तक (मई 2014) इस साप्ताहिक पत्र ने 906.19 लाख रु. अधिशेष अर्जित किया।

औसत पृष्ठ संख्या :

2013- 14 में इंप्लायमेंट न्यूज के हर अंक की औसत पृष्ठ संख्या 53.75 पृष्ठ रही।

नेटवर्क विस्तार :

इंप्लायमेंट न्यूज मुख्यत: अपनी वितरण एजेंसियों के नेटवर्क के जरिए पाठकों तक पहुंचता है। दूर-दराज इलाकों के पाठकों के लाभ के लिए सीधे ग्राहक बनने की सुविधा भी है। 2014- 15 के दौरान वितरण नेटवर्क को और बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इंटरएक्टिव वेबसाइट :

इंप्लायमेंट न्यूज की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in प्रतिमाह करीब 7 लाख लोगों द्वारा देखी जाती है। इस तरह यह सरकार की चोटी की वेबसाइटों में एक है। इसकी इंटरएक्टिव खूबियों में आनलाइन कैरियर सलाह, ग्राहकों के ई-मेल पर सीधे सरकारी रोजगारों की जानकारी आदि शामिल हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी) का मुख्य उद्देश्य, देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के विशेष संदर्भ में, मीडिया और जनसंचार के संबंध में प्रशिक्षण देना और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। संस्थान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से वार्षिक अनुदान मिलता है। संस्थान के स्नाथतकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सभी पात्र उम्मीदवार लिखित/मौखिक परीक्षा के जरिए प्रवेश पा सकते हैं। इसके अलावा संस्थाान विदेश मंत्रालय के सहयोग से विकासशील देशों के पत्रकारों और सूचना अधिकारियों के लिए विकास पत्रकारिता पर दो विशेष पाठ्यक्रम आयोजित करता है। भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के ए और बी वर्ग के अधिकारियों के लिए फाउंडेशन/ओरिएंटेशन सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों के लिए अन्य अल्प कालीन पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। संस्थाान जनसंचार से संबंधित विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएं भी संपन्न करता है। इनमें से अधिकांश प्रायोजित होती हैं। संस्थांन समय-समय पर पुस्तकें और अन्य प्रकाशन भी प्रकाशित करता है।

ऐसा लगता है कि वर्तमान एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का उन्ननयन कर इसे दो वर्षीय एडवांस्ड स्नानतकोत्तर डिप्लोमा में बदला जाए और इसे एमए डिग्री कोर्स के समकक्ष मान्यता दिलवाई जाए। संस्थान के कम्यूनिकेशन रिसर्च विभाग का उन्नएयन कर आईआईएमसी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाया जाना भी आवश्याक है। आईआईएमसी को संसद के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट्स) बनाकर यहां एडवांस्ड पाठ्यक्रम और डॉक्टोल शोध कार्यक्रम भी चलाए जा सकते हैं।

योजना-गत गतिविधियां :

उक्ता पक्षों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने 11वीं योजना में 'आईआईएमसी का अंतरराष्ट्रीय स्तर तक उन्नोयन (अपग्रेडेशन ऑफ आईआईएमसी टू इंटरनेशनल स्टेंडर्ड्स)' योजना स्कीम मंजूर की। इसके लिए 62 करोड़ रु. का परिव्यय और 51.5 करोड़ रु. का बजट रखा गया। यह स्कीम 12वीं योजना में भी 43 करोड़ रु. के बजट के साथ जारी है। 12वीं योजना में 'आईआईएमसी के क्षेत्रीय केंद्र खोलना (ओपनिंग ऑफ न्यूर रीजनल सैंटर्स ऑफ आईआईएमसी)' नई स्कीईम भी स्वीकृत की गई। इसका योजना परिव्यय 94.20 करोड़ रु. और बजट 90 करोड़ रु. रखा गया।

फोटो प्रभाग

फोटो डिवीजन का मुख्य कार्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के फलस्वरूप देश में आए सामाजिक बदलावों का तस्वीरों के रूप में दस्तावेज तैयार करना है। फोटो डिवीजन की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रत्येक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दौरे को पूरा कवरेज करना है। पत्र सूचना कार्यालय को अखबारों में वितरण के लिए, डीएवीपी को प्रदर्शनियों और विदेशों में प्रचार के लिए विदेश विभाग को डिवीजन द्वारा फोटो उपलब्ध कराई जाती हैं।

इसके अलावा, फोटो डिवीजन केन्द्र, राज्य सरकारों के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और जनता को मूल्य के भुगतान पर तस्वीरें उपलब्ध कराता है। इन तस्वीरों का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण घटनाओं का प्रचार करना और अभिलेख के तौर पर उन्हें सुरक्षित रखना होता है। तेजी से होते तकनीकी विकास के मद्देनजर, डिवीजन ने प्लान योजना को पुनर्निर्धारित किया है।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद की स्थापना और कार्य पर संक्षिप्त नोट

भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा पर वर्ष 1966 में की गई थी। यह वर्तमान में प्रेस परिषद कानून 1978 के अतंर्गत कार्य करती है। प्रेस की आजादी को बनाए रखने और उसके स्तर में सुधार लाने के अपने दोहरे उत्तरदायित्व की पूर्ति की दिशा में परिषद बहुमुखी भूमिका अदा करती है। जहां एक ओर यह दीवानी न्यायालय की शक्तियों सहित न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है, वहीं परामर्शदायी भूमिका में यह प्रेस और सरकारी अधिकारियों का प्रेस की आजादी और उसके संरक्षण से जुड़े मसलों पर मार्गदर्शन भी करती है।

प्रेस परिषद का मुखिया, अध्यक्ष कहलाता है जो परंपरा के अनुसार देश के उच्चतम न्यायालय का वर्तमान/सेवानिवत्त न्यायाधीश होता है। इसके अलावा परिषद के 28 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें 20 प्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं, पांच संसद के दोनों सदनों से आते हैं और तीन सदस्य सांस्कृतिक, साहित्यिक और विधि के क्षेत्रों से होते हैं जिन्हें क्रमश: साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार काउंसिल द्वारा नामित किया जाता है।

परिषद का वित्त पोषण करने के लिये पंजीकृत समाचारपत्रों से उनकी प्रसार संख्या के अनुसार शुल्क वसूला जाता है, घाटा केंद्र सरकार के अनुदान से पूरा किया जाता है। परिषद वित्तीय रूप से काफी हद तक सरकार पर आश्रित है, फिर भी अपने काम में इसने कभी भी किसी बाहरी प्रभाव को हावी नहीं होने दिया है।

परिषद के अर्ध न्यायिक कार्य प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 14 और 15 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए जाते हैं और परामर्शदायी एवं मार्गदर्शन के कार्य धारा 13 के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की उन प्रमुख एजेंसियों में से एक है जिनका कार्य नीतियों, कार्यक्रमों और विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसके आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, चंडीगढ़, गुवाहाटी, लखनऊ और हैदराबाद में स्थित हैं। इसके 27 शाखा कार्यालय, 5 कार्यालय-सह-सूचना केंद्र और दो सूचना केंद्र हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इन स्थानों से अनेक पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं और नित्य प्रति बड़ी संख्या में पत्रकार वहां आते हैं। मंत्रियों/सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार की नीतियों की जानकारी देने के लिए प्रेस कांफ्रेस आयोजित करते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार जगत में दो बड़े घटनाक्रम हुए हैं, - प्रथम इंटरनेट का बड़े पैमाने पर विस्तार और दूसरे-चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज चैनल। इन दोनों के कारण संचार की गति तेज हो गई है, राष्ट्रों की सीमा के मध्य सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा हैं और समाचार संग्रह तथा वितरण में बहुत तेजी आ गई है। इन हालात में जहां परंपरागत मीडिया-खासतौर से प्रिंट मीडिया का महत्व बना हुआ है, वहीं अब पत्र सूचना कार्यालय को नए माध्यमों की जरूरतें पूरी करने के लिए भी काम करना है। नए उभरते साधनों का इस्तेमाल करते हुए अब उसे पूरी जनसंख्या तक पहुंचना है।

आजकल इंटरनेट के जरिए सूचनाएं जल्दी मिल जाती हैं और उनमें पारदर्शिता रहती है अत: इस कार्यालय के पुराने साधनों को आधुनिक और आज के मीडिया की जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। पत्र सूचना कार्यालय मीडीआ प्रतिनिधियों तथा आधुनिक प्रणाली से सूचना उपलब्ध कराती है।

पत्र सूचना कार्यालय अखबारों और अन्य मीडिया से मिलने वाली प्रतिक्रिया विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध कराता है ताकि वे उसके अनुकूल कदम उठा सकें और अपने प्रयासों को नई दिशा दे सकें।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों/स्कीमों/परियोजनाओं को चलाने का प्रस्ताव है :

1. नई दिल्ली में नेशनल प्रेस सेंटर की स्थापना

नेशनल और इंटरनेशनल पत्रकारों को मीडिया सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली में पीआईबी नेशनल प्रेस सेंटर को स्थापित किया गया है। इसका अपना भवन है, जिसमें ऑडिटोरियम, प्रेस लाउंज, ब्रीफिंग/कांफ्रेंस रूम, लाइब्रेरी समेत आधुनिक सुविधाएं हैं। परियोजना की संभावनाओं और इसके बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए इसकी लागत 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये हो गई इसे 15 सितंबर 2009 को ईएफसी ने अनुमोदित किया। नेशनल प्रेस सेंटर के निर्माण के लिए 22 मार्च 2010 को पीआईबी और एनबीसीसी के बीच, पुराने एमओयू के स्थान पर एक अनुबंध किया गया था। वार्षिक योजना 2013-14 के दौरान 50 लाख रुपये कैपिटल सेक्शन प्लान के तहत बीई 2013-14 में आबंटित किए गए थे। वित्त वर्ष 2013-14 में पीआईबी को बीई में योजना-व्यय (कैपिटल सैक्सन के तहत) 50 लाख रुपये आबंटित किए गए थे जबकि आरई में इसे बढ़ा कर 2.10 करोड़ रुपये कर दिया गया। इसमें से एनबीसीसी को 2.0960 करोड़ का भुगतान किया गया। मार्च 2014 तक, एनबीसीसी को कुल 57.41 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था।

वार्षिक योजना 2014-15 के दौरान एनबीसीसी को भुगतान करने के लिये पत्र सूचना कार्यालय को 2.50 करोड़ रुपये आंबटित किये गये जबकि पत्र सूचना कार्यालय को इस वर्ष 2.59 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता थी। इस समय यह बिल्डिंग पूरी तरह तैयार हो चुकी है और इसमें कार्यालय का कामकाज किया जा रहा है।

2. मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष इवेंट्स का प्रचार

इस योजना में शामिल मदें इस प्रकार हैं :-

(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम

(ख) इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया

(ग) प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

इन सभी मदों को 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी शामिल किया गया है, जिनके बारे में विस्तृत विवरण इस प्रकार है:-

(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम

इस योजना का लक्ष्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार विभिन्न विधियों से करना है। इन विधियों में जनसंपर्क अभियानों का आयोजन, मीडिया इंटरेक्टिव सेशन, सफलता की कहानियों का प्रचार प्रसार और प्रेस टूर्स का आयोजन शामिल है। वार्षिक योजना 2013-14 के लिए इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति 27.06.2012 को मिल गई थी। इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालयों को भी 29 जून 2012 को आबंटित कर दिया गया था।

वर्ष 2013-14 को दौरान 105 पीआईसी, 2 मीडिया विचार विमर्श सत्रों और 14 प्रेस दौरों को आयोजित करने के लिये ब्यूरो को 9.88 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। संशोधित अनुमान के समय पीआईबी को 8.50 करोड़ रुपये आंबटित किये गये। 16 वीं लोकसभा के चुनावों के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण, मार्च 2014 में ब्यूरो की ओर से कोई भी मीडिया विचार विमर्श सत्र और प्रेस दौरे आयोजित नहीं किये गये। हांलाकि योजना के लिये आंबटित राशि को 9.88 करोड़ रुपये से घटाकर 8.38 करोड़ रुपये कर दिया गया। अत: मार्च 2014 तक योजनागत घटक के तहत 103 पीआईसी आयोजित की गई और इसके लिये 8.372 करोड़ रुपये व्यय किये गये।

वर्ष 2014-15 के दौरान योजनागत स्कीम के कार्यान्वयन के लिये 9.88 करोड़ रुपये जारी किये गये थे। इस अवधि के दौरान प्रस्तावित गतिविधियों में 100 जनसूचना अभियान पीआईसी, 2 मीडिया विचार विमर्श सत्र और 10 प्रेस दौरे आयोजित किये गये और 25 सफलता की कहानियां जारी की जानी हैं।

(ख) इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

फेस्टीवल के आयोजन स्थल पर मीडिया सेंटर की स्थापना की गई है, जहां पत्रकारों का न केवल बेहतर स्वागत सत्कार होगा, बल्कि उन्हें प्रत्यायन सेवाएं भी वहीं मिल सकेंगी। इसके अलावा प्रेस कांफ्रेंस, प्रेस रिलीज बनाने के लिए कंप्यूटर एवं इंटरनेट रूम, टेलीफोन, न्यूजपेपर्स, स्टेशनरी, फोटोकॉपी मशीन इत्यादि की भी व्यवस्था हैं। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को विशेष प्रत्यायन देने और पत्रकारों को सुविधा देने के लिए कंप्यूटर किराये पर लेने के लिए पीआईबी अपने अधिकारियों को तैनात करती है। 2013-14 के दौरान 12 लाख रूपये का आबंटन किया गया था, जिसमें से अब तक 11.75 लाख रूपये उपयोग किए जा चुके हैं। वार्षिक योजना 2014-15 में इस ब्यूरो को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल के आयोजन और पीबीडी के लिए 12 लाख रूपये का आबंटन किया गया है।

(ग) पीआईबी का आधुनिकीकरण

यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई है। 2013-14 के दौरान पीआईबी को 4 करोड़ रूपये इस योजना के संचालन के लिए आबंटित किए गए थे। इस योजना उद्देश्य इस योजना का लक्ष्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और नई एवं पुरानी योजनाओं के संचालन के लिए ढांचागत सुविधाएं मुहैया कराना है, ताकि बेहतर नतीजे प्राप्त किए जा सकें। इस बात को ध्यान में रखकर सिस्टम को पहले से अधिक सक्षम बनाने और उसकी पहुंच को बढ़ाना इसमें शामिल है।

2013-14 में संशोधित अनुमान पर 1.50 करोड़ रुपये आंबटित किये गये। अंतिम अनुदान स्तर पर 7.72 करोड़ रुपये आंबटित किये गये योजना स्कीम के तहत 1.17198 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इसके तहत इस राशि को न्यू मीडिया सेंटर में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर स्थापित करने और विभिन्न उपकरणों की एएमसी के लिए और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के लिए व्यय किया गया।

2014-15 के दौरान योजनागत स्कीम को लागू करने में पीआईबी को 5.00 करोड़ रुपये आंबटित किये गये हैं और इसके तहत प्रस्तावित गतिविधियां है:

1. वेबसाइटों का बड़े पैमाने पर उन्नयन करके उनमें अधुनातन संपर्क और डिलीवरी के साधन का समावेश।
2. मीडिया मान्यता की प्रक्रिया में आवेदन प्राप्ति, उस पर विचार और फैसले और उसे सूचित करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाना।
3. अधिक वीडियो संसाधनों का प्रयोग।
4. 2 लाख पुराने रिकार्डों का डिजीटलीकरण।
5. 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना के प्रसार के लिये आधुनिक वीडियो कान्फ्रेसिंग सुविधाओं का शुरू करना।
7. हार्डवेयर, लैन, नेटवर्क का आधुनिकीकरण जारी रखना।
8. सौ अधिकारियों को स्मार्ट उपकरण उपलब्ध कराना।

क्षेत्रीय प्रेस कान्फ्रेंस

इस अवधि के दौरान पीआईबी ने जयपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु आदि शहरों सहित देशभर में 11 क्षेत्रीय प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह पर 14 राज्यों में प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की गई। जो इस प्रकार है:

क्र. सं	राज्य का नाम	राजधानी
1.	असम	गुवाहाटी
2.	महाराष्ट्र	मुंबई
3.	केरल	तिरुअंनतपुरम
4.	कर्नाटक	बंगलुरु
5.	सिक्किम	गंगटोक
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता
7.	बिहार	पटना
8.	पंजाब	चंडीगढ़
9.	हरियाणा	चंडीगढ़
10.	तामिलनाडु	चेन्नई
11.	आंध्रप्रदेश	हैदराबाद
12.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
13.	गोआ	पणजी
14.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ

वर्ष 2013-14 के दौरान पीआईबी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों द्वारा 283 प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की गईं। यह प्रेस कान्फ्रेंस विशिष्ट व्यक्तियों के दौरों और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दों पर आधारित थीं।

5. मंत्री समूह (जीओएम) पर मीडिया

पत्र सूचना कार्यालय महत्वपूर्ण मामलों, उभरते और विकासात्मक समाचारों, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के लिए मंत्री समूह पर मीडिया कवरेज कराने में सहायता करता है और इस संबंध में समाचार पत्रों के संपादकीय और विचार विमर्श बनाने वाले पृष्ठों का आकलन करता है। पीआईबी की प्रधान महानिदेशक की अध्यक्षता में जारी व्यापक रिपोर्ट में संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से मंत्री-समूह के लिए कार्य-बिंदुओं को रेखांकित किया गया। यह रिपोर्ट प्रधान महानिदेशक की ओर से सप्ताह में सभी दिन भेजी जाती रही।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में की गई। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान है। प्रकाशन विभाग का लक्ष्य राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे-इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, कला एवं संस्कृति तथा भारत की धरोहर पर भारत में और विदेशों में पाठकों तक कम मूल्यों पर प्रामाणिक सूचनाएं, जानकारियां पहुंचाना है। निदेशालय के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में शामिल हैं महात्मा गांधी के संकलित कार्यों की शृंखलाएं, राष्ट्रीय नेताओं के भाषण और राष्ट्रीय हित के विषयों पर शिक्षात्मक एवं सूचनात्मक पुस्तकें, बाल साहित्य एवं रोज़गार समाचार। यह राजस्व अर्जित करने वाला विभाग है। विभाग का उद्देश्य है:- राष्ट्रीय महत्व के विषयों- सामग्रियों पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री तथा वितरण; जिसके जरिये ये जन साधारण तक और विदेशों में भारत के बारे में नवीन व सही सूचना मिल सके।

प्रभाग की उपलब्धि

- कम मूल्य पर राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन ताकि यह पुस्तकें व पत्रिकाएं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने अस्तित्व में आने के बाद से अब तक 8000 पुस्तकें-पत्रिकाएं प्रकाशित कर चुका है।

- महात्मा गांधी के संकलित कार्य, नेताजी सम्पूर्ण वाड्मय और आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों का प्रकाशन

- भारत के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के चुनिन्दा भाषणों का प्रकाशन ताकि वह (भाषण) भावी पीढ़ी के लिए संग्रहणीय हो सके।

- प्रकाशन विभाग ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन की पुस्तकों की शृंखलाओं को छापने के काम को हाथ में लिया है।

- रोज़गार-समाचार पत्र के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसरों की सूचना उपलब्ध कराना।

- योजना पत्रिका का 13 भाषाओं में, कुरुक्षेत्र का अंग्रेज़ी और हिन्दी में, आजकल का हिन्दी व उर्दू में और बाल भारती का प्रकाशन।

- सांस्कृतिक धरोहर के विषयों पर मल्टी-मीडिया, अंतर-गतिविधियों की सीडी के माध्यम से ई-प्रकाशन के क्षेत्र में प्रवेश।

- अपने प्रकाशन की पुस्तकों को बृहद वर्ग तक पहुंचाने के लिए भारत और विदेशों में पुस्तक मेलों का आयोजन और उनमें भाग लेना।

- बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए बाल भारती के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन।

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से, पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन में मौलिक हिन्दी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कारों का आयोजन।

विभाग का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कम लागत की पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता, महिला समस्या, बाल साहित्य पुस्तकों की बिक्री तथा वितरण; पुस्तकें जनसाधारण व विदेशों में भारत के बारे में नवीन एवं सही सूचना मिल सके व सहज सुलभ हो। ऐसा करते समय विभाग का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का रहता है:-

(i) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर उन पुस्तकों का प्रकाशन जिन्हें अन्य प्रकाशक नहीं छाप पाते, उन पुस्तकों को जनसाधारण तक कम मूल्य पर उपलब्ध कराना।

(ii) अनेकता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता की धारणा और भावना को मज़बूत बनाना तथा बढ़ावा देना।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय की स्थापना पहली जुलाई 1956 को प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 में संशोधन करके की गई थी। यह कार्यालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करता है। अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विधि विहित कार्य इस प्रकार हैं :

(1) देश भर में प्रकाशित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का एक रजिस्टर तैयार करना उसका रख-रखाव करना तथा उसमें समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का विवरण संकलित करना।

(2) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सिफारिश के बाद समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के शीर्षक की उपलब्धता की जांच के बाद पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना।

(3) समाचारपत्रों के प्रकाशकों द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत समाचार पत्रों/पत्रिकाओं के प्रकाशन की जानकारी सुनिश्चित करना।

(4) प्रकाशकों द्वारा समाचारपत्रों की प्रसार संख्या के दावों की जांच करना।

(5) भारत में प्रेस के बारे में उपलब्ध समस्त सूचनाओं, आंकड़ों और विशेष तौर पर विभिन्न श्रेणियों के समाचार पत्रों-पत्रिकाओं में आए बदलावों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

इसके अतिरिक्त आरएनआई के गैर-वैधानिक श्रेणी के कुछ कार्य इस प्रकार हैं :

(क) अखबारी कागज आयात करने के लिए समाचार पत्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करना।

(ख) समाचार प्रतिष्ठानों की प्रिंटिंग मशीनें (मुद्रण) और अन्य संबंधित सामग्री संबंधी आवश्यक जरूरतों का मूल्यांकन ओर प्रमाणपत्र जारी करना।

न्यू मीडिया विंग

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत ढांचा तथा नीति विवरण

न्यू मीडिया विंग का कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मीडिया एककों को प्रकाशित रचनाओं आदि के संबंध में शोध हेतु सामग्री जुटाने, उसका संकलन तैयार करने में सहायता करना है। साथ ही यह विंग महत्वपूर्ण मुद्दों पर सूचनाओं का संग्रह तैयार करना, समसामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्गदर्शन करने एवं बैकग्राउंड नोट तैयार करने का कार्य करता है जिसका उपयोग माध्यम एकक कर सकें। 1945 में स्थापित गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, का नया नाम न्यू मीडिया विंग है। यह यूनिट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सूचना उपलब्ध कराने का कार्य करती है। मंत्रालय के दिनांक 4 सितंबर, 2013 के आदेश के अनुसार न्यू मीडिया स्कंध (विंग) मंत्रालय के नवगठित सोशल मीडिया सेल को कार्यात्मक एवं प्रचालन सहयोग उपलब्ध कराएगा। यह विंग जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में उभरते ट्रेंड का अध्ययन करता है एवं इस संबंध में संदर्भ समाग्री एवं दस्तावेज आदि तैयार करता है। यह मंत्रालय एवं इसके मीडिया एककों और जनसंचार से जुडे अन्य एककों को उपयोग के लिए भूमिका, संदर्भ एवं शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश द्वारा सूचित किया गया कि योजना आयोग के सुझाव पर भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों का प्रशिक्षण नामक प्लान स्कीम को गैर-योजना गतिविधि (नियमित कार्य) में बदल दिया गया है। अभी इस कार्य को टाल दिया गया है।

यह विंग वार्षिक संदर्भ पुस्तक 'इंडिया रेफरेंस एनुअल' का संकलन करता है, यह पुस्तक दिए गए वर्ष के दौरान केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों,राज्य/संघ शासित क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों/स्वशासित उपक्रमों द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं प्रगति संबंधी विवरण का संकलन है। यह हिंदी में 'भारत' शीर्षक से प्रकाशित होता है।

यह प्रभाग राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की 'डायरी ऑफ इवेंट्स' भी तैयार करता है जो रिकार्ड एवं संदर्भ के काम में आती है। यह प्रभाग एफडीआई की हिस्सेदारी के साथ भारत में प्रकाशन की अनुमति प्राप्त विशेष मुद्दों पर छपने वाली 'स्पेशलिटी मैगजीन्स' के संबंध में मासिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। ये पत्रिकाएं सरकार द्वारा तयशुदा प्रावधानों का पालन करती है या नहीं, इसकी निगरानी करता है ।

इस प्रभाग के पास एक बहुत ही समृद्ध पुस्तकालय है जहां विभिन्न विषयों पर बडी संख्या में दस्तावेज मौजूद हैं, साथ ही चुनिंदा सावधिक पत्रिकाओं के सजिल्द संकलन और मंत्रालयों, समितियों एवं आयोगों की विभिन्न रिपोर्टों का भी संग्रह किया गया है। इसके संग्रह में पत्रकारिता, जनसूचना, विज्ञापन एवं श्रव्य-दृश्य माध्यमों, प्रमुख विश्व कोष श्रृंखलाओं, वार्षिकी(ईयरबुक्स) एवं समसामयिक आलेख भी शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा मान्यता-प्राप्त भारतीय एवं विदेशी संवाददाताओं के लिए भी यह पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2008 में इस पुस्तकालय को शास्त्री भवन से सूचना भवन में अस्थाई तौर पर स्थानांतरित किया गया था। इस काम चलाऊ व्ययवस्था को सूचना भवन में एक पूरे तल पर व्यवस्थित रूप देने की योजना है।

जनसंचार संबंधी राष्ट्रीय डाक्यूमेंटेशन केंद्र

जनसंचार के क्षेत्र में आए बदलावों एवं उससे संबंधित घटनाओं के बारे में सूचनाओं का संग्रह, उसकी व्याख्यान एवं प्रसार के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर जनसंचार संबंधी राष्ट्रीय डाक्यूमेंटेशन केंद्र (एनडीसीएमसी) की स्थापना 1976 में इस प्रभाग के एक अंग के रूप में की गई थी। एनडीसीएमसी जन माध्यम/जनसंचार से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों, आलेखों एवं अन्य सूचना सामग्री के प्रलेखन का कार्य करता है। इस समय यह केंद्र सूचनाओं का संग्रहण, प्रलेखन और प्रसार का कार्य सिर्फ समस्त भारत में जनसंचार के विकास के लिए ही नहीं करता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचनाओं के प्रसार में अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करता है।

इन सूचनाओं का संरक्षण और प्रसार का कार्य कुछ विशेष प्रकार की सेवाओं के माध्यम से किया जाता है जैसे-

करेंट अवेयरनेस सर्विस : इस केंद्र द्वारा मंगाए जाने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जनसंचार माध्यमों पर प्रकाशित चुनिंदा आलेखों का टीकासहित अनुक्रमणिका (इंडेक्सर) तैयार करना।

बिब्लिओग्राफी सर्विस : इस केंद्र द्वारा मंगाए जाने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में जनसंचार माध्यमों पर पिछले एक वर्ष के दौरान प्रकाशित आलेखों का टीका सहित विषयवार अनुक्रमणिका तैयार करना।

बुलेटिन ऑन फिल्म्स : भारत में फिल्म उद्योग में हो रहे विभिन्न बदलावों का सार तैयार करना।

रेफ्रेंस इंफार्मेशन सर्विस : जनसंचार माध्यमों के क्षेत्र में सामयिक महत्व के विषयों पर बैकग्राउंड सामग्री तैयार करना।

हू इज हू इन मास मीडिया : विभिन्न मीडिया से जुड़े चर्चित व्यक्तियों की जीवनी तैयार करना।

आनर्स कन्फर्ड ऑन मास कम्यूनिकेटर्स : वर्ष के दौरान जनसंचार से जुड़े व्यक्तियों को दिए गए पुरस्कारों जिनमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल हैं, का प्रचार करना।

मीडिया अपडेट : यह जनसंचार से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को रिकार्ड एवं संदर्भ के लिए संकलित करता है।

न्यू मीडिया विंग के अधीन जनसंचार संबंधी राष्ट्रीय डाक्यूमेंटेशन केंद्र (एनडीसीएमसी) ने वर्ष 2013-14 (दिसंबर 2013 तक) जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

वर्ष 2013-14 की मुख्य घटनाएं

- इंडिया -2014 का लोकार्पण
- न्यू मीडिया विंग के अधीन जनसंचार संबंधी राष्ट्रीय डाक्यूमेंटेशन केंद्र (एनडीसीएमसी) ने वर्ष 2013-14 (दिसंबर 2013 तक) जनसंचार के विभिन्न पहलुओं पर 43 सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

गीत एवं नाटक प्रभाग

अध्यादेश,लक्ष्य और उद्देश्य, नीतिगत ढांचा एवं नीतिगत वक्तव्य

प्रभाग का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण के बीच सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों के संबंध में जागरुकता और भावनात्मक ग्रहणशीलता को उत्पन्न करना है। ये आदर्श राष्ट्र की प्रगति के संचालक हैं। साथ ही इसका (प्रभाग का) उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में बसे लोगों के बीच रक्षा तैयारियों की अनुभूतियों को जगाने और बाकी देशों के साथ सांस्कृतिक स्वायत्तता को बनाने के साथ सुदूर इलाकों में तैनात सेना के जवानों का मनोबल सजीव मनोरंजन मीडिया के द्वारा बनाए रखता है। सजीव मनोरंजन मीडिया में शहरी रंगमंच स्वरूप और लोकस्वरूप दोनों शामिल हैं। लोक स्वरूपों में देश के सभी क्षेत्रों की छवि समाहित है।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभाग ने लोक तथा परंपरागत स्वरूपों की एक विस्तृत शृंखला को अपनाया है, जैसे लोक तथा परंपरागत नाटक, बैले, ओपेरा, नृत्य-नाटिकाएं, लोक और पारम्परिक प्रस्तुतियां, कठपुतली खेल तथा सैकड़ों जादूगरों के प्राचीन परंपराओं के कुशल प्रदर्शन।

प्रभाग की अगुवाई निदेशक द्वारा की जाती है, और तीन स्तरों पर कार्यों को अंजाम दिया जाता है।

(i) दिल्ली में मुख्यालय

(ii) दस क्षेत्रीय कार्यालय जो बंगलुरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे तथा रांची में स्थित है।

(iii) सात सीमा केन्द्र जिनका संचालन निदेशकों द्वारा किया जाता है और जो (केन्द्र) दरभंगा, गुवाहाटी, इंफाल, जम्मू, जोधपुर, नैनीताल तथा शिमला में स्थित है तथा छह विभागीय नाटक दल, जिनका नेतृत्व प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे तथा श्रीनगर (जम्मू) में स्थित हैं।

मुख्य सचिव सूचना विंग योजना

(क) सूचना भवन का निर्माण चरण-5

सूचना भवन के निर्माण पर हुए व्यय को योजना आयोग के अनुमोदन के बाद मंत्रालय का योजना बजट मुहैया कराया गया। उपलब्ध निर्मित स्थान विभिन्न मीडिया इकाईयों जैसे सिविल निर्माण विंग, गीत एवं नाटक प्रभाग, फोटो प्रभाग, फिल्म प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग, न्यू मीडिया स्कंध (विंग), भारतीय प्रेस परिषद, विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार (आंशिक) निदेशालय और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को आबंटित कर दिया गया। सूचना भवन के पांचवें चरण के पूरा हो जाने के बाद उपलब्ध निर्माण योग्य स्थान शेष मीडिया इकाईयों को समायोजित करने में इस्तेमाल किया जाएगा और बचे हिस्से को, अगर कोई हिस्सा बचा तो उसे दूसरे विभागों को लीज़ पर दे दिया जाएगा।

(ख) मीडिया इकाइयों (प्रसार भारती के अलावा) सभी तीनों क्षेत्रों में नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, सम्मेलन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि (प्रसार भारती को छोड़कर)

अध्यादेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति खाका और नीति वक्तव्य

अर्थव्यवस्था के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान उच्च वृद्धि क्षमता का वादा करता है। वृद्धि क्षमता को महसूस करने की दिशा में, फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। मीडिया ईकाइयों सहित (प्रसार भारती को छोड़कर) सभी तीन क्षेत्रों के लिए, यह परियोजना नीति संबंधी अध्ययनों, सम्मेलन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि पर मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में वर्तमान नई योजना/परियोजनाओं के नीति संबंधी अध्ययनों, सम्मेलनों और पुनर्मूल्यांकन का वादा करती है। अध्ययनों/सम्मेलनों और पुर्नमूल्यांकन के वादे/संचालन से नीति बनाने, नई परियोजनाओं के सिद्धांतीकरण और निगरानी में मदद मिलेगी।

(ग) मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

सिविल सेवा की दिशा में एक रणनीतिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली होनी आवश्यक है जो प्रत्येक सिविल सेवक को एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखती है जिन्हें मंत्रालय/विभागों/संगठनों के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये उनका मूल्यांकन, प्रेरणा और विकास करती है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के तहत यह आवश्यक है कि उस सेवक की क्षमता और उसके द्वारा किये जाने वाले कार्य में समानता आवश्यक हो और प्रशिक्षण के माध्यम से वर्तमान और भविष्य की भूमिका के अंतर को पाटा जा सके।

2. सक्षमता ज्ञान, कौशल और व्यवहार में है जिनकी पद के कार्य प्रभावी तरीके से करने के लिए एक व्यक्ति में होना आवश्यक होता है। सक्षमता मुख्यत: उन को कौशल में बांटी जा सकती है जिसकी सरकारी सेवकों को विभिन्न कार्यों अथवा स्तर के लिए विभिन्न सक्षमता स्तरों की आवश्यकता होगी। इनमें से कुछ सक्षमताएं नेतृत्व, संचार, वित्तीय तथा

मानव प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, परियोजना प्रबंधन आदि से संबंधित होती है। अन्य का संबंध पेशेवर अथवा विशेषज्ञता कौशल से होता है, जो कि विशेष कार्यों जैसे कि सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण उपाय करना, नागरिक उड्डयन, चिकित्सीय देखभाल, मीडिया प्रबंधन आदि के लिए प्रासंगिक हैं।

3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों के लिए नोडल मंत्रालय हैं। अपनी विभिन्न मीडिया इकाईयों के माध्यम से मंत्रालय विभिन्न सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों संबंधी सूचना के प्रचार-प्रसार के लिए उत्तरदायी है। विभिन्न मीडिया हैं - इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, फिल्म, अंतरवैयक्तिक प्रचार, जीवंत कला और संस्कृति, जनसूचना अभियान आदि। अपने कैरियर के दौरान भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तथा अंतर वैयक्तिक मीडिया इकाईयों में तैनात किए जाते हैं। इसी प्रकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य सचिवालय के अधिकारी मीडिया क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने में कार्यरत हैं और विभिन्न मीडिया इकाईयों के लिए प्रशासनिक सुविधा प्रदान करते हैं। यह आवश्यक है कि ये सभी अधिकारी प्रशिक्षित हैं और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को लेने के लिए तैयार हैं।

(घ) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम 12वीं पंचवर्षीय योजना में यह आरंभ हुआ। इसमें भारत और अन्य देशों के बीच मीडिया की नीति और योजना सूचना और समन्वय के क्षेत्र में मुख्य अधिकारियों को शामिल करना है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की पहचान और वृहद भूमिका मीडिया में है। विशेषकर सरकारी समन्वय और संस्थागत कार्य में यह कार्य दोस्ताना भूमिका निभाएगा। इससे सूचना, फिल्म और प्रिंट मीडिया के बीच समन्वय बढ़ेगा।

फिल्म क्षेत्र

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

सिनेमोटोग्राफ एक्ट, 1952 सिनेमोटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत भारत में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन करना सीबीएफसी का कार्य है।

सिनेमोटोग्राफ एक्ट के उपबन्धों के अनुपालन में जनता को स्वस्थ मनोरंजन एवं मनोविनोद सुनिश्चित करना सीबीएफसी का उद्देश्य है।

सीबीएफसी का प्रयास प्रमाणन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जिम्मेदार बनाना है। इसको प्राप्त करने के लिए सीबीएफ सी ने प्रमाणन प्रक्रिया के लिए कम्प्यूटरीकरण के द्वारा आधुनिक तकनीक का ग्रहण किया है।

सीबीएफसी ने सलाहकार पैनल सदस्यों, मीडिया तथा फिल्म निर्माताओं में प्रमाणन के दिशा निर्देशों के लिए जागरुकता उत्पन्न करती है। इस हेतु कार्यशालाओं एवं बैठकों का आयोजन किया जाता है।

योजना

(ए) अत्याधुनिकीकरण और सीबीएफसी का विस्तार और प्रमाणन प्रक्रिया

(i) ऑन लाइन फिल्मों के आवेदन और प्रमाणन, वेबसाइट का उन्नयन, हार्डवेयर बेहतर बनाना।

(ii) चार कार्यालयों के प्रोजक्सन सिस्टम और सभी डिजिटल थियेटरोंका डिजिटलाइजेशन।

(iii) सीबीएफसी, मुंबई और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अधिक जगह।

मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण (योजना)

(i) बोर्ड सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन।

(ii) प्रत्येक क्षेत्र में सलाकार समितियों के लिए प्रशिक्षण/सेमिनारों का आयोजन।

(iii) ए बी और सी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण/सेमिनार।

(iv) ग्रुप ए के अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण।

बाल फिल्म समिति, भारत

संक्षिप्त परिचय

समिति की गतिविधियां

1. निर्माण और प्रबंध

सीएफएसआई बच्चों और युवाओं के लिए फीचर फिल्मों, एनीमेशन, लघु फिल्मों, कठपुतली फिल्मों और टीवी सीरियलों के साथ वीडियो फॉर्मेट के निर्माण से भी संबद्ध है। समिति, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में प्रस्तुत की गई कुछ खास विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन अधिकार भी खरीदती है। समिति द्वारा बनाई गई फिल्मों को और उन फिल्मों को जिनके प्रदर्शन अधिकार खरीदे गए हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं में डब भी किये जाते हैं।

2. फिल्म महोत्सव

अ. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव: सीएफएसआई दो वर्ष में एक बार प्रतियोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन करती है और राष्ट्रीय बाल-फिल्म महोत्सव आयोजित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि बच्चों को उस वर्ष फिल्म निर्माताओं के रूप में बढ़ावा दिया जा सके जिस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव आयोजित नहीं होता है।

ब. अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सवों में भाग लेना: सीएफएसआई के चलचित्रों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में भाग लिया और पुरस्कार भी जीते हैं। सीएफएसआई के अधिकारी भी इस तरह के महोत्सवों में भाग लेते हैं ताकि सीएफएसआई की फिल्मों का सुदूर देशों में मार्केटिंग किया जा सके और उन्हें (फिल्मों को) बढ़ावा दिया जा सके।

3. फिल्मों की प्रदर्शनी और वितरण

1. निजी प्रदर्शनियां: कई स्कूल और निजी संस्थाएं सुनिश्चित किराया दरों के भुगतान पर एलसीडी प्रोजेक्टरों के माध्यम से स्कूलों में अथवा सिनेमाघरों में गैर-व्यावसायिक फिल्म दिखाने का आयोजन करती हैं।

2. ज़िला और राज्य स्तरीय महोत्सव: इस गतिविधि को ज़िला प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न राज्यों के विभिन्न ज़िलों को निर्धारित किया जाता है और नाम मात्र की दाखिला राशि के साथ पर्दे पर फिल्म दिखाए जाने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है। इन फिल्मों को देखने वाले स्कूली बच्चे बड़ी संख्या में सरकारी/नगर पालिका स्कूलों/ज़िला परिषद स्कूलों से होते हैं। सन् 2007-08 वित्तीय वर्ष से मंत्रालय द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि लाभ से वंचित बच्चों से कोई भुगतान नहीं लिया जाएगा और यह कि सीएफएसआई फिल्मों को उन्हें मुफ्त में दिखाया जाएगा। वो बच्चे जो चलचित्रों को देखने के लिए नाम मात्र के खर्च पर टिकट खरीद सकते हैं उनसे वह पैसा राजस्व के उत्पादन के लिए व्यय के रूप में खाते में जमा किया जाएगा।

3. गैर-रंगशालीय मुफ्त प्रदर्शनियां: ग्रामीण और शोषित बच्चों तक पहुंच बनाने के लिए सीएफएसआई शहरी और आदिवासी बच्चों के लिए मुफ्त शो का आयोजन करती है। नेहरू युवा केन्द्र संगठनों, युवा मामलों और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, गैर-सरकारी संगठनों, ज़िला प्रशासन अधिकारियों के माध्यम से इस गतिविधि को संचालित किया जाता है। मुफ्त प्रदर्शनियों के संचालन के लिए होने वाले व्यय की व्यवस्था सीएफएसआई द्वारा की जाती है और इसके लिए वह सरकार द्वारा उपलब्ध अनुदान-सहायता राशि का इस्तेमाल करती है। परियोजना के अंतर्गत, रिमांड गृहों, अनाथालयों इत्यादियों में रहने वाले को भी शामिल किया जाता है।

4. वितरकों के माध्यम से प्रदर्शनियां: सीएफएसआई स्कूलों और प्रेक्षागृहों में चलचित्रों के प्रदर्शन के लिए वितरकों/आयोजकों को शामिल करती है। ये एक तय मासिक शुल्क लेकर आबंटित क्षेत्र में चलचित्रों को दिखाते हैं।

5. मल्टीप्लेक्स सिनेमाओं के माध्यम से सीएफएसआई फिल्मों की प्रदर्शनी: स्कूलों के सहयोग से पीवीआर मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों के माध्यम से सीएफएसआई फिल्मों को दिखाए जाने का एक विशाल कार्यक्रम भी संचालित किया जाता है। उसके लिए स्कूल पूरे टिकट बुक करा लेते हैं।

6. टेलीविजन पर सिनेमा दिखाया जाना: सीएफएसआई के फिल्मों को दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क और डीडीके क्षेत्रीय चैनलों पर दिखाया जाता है और दूसरे सेटेलाइट चैनलों पर भी दिखाया जाता है।

7. डीवीडी की बिक्री: सीएफएसआई द्वारा लोकप्रिय चुनिंदा फिल्मों को डीवीडी के स्वरूप में रूपांतरित कर दिया जाता है और उनकी बिक्री की जाती है।

8. पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर में गतिविधियां: सीएफएसआई उत्तर-पूर्व राज्यों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों को बढ़ावा देती है। इसके लिए सीएफएसआई निर्माण, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन करती है।

फिल्म समारोह निदेशालय

अधिदेश, लक्ष्य, उद्देश्य नीति निर्धारण और नीति व्यक्त

फिल्म समारोह निदेशालय (डीएफएफ) को अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने तथा भारत में फिल्म समारोहों का आयोजन करने , देश और विदेश में भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देने फिल्म सप्ताह का आयोजन तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

निदेशालय भारत में और विदेशों में सर्वश्रेष्ठ भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने का प्रयास भी करता है। निदेशालय द्वारा आयोजित फिल्म समारोह भारत और विदेश के एक जैसी सोच वाले पेशेवरों के लिये विचार विनिमय और अपने दृष्टिकोण और अवधारणाओं को एक दूसरे के साथ बांटने के एक मंच के रूप में कार्य करता है।

12वीं योजना स्कीम के एक भाग के रूप में निदेशालय की गतिविधियां ''भारत और विदेशों में फिल्म समारोह के जरिये निर्यात संवर्धन'' योजना के माध्यम से चलायी जाती हैं।

जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) भारत और विदेशों में आयोजित फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्म पैनोरमा की भागीदारी

ख) भारतीय पैनोरमा फिल्मों के प्रिंट का चयन

ग) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

इसके अतिरिक्त , सीरीफोर्ट फिल्म समारोह परिसर के रखरखाव और देखभाल की जिम्मेदारी भी डीएफएफ की है।

मंत्रालय के प्रमुख सचिवालय के तहत 12वीं योजना स्कीम में ''फिल्म क्षेत्र में ढांचागत विकास कार्यक्रम'' के तहत ''सीरी फोर्ट परिसर के स्तर में सुधार'' प्रस्तावित है, जिसमें प्रोजेक्शन सिस्टम का स्तर बेहतर करना, ताकि डिजिटल प्रोजेक्शन समेत सभी प्रकार के प्रारूप संचालित हो सकें, तथा सुविधाओं में निरंतर सुधार के साथ ही सीरी फोर्ट ऑडिटोरिया में आधुनिक अकॉस्टिक सिस्टम लगाना, ताकि परिसर का अधिक से अधिक उपयोग हो और राजस्व का सृजन हो।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति निर्धारण और नीतिगत ब्यौरा

फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में पुणे में फिल्म निर्माण की कला और तकनीक का प्रशिक्षण देने लिए की गई थी। 1974 से इसने दूरदर्शन कर्मचारियों को टेलीविजन निर्माण में प्रशिक्षित करने का काम भी शुरू किया और इसका नाम भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कर दिया गया। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान अपनी तरह का प्रमुख संस्थान है और फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रशिक्षण देने का पूरा उत्तरदायित्व इसी पर है।

अकादमिक गतिविधियां

संस्थान द्वारा संचालित किये जाने वाले अकादमिक पाठ्यक्रम:

क्रम संख्या	पाठ्यक्रमों का नाम	वर्तमान में छात्रों की संख्या
(ए)	**फिल्म एवं टेलीविजन में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम**	
1	निर्देशन	65
2	सिनेमैटोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	65
3	सम्पादन (फिल्म एवं टेलीविजन)	64
4	ऑडियोग्राफी (फिल्म एवं टेलीविजन)	58

(बी)	**दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम**	
1	अभिनय	24
2	कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन	29
(सी)	**एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़ वर्षीय सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**	00
(डी)	**टेलीविजन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**	
1	निर्देशन	12
2	इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी	12
3	वीडियो एडिटिंग	12
4	ऑडियोग्राफी एंड टेलीविजन इंजीनियरिंग	11
(इ)	**फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम**	**11**
	कुल	**363**

वर्ष 2012-13 में एनीमेशन एवं कंप्यूटर ग्राफिक्स में प्रवेश नहीं

लघु पाठ्यक्रम :

एफटीआईआई कामकाजी पेशेवरों और संबंधित क्षेत्रों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए विभिन्न लघु पाठ्यक्रम चलाता है।

आयोजना योजनाएं

संस्थान मुख्यत: प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण के तरीकों के संवर्धन और आधुनिकीकरण के लिए आयोजना योजनाएं लागू करता है। इसका उद्देश्य संस्थान के लिये राजस्व सृजित करने हेतु प्रशिक्षित पेशेवरों का आउटपुट बढ़ाना, उपलब्ध सुविधाओं को उचित और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ विकसित करना और फिल्म शूटिंग की सुविधाएं यथासम्भव प्रदान करना आदि है।

आयोजना योजना के तहत फिल्म और टेलीविजन शिक्षण के लिये आधुनिक तकनीक के साथ उचित वातावरण भी तैयार किया जाता है।

फिल्म प्रभाग

भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार वृत्तचित्र, एनिमेशन और लघु फिल्में बनाने तथा उनके वितरण दायित्व फिल्म प्रभाग वहन करता है। इन वृत्तचित्रों, एनिमेशन तथा लघु फिल्मों का इस्तेमाल जनता को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करने व निर्देश देने और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

इस अधिदेश को हासिल करने के लिए फिल्म प्रभाग विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र बनाता है। यह निजी निर्माताओं को भी वृत्तचित्र बनाने के लिये प्रोत्साहित करता है। देश में वृत्तचित्र आंदोलन को बढ़ाने के लिए, फिल्म प्रभाग द्विवार्षिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित करता है। यह समारोह में विश्व के सभी वृत्तचित्र निर्माताओं को एक मंच पर आकर अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करता है।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

अध्यादेश, लक्ष्य और उद्देश्य

एक कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में चलचित्र के संरक्षण की जरूरत को पूरी दुनिया में मान्यता दी जा चुकी है। सिनेमा संरक्षण का कार्य, उसका सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों और स्वरूपों में, भारत के राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग (एनएफएआई) के पास निहित है। एनएफएआई एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जिसके पास पर्याप्त संसाधन और विशेषज्ञता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर फरवरी 1964 में एनएफएआई की स्थापना की गई।

भारत के राष्ट्रीय चलचित्र पुरातत्व के लक्ष्य और उद्देश्य है:

(अ) राष्ट्रीय चलचित्र की परम्परा को खोजना, हासिल करना और संरक्षित करना तथा विश्व सिनेमा के प्रतिनिधित्व संग्रह को बनाना

(ब) चलचित्र संबंधी आंकड़ों का वर्गीकरण और दस्तावेज तैयार करना, ज़िम्मेदारी लेना और सिनेमा पर अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा उनका प्रकाशन और वितरण

(स) देश के चलचित्र संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करना तथा सुदूर (विदेशों) में भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक उपस्थिति को सुनिश्चित करना।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

अधिदेश, लक्ष्य और उद्देश्य, नीति निर्धारण और नीतिगत ब्यौरा

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना कोलकाता में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। यह फिल्म निर्माण की कला और तकनीक का प्रशिक्षण देने वाला एक प्रमुख संस्थान है। यह राष्ट्रीय स्तर का सरकार द्वारा स्थापित दूसरा संस्थान है। सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का लक्ष्य-निम्नलिखित विषयों में तीन वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाना है :-

1) निर्देशन और पटकथा लेखन

2) मोशन पिक्चर फोटोग्राफी

3) सम्पादन

4) ध्वनांकन

5)फिल्म और टेलीविजन के लिये निर्माण

संस्थान एनिमेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेजिंग में पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया में है।

निम्नलिखित तालिका में विभागों के अनुसार छात्रों की संख्या दर्शायी गई है :

बैच	**9वां बैच**	**10वां बैच**	**11वां बैच**	**12वां बैच**	
वर्ष	**2010-13**	**2011-14**	**2012-15**	**2013-16**	**कुल**
निर्देशन	9	11	10	12	42
एमपीपी	10	9	11	10	40
सम्पादन	7	11	11	11	40
ध्वनि	10	11	07	08	36
फिल्म और टेलीविजन के निर्माण	-	-	10	08	18
	36	**42**	**49**	**49**	**176**

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) एंटी पाइरेसी पहल (नई स्कीम)

पाइरेसी किसी भी सृजनात्मक क्षेत्र, विशेषकर फिल्म क्षेत्र के लिये बड़ा खतरा है। इसलिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य पाइरेसी के खिलाफ सभी हितधारकों के बीच जागरुकता फैलाना और उन्हें इससे निपटने के लिए शिक्षित करना है। योजना में इस संदर्भ में मंत्रालय द्वारा पहले से ही उठाये गये कदमों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस योजना के तहत फिल्म, प्रसारण और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को शामिल कर मल्टी-मीडिया प्रचार अभियान शुरु करने की परिकल्पना की गई है। फिल्म और मीडिया की कई हस्तियों से एक ऐसे प्रचार में हिस्सा लेने का अनुरोध किया जाएगा, जिसमें जनता से पाइरेटेड सामान न खरीदने को कहा जाए। ये प्रचार अभियान दूरदर्शन/आकाशवाणी, निजी टी वी चैनलों और निजी एफएम पर चलाए जाएंगे। कॉपीराइट कानून के बारे में जानकारी देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस, न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। पाइरेसी के प्रभावों पर शोध कराया जाएगा, ताकि विकास हो सके साथ ही साथ पाइरेसी से निपटने के लिये सार्वजनिक-निजी रणनीतियां भी लागू की जा सकें।

(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार

देश में सौंदर्यपरक तथा तकनीकी रूप से उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा विभिन्न अंतराष्ट्रीय फिल्मों को प्रोत्साहित करने, और फिल्मों संबंधित सामग्री के संरक्षण के लिए मंत्रालय ने 12वीं योजना के तहत एक योजना तैयार की है। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मीडिया इकाइयों के बीच विभिन्न गतिविधियों के दौरान बेहतर समन्वय के लिए तथा विभिन्न समारोहों जैसा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, फिल्म बाजारों में भागीदारी तथा भारत तथा विदेशों में आयोजित विभिन्न फिल्म समारोहों, वृत्तचित्र फिल्मों के मुम्बई फिल्म समारोह, देश भर में बाल फिल्मों के प्रदर्शन के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन, फीचर फिल्मों के निर्माण–जैसी गतिविधियों को मंत्रालय के मुख्य सचिवालय की 12वीं योजना के तहत ''फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार' नामक एकल योजना में समाहित करना है। योजना के विभिन्न घटक इस प्रकार से है:

* भारत तभा विदेशों में फिल्म समारोह का आयोजन तथा भागीदारी करना, इसमें फिल्मी हस्तियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं, स्वयं सेवी संस्थाओं/राज्य सरकार की संस्थाओं को देश में फिल्म समारोह के आयोजन के लिए अनुदान देना तथा एफएफएसआई को कलात्मक कोटि की फिल्म सराहना पर पत्र प्रकाशन और विचार गोष्ठी तथा सम्मेलनों के आयोजनों के लिए अनुदान शामिल हैं।
* भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजन और भारतीय पैनोरामा के तहत फिल्मों का चयन तथा भारतीय पैनोरामा फिल्मों का अधिग्रहण।
* भारत तथा विदेशों में फिल्म बाजारों में भागीदारी।
* वृत्तचित्र फिल्मों के लिए द्विवार्षिक मुम्बई अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन।
* राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का हर दूसरे वर्ष में आयोजन। (दो वर्ष में एक बार)।
* राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन।
* देश भर के विद्यालयों में बाल फिल्मों का प्रदर्शन।
* विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों का निर्माण।
* वृत्तचित्रों का निर्माण।
* बाल फिल्मों का निर्माण।
* फिल्म प्रभाग द्वारा प्राचीन फिल्मों की वेबकास्टिंग।
* प्राचीन फिल्म सामग्री का अधिग्रहण।

भारतीय पैनोरामा के तहत प्रत्येक वर्ष की भांति देश में उत्कृष्ट सिनेमा के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए तथा सिनेमाई, विषय आधारित और सौंदयपरक फीचर फिल्मों तथा गैर फीचर फिल्मों का चयन होता रहेगा। इसी प्रकार, भारत एवं विदेशों में भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन देने के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति फिल्मों के चयन की प्रक्रिया जारी रहेगी।

योजना के तहत, विश्व भर की विभिन्न फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों के संर्वन भी शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत तथा विदेशों में आयोजित विभिन्न फिल्म समारोहों के दौरा प्रमुख फिल्म बाजरों में भारत पैवेलियन की स्थापना की है जिससे की विभिन्न प्रमुख समारोहों में भारतीय फिल्म उद्योगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। इस योजना के तहत, फिल्म प्रभाग द्वारा वृत्तचित्रों के लिए मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन होता रहेगा।

भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी (सीएफएसआई) अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह का आयोजन करेगी। जीएफएसआई में राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह की देश के प्रत्येक भाग तक ले जाने की योजनाएं बनाई हैं ताकि सभी क्षेत्रों के बच्चों को इसमें भागीदारी करने का समान अवसर मिलने के साथ-साथ बच्चों द्वारा उनके लिए बनाई गई फिल्मों का आनंद ले सकें।

'नगर पालिका के स्कूलों में बाल फिल्मों के प्रदर्शन' योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं अर्धशहरी क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लाभ हेतु तथा नगर पालिका/जिला परिषदों के स्कूलों के बच्चों, जो कि सामान्यत: बेहतरीन बाल फिल्मों से वंचित रहते हैं, को बाल फिल्मों के मुफ्त प्रदर्शन की योजना की कल्पना की गई है। युवा एवं उभरते हुए निर्देशकों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न भारतीय भाषाओं में फीचर फिल्मों के निर्माण की योजना प्रस्तावित है। योजना के तहत देश में 'वृत्तचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए वृत्तचित्रों के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सकें। योजना के तहत एकल निर्माता के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को भी विभिन्न विषयों पर वृत्तचित्र निर्माण के लिए भी प्रोत्साहित करती है। इस योजना का एक घटक सीएफएसआई द्वारा बाल फिल्मों का निर्माण भी है।

नंबर	विभाग की योजना	कार्यान्वयन एजेंसी
1.	भारत में फिल्म महोत्सवों में भागीदारी और विभिन्न महोत्सव का विदेशों में आयोजन किया जाता है। इसमें फिल्म महोत्सव निदेशालय के अधिकारी विदेश यात्रा भी करते हैं। गैर सरकारी संगठन। राज्य सरकार के साथ वित्तिय सहयोग कर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। सेमिनार कांफ्रेंस, फिल्म एनीमेशन इत्यादि से फिल्मी ज्ञान को बढ़ावा देना।	फिल्म महोत्सव निदेशालय
2.	भारतीय पैनोरमा के अंतर्गत फिल्मों का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किया जाता है।	फिल्म महोत्सव निदेशालय
3.	भारत एवं विदेशों में फिल्मों के बाजार में भागीदारी। विभिन्न भारतीय भाषा में फीचर फिल्म का निर्माण।	एनएफडीसी
4.	इन वर्षों में आयोजित मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (मिफ्फ) लघु एवं वृत्त चित्र महोत्सव का आयोजन।	फिल्म प्रभाग
5.	अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का दो वर्षों में आयोजन किया जाता है। राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव/बाल फिल्मों का निर्माण	
6.	बाल फिल्मों का पूरे देश के स्कूलों में प्रदर्शन	बाल फिल्म सोसाइटी, भारत
7.	शताब्दी महोत्सव	सभी मीडिया केन्द्र

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

वर्ष 1930 से 1931 के दौरान भारत में मोशन पिक्चर के प्रारम्भ होने के साथ, लगभग 1300 मूक फिल्मों का निर्माण हुआ तथा वर्ष 2010 तक 40000 से अधिक फिल्मों का निर्माण हो चुका है। साथ ही, वर्तमान में, भारत में प्रतिवर्ष 900 लघु फिल्मों तथा डाक्यूमेन्ट्री फिल्मों का निर्माण किया जाता है। सरकार फिल्म विरासत को डिजीटलाइजेशन एवं अनुरक्षण के जरिए संरक्षित करती है।

योजना का लक्ष्य ''प्रिजर्वेशन विदाउट एरर्स, एक्सेज विदाउट एंड'' है। इस प्रकार 12वीं योजना के दौरान एक राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एन एफ एच एम) की स्थापना का प्रस्ताव है।

(क) 1050 फीचर फिल्म और 960 लघु फिल्मों का पुनरुद्धार,

(ख) 1050 फीचर फिल्मों और 1200 लघु फिल्मों का डिजिटलीकरण,

(ग) अभिलेखीय उद्देश्य के लिए 1050 फीचर फिल्मों तथा 960 लघु फिल्मों के इंटर-निगेटिवों की स्ट्राइकिंग,

(घ) पुनरुद्धार की गई वॉलट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण,

(ड़) पुनरुद्धार और संरक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

संपूर्ण प्रोजेक्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सीधे नियंत्रण में एक मिशन के तहत किया जाएगा।

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास की बदौलत एनिमेशन, गेमिंग और स्पेशल विजुअल इफेक्ट्स के क्षेत्र में वृद्धि को बढ़ावा मिला है। टीवी कार्यक्रमों, फिल्मों और वीडियो के लिये विषयसूची तैयार करने में एनिमेशन साफ्टवेयर कार्यक्रमों का इस्तेमाल के लिए 2 डी सैल एनिमेशन तथा 3 डी एनीमेशन तकनीकों को काम में लाया जाता है। 3 डी मोशन केप्चर एनिमेशन तकनीकों का इस्तेमाल लो रिजोल्युशन गेम, इंटरनेट करेक्टर्स, स्पेशल इफेक्ट्स आदि में होता है। इसी तरह, गेमिंग उद्योग गेम डिजाइन, प्लेटफार्म डिजाइन तथा प्ले केरेक्टरिस्टिक्स के लिए नवीनतम गेमिंग साफ्टवेयर पर निर्भर है। भारतीय गेमिंग उद्योग द्वारा मोबाइल तथा आनलाइन गेमिंग खंडों में अवसरों का इस्तेमाल किये जाने की सम्भावना है। ऐनिमेशन, गेमिंग तथा विजुअल इफेक्ट्स उद्योग में प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी/व्यवसायिक दोनों में कुशल लोगों की जरूरत होती है। इस क्षेत्र में भारतीय उद्योग को पहले से ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इन उद्योगों में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है, इसके बावजूद वैश्विक मांग तथा भारत में आई टी विशेषज्ञों की विशाल संख्या होने की वजह से इसमें जबरदस्त सम्भावनाएं मौजूद हैं।

विजुअल इफेक्ट्स अत्यंत कौशलपूर्ण गतिविधि है जो दृश्य-श्रव्य उद्योग में तेजी से दिखने लगा है। यह कौशल विकास एनिमेशन तथा गेमिंग के अनुरूप है जिसमें राजस्व की संभावनाएं अधिक हैं।

तेजी से बढ़ रहे एनिमेशन, गेमिंग एवं विजुअल इफेक्ट्स उद्योग में प्रशिक्षित व्यवसायिकों का अभाव है। उद्योग के विकास के बाद कुशल व्यवसायिकों की मांग और बढ़ सकती है। इसलिये यह बेहद जरूरी है कि भारत एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यवसायिकों की संख्या बढ़ाए है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र के वास्ते मानव संसाधन योजना की आवश्यकता है, जिससे प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो। इसलिये स्कूलों के पाठ्यक्रमों और उच्च शिक्षा में एनिमेशन प्रशिक्षण में पारस्परिक संबंध बनाने की जरूरत है।

उपरोक्त उद्देश्य के मद्देनजर एनिमेशन, गेमिंग तथा विजुअल इफेक्ट्स क्षेत्र के लिए सरकारी/निजी भागीदारी में एक विशेष प्रशिक्षण एवं सलाहकार संस्थान की स्थापना की परिकल्पना की गई है, ताकि इन क्षेत्रों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण मानकों के मापदंड निर्धारित और कार्यान्वित किये जा सके और पूरे क्षेत्र को नेतृत्व की भूमिका प्रदान की जा सके।

संस्थान इस क्षेत्र में अनुसंधान के अवसर भी उपलब्ध कराएगा। इससे और अधिक तकनीकी पहलों एवं साफ्टवेयर का विकास होगा। दूरगामी दृष्टिकोण से अनुसंधान से केवल बौद्धिक सम्पदा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ज्यादा राजस्व अर्जित करने में भी सहायक होगा तथा संबंधित क्षेत्र का नेतृत्व भी हो सकेगा।

संस्थान की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी माडल के तहत करने का प्रस्ताव है। यह योजना अभी मंजूर नहीं हुई है।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल

इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है। इसका प्रवर्तन 9 जून, 2008 को प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य (i) केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (रेग्यूलेशन) एक्ट 1995 तथा उसके अंतर्गत गठित नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं, (ii) निजी एफएम रेडियो चैनलों तथा (iii) प्रसारण क्षेत्र की सामग्रियों की निगरानी से संबंधित अन्य कार्यों के उल्लंघनों की निगरानी करना है। ईएमएमसी की निगरानी करने की क्षमता को 5 जनवरी, 2011 से 150 टीवी चैनलों से बढ़ा कर 300 टीवी चैनल कर दिया गया है।

सरकार लगभग 800 टीवी चैनलों को अनुमति प्रदान कर चुकी है, जिससे 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंत तक चैनलों की संख्या 1500 तक पहुंचने की संभावना है। 12वीं योजना में इन 1500 सेटेलाइट टीवी चैनलों की रिकार्डिंग और मानीटरिंग क्षमता को बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। इस समय, देश में लगभग 245 निजी एफएम स्टेशन कार्य कर रहे हैं और तीसरे चरण के अंतर्गत 839 नए एफएम स्टेशनों का प्रस्ताव है। 12वीं योजना अवधि के दौरान एफएम सामग्री की केंद्रीकृत निगरानी प्रारंभ की जानी है। इसके अतिरिक्त लगभग 170 कम्युएनिटी रेडियो स्टेशन (सीआरएस) इस समय कार्य कर रहे हैं और लगभग 220 आवेदनों पर विचार किया जा रहा है। सीआरएस के लिए केंद्रीकृत सामग्री निगरानी सुविधा भी जल्द शुरू की जाएगी। तदनुसार 'ईएमएमसी के सुदृढ़ीकरण' संबंधी योजना स्कीम के लिए 90.00 करोड़ रुपये की कुल लागत की मंजूरी दी गई है।

प्रसार भारती

अधिदेश,लक्ष्य एवं उद्देश्य और नीति व्यक्तव्य

अधिदेश प्रसार भारती नाम से भारतीय प्रसारण निगम की स्थापना के प्रावधान बनाए गए। प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को 15 सितंबर 1997 से लागू किया गया। इस अधिनियम में प्रावधान है कि निगम सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण का कार्य करेगा। यानी जो कार्य पहले आकाशवाणी और दूरदर्शन करते थे, वह कार्य अब यह निगम करेगा। निगम के सामान्य पर्यवेक्षण निर्देशन और प्रबंध के कार्य प्रसार भारती बोर्ड को सौंपे जाएंगे। यह बोर्ड अपने ऐसे सभी अधिकारों का इस्तेमाल और अपने ऐसे सभी कार्य उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार इस अधिनियम के तहत निगम द्वारा किए जाते हैं।

निगम अपने कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए अधिनियम में प्रावधान है कि संसद द्वारा कानूनी तौर पर इस बारे में विधिवत विनियोजन किए जाने के बाद केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार निगम को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इक्विटी सहायता अनुदान या ऋण के रूप में धनराशि प्रदान कर सकती है। निगम का अपना कोष होगा और निगम की सारी प्राप्तियां इसी कोष में जमा की जाएंगी और निगम सभी भुगतान इसी कोष से करेगा।

1. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निगम का प्राथमिक दायित्व सर्वसाधारण को जानकारी देने, शिक्षित करने और मनोरंजन के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा को संचालन करना तथा रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करना होगा।

स्पष्टीकरण—शंका दूर करने के लिए एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि इस खंड के प्रावधान भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अलावा होंगे, न कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होंगे।

2. निगम अपने कार्यों के निर्वहन में निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा :

(क) देश की एकता और अखण्डता तथा संविधान में निहित मूल्यों का संरक्षण।

(ख) सार्वजनिक हित, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में मुक्त, सच्ची तथा निष्पक्ष सूचना प्राप्त करने के नागरिक के अधिकार का संरक्षण तथा अपनी विचारधारा या किसी राय को जोड़े बिना विविध दृष्टिकोणों सहित सूचना की निष्पक्ष तथा संतुलित प्रस्तुति।

(ग) शिक्षा के क्षेत्र में एवं साक्षरता, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और विज्ञान एवं तकनीक पर विशेष ध्यान देना।

(घ) उपयुक्त कार्यक्रमों के प्रसारण द्वारा देश के विविध क्षेत्रों की सांस्कृतिक विविधता एवं भाषाओं को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना।

(ङ) क्रीड़ा एवं खेल को पर्याप्त कवरेज प्रदान करना जिससे कि स्वस्थ प्रतियोगिता एवं खेल भावना को बढ़ावा मिले।

(च) युवाओं की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(छ) महिलाओं की स्थिति एवं समस्याओं के संबंध में राष्ट्रीय चेतना बढ़ाना तथा महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देना।

(ज) शोषण, असमानता को दूर करने, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने एवं छुआ-छूत जैसी बुराई को दूर करने तथा समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करना।

(झ) कामगारों के अधिकारों की रक्षा करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना।

(ञ) कमजोर एवं ग्रामीण वर्ग तथा सीमावर्ती क्षेत्र, पिछड़े एवं सुदूर क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए कार्य करना।

(ट) अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय समुदायों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त कार्यक्रम प्रदान करना।

(ठ) बच्चों, नेत्रहीनों, बूढ़ों, अपंगों एवं जनता के अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाना।

(ड) राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए, ऐसे प्रसारण करना जो भारत में विभिन्न भाषाओं के जरिए संवाद को बढ़ाते हों और हर राज्य में वहां की भाषा में क्षेत्रीय प्रसारण को बढ़ावा देना।

(ढ) उपयुक्त तकनीक द्वारा समग्र प्रसारण कवरेज प्रदान कराना तथा प्रसारण फ्रीक्वेंसी का सर्वोत्तम उपयोग एवं उच्चस्तरीय उपलब्धियां सुनिश्चित करना।

(ण) रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के निरंतर विकास के क्रम में शोध एवं विकास कार्य को आगे बढ़ाना।

(त) विभिन्न स्तरों पर प्रसारण के विभिन्न चैनलों की स्थापना द्वारा प्रसारण सुविधाओं का विस्तार।

3. विशेष रूप से एवं बिना पूर्वाग्रह के सामान्य रूप से, वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप, निगम कुछ कदम उठा सकता है :

(क) कार्यक्रमों के निर्माण एवं उपलब्धता को लोकसेवा के रूप में संचालित करने के लिए प्रसारण को सुनिश्चित करना।

(ख) रेडियो एवं टेलीविजन के लिए समाचार एकत्र करने के लिए एक व्यवस्था की स्थापना।

(ग) खेल प्रतियोगिताओं, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं, फिल्मों, सीरियलों, समारोहों, बैठकों तथा जनहित की अन्य घटनाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए खरीद अथवा प्राप्ति के लिए बातचीत करना और ऐसे कार्यों की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(घ) रेडियो, टेलीविजन या अन्य सामग्री के लिए लाइब्रेरी की स्थापना एवं देखभाल।

(ङ) समय-समय पर कार्यक्रम, दर्शक शोध, बाजार या तकनीकी सेवाओं को संचालित या प्रारंभ करना, जो उपयुक्त व्यक्तियों को उपयुक्त तरीकों और नियमों एवं शर्तों के अनुसार कार्य किए जा सके।

(च) नियमों द्वारा विर्निदिष्ट हो सकने वाली अन्य सेवाओं को प्रदान करना।

4. उपखंड (2) और (3) निगम की कोई बात निगम को, ऐसे नियमों एवं शर्तों के अनुसार जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हों, विदेशी सेवाओं के प्रसारण और ऐसे विदेशी प्रसारण की निगरानी से नहीं रोक सकती जिनके प्रसारण के लिए केंद्र सरकार से भुगतान किया जाना हो।

5. इस खंड में स्थापित उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराया गया है, इनकी सुनिश्चितता के उद्देश्य के लिए विज्ञापन के संबंध में केंद्र सरकार को प्रसारण समय की अधिकतम सीमा के निर्धारण की शक्ति होगी।

6. निगम की मात्र इस आधार पर कोई भी सिविल जवाबदेही नहीं होगी कि वह इस खंड के किसी भी प्रावधान को पूरा करने में असफल रहा है।

7. निगम को विज्ञापन या ऐसे कार्यक्रम, जो नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हो, के संबंध में फीस या अन्य सेवा शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

इस खंड के अधीन इकट्ठा की गई फीस या अन्य सेवा शुल्क समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं से बाहर नहीं हो।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो), प्रसार भारती का एक अभिन्न भाग है, जो उपरोक्त दिए गए आदेशों को निरंतर पूरा कर रहा है। आकाशवाणी अपने विभिन्न स्टेशनों से प्रसारित कार्यक्रमों द्वारा लोगों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और उनका मनोरंजन करता है। यह पूरे देश की जनता को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की सूचना श्रव्य-प्रसारण के माध्यम से देता है और संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करता है। यह पूरे देश की जनता को महत्वपूर्ण समाचार तथा सम-सामयिक घटनाओं की जानकारी देता है। यह विचारों के विभिन्न बिंदुओं को प्रस्तुत करता है ताकि इसके द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संतुलित एवं निष्पक्ष हों। यह शिक्षा एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अपने तीव्र प्रसार के द्वारा जनता एवं सरकारी विभागों को समय पर सूचना प्रदान करता है। यह एक व्यवसायिक सेवा (विविध भारती) भी संचालित करता है जो कि वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के विज्ञापन भी देता है। इसका विदेश सेवा प्रभाग विदेशी श्रोताओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है। इसका समाचार सेवा प्रभाग 24 घंटे ताजा समाचार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा आकाशवाणी का एफएम और डीटीएच चैनल दिन-रात संगीत, गाने आदि के जरिये लोगों का मनोरंजन करते हैं।

नीति वक्तव्य

सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में प्रसार भारती के उद्देश्य हैं

- गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बनाना और
- महिलाओं, बच्चों, सुविधाविहीन, विशिष्ट भाषाई समूहों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना प्रदान करने, शिक्षा देने और मनोरंजन करने के प्रयोजन को पूरा करना।

दृष्टिकोण पत्र

स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद आकाशवाणी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद से आकाशवाणी (जनसंख्या और क्षेत्रवार दोनों) ने काफी प्रगति की है। आकाशवाणी ने अपने प्रसारण केन्द्रों, कर्मचारियों, रिसिविंग केन्द्रों और एफएम ट्रांसमीटर सहित) ट्रांसमीटरों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। प्रसार भारती के अन्तर्गत आकाशवाणी ने प्रसार भारती के लक्ष्य और उद्देश्य को पूरा किया है।

प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी, प्रसार भारती के अधिदेश को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयत्न करता है। अनेक प्रकार की नई पहल की जा रही है, जैसे 86 चुने हुए आकाशवाणी स्टेशनों से खेत और घर से जुड़े कार्यक्रम- किसान वाणी कार्यक्रम, पर्यावरण, परिवार कल्याण, ग्रामीण बच्चों और छोटे बच्चों को केंद्र में रखकर बनाए गए विशेष कार्यक्रम, महिला कार्यक्रम, शैक्षिक प्रसारण (इग्नू/एनसीईआरटी/सीआईईटी) दिखाए जा रहे हैं। एचआईवी/एड्स पर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम

और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, इग्नू के सहयोग के साथ कार्यक्रम, राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका (विज्ञान भारती), सीसेम स्ट्रीट कार्यक्रमों को आकाशवाणी पर प्रसारित किया गया है, साथ ही संगीत और नाटक से संबंधित कार्यक्रमों का प्रसारण भी किया जाता है। पहल के इंजीनियरिंग पक्ष की ओर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व और द्वीपीय क्षेत्रों के लिए विशेष पैकेज कार्यक्रम चलाए गए हैं और एफएम सेवाओं का विस्तार, प्रोडक्शन कार्यक्रमों और ट्रांसमिशन सुविधाओं का डिजिटलीकरण एवं नई तकनीक को प्रस्तावित किया गया है। समाचार सेवा प्रभाग और अनुसंधान एवं विकास से संबंधित गतिविधियों को भी संचालित किया गया है।

सभी प्रकार की पहल के उचित एवं समयाबद्ध कार्यान्वयन को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

भारतीय क्लासिक योजना का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रम का निर्माण और देश की समृद्ध संस्कृति तथा साहित्यिक विरासत को संरक्षित रखना है। योजना के अंतर्गत सभी कार्यक्रम सभी भारतीय भाषाओं में बनाए गए हैं और इन साहित्यिक रचनाओं को अन्य भाषाओं में डब किया गया है जिससे देश के सभी दर्शकों को लाभ प्राप्त हो।

सरकार ने 12 वीं योजना के दौरान आकाशवाणी के लिये 1706.86 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं जिसमें से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में शुरु की गई योजनाएं 1293.86 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए है और 12 वीं योजना में शुरु की गई नई योजनाओं और विशेष परियोजनाओं के लिये 413 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं।

12 वीं योजना के प्रमुख लक्ष्यः

- 29 मौजूदा स्टूडियो का डिजीटलीकरण और 2017 तक नेटवर्क स्थापित करना।
- आकाशवाणी की स्वीकार्यता और मोबाइल फोन में एफ एम चैनलों की उपलब्धता को देखते हुए पिछड़े, तटवर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों में 60% लोगों तक एफ एम चैनलों की पहुंच बनाना।
- एफ एम ट्रांसमीशन के जरिये भारत-पाक और भारत नेपाल सीमा पर कवरेज को सुदृढ़ बनाना।
- प्रसारण की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार करना और मौजूदा उपकरणों में बदलाव करना।
- गुणवत्ता का क्षरण किए बगैर लंबी अवधि तक विषय वस्तु का संरक्षण।
- आकाशवाणी केन्द्रों के बीच कार्यक्रमों का ऑनलाइन आदान प्रदान को सुगम बनाना।
- आकाशवाणी द्वारा संरक्षित बहुमूल्य कार्यक्रमों के बिक्री के लिये उपलब्ध बनाना।
- ई आरपी प्रणाली को लागू करके कार्यालय गतिविधियों को स्वायत बनाना।

सरकार ने मौजूदा पंचवर्षीय योजना के लिये दूरदर्शन को 2119.14 करोड़ रुपये का कुल बजट आबंटित किया है। इसमें से 1321 करोड़ रुपये ग्यारहवीं योजना से जारी घटक/योजनाओं के लिए आबंटित किए गए हैं और शेष 798.14 करोड़ रुपये बारहवीं योजना में शुरू की गई नई योजनाओं और विशेष परियोजनाओं के लिये आबंटित किए गए है। योजना के दौरान प्रसारण का प्रभावी विकास और डिजीटलीकरण करने के लिये यह योजना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसारण सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिये डिजीटलीकरण को पूरा करना काफी महत्वपूर्ण है। इसके तहत किये जाने वाले कार्य है:

1. प्रसारण इन्फ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास, (2) विषयवस्तु विकास, (3) विशेष परियोजनाएं।

दूरदर्शन कार्यक्रम

डीडी उर्दू

पांच करोड़ 52 लाख उर्दू भाषी आबादी की जरूरतों को देखते हुए और उर्दू की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए 15 अगस्त 2006 को डीडी उर्दू अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य इस चैनल पर अच्छे विषय और लक्षित दर्शकों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रमों को प्रसारित करना है। इसके लिए डीडी की अधिग्रहण परियोजना के माध्यम से सॉफ्टवेयर खरीदा गया है और डीडी में इसे तैयार भी किया गया है।

डीडी इंडिया

डीडी इंडिया का गठन विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ संवाद का पुल बनाने, वास्तविक भारत, उसकी संस्कृति, मूल्यों, परंपराओं, आधुनिकता, विविधता और एकता को प्रदर्शित करने तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण की उच्च परंपराओं को कायम रखते हुए जनता के शिक्षण और मनोरंजन के उद्देश्य से किया गया था। इस पर समाचार बुलेटिन, सामयिक विषयों पर फीचर, मनोरंजन के कार्यक्रम, फीचर फिल्में, संगीत और नृत्य, बच्चों के कार्यक्रम तथा धार्मिक, मेडिकल और रोमांचक पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर

मौजूदा समय में पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों की राजधानियों और कुछेक अन्य महत्वपूर्ण शहरों में दूरदर्शन के 11 स्टूडियो केन्द्र और विभिन्न क्षमताओं वाले 132 ट्रांसमीटर हैं। इसके अलावा गुवाहाटी में एक क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र भी है। राजधानियों के सभी आठ केन्द्रों पर उपग्रह अपलिकिंग सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा पूर्वोत्तर के सात राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अलावा सिक्किम में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मेघालय में गारो हिल्स के तुरा में तथा असम के डिब्रूगढ़ और सिलचर में टी वी केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित सूचनात्मक तथा सुगम संगीत, लोक कलाओं, शिल्प, वस्त्रों और खान पान पर आधारित कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 84 प्रतिशत आबादी को डीडी 1 और तकरीबन 54 प्रतिशत को डीडी न्यूज का प्रसारण उपलब्ध है। लगभग 61 प्रतिशत क्षेत्र में डीडी 1 और 26 प्रतिशत में डीडी न्यूज देखा जा सकता है।

नॉर्थ ईस्ट चैनल के कार्यक्रम गुवाहाटी के क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्माण केन्द्र में तैयार किए जाते हैं। इसमें पूर्वोत्तरी राज्यों के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्र अपना योगदान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट चैनल के कार्यक्रम तय समय पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के एचपीटी और एलपीटी द्वारी रिले किये जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट चैनल के कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा फ्री डिश पर भी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में डीडी 1 के एचपीटी और एलपीटी निर्धारित समय में संबंधित राज्यों से अपलिंक किए गए क्षेत्रीय सेवा कार्यक्रमों को रिले करते हैं।

श्रोता अनुसंधान खंड

श्रोता अनुसंधान खंड अनुसंधान और आंकड़ा एकत्रीकरण के विभिन्न तरीकों के माध्यम से चैनलों पर कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनकी गुणवत्ता सुधारने में महत्पूर्ण भूमिका निभाता हैं। श्रोता अनुसंधान डीटीएच पेनेट्रेशन और कृषि कार्यक्रमों की नेरोकास्टिंग की मदद से देश भर में सर्वेक्षण करता है। श्रोता अनुसंधान खंड देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपनी 18 इकाइयों के सहयोग से शहरी और ग्रामीण इलाकों में डार्ट सर्वेक्षण भी करता है। वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों के प्रभाव पर सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किया गया है।

इन हाउस सर्वेक्षणों के अतिरिक्त दूरदर्शन ने टैम मीडिया रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड से रेटिंग डेटा और एमआरयूसी से बेसलाइन डेटा प्राप्त करेगा और उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में चैनल प्रबंधकों एवं मार्केटिंग विभाग को प्रदान करेगा।

डीडी भारती

डीडी भारती एक सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने वाला चैनल है जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तावित, प्रोत्साहित और संरक्षित रखने में निर्णायक भूमिका निभाता है। चैनल संगीत, नृत्य, विरासत, स्वास्थ्य, बच्चों पर केंद्रित है और भारतीय जीवन शैली, दर्शन, कला और संस्कृति पर बल देता है। चैनल संगीत और नृत्य, पर्व, विशेष घटनाओं, मुशायरा, कवि सम्मेलन आदि के लाइव कवरेज को भी प्रसारित करता है। फिक्स प्वाइंट चार्ट्स में परिवर्तन के साथ, दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए चैनल ने नए कार्यक्रमों को भी प्रस्तावित किया है। कार्यक्रमों में वैविध्य तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए नए कार्यक्रम भी खरीदे गए हैं। कार्यक्रमों, विशेष रूप से सांस्कृतिक विरासत से संबंधित कार्यक्रमों में सुधार के लिए फिर कमीशनिंग प्रस्तावित है।

क्षेत्रीय प्रसारण

देश की सामाजिक सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता के मद्देनजर दूरदर्शन देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं –तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बांग्ला, असमी, पंजाबी, गुजराती, मराठी और कश्मीरी – बोलने वाले लोगों के हित के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। मुख्य भाषा के कार्यक्रमों के अतिरिक्त, क्षेत्रीय भाषाओं के 11 सेटेलाइट चैनल भी उर्दू, सिंधी, संस्कृत, टुलु, कोंकणी, डोगरी, हिमाचली, हरियाणवी, नेपाली और उत्तर पूर्व की सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रम राज्य में विभिन्न एचपीटी और एलपीटी के क्षेत्रीय सहयोग के साथ सेटेलाइट पर, जमीनी ट्रांसमीटरों के माध्यम से डीडी 1 की क्षेत्रीय विंडो के रूप में दोपहर तीन बजे से शाम आठ बजे तक उपलब्ध रहते हैं। तमिलनाडु में यह क्षेत्रीय सहयोग रात 11 बजे तक रहता है।

इन क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न कार्यक्रम और फॉरमेट उपलब्ध कराए जाते हैं और इन्हें संबंधित राज्य के राजधानी केंद्र से फीड और प्रसारित किया जाता है। इन चैनलों पर फीचर फिल्में, फिल्मी गाने, धारावाहिक, शास्त्रीय–सुगम–लोक संगीत, नृत्य, समाचार और समसामयिक कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि प्रसारित किए जाते हैं जोकि श्रोता विशेष की रुचि के कार्यक्रमों के साथ समाज के सभी तबकों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं का मनोरंजन करते हैं।

डीडी अभिलेखागार

डीडी अभिलेखागार 40 वर्षों से हमारी संस्कृति की प्राचीन धरोहर का रक्षक है। किसी भी मीडिया संगठन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपनी संपत्ति को कैसे संरक्षित करता है। ब्रॉडकास्टिंग चैनल के रूप में वह मौजूदा घटनाओं की प्रासंगिकता के लिए अधिक से अधिक फाइल फुटेज पर निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त डीडी अभिलेखागार की सांस्कृतिक थाती बहुत मूल्यवान है, चूंकि डीडी अभिलेखागार ऐसा एकमात्र माध्यम है, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, जिसमें शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत और लोक नृत्य, आदिवासी संगीत और नृत्य शैलियां, परंपरागत और आधुनिक रंगमंच आदि शामिल है, के संरक्षण के उत्तरदायित्व को मान्यता देता है। यह बहुमूल्य सामग्री हमारे सांस्कृतिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है जो पूरे विश्व में अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। डीडी अभिलेखागार ने अपनी सामग्री के संरक्षण का अभियान चलाया है जो वर्तमान और भविष्य देश की समृद्धि के लिए अतीत का प्रतिनिधित्व करता है। अगले चार वर्षों में डीडी अभिलेखागर विश्व के सर्वश्रेष्ठ ब्रॉडकास्टिंग अभिलेखागारों में से एक हो जाएगा।

स्व वित्त कमीशनिंग (एसएफसी)

दूरदर्शन ने देश के प्रतिष्ठित निर्माताओं से अपने फ्लैगशिप चैनल डीडी 1 के लिए गुणवत्तापूर्ण मनोरंजक कार्यक्रमों का आउटसोर्स करने के लिए स्व वित्त कमीशनिंग की नई योजना प्रतिपादित की है। इस योजना के तहत वरिष्ठ फिल्मकारों और टेलीविजन निर्माताओं द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर को दूरदर्शन की ओर से वितरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के स्वामित्व वाले कार्यक्रमों को दूसरे चैनलों द्वारा प्रसारित किया जा सकता है। यह योजना दूरदर्शन के प्राइम टाइम के दौरान अच्छा राजस्व अर्जित कर रही है।

डीडी एसएफसी कार्यक्रमों द्वारा सभी प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स को अधिग्रहित करने को प्रतिबद्ध है। प्राइम टाइम और मिड प्राइम स्लॉट्स के अतिरिक्त एसएफसी कार्यक्रमों के लिए नॉन प्राइम टाइम स्लॉट्स को लेने की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि हर वर्ष निर्माण की लागत बढ़ रही है और गुणवत्ता के लिहाज से दूसरे सेटेलाइट चैनलों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए हमें एपीसोड के मूल्य को बढ़ाना चाहिए।

इस योजना के तहत निर्मित कार्यक्रम केवल दूरदर्शन की संपत्ति हैं। डीडी इस संपत्ति को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के, दूरदर्शन के किसी दूसरे चैनल पर जब चाहे प्रयोग कर सकता है। एक समय निवेश और बहुउपयोग का यह अधिकार, बिना किसी आवर्ती व्यय के, दूरदर्शन को प्रायोजित कार्यक्रमों के साथ नहीं मिलता। राजस्व में बढ़ोतरी के अतिरिक्त, डीडी मार्केटिंग एजेंसियों/प्रायोजकों के देय की समस्या से भी निजात पा लेता है क्योंकि डीडी सीधा ग्राहकों के संपर्क में होता है। अदालती मामलों/पंचाट से भी छुटकारा मिलता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, प्राइम टाइम पर दैनिक धारावाहिक को प्रस्तावित करने का प्रयोग भी किया गया जो दर्शक संख्या बढ़ाने के साथ-साथ दूरदर्शन का राजस्व भी बढ़ाएगा।

सॉफ्टवेयर की कमीशनिंग

- हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, पटना, जयपुर, श्रीनगर, जम्मू स्थित केंद्रों के माध्यम से इन हाउस प्रोडक्शन गतिविधियों का संचालन

इंडियन क्लासिक्स स्कीम का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रमों का निर्माण और देश की समृद्ध सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को संभालना है। इस स्कीम में सभी कार्यक्रम भारतीय भाषाओं में बनाए जा रहे हैं और देश के सभी दर्शकों के लाभ के लिए ये साहित्यिक कार्यक्रम अन्य भाषाओं में डब किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग पक्ष पर काफी पहल की गई हैं। अधिकतर कार्यक्रम मौजूदा नेटवर्क के डिजिटल स्वरूप वाले हैं। जम्मू और काश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में एचपीटी/एलपीटी की स्थापना और ई-गवर्नेंस का क्रियान्वयन किया गया है।

राज्य नेटवर्क

दूरदर्शन के क्षेत्रीय सेवा प्रसारण भी हैं जिन्हें राज्य नेटवर्क कहा जाता है। ये नेटवर्क उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए हैं। एचपीटी और एलपीटी के इन सभी राज्य नेटवर्कों के माध्यम से डीडीके, दिल्ली से सोमवार से शनिवार को दोपहर तीन से चार बजे तक एक घंटे के लिए उत्तरी नेटवर्क धारावाहिक आधारित मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं और रविवार को हिंदी फीचर फिल्म प्रसारित की जाती है। इसलिए संबंधित राज्य की राजधानी से दोपहर चार से शाम आठ बजे के बीच कार्यक्रम बीम किए जाते हैं और उस राज्य के जमीनी ट्रांसमीटर से रिले किए जाते हैं जिससे क्षेत्र की प्रमुख स्थानीय बोली में आयोजित होने वाली गतिविधियों को एकत्र किया जा सके।

शिक्षा, सूचना और मनोरंजन के अतिरिक्त वर्ष भर सबसे ज्यादा बल फ्लैगशिप कार्यक्रमों को दिया जाता है। अपनी क्षमता का ध्यान न करते हुए क्षेत्रीय केंद्रों ने फ्लैगशिप कार्यक्रमों और लोक सेवा कार्यक्रमों को प्रमुखता देने में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

मुख्य सचिवालय के प्रसारण विंग की स्कीमें

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) शुरू करने की अनुमति देता है। सरकार ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थापना के लिए वर्ष 2002 में नीतिगत दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जिन्हें 2006 में संशोधित किया गया। पहले के दिशा-निर्देशों में सिर्फ शैक्षिक संस्थानों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन की इजाजत थी। नए दिशा निर्देशों ने पात्रता का दायरा व्यापक बनाते हुए नागरिक समितियों और स्वयं सेवी संगठनों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू),आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, पंजीकृत समितियों/स्वायत्त निकायों सामुदायिक रेडियो संचालित करने के लिये संस्था अधिनियम के तहत पंजीकृत सार्वजनिक न्यासों आदि को भी पात्रता शर्तें पूरी करने पर, शामिल कर लिया।

मंत्रालय सामुदायिक रेडियो योजना को जागरूकता कार्यशालाओं के माध्यम से भी लोकप्रिय बना रहा है ताकि निचले स्तर पर काम करने वाले ज्यादा से ज्यादा संगठनों को सीआर स्टेशन लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जा सके। 11वीं योजना की आयोजना योजना ''सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधिया'' के अधीन मंत्रालय ने 37 जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित कीं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग' नामक नई योजना शुरू की गई है। आईईसी गतिविधियों के अलावा, नई योजना भी नए और मौजूदा सीआरएस को उपकरण प्राप्त करने और प्रशिक्षण आदि के लिये वित्तीय सहायता मुहैया करायेगी। योजना सीआर क्षेत्र में नवरचना का भी समर्थन करेगी। 12वीं योजना के पहले दो वर्षों में, 18 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गईं। वित्तीय सहायता के लिये सीआर स्टेशनों/अनुमति प्राप्त करने वालों से आवेदन भी आमंत्रित किये गये हैं।

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय निजी सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों को मंजूरी देता है। आवेदन की योग्यता की जांच अपलिंकिंग और डाउनलिकिंग के दिशा निर्देशों के संदर्भ में की जाती है। इसके बाद यह आवेदन कंपनी और कंपनी के निदेशकों की सुरक्षा जांच के लिए गृह मंत्रालय भेज दिया जाता है और मंजूरी मांगी जाती है। इसके साथ यह आवेदन अंतरिक्ष विभाग और राजस्व विभाग तथा आवश्यकता के अनुसार अन्य विभागों में भी भेजा जाता है और उनकी मंजूरी मांगी जाती है। अन्य योग्यताओं के साथ कंपनी की कुल पूंजी का भी आकलन किया जाता है। आवेदन को अनुमति अंतर मंत्रालय मंजूरी मिलने और सभी शुल्क आदि लेने के बाद प्रदान कर दी जाती है।

मंत्रालय ने अभी तक 795 टीवी चैनलों को अनुमति दी है 240 से अधिक आवेदन अभी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा मंत्रालय को प्रति माह औसत 30-40 नए आवेदन मिल रहे हैं। इनसेट अनुभाग को नाम, लोगो, निदेशकों की नियुक्ति, शेयर होल्डिंग में बदलाव, अस्थायी अपलिंकिंग सुविधा और एसएनजी/डीएसएनजी वेन किराए पर लेने के अनुरोध भारी मात्रा में मिलते हैं। कुछ अन्य गतिविधियां जैसे अनुमति का नवीनीकरण और कारण बताओ नोटिस जारी करना और अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने से संबंधित शिकायतें भी हैं। इन सब में भारी मात्रा में कागज का इस्तेमाल होता है। इस प्रक्रिया में मंत्रालय और आवेदक का समय लगता है। इससे जरूरी लाईसेंस देने में देरी होती है और जमा किए गए कागजात गुम हो जाते हैं। प्रक्रिया की योजनाबद्ध तरीके से निगरानी करने में कठिनाई आती है। इससे कुछ हद तक प्रणाली की खामियां सामने आती है।

इन सब कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए प्रणाली को सुचारू बनाने के लिए अत्याधुनिक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करने का निर्णय किया है जिससे मंत्रालय के अधिकारी और टीवी चैनल, एमएसओ, डीटीएच लाईसेंस, एचआईटीएस लाईसेंस और आईपीटीवी सेवा के आवेदक अपने आवदेनों की निगरानी कर सकेंगे और तेजी से काम करा सकेंगें। इस प्रक्रिया में कम से कम मानवीय हस्तक्षेप होगा।

(ग) डिजिटलाइजेशन का मिशन

12वीं पंचवर्षीय योजना में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा पूरे देश में केबल टीवी का डिजिटलाइजेशन करना है। देश में केबल टीवी, टीवी वितरण की रीढ़ की हड्डी है। एफआईसीसीआई केपीसमजी 2013 के अनुसार करीब 77 मिलियन केबल टीवी घरों में चलती है। इनमें से अधिकतर टीवी सिग्नल एनालॉग के द्वारा प्राप्त होती है। एनालॉग केबल टीवी वितरण में कई समस्याएं थीं जिसमें सिग्नल का स्तर, क्षमता, पसंद के चैनल इत्यादि प्रमुख थे।

एनालॉग प्रणाली में सबसे अधिक वितरण प्रणाली में दोष था जिसे मंत्रालय ने समय सीमा पर उल्लेखनीय तरीके से 31 दिसम्बर 2014 तक सभी चैनलों का डिजिटिलाइजेशन पूरा करवाने का लक्ष्य रखा। पहले तीन चरण में तीन महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई कोलकाता में पहले ही डिजिटिलाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है। चेन्नई में मामला कोर्ट में है। दूसरे चरण में 38 शहरों (एक मिलियन से अधिक की जनसंख्या वाली) में 31 मार्च 2013 तक कार्य पूर्ण हो गया है। अन्य शहरों में 30 सितम्बर 2014 तक और बाकी शहरों में 31 दिसम्बर 2014 तक पूरा करना है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने समयबद्ध अधिदेश और प्रभावशाली नियम लागू कर डिजिटलाइजेशन आरंभ कर दिया। केबल टीवी एक्ट दिसम्बर 2011 में संशोधन कर मंत्रालय ने कानून बनाया। ट्राई (टीआरएआई) ट्रैफिक और अंतरसमन्वय को स्टेक होल्डर के डिजिटिलाइजेन पर अग्रिम कार्यवाही और लागू करने के लिए आगे भेज दिया गया।

डिजिटलाइजेशन का प्रमुख कार्य डिजिटल सेट टॉप बाक्स को लगाना और डिजिटल सिग्नल (एमएसओ) से प्राप्त करना है। इसका उद्देश्य वितरण प्रणाली को उच्च स्तर का करना है। एलसीओ और सेट टॉप बॉक्स नहीं होने पर उपभोक्ता टीवी का सिग्नल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य 80 मिलियन सेट टॉप बॉक्स को पूरे देश में उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है।

स्थानीय केबल ऑपरेटर एमएसओ और एलसीओ को कार्य करने पर राजी करना था। 6000 एमएसओ और 60 हजार एलसीओ (लोकल केबल ऑपरेटर) हैं। एमएसओ ने अपने प्रत्येक उपभोक्ता को एसटीबी लागू करने पर कार्य किया। एसटीबी अपने निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहा।

पूरी परियोजना को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य की तरह पूर्ण किया गया है। मंत्रालय ने मानव संसाधन का इस्तेमाल पूर्ण रूप से किया। इस परियोजना में पूरे डाटा को एकत्र कर उसका सर्वेक्षण व समय सीमा तय की गई। इस परियोजना में प्रत्येक क्षेत्र का दौरा भी किया गया। प्रथम चरण में 4 महानगरों और दूसरे चरण में 38 शहरों में काम किया गया। दोनों चरण में बेसिल, प्रसार भारती और मंत्रालय के कर्मचारियों ने प्रबंधन का कार्य किया। तीसरे चरण में शहर और गांव वालों को शामिल किया जायेगा। 'मिशन डिजिटलाइजेशन' योजना के तहत है और इसे मान्य अधिकारियों ने पास किया है। यह योजना बॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड (बेईसीआईएल) द्वारा लागू की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पीएसई भी इसमें नामांकित थे। इस 12 क्षेत्रीय यूनिट, बहुभाषीय वेबसाइट और बहुभाषीय हेल्पलाइन से मदद ली गई।

अध्याय-2

वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित वास्तविक प्रतिफल और परिणाम

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	योजना स्कीम का नाम								
1.	विकासात्मक संचार के माध्यम से लोक सशक्तीकरण (अवधारणा एवं प्रसार) डीएवीपी	1 स्थापना	30.62				सांप्रदायिक, सद्भाव,राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये विभिन्न माध्यमों बाह्य प्राचर, रेडियो, दूरदर्शन, समाचारपत्र,पोस्टर ब्रॉशर के माध्यम से लोक जागरूकता एवं विकास में भागीदारी के लिये प्रोत्साहन	आवश्यकतानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर काम किये जाने हैं	
		2 प्रदर्शनी	1.80	3.48		1344 दिवस			
		3 डिस्प्ले वर्गीकृत	31.00	46.98		5.0			
		4 रेडियो स्पॉट	2.00	104.40		35.0 डिस्पले यूनिट			
		5 मुद्रित प्रचार, वितरण	3.35	6.96		12 कार्य की संख्या			
		6 बाह्य प्रचार	1.00	12.18		2.4 डिस्पले लाख में			
		कुल (1)	**69.77**	**174.00**					

	डीएवीपी का आधुनिकीकरण	कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण कार्यालय ढांचा मानव संसाधन विकास		4.00			कंप्यूटरीकरण एवं डिजिटलीकरण कार्यालय ढांचा मानव संसाधन विकास		
		कुल (2)		**4.00**					
		कुल (1 एवं 2)	**69.77**	**178.00**					

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

अनुमानित बजट 2014-15 के अध्याय II में तालिकाओं का स्वरूप

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2014-15			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल भौतिक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
	विकास संचार और प्रचार के लिए प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम		4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	विशेष पहुंच कार्यक्रम	इस अवयव के अंतर्गत 12वीं योजना काल के दौरान डीएफपी ने भारत सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं पर पूरे देश में विशेष पहुंच कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, लाइन मंत्रालयों को शामिल करते हुए वर्ष 2014-15 में 1060 विशेष कार्यक्रमों की योजना है। डीएफपी की दो क्षेत्रप्रचार ईकाइयों को मीडिया से वंचित दूरदराज़ के क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा जो सरकारी परियोजनाओं पर सूचनाएं प्राप्त करेंगी।	-	2.97		1060 विशेष कार्यक्रम (एक कार्यक्रम दो क्षेत्र ईकाइयों की सम्बद्धता द्वारा संचालित किया जाएगा)	भारत सरकार की फ्लैगशिप परियोजनाओं का गहन प्रचार। लगभग 1060 कार्यक्रम और तत्काल प्रत्यक्ष, मात्रात्मक कार्य योगा प्रतिपुष्टि विश्लेषण के लिए परियोजनाओं के लागूकरण को एकत्र किया जाना (लगभग प्रति कार्यक्रम 10 प्रतिपुष्टियां)	वित्तीय वर्ष 2014-15	
	संचालित दौरे और प्रतिभा (क्षमता) उन्नयन	इस अवयव के तहत गांव के स्तरों के अभिमतनेताओं को दूसरे क्षेत्र में हो रहे विकास से रू-ब-रू कराया जाएगा इन व्यक्तियों को इसमें मदद मिलेगी कि दौरे में उन्होंने विकास के बारे में जो देखा उसका वो नई तकनीकियों और तरीकों को अपनाकर अपने क्षेत्र में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ष 2014-15 में संचालित ऐसे 8 दौरों को आयोजित करने का प्रस्ताव है। साथ ही 2013-14 में आयोजित संचालित दौरें के पुनर्मूल्यांकन का भी प्रस्ताव है।		0.41		08 संचालित दौरे प्रत्येक @ रु. 4.50 लाख की दर पर	देश के विभिन्न हिस्सों पर लगभग 80-90 अभिमत नेताओं को विकासशील परियोजनाओं से रू-ब-रू कराना	वित्तीय वर्ष 2014-15	

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

अनुमानित बजट 2014-15 के अध्याय II में तालिकाओं का स्वरूप

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2014-15			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल भौतिक निष्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
	प्रत्यक्ष संपर्क कार्यक्रम के लिए आधारभूत संरचना समर्थन	यह अवयव इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि तकनीकी के आधुनिकीकरण से निदेशालय को आधारभूत संरचना व संसाधन समर्थन मिल सके। बारहवीं पंच वर्षीय योजना में डीएफपी संस्थान अपने कार्यालयों की सुधरी कार्यप्रणाली के लिए मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर्स, डीवीडी प्लेयर्स, बेलर पी ए प्रणाली, डिज़िटल स्थिल कैमरों, फोटोकॉपियर मशीनों, प्रोजेक्टर फोन, बाह्य मानव शक्ति आदि के रूप में आधुनिक तकनीकी से सज्जित होंगे। यह अवयव डीएफपी के अन्य अवयरों को सुचारू रूप से लागू करने में भी मदद करेगा	-	1.61		डीएफपी अधिकारियों के लिए 03 फोटोग्राफरों, 03 वाहनों, 02 प्रशिक्षण प्रोग्रामर्स का प्रबंध। टेलीफोन आधारित इंटरनेट प्रोटोकोल (आईपी) कालगाना 6 संकलन संपादक, एक वरिष्ठ संपादक, एक संपादन जो मुख्यालय के विषयवस्तु प्रकोष्ठ में नियुक्त होगा। श्रव्य-दृश्य उपकरण का प्रबंध डीएफसी के अधिक से अधिक कार्यालयों का सुधरी कार्यप्रणाली के लिए हर संभव सूचना भवन के मुख्यालय में स्थानांतरण	ए वी उपकरण क्षेत्र ईकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ाना।	वित्तीय वर्ष 2014-15	
		कुल योग		**4.99 या पांच करोड़**					

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता संबंधी	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii),				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
		एम्प्लाइमेंट न्यूज रोजगार समाचार बेरोजगार युवकों को नौकरी की सूचना देने और अधिक से अधिक लोगों को नौकरी प्राप्त कराने में सहायक है।	25.19	शून्य	शून्य	अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में रोजगार समाचार के 52 साप्ताहिक अंक प्रकाशित करना।	रोजगार समाचार के प्रकाशन के माध्यम से विभाग निम्नलिखित परिणाम हासिल करने का लक्ष्य रखता है- i) केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि में नौकरी के विज्ञापन, पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की सूचनाएं, परीक्षा की सूचनाएं और संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य सामान्य भर्ती परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा देना। ii) स्व-रोजगार जैसे विषयों पर विशेष लेखों द्वारा जानकारी देना। iii) सरकारी क्षेत्र में निकलने वाली नौकरियों के बारे में रोजगार समाचार की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराना।	वार्षिक आधार पर	

भारतीय जनसंचार संस्थान
परिणाम बजट 2014-15

(रुपये करोड़ों में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-नियोजित बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	i) जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान	मीडिया और जनसंचार के कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण देना तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान कराना	9.55	—	05.00	निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : पत्रकारिता (अंग्रेजी) नई दिल्ली, ढेंकानाल और चार नए क्षेत्रीय केंद्रों- आइजोल, अमरावती, जम्मू और कोट्टायम में पत्रकारिता(हिंदी)नई दिल्ली में, रेडियो व टीवी पत्रकारिता, विज्ञापन व जनसम्पर्क नयी दिल्ली में, उड़िया पत्रकारिता, ढेंकानाल और उर्दू पत्रकारिता नई दिल्ली में विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम -सूचना एवं प्रसारण	निम्नलिखित में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : -पत्रकारिता (हिंदी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124(62+62) -विज्ञापन एवं जनसम्पर्क (70) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के अधीन 5 कोलम्बो योजना के अधीन) कुल 60 पत्रकारिता (उड़िया) (23) -उर्दू पत्रकारिता (15)	-सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रियाएं (अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर) जुलाई 2014 तक पूरी हो जायेगी और इसके तुरंत बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो जायेंगे। -उर्दू पत्रकारिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये दाखिले की प्रक्रिया जुलाई में शुरू होगी और अक्टूबर 2014 में पूरी हो जाएगी। -मांग और कार्यक्रम के अनुसार प्रायोजक संगठनों की सहमति से कराये जाएंगे -अनुसंधान अध्ययन	एन. आर. आई,शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटें नहीं भरती या कुछ छात्र दाखिले के बाद भी संस्थान छोड़ सकते हैं।

						मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम -अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं कार्यशालाएं-जनसंचार के विविध पहलुओं पर अनुसंधान (4-5 अध्ययन) कराना और दो अर्द्धवार्षिक पत्रिकायें (अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम) निकालना	**<u>अल्पकालीन कार्यक्रम</u>** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एसके ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) **<u>प्रकाशन</u>** अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम जैसी अर्द्धवार्षिक पत्रिकाओं का प्रकाशन करना	व्यक्तियों की समय सीमा के अनुसार कराये जाएंगे। पत्रिकाएं निकाली जाएंगी।	
	2)अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईआईएमसी का उन्नयन	जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवंअनुसंधान-अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना से जनसंचार में आधुनिक एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। इससे यहां मीडिया उद्योग के क्षेत्र में वैश्विक नियुक्तियों के लिए योग्य पेशेवर तैयार किए जा सकेंगे। प्रस्तावित उन्नयन में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध जगहों पर आईआईएमसी के चार नये केंद्रों का खोला	—	08.00	—	-अमरावती, आइजोल, कोट्टायम और जम्मू में अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवाना नई दिल्ली में नई इमारतों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ नई दिल्ली में क्षेत्र विकास का प्रारम्भ आइजोल में स्थायी परिसर के लिये निर्माण कार्य प्रारम्भ वहां जमीन मिल चुकी है।	-अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराना-60 (15+15+15+15) -क्षेत्र विकास प्रारम्भ होने की सम्भावना -डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने के बाद नई दिल्ली में नई इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ (निर्माण योजना की मंजूरी के लिये आवेदन 8.12.2011 से लम्बित है)	-सभी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मेंप्रवेश की प्रक्रियाएं (अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर) जुलाई 2014 तक पूरी हो जायेगी और इसके तुरंत बाद ये पाठ्यक्रम शुरू हो जायेंगे। -तीसरी तिमाही के मध्य तक शुरू हो सकते हैं डीडीए और अन्य नागरिक	-अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ आरक्षित श्रेणियों में 100 प्रतिशत सीटें सम्भवत: नहीं भरी जायें या कुछ छात्र दाखिले के बाद भी संस्थान छोड़ सकते हैं।

	3) आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केंद्र खोलना	जाना भी शामिल है, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंचार के पाठ्यक्रमों के अध्ययन की विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इस योजना को 51.50 करोड़ रुपये के सरकारी अनुदान के साथ 62.00 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के लिये योजना को मंजूरी मिल गई है। चार नए क्षेत्रीय केंद्रों के लिये स्थायी परिसर बनाने के लिये	—	15.00	—	केरल सरकार द्वारा स्थायी परिसर के लिये जमीन के हस्तांतरण के विषय में निवेश पूर्व गतिविधियों का प्रारम्भ	- निर्माण शुरू होगा - निवेश पूर्व - गतिविधियां शुरू होंगी।	प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने पर तीसरी तिमाही के अंत तक शुरू हो सकते हैं तीसरी तिमाही के अंत तक शुरू हो सकते हैं	-डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने पर निर्माण -आइजोल में मानसून समाप्त होने के बाद ही शुरू हो सकता है। केरल सरकार द्वारा जून 2014 के आखिर तक जमीन उपलब्ध कराये जाने पर।

नोट-1. कोष्ठक में दी गई संख्या में दाखिला लेने वाले छात्रों को दर्शाती हैं।

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समय सीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	नेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी a) बाहरी सहायता	a) बाहरी सहायता (उच्च-क्षमता वाले सर्वर पर तस्वीरों को अपलोड करने के लिए प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट की नियुक्ति।	0.25	a) डिवीजन की आधिकारिक वेबसाइट पर तस्वीरों का ऑनलाइन उपयोग के लिए संग्रह	a) सही तरीके से प्रबंधित फोटो लाइब्रेरी से उपयोगकर्ताओं के मदद मिलती है।	वार्षिक	—
	b) राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार	g) राष्ट्रीय फोटो पुरस्कार और साथ ही पेशेवरों और गैरपेशेवरों को भी शामिल करना।	0.20	g) वर्तमान में फोटोग्राफ सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और इस क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस क्षेत्र के पेशेवर लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया।	g) आज के संदर्भ में फोटोग्राफी के महत्व का आधार तैयार करना।	वार्षिक	
2.	उत्तरपूर्व, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप के लिए विशेष अभियान	उत्तरपूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में जीवन, पर्यावरण और अन्य विकास कार्यों की पहचान और उनका तस्वीरों में रेकॉर्ड रखना।	0.05	उत्तरपूर्वी राज्यों, जम्मू-कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे स्थानों का डिजीटल दस्तावेज तैयार करना।	विकास के उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालना जो अभी तक सामने नहीं आए।	वार्षिक	
		कुल	**0.50**				

फोटो प्रभाग

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दस्तावेज, प्रचार और क्रॉस रेफेरेन्सिंग, सरकारी विकास की योजनाओं को तस्वीरों के जरिए प्रचारित करना।	राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रचार और संरक्षण।	गैर-योजना रु. 4.67	किसी भी काल में होने वाले परिवर्तनों का फोटोग्राफिक दस्तावेज। आवश्यकता पड़ने पर ये दस्तावेज सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले और सबसे कीमती होंगे।	इन दस्तावेजों को तैयार करने से देश में इतिहास का प्रमाणित मूल्यांकन करने में मदद मिलती है।	-	

भारतीय प्रेस परिषद

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	योजना एवं कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक/निष्पादन प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था होने के कारण परिषद कोई योजना नहीं चला रही है।	प्रेस की आजादी का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखते हुए उसमें सुधार लाना	6.13	उपलब्ध नहीं क्योंकि योजना बजट के लिए प्रस्ताव नहीं किया गया	परिषद पंजीकृत समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और समाचार एजेंसियों से प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत शुल्क वसूल करती है और जमाराशियों पर ब्याज कमाती है। वर्ष 2014-15 में परिषद का लक्ष्य लेवी और अन्य प्राप्तियों के शुल्क के रूप में 88.70 लाख रुपए इकट्ठा करके भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता का पूरक बनाना है।	चूंकि प्रेस परिषद के कार्य अर्द्ध न्यायिक प्रकृति के हैं और यह प्रेस के आचरण संबंधी स्तर का नियामन करती है, अत: इसके भौतिक प्रतिफल/परिणामों को आंकना संभव नहीं है	जैसा कॉलम पांच में कहा गया है	यह वादियों द्वारा आवश्यक शर्तें पूरा करने और परिषद द्वारा जांच पूरी करने पर निर्भर करता है।	शिकायतों के निपटारे में कोई जोखिम शामिल नहीं है।

पत्र सूचना कार्यालय

योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम/योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजना बजट (करोड़ रु. में)	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	जारी योजनाएं						
1.	नई दिल्ली में नेशनल मीडिया सेंटर की स्थापना		2.50	योजना स्कीम के लिए एनबीसीसी को 2.50 करोड़ रुपये का भुगतान	कॉलम 5 के अनुसार		एनबीबीसी द्वारा जून 2013 में परियोजना को पूरा किया गया
2.	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष इवेंट्स के लिए जनसंपर्क। इस योजना में तीन मदें शामिल हैं—						
i	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम	इस योजना का लक्ष्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार-प्रसार विभिन्न विधियों से करना है। इन विधियों में जनसंपर्क अभियानों का आयोजन, मीडिया इंटरेक्टिव सेशन, सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार और प्रेस टूर्स का आयोजन शामिल है।	9.88	100 जनसंपर्क अभियानों, 2 मीडिया इंटरेक्टिव सेशन, 25 सफलता की कहानियों का प्रचार-प्रसार (क्षेत्रीय/राज्य-स्तर की कहानियों को छोड़कर) और 10 प्रेस टूर्स का आयोजन।	100 %	अभी फाइनल होना है।	पीआईबी के प्रस्ताव के आधार पर मंत्रालय ने पीआईसी के लक्ष्य की संख्या 115 से घटाकर 100 कर दी है।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
	जारी योजनाएं						
							और 18 प्रेस टूट की संख्या 10 कर दी गई क्योंकि 2014-15 की पहली तिमाही में लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू कर दी गई थी जिसकी वजह से गतिविधियां नहीं हो सकीं। पीआईबी और अन्य गतिविधियां वर्ष के दूसरे तिमाही में शुरू की जाएंगी। मंत्रालय के 2014-15 के लिए 10 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट का अनुमोदन किया है। यह बजट 'एमओपी' स्कीम के लिए आंबटित किया गया है। जबकि इएफसी के लिए 14.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है अगर 2014-15 के संशोधित अनुमान में 14.60 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिए गए तो इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी।

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	
1	2	3	4	5	6	7	8
	भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	भारत के अन्तरराष्ट्रीय फिल्म समारोह और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों के विशेष प्रत्यापन देने और पत्रकारों को सुविधा देने के लिए पीबीडी के तहत पीआईबी ने अपने अधिकारियों को तैनात किया।	0.12	भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को विशेष सुवधि देने के लिए भी मीडिया केन्द्र में अधिकारियों को तैनात किया गया और कम्प्यूटर स्थापित किए गए।	जैसे कि कॉलम 5 में	कॉलम 5 में उल्लिखित सभी गतिविधियां वर्ष की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में होंगी क्योंकि भारत का अन्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह तीसरी तिमाही में और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह चौथी तिमाही में मनाया जाता है।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	
1	2	3	4	5	6	7	8
	नई योजनाएं: योजना : मीडिया ढांचागत विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी) उपयोजना। पीआईबी आधुनिकीकरण		5.00	i) आधुनिक डिलीवरी उपकरणों के साथ वेबसाइयों का आधुनिकीकरण ii) ऑनलाइन मीडिया प्रत्यापन iii) अधिक वीडियो संसाधनो की रचना। iv) 2 लाख पुराने रिकार्ड का डिजीटलाइजेशन। v) सॉफ्टवेयर विकास और डाटा एकीकरण की शुरूआत। vi) सूचना के प्रसार के लिए पांच क्षेत्रीय कार्यालय में आधुनिक वीडियो कान्फ्रेन्सिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी। vii) हार्डवेयर, लैन, नेटवर्क को आधुनिकीकरण के लिए जारी रखना। viii) आधुनिक और स्मार्ट उपकरणों को अधिकारियों को उपलब्ध कराना।	जैसे कॉलम 5 में।	2014-17	
	कुल		**17.50**				

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	कार्यक्रम योजना का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15 योजना बजट	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक	
1	2	3	4	5	6	7	8
	गैर-योजना उपशीर्ष वेतन, ओवरटाइम चिकित्सा व्यय, घरेलू मात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन और प्रचार व्यवसायिक सेवाएं और पत्रकार कल्याण इत्यादि।	पत्र सूचना कार्यालय भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करने वाली प्रमुख एजेन्सी है। पीआईबी भारत सरकार की मीडिया और संचार (इलैक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट) का प्रमुख विभाग होने की वजह से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी देने वाली एकमात्र संस्था है। कार्यालय का प्रमुख काम है लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप प्रेस व मीडिया के जरिए लोगों को समुचित जानकारी दी जाए और उसका सही अर्थ निकाला जाए ताकि आम जन का समर्थन और सद्भावना मिल सके जो सरकार का आधार है।	45.30	वेतन, एलटीसी, भुगतान, ओवरटाइम, चिकित्सा व्यय का भुगतान, यात्रा भत्ता, कार्यालय संचालन के लिए जाने वाली खरीद, रख-रखाव व्यय, आतिथ्य व्यय, व्यवसायिक और विशेष सेवा भुगतान, परामर्श शुल्क इत्यादि।	पीआईबी की इस गतिविधि में मानव संसाधन और ढांचागत पहलुओं का ध्यान रखा जाता है ताकि सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और कार्यक्रमों की सूचना का प्रसार उपयुक्त ढंग से हो सके। पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य को पूरा करता है।	निर्धारित समय सीमा पर पूरा किया गया	

प्रकाशन विभाग

वित्तीय लागत, प्रक्षेपित भौतिक प्राप्ति और परिणाम

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	लागत 2013-14			परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)	4 (III)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट					
1.	-	पत्रिकाओं और पुस्तकों को प्रकाशित करना	26.05	5.00	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन	प्रकाशित किए : 18 पत्रिकाएं 75 से अधिक पुस्तकें 120 से अधिक पुस्तक प्रदर्शनियां/ दिल्ली और दिल्ली के बाहर मेलों का आयोजन।	प्रभाग के लक्ष्य निम्न परिणामों को प्राप्त करने का है : 1) राष्ट्रीय महत्व की उन पुस्तकों को छापना जिन्हें अन्य प्रकाशन घराने नहीं छापते और उन्हें कम मूल्य पर जन साधारण को उपलब्ध कराना 2) अनेकता में एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता इत्यादि धारणा और भावना को मज़बूत बनाना और बढ़ावा देना।	पुस्तकें वार्षिक आधार पर पत्रिकाएं मासिक प्रकाशित	—

प्रकाशन विभाग

परिणाम बजट 2014-15

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	लागत 2013-14			परिमाणात्मक कार्य/ भौतिक उत्पादन	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4 (I)	4 (II)	4 (III)				
			गैर बजटीय बजट	योजना बजट					
	प्रकाशन विभाग और रोज़गार समाचार का पुनर्जीवन, उन्नयन और आधुनिकीकरण			5.00	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	विशिष्ट विषयों पर पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सौंपना	हमारे प्रकाशनों की गुणवत्ता और विषयवस्तु को सुधारना			–	अनुमानत: 4-5 पुस्तकों का प्रकाशन	राष्ट्रपति भवन शृंखलाएं	वार्षिक आधार	
2.	डिज़िटल अभिलेखागर बनाना और ईपुस्तक के प्रकाशन की तैयारी	डिज़िटीकरण और ई-पुस्तक का प्रकाशन			–	अनुमानत: 133 पुस्तकों का डिज़िटीकरण	डिज़िटल अभिलेखागार का निर्माण और ई-पुस्तक के प्रकाशन की तैयारी	वार्षिक आधार	
3.	रॉयल्टी के प्रबंधन हेतु कम्प्युटरीकरण और व्यावसायिक एकांश की व्यवसायिक गतिविधियों में बढ़ावा दे विभाग सशक्त बनाना है।	रॉयल्टी प्रबंधन के लिए कम्प्यूटरीकरण			–	कम्प्यूटरीकृत रॉयल्टी के भुगतान इत्यादि के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर लगाना	विभाग के व्यापारिक प्रबंधन को सक्षम बनाएं जबकि मानव संसाधन की कमी है। प्रकाशन और पुर्नप्रकाशन के लिए त्वरित निर्णय लेने की क्षमता	वार्षिक आधार	

4.	कार्यालय की आधारभूत संरचना का आधुनिकीकरण और रख-रखाव	आधारभूत संरचना का उन्नयन और आधुनिकीकरण		–	योजना, कुरूक्षेत्र, पुस्तक वीथिका और रोज़गार समाचार सहित सूचना भवन के नए ब्लॉक के लिए डीपीडी का स्थानांतरण और आधुनिकीकरण	आधारभूत संरचना को मज़बूत बनाने से जगह एवं मानव संसाधन और अन्य संसाधनों का भरपूर उपयोग करना	वार्षिक आधार	
5.	रोजगार समाचार को डिज़िटली उपलब्ध कराना ओर ई.एन. के डिजिटल अभिलेखागारों का निर्माण	डिज़िटली और डिज़िटल अभिलेखागारों का निर्माण		–	ईएन को डिजटल बना कर शुल्क पर उपलब्ध कराना और ईएन के पुराने अंकों का डिज़िटल अभिलेखागार तैयार करना	रोजगार समाचार को डिज़िटल बनाकर शुल्क पर उपलब्ध कराना और ई एन के पुराने अंकों का डिज़िटल अभिलेखागार तैयार करना	वार्षिक आधार शुल्क	
		कुल	**5.00**	**शून्य**				

भारत के समाचारपत्र पंजीयक का कार्यालय

गैर-योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3	4		5	6	7	8
1.	वेतन, ओटीए, स्वास्थ्य योजनाएं घरेलू यातायात व्यय, ऑफिस व्यय, प्रकाशन	विभिन्न गतिविधियों में शीर्षक पास करना, पंजीकरण, न्यूजप्रिंट के आयात के प्रमाणपत्र, अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रिंटिंग मशीन के आयात संबंधी, प्रेस इन इंडिया का वार्षिक रिपोर्ट, मुद्रण, मीडिया के विकास का रिपोर्ट	4.65	शून्य	- शीर्षक सत्यापन - पंजीकरण केस - समाचारपत्रों का प्रमाणपत्र - प्रिंटिंग मशीन को आयात करने के लिए योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया गया। अनिवार्य प्रमाणपत्र प्रिंटिंग मशीन के आयात हेतु। वितरण निरक्षण दावा आवेदकों पर निर्भर/प्रकाशकों के द्वारा अनुरोध **दस्तावेज़ों का डिज़िटाइजेशन/ आरएनआई के रिकॉर्डर्स :** रजिस्ट्रेशन रिकॉड्स जिसमें विस्तृत करीब 94000 पंजीकृत प्रकाशन, शीर्षक प्रार्थनापत्रों से संबंधित दस्तावेज़, प्रकाशकों द्वारा दाखिल घोषणापत्र आदि शामिल हैं, न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसले, महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय-समय पर जारी अध्यादेश इत्यादि को डिज़िटल	शीर्षक सत्यापन, शीर्षक पंजीकरण, प्रसार दावों के सत्यापन आदि के लिए लोग आरएनआई के मुख्यालय नई दिल्ली और आरएनआई के क्षेत्रीय कार्यालयों में ये पंजीकरण करवाते हैं और इसके आधार पर डीएवीपी से सरकारी विज्ञापन प्राप्त करते हैं। इस तरह सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों को प्रिंट मीडिया के द्वारा प्रचारित करते हैं।	जैसा कि नियम है।	लागू नहीं

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14		मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
			गैर योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1	2	3		4	5	6	7	8
			0.20	शून्य	रूप में सुरक्षित करने के लिए चिह्नित किया गया है, जिससे प्रक्रिया को सिलसिलेवार चलाने और पारदर्शिता में मदद मिलेगी और इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। **वार्षिक स्टेटमेंट्स की ई-फाइलिंग :** वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वार्षिक स्टेटमेंट्स ऑन लाइन जमा कराए जाएंगे ताकि संबंधित लोग आसानी से अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया से ज़्यादा रिटर्न भरे जा सकेंगे। **शीर्षकों/इन शीर्षकों के पंजीकृत प्रमाणपत्रों का ऑन लाइन पुष्टिकरण :** एनआईसी की मदद से ऑनलाइन शीर्षक पुष्टिकरण/पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सॉफ्टवेयर के विकास से आरएनआई के मुख्य वैधानिक कार्य व्यवस्थित हो जाएंगे। करीब 600 जिलाधिकारियों को अलग-अलग विन्डो उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पंजीकरण इत्यादि के लिए शीर्षक प्रार्थनापत्रों/दस्तावेज़ों की प्राप्ति, प्रोसेसिंग और आगे बढ़ाया जाना आसान हो जाए।	आरएनआई से त्वरित लाभ के लिए क्षेत्रीय ऑफिस में सभी विषयों जैसे शीर्षक सत्यापन, शीर्षक पंजीकरण, वितरण दावा इत्यादि का लाभ ले सकते हैं। उन्हें मुख्यालय, नई दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं।	नियमानुसार	शून्य

न्यू मीडिया विंग

वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित वास्तविक प्रतिफल एवं परिणाम

(लाख रुपये में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिमाण वितरणीय/ वास्तविक परिव्यय	प्रक्षेपित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
गैर योजना			2.49						
1.	(क) मास मीडिया के विविध पहलुओं के संबंध में सेवाएं लाना।	मास मीडिया की सावधिक सेवाओं के माध्यम से उसकी घटनाओं तथा रूझानों की सूचना एकत्र करना, उसकी व्याख्या करना और उसका प्रचार-प्रसार करना	विशष्ट रूप से कोई बजट नहीं। व्यय सामान्यत कार्यालय व्यय से किया जाता है			इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग का 5 डाक्यूमेंटेशन सेवाएं प्रारंभ करने का लक्ष्य है।	सभी वास्तविक प्रतिफलों की रूपरेखा कालम 5 में दी गई है।	समयावधि के अनुसार	कोई विशेष जोखिम नहीं।
	(ख) इंडिया-रेफरेंस एनुअल ग्रंथ का संकलन एवं संपादन	यह संदर्भ ग्रंथ देश के विभिन्न पहलुओं, उसके भूगोल,विशेषताओं, नीति, अर्थव्यंवस्थाक, समाज व संस्कृति आदि की जानकारी एक मूल्यवान स्रोत के रूप में अपना योगदान देता है।	वही			इंडिया –रेफरेंस एनुअल ग्रंथका प्रकाशन	-वही-	-वही-	कोई विशेष जोखिम नहीं
	(ग) पाक्षिक - के रूप में इवेंट्स की एक डायरी तैयार करना	मंत्रालय तथा उसकी मीडिया यूनिटों को महत्वापूर्ण दैनंदिनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अवगत कराना	-वही-			इस योजना के अंतर्गत कार्यालय का लक्ष्य 24 पाक्षिक 'डायरी ऑफ इवेंटस' निकालना है।	कालम 5 में उल्लिखित सभी वास्ताविक आउटपुट	अनुसूची के अनुसार	

गीत एवं नाटक प्रभाग

वार्षिक याजेना के 2014-15 के लिए लक्ष्य :

क्रम संख्या	परियोजनाओं/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2014-15 (रु. करोड़ में)	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण भारत के लिए लाइव कला और संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	8.00	10500

परिणाम बजट 2014-15 के अध्याय II तालिकाओं का स्वरूप

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनेक कार्यक्रमों में अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	ग्रामीण भारत के लिए लाइव कला और संस्कृति	प्रचार कार्यक्रम	-	8.00	-	10500		2014-15	

मुख्य सचिवालय सूचना क्षेत्र योजना

(क) सूचना भवन का निर्माण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम संबंधी घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में सूचना भवन चरण-V का निर्माण	सूचना भवन परियोजना की समाप्ति वित्तीय समापन	-	0.03	-	30/09/2013 को निर्माण कार्य पूरा हुआ	वित्तीय समापन के लिए आवश्यक धन अर्थात सूचना भवन परियोजना के अंतिम बिलों का भुगतान	वर्ष 2014-15	कार्य पहले ही पूरा हो चुका

(ख) नीति समन्वय प्रकोष्ठ, मीडिया ईकाइयों (प्रसार भारती के अलावा) सभी तीन क्षेत्रों में नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार सम्मेलन पुनर्मूल्यांकन इत्यादि

वित्तीय लागत, अनुमानित भौतिक निर्गम और अनुमानित परिणाम

मीडिया ईकाइयों (प्रसार भारती को छोड़कर) को शामिल करते हुए सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी अध्ययन, सम्मेलन, पनुर्मूल्यांकन इत्यादि (नई परियोजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	लागत 2014-15 (करोड़ रु. में)		परिभाषात्मक उद्धारमात्मक भौतिक निर्गत	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4		5	6	7	8
			4(i) योजना बजट	4(ii) अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय स्त्रोत				
1.	(प्रसार भारती को छोड़कर) (एमएस) सभी तीन क्षेत्रों के लिए नीति संबंधी अध्ययन, सम्मेलन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि।	- फिल्म, सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का विकास - चलचित्र, सूचना और प्रसारण क्षेत्र के संबंध में नियमत और विकास नीतियों के प्रभाव का अध्ययन एवं पुनर्मूल्यांकन - मीडिया एवं मनोरंजन विषय क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में सम्मेलन, कार्यशाला, प्रपत्रों के प्रस्तुतिमान का संचालन और भाग लेना।	0.50	—	- एमआईएस विकास - होने वाले संचालन के लिए नीति संबंधी अध्ययन - सम्मेलनों का संचालन किया जाना - जारी रहने वाली/नई परियोजनओं का मूल्य निर्धारण/पुनर्मूल्यांकन (मध्यावर्ती मूल्य निर्धारण)	1) मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों के बारे में यह वर्तमान ज्ञान आधार में योगदान करेगा इसके कार्यकलाप, विकास के प्रति इसके विरोध, वृद्धि में इसका योगदान इत्यादि 2) मंत्रालय स्तर पर यह नीति बनाने को मजबूती देने में मदद करेगा। 3) सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र के लिए यह सूचना के प्रचार में मदद करेगा		

(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

परिणाम बजट 2013-14 में परिणाम लक्ष्य

मीडिया इकाई का नाम : मुख्य सचिवालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परिव्यय (2014-15)	वास्तविक आउटपुट	प्रक्षेपित परिणाम	टिप्पणी/जोखिम तत्व
1.	मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	3.00	भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) के अधिकारियों को विभिन्न देशी और विदेशी प्रशिक्षणों में नामित किया गया।	विभिन्न मीडिया एककों के प्रभावशाली संचालन के लिए क्षमता का विकास, अधिकारियों की क्षमता तथा कौशल का उन्नयन।	कोई विशिष्ट जोखिम नहीं।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

योजना का नाम :

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	परिणाम	भौतिक उपलब्धि	परियोजना परिणाम	टिप्पणी
	अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	0.34	कार्यशाला में भागीदारी, सेमिनार। प्रशिक्षण मीटिंग कॉन्फ्रेंस	मीडिया कॉर्पोशन के क्षेत्र में प्रोत्साहन और समझदारी बढ़ाना।	निमंत्रण पर अधिकारी का विदेशों का दौरा। नामांकन और स्वीकृति प्राप्त अधिकारी का नामांकन

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

योजना

I. योजना का नाम : आधुनिकीकरण उन्नयन और सीबीएफसी का विस्तार और प्रमाणन प्रक्रिया

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
i.	**घटक** फिल्मों के आवेदन और प्रमाणन के लिए आनलाइन सॉफ्टवेयर विकास और हार्डवेयर जुटाना	सीबीएफसी, मुंबई और क्षेत्रीय कार्यालयों में सॉफ्टवेयर, आधुनिक तकनीक और हार्डवेयर का इस्तेमाल।	7.01	2.00	शून्य	1) उचित समाधान के साथ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 2) एमपीएलएस/वीपीएन इंटरनेट सेवा का उन्नयन 3) वेबसाइटऔर हार्डवेयर का उन्नयन	1) प्रणाली का आसानी से चलना और आधुनिक प्लेटफार्म तैयार करना	वार्षिक आधार	कम्प्यूटर पर काम प्रत्येक क्षेत्रीय ऑफिस में बढ़ाया जा रहा है।
	घटक डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम और डिजिटल थियेटर- सभी सीबीएफसी कार्यालयों के लिए	प्रोजक्शन प्रणाली का चार कार्यालयों और सभी डिजिटल थियेटरों के लिए डिजिटिलाइजेशन				डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम	डिजिटल फिल्म में प्रदर्शन से सीबीएफसी अधिक राजस्व कमा सकता है। यातायात के समय की बचत	वार्षिक आधार	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	घटक सीबीएफसी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता।	सीबीएफसी मुंबई और क्षेत्रीय दफ्तरों में अतिरिक्त स्थान जुटाना।				सीबीएफसी के मूलभूत ढ़ांचे का उन्नयन—मुंबई और अन्य क्षेत्रीय ऑफिस में	फिल्मों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फाइल, सीडी फिल्मों के कट्स इत्यादि रखने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता है।	वार्षिक आधार	

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम		परिव्यय 2014-15		मात्रात्मक परिणाम/ भौतिक आउटपुट	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया/ टाइम लाइन	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
ii. योजना का नाम मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण स्कीम (फिल्म मीडिया के लिए मानव संसाधन विकास)									
ii.	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण योजना	सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के बोर्ड सदस्यों, सलाहकार पैनल सदस्यों के लिए कार्याशालाए/सेमिनार आयोजित करना। सीबीएफसी के ए, बी और सी वर्गों के अधिकारियों का प्रशिक्षण		0.25		**बोर्ड सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए त्रैमासिक कार्याशालाएं/ सेमिनार आयोजित करना** क. विभिन्न देशों में प्रमाणन की प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए वरिष्ठ मूल्यांकन अधिकारियों का प्रशिक्षण ख. मध्य स्तरीय प्रबंधन वाले क्षेत्रीय अधिकारियों का भारत और अन्य देशों में विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण ग. मूल्यांकन अधिकारियों के लिए डाक्युमेंटरी एप्रिसिऐशन कोर्स घ. बी ओर सी वर्ग के अदिकारियो के लिए लेखा, प्रशासन और बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण	क. विभिन्न देशों में प्रमाणन की प्रवृत्तियों की जानकारी के लिए वरिष्ठ मूल्यांकन अधिकारियों का प्रशिक्षण ख. मध्य स्तरीय प्रबंधन वाले क्षेत्रीय अधिकारियों का भारत और अन्य देशों में विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण ग. मूल्यांकन अधिकारियों के लिए डाक्युमेंटरी एप्रिसिऐशन कोर्स घ. बी ओर सी वर्ग के अदिकारियो के लिए लेखा, प्रशासन और बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण		

बाल फिल्म समिति, भारत

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	लागत 2014-15			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2011-12)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम घटक
	1	2	3			4	5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत	भौतिक बजट			
1	**सीएफएसआई के एनसीएफएम का संगठन**	1) **उद्देश्य:** फिल्म-निर्माताओं के रूप में बच्चों के विकास और प्रोत्साहन के लिए एक मंच उपलब्ध कराना 2) बच्चों के बीच विचारों का आदान-प्रदान ताकि भारतीय बच्चों के सामने भारत में व्याप्त सांस्कृतियों का सर्वश्रेष्ठ उजागर हो सके। 3) **परिणाम :** एक एनसीएफएम और सीएफएसआई चलचित्रों की गुणवत्ता उद्भाव		1.15	शून्य	एक एनसीएफएफ का आयोजन 2014-15 को होगा	1) **उद्देश्य:** फिल्म निर्माताओं के रूप में बच्चों के विकास और प्रोत्साहन के लिए एक मंच उपलब्ध कराना। 2)हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों के बीच विचारों का आदान-प्रदान और भारत में व्याप्त संस्कृतियों के सर्वश्रेष्ठ से बच्चों को रू-ब-रू कराना	31.12.14	
2	**आईसीएफएफ में भाग लेना**	1) **उद्देश्य:** विदेशी फिल्म महोत्सवों में भाग लेने का उद्देश्य सीएफएसआई चलचित्रों के बारे में जागरुकता पैदा करना है और सीएफएसआई फिल्मों की मार्केटिंग तथा सह-निर्माण की संभावना को भी तलाशना है। 2) **परिणाम :** चलचित्रों की मार्केटिंग के लिए 15 आईएफएफ में सीएफएसआई और आईएफएफ में सीएफएमआई अधिकारियों को शामिल होना और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सह-निर्माणों के लिए प्रस्ताव		1.10	शून्य	15 मान्यताप्राप्त आईसीएफएफ में भाग लेना	संभावित चलचित्र निर्माताओं के साथ मार्केटिंग और सह-निर्माण की संभावना तलाशना	31.3.2015	मान्यताप्राप्त विदेशी महोत्सवों की अनुकूलता पर निर्भर

विभिन्न भारतीय भाषाओं में चलचित्रों और वृत्तचित्रों का निर्माण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम (चालू योजनाएं)	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्देश्य/परिणाम	लागत 2014-15			वास्तविक प्रतिफल/ मात्रात्मक परिणाम (2011-12)	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/जोखिम घटक
	1	2	3			4	5	6	7
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट स्त्रोत	भौतिक बजट			
1	**स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी**	1) **उद्देश्य:** राज्य और ज़िला प्रशासनों, नेहरू युवा केन्द्रों, एनजीओज़ की मदद से पूरे देश में बच्चों तक पहुंच बनाना और हमारे चलचित्रों का स्कूलों तथा अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करना 2) बच्चों के बीच विचारों का आदान-प्रदान ताकि भारतीय बच्चों के सामने भारत में व्याप्त सांस्कृतियों का सर्वश्रेष्ठ उजागर हो सके। उत्तर पूर्व के लिए आबंटन	शून्य	2.25	शून्य	13,500 शोज़ आयोजित करना जिससे 68 लाख से बच्चे लाभांवित हो सकें	देश के सुदूर इलाकों को शामिल करते हुए जहां तक संभव हो अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचना	31.03.15	राज्य/ज़िला अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं विवरणों पर आधारित हैं
2	**बाल चलचित्रों का निर्माण (सीएफएसआई)**	1) **उद्देश्य:** चलचित्रों के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा तथा स्वस्थ्य मनोरंजन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। 2) **परिणाम :** 3 फीचर चलचित्रों और 2 लघु/एनिमेशन चलचित्रों का निर्माण, प्रमुख भारतीय भाषाओं में 12 चलचित्रों को उब करना, पुरस्कार प्राप्त 2 चलचित्रों की खरीद और चलिचत्र प्रसार के लिए 30 प्रिंट्स बनाएं उत्तर पूर्व के लिए अनुदान	शून्य	9.00	शून्य	3 फीचर चलचित्रों एवं 2 लघु/एनिमेशन चलचित्रों का निर्माण, प्रमुख (बड़ी) भारतीय भाषाओं में 12 चलचित्रों को डब करना, पुरस्कार प्राप्त 2 चलचित्रों की खरीद और चलचित्र प्रसार के लिए 30 प्रिंट्स बनाना	हमारे उद्देश्यों पर आधारित मकसद के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में बच्चों के चलचित्रों की उपलब्धता बनाना।	31.3.2015	बाल फिल्म निर्माण की कक्षा को बढ़ावा देने को विकसित करना और विभिन्न भारतीय भाषाओं में डबिंग/उपशीर्षकों के ज़रिए थे। बड़े पैमाने पर बाल दर्शकों तक पहुंच बनाना। फिल्म के चुनाव में रखे गए प्रस्तावों में गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जा सकता सिर्फ क्षेत्र विशेष के लिए आबंटन के उद्देश्य से कर सकते हैं।
	वेतन		**2.70**	**शून्य**					
	कुल		**2.70**	**13.75**					

फिल्म समारोह निदेशालय

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम परिणाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2014-15			निर्धारित वितरणीय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	स्थापना संबंधी व्यय	वेतन, भत्ते, ओई, डीटीई आदि	2.66	-	शून्य				
2.	लघु कार्य	सीरीफोर्ट सांस्कृतिक परिसर का रखरखाव	6.00	-	शून्य	कला संस्कृति तथा सिनेमा के क्षेत्र में प्रदर्शन के लिये सभागार सुसज्जित करना तथा किराये पर देना	अच्छे रखरखाव और सुविधाओं से बेहतर उपयोग, और किराये से राजस्व में वृद्धि	एक वर्ष	-
3.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	समृद्ध और विविधता भरी भारतीय संस्कृति को विश्व भर में फैलाना और विदेशों में भारतीय सिनेमा की दर्शक संख्या बढ़ाना	0.22	-	शून्य	सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत भारत और विदेशों में 6फिल्म समारोहों का आयोजन	भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के तहत विदेशों के साथ संबंध मजबूत करना	सीईपी का वर्ष भर आयोजन	-
4.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	भारत में निर्मित फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना कर के अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना.सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना	3.50	-	शून्य	03 मई 2013 को 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2013 के लिये जूरी की स्क्रीनिंग	भारतीय सिनेमा की असाधारण प्रतिभाओं को पहचान और प्रोत्साहन देना	एक वर्ष	-
		कुल	**12.38**						

फिल्म समारोह निदेशालय

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम परिणाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2013-14			निर्धारित वितरणीय/ भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	फिल्म क्षेत्र में अवयव सुधार के तहत सीरीफोर्ट ऑडिटोरिया में ढांचागत विकास कार्यक्रम (योजना पूंजी)	सीरीपोर्ट परिसर का नवीकरण और सुविधा सुधार, ताकि अंतरराष्ट्रीय मानक सुनिश्चित हो	-	5.00	शून्य	सीरीफोर्ट ऑडिटोरिया को आधुनिक प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑडियो-लाइट सिस्टम के उपकरणों से सुसज्जित करना और परिसर का समग्र विकास करना	सुविधाओं के बाद ऑडिटोरिया परिसर का बेहतर उपयोग होगा और किराये से राजस्व मिलेगा	जैसा पहले	-
	कुल		-	**5.00**					

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे

परिणाम/लक्ष्य बजट परिणाम 2014-15 के लिए (नॉन प्लान)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ नतीजे	परिव्यय 2014-15 (रु. करोड़ों में)			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे को सहायता अनुदान (गैर योजना)	गैर योजना के आवंटन के उद्देश्य के तहत अध्यापक, तकनीकी और प्रशासनिक स्टॉफ के वेतन और भत्ते, बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों का रखरखाव और संस्थान का रोजमर्रा का संचालन, प्रोजेक्ट वर्क पर होने वाले खर्च सहित पाठ्यक्रमों के संचालन और समापन पर खर्च।	21.01			अध्यापक, तकनीकी और अन्य स्टाफ के वेतन और भत्ते, बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों के रखरखाव और संस्थान का रोजमर्रा का संचालन प्रोजेक्ट वर्क पर होने वाले खर्च सहित पाठ्यक्रमों के संचालन और समापन पर खर्च।	पूरी तरह प्रशिक्षित छात्र तैयार करने के लिये संस्थान में शिक्षकों, तकनीकी और सहायक स्टॉफ की पर्याप्त संख्या बरकरार रखना, उपकरण और बुनियादी सुविधायें पूरी तरह काम करने लायक स्थिति में रखना। अकादमिक वर्ष 2014-15 के दौरान 160 छात्र, जिनमें वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के दो फिल्म बैच के छात्र अभिनय, कला निर्देशन, टेलीविजन के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के नियमित छात्रों के	खर्च विशिष्ट लक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा। कम से कम निर्धारित अकादमिक लक्ष्य पूरे किये जायेंगे	लक्ष्यों की सफल पूर्ति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

							साथ भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से पास होकर निकलेंगे।		
2.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे को सहायता अनुदान-. भारतीय फिल्मएवं टेलीविजन संस्थान में सुधार और आधुनिकीकरण के लिये	शिक्षा का स्तर बढ़ाने के मद्देनजर अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं जुटाना, मौजूदा सुविधाओं में सुधार और आधुनिक तकनीक हासिल करना		25.00		उपकरणों की खरीद, आवासीय क्वाट्र्स का निर्माण, कला कार्यशाला, बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी अन्य गतिविधियों की निविदा प्रक्रिया की योजना/समापन	प्रस्तावित नव निर्माण और सुधार गतिविधियां भविष्य में संस्थान को फिल्म, टेलीविजन और मीडिया टैक्नॉलोजी में आधुनिक विकास के अनुरूप बेहतरीन बुनियादी सुविधाएं और छात्रों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करायेंगी।	संस्थान की वार्षिक कार्य योजना के आधार समय सीमा निर्धारित की गई है और उसका अनुसरण किया जाएगा	1) योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2) संवैंधानिक मंजूरी मिलने पर 3) संस्थान के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारक पर
3.	सहायता अनुदान सामान्य- फिल्म मीडिया के लिये मानव संसाधन विकास			0.45		छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिये सेमिनार, कार्यशाला और मास्टर क्लासिज का आयोजन	आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिये छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास	संस्थान द्वारा तैयार कैलेंडर के आधार पर अलग कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन	
		कुल	**21.01**	**25.45**					

फिल्म प्रभाग

(गैर-योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्पादन	उत्पादन का मुख्य है लक्ष्य लोगों को सूचित ,जागरूक, प्रोत्साहित तथा सांस्कृतिक बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार की जरूरतों के अनुसार वृत्त चित्र,एनिमेशन तथा लघु फिल्मों का निर्माण। देशभर के लोगों तथा संस्थाओं को उनकी जरूरत के अनुसार वीसीडी फॉरमेट में लघु फिल्मों, एनिमेशन, वृत्त चित्र की बिक्री तथा वितरण सुनिश्चित करना।	14.46	36 फिल्में	सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सूचना, शिक्षा एवं प्रेरणा तथा महत्वपूर्ण मसलों के बारे में जानकारी का प्रसार होगा।	1-4-2014 से 31-3-2015	अनुमान है कि अधिक से अधिक वृत्त चित्रों का निर्माण होगा। बाहरी निर्माता और इन-हाउस निर्माता इसमें भागीदारी करेंगे। हालांकि निजी एजेंसियां प्रदर्शकों से 1 प्रतिशत से कम किराया ले रही हैं, जोखिम की बात है।
2	थिएटरों में वृत्त चित्रों का वितरण	परिणाम प्रदर्शकों से वसूले जाने वाला किराया होने, राजस्व प्राप्ति सिर्फ स्टॉकशाट्स और वीसीडी आदि की बिक्री से होगी। स्टॉक शॉट्स की बिक्री केवल मुंबई स्थित मुख्यालय से होगी।	20.49	10000 थिएटर/ सिनेमा घरों में वितरण	1.4.2014 से 31.3.2015 तक	थिएट्रिकल रिलीज वृत्त चित्र-2	थिएटरों को वृत्त चित्रों का वितरण
3	प्रशासन	प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादन एवं वितरण प्रकोष्ठों की निगरानी करना है। हालांकि, कार्मिकों की परिणति विभिन्न परियोजनाओं और उत्पादन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में हो रही है।	5.22	फिल्म प्रभाग के कार्यकलापों तथा कार्मिकों के सेवा मामलों के प्रशासन के लिये तथा कार्मिकों का कारगर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिये उनकी तैनाती	संगठन का कुशल कामकाज	1.4.2014 तक 31.3. 2015 प्रशासन	प्रशासन से संबंधित खर्च
		कुल	**40.18**				

फिल्म प्रभाग

(योजना)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र,लघु और एनिमेशन फिल्म समारोह	मुख्य उद्देश्य मुंबई में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय वृत्तचित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्म समारोह का आयोजन। 12वीं योजना अवधि में 2 फिल्म समारोह।	0.25	3-9 फरवरी 2014 के दौरान आयोजित 13 वें एमआईएफएफ 2014 के बचे हुए काम पूरे करना और एफआईएफएफ में पुरस्कार जीतने वाले फिल्मों का राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन आयोजित करना। आयोजना योजना को अंतिम रूप देना तथा राशि जारी कराने के लिये जरूरी मंजूरी प्राप्त करना।	एमआईएफएफ 2014 में पुरस्कार जीतने वाले फिल्मों का राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन आयोजित करना।	1.4.2014 से 31.3.2015	एमआईएफएफ द्विवार्षिक फिल्म समारोह है, जिसके लिये दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं से तथा विख्यात जूरी की सिफारिशों के आधार पर प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रतियोगियों को पुरस्कारों से नवाजा जाता है।
2	फिल्म आर्काइव की वैबकास्टिंग	फिल्म प्रभाग की आर्काइवल फिल्मों के संग्रह को भावी पीढ़ी के लिये डिजिटल फॉर्मेट में संरक्षित रखना। और उन तक जनता की पहुंच बनाने के लिये उन्हें अपलोड करना।	1.00	फिल्मों को डिजिटल फॉर्मेट में ढालना और फिल्म प्रभाग की फिल्मों तक जनता की पहुंच बनाने के लिये उनकी वैबकास्टिंग करना।	इससे फिल्म प्रभाग की फिल्मों का संरक्षण तथा उनकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी।	1.4.2014 से 31.3.2015	
3	वृत्तचित्रों का निर्माण	देश में फिल्म निर्माण की प्रतिभा का उपयोग करना और देश के फिल्म निर्माताओं के काम का प्रदर्शन करना। नवोदित/प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं को अवसर प्रदान करना.	5.00	आयोजना योजना को अंतिम रूप देना तथा राशि जारी कराने के लिये जरूरी मंजूरी प्राप्त करना।	-प्रतिभाशाली निर्माताओं की भागीदारी के साथ देश में वृत्त चित्र फिल्म निर्माण आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिये .	-वृत्त चित्र फिल्म प्रस्ताव समाचार पत्रों और फिल्म प्रभाग की वैबसाइट पर दिये विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
					प्राप्त किये गये प्रस्तावों पर सरकार द्वारा गठित समिति विचार करती है और बाद में लागत समिति द्वारा जांच की जाती है और आखिरकार फिल्म प्रस्तावों का चयन किया जाता है। चुनिंदा फिल्मों के निर्देशकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किये जाते हैं और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।		
4	भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय (एनएमआईसी) की स्थापना	-सिनेमा के माध्यम से उजागर हुए भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहास को संजोना, समाज पर सिनेमा के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान केंद्र विकसित करना, आंगतकों/फिल्म प्रेमियों के लाभार्थ विख्यात निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थानों आदि के कार्य को प्रदर्शित करना, वृत्त चित्र फिल्म आंदोलन के क्षेत्र की ओर भावी पीढ़ी में दिलचस्पी जगाना	1.00	फिल्म प्रभाग, मुम्बई में संग्रहालय की स्थापना करना, जो दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय सिनेमा के इतिहास को अभिव्यक्त करेगा और महत्वपूर्ण शिल्पकृतियों को प्रदर्शित करेगा।	सिनेमा को समर्पित संग्रहालय की स्थापना	अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य जारी है। एमसीजीएम ने सीआरजेड प्रस्ताव मंजूर कर दिये हैं। फिल्म प्रभाग की दोनों इमारतों में अग्निशमन कार्य प्रगति पर है। गलियारों के डिजाइन की धारणा को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1) मुम्बई, नई दिल्ली में फिल्म प्रभाग की इमारत के बुनियादी ढांचे में सुधार तथा 2.) फिल्म प्रभाग के उपकरण का अधिग्रहण	फिल्म प्रभाग की परिसर की मौजूदा इमारत 30 से 40 साल पुरानी है । कार्मिकों और जगह के सर्वोत्तम इस्तेमाल के लिये उसमें कुछ मरम्मत/सुधार किये जाने की तत्काल जरूरत है। नयी दिल्ली के महादेव रोड स्थित फिल्म प्रभाग की इमारत की भी मरम्मत और जीर्णोद्धार का कुछ काम पूरा किये जाने की सख्त जरूरत है मसलन मुम्बई और दिल्ली में सिविल और इलैक्ट्रिकल कार्य तथा उपकरणों की खरीद।	3.00	फिल्म प्रभाग, मुम्बई की मौजूदा इमारत और नई दिल्ली में सभागार का जीर्णोद्धार।	फिल्म प्रभाग, मुम्बई की मौजूदा इमारत और नई दिल्ली में सभागार का जीर्णोद्धार।	नयी योजना	अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ने पर उन्हें आरई में दर्शाया जाएगा।

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	रूपरेखा 2014-15			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धताएं	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
	नई योजनाएं								
1.	पुरातत्वीय चलचित्रों और चलचित्र सामग्री का अधिग्रहण	संरक्षण हेतु चलचित्रों का अधिग्रहण	शून्य	2.00	शून्य	70 चलचित्रों/डीवीडी और अनुषंगिक चलचित्र सामग्री का अधिग्रहण	चलचित्रों का अधिग्रहण और संरक्षण	2014-15	
2.	जयकर बंगले को शामिल करते हुए एनएफएआई की आधारभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना	भावी जरूरतों के लिए वर्तमान आधारभूत संरचना का उत्थान और पुरातत्वीय गतिविधियों के बहेतर प्रबंधन के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाना	शून्य	5.00	शून्य	चरण I और I I पुरातत्वीय गतिविधियों के बेहतरी के लिए वातानुकूल उपकरणों, डीजीसेट, अग्निशमन प्रणाली इत्यादि को बदलने को शामिल करते हुए वर्तमान आधारभूत संरचना के उन्नयन की शुरुआत किया जाना	प्रबंधन के लिए वर्तमान आधारभूत संरचना का उन्नयन	2014-15	

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

परिणाम/लक्ष्य 2014-15 (गैर-योजना)

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान (गैर योजना)	गैर योजना के आवंटन के उद्देश्य के तहतअध्यापक, तकनीकी और प्रशासनिक स्टॉफ के वेतन और भत्ते, बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों का रखरखाव और संस्थान का रोजमर्रा का संचालन, प्रोजेक्ट वर्क पर होने वाले खर्च सहित पाठ्यक्रमों के संचालन और समापन पर खर्च, फिल्म एवं टेलीविजन शिक्षा के लिये सही वातावरण तैयार करना	10.89			निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, सम्पादन और साउंड डिजाइन साथ ही साथ फिल्म निर्माण से जुड़े विषय का प्रशिक्षण	2015 के बाद से मुख्य पाठ्यक्रमों यानी- निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, सम्पादन , साउंड रिकार्डिंग और निर्माण के करीब 60 छात्र तैयार करना	अंतिम वर्ष के बैच (2009-13 सत्र के नौंवें बैच) के 36 छात्र अपना अंतिम प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इस अवधि में 30 मिनट की 10 लघु फिल्में (डिप्लोमा फिल्में) बनाई जाएंगी। जूनियर बैच (2011-14 सत्र का 10वां बैच, 2012-15 सत्र का 11वां बैच और 2013-16 सत्र का12वां बैच) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रॉजेक्ट वर्क्स सहित अपने पाठ्यक्रमों का अध्ययन करेंगे। इस अवधि के दौरान छात्रों के नए बैच (2014-17 के 13वें बैच)का दाखिला होगा।	राशि की उपलब्धता

2.	सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान- सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में बुनियादी सुविधाओं का विकास (योजना)	शिक्षा का स्तर बढ़ाने के मद्देनजर अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं जुटाना, मौजूदा सुविधाओं में सुधार और आधुनिक तकनीकी हासिल करना		16.00		बुनियादी सुविधाओं के विकास में निर्माण से जुड़ी कई गतिविधियां और मौजूदा बुनियादी ढांचे और उपकरणों में सुधार लाया जाएगा, जिनमें छात्राओं के लिये छात्रावास, सम्पादकीय विभाग के लिये नई इमारत और क्लास रूम थिएटर का निर्माण, मुख्य थिएटर का उन्नयन और आधुनिक तकनीक अपनाने के लिये उपकरण प्राप्त करना शामिल है।	प्रस्तावित नव निर्माण और सुधार संबंधी गतिविधियां भविष्य में संस्थान को फिल्म, टेलीविजन एवं मीडिया टैक्नॉलोजी में आधुनिक विकास के अनुरूप बेहतरीन बुनियादी ढांचा तथा छात्रों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध करायेंगी।	ए) निर्माण कार्य का डिजाइन एवं नियोजन बी) लोक निर्माण एवं इलैक्ट्रिल कार्य (सीसीडब्ल्यू द्वारा किया जाने वाला) (1)छात्राओं के छात्रावास की इमारत नींव और ग्राउंड फ्लोर के निर्माण का कार्य पूरा करना (2) थिएटर की इमारत की नींव और ग्राउंड फ्लोर के निर्माण का कार्य पूरा करना (3) सम्पादकीय विभाग की नई इमारत की नींव और ग्राउंड फ्लोर के निर्माण का कार्य पूरा करना (4) टीवी विंग का डिजाइन और योजना और उसका निर्माण शुरू करानासी) उपकरणों की खरीद और उन्हें लगानाडी) नियोजित प्रोजेक्ट का चरणबद्ध प्रशिक्षण समयबद्ध रूप से पूरा करना	1) योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। 2) सवैंधानिक मंजूरी मिलने पर 3) संस्थान के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारक पर
3	सहायता अनुदान सामान्य- फिल्म मीडिया के लिये मानव संसाधन विकास			0.30		छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिये सेमिनार, कार्यशाला और मास्टर क्लासिज का आयोजन	आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिये छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास	संस्थान द्वारा तैयार कैलेंडर के आधार पर अलग कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन	
		कुल	**10.89**	**16.30**					

मुख्य सचिवालय फिल्म विंग योजना

(क) एंटी पायरेसी पर पहल

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2014-15			निर्धारित/ वितरणीय भौतिक परिव्यय	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम का घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	एन्टी पाइरेसी पहल	पाइरेसी से निपटने के लिये प्रभावी कानूनी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है साथ ही अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की भी जरूरत है। उपभोक्ता ही तरह-तरह की पाइरेसी में निष्क्रिय भागीदारी निभाते हैं, इसलिये 12वीं योजना के दौरान एक प्रभावशाली और मल्टी मीडिया प्रचार सहित व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाएगा जिसमें फिल्म और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को शामिल किया जायेगा। यह भी महसूस किया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर पाइरेसी के प्रभाव का सटीक आकलन करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम और अनुसंधान तथा विकास गतिविधियां चलाने की भी जरूरत है।	—	0.45	—	1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया 2. अधिकृत अधिकारियों से अनुमति प्राप्त की गई 3. सार्वजनिक निजी रणनीतियों विशेषकर पाइरेसी से निपटने के लिये मल्टीमीडिया प्रचार की शुरूआत हुई	एंटी पायरेसी के प्रति जागरूकता लाने के लिए पहल	स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप विविध गतिविधियों का आयोजन	

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2013-14			परिमाणकीय/ हस्तांतरणीय वास्तविक प्रतिफल	लक्षित परिव्यय	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3		4		5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर-योजना बजट	योजना बजट	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
3.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	''प्रिजर्वेशन विदाउट एरर्स, एक्सेज विदाउट एंड'' के लक्ष्य के साथ निर्मित फिल्मों का अभिलेखीकरण	-	4.70	-		राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का लक्ष्य अपनी फिल्मी विरासत को संरक्षित करना है।	2014-15	.

(ग) फिल्म सामग्री का विकास, संचार तथा प्रसार

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/ परिणाम	रूपरेखा 2014-15			मात्रात्मक वास्तविक प्रतिफल/ भौतिक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/ समाबद्धताएं	टिप्पणी/ जोखिम तत्व
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट	प्रोत्साहनकारी अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	भारत तथा विदेशों में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय फिल्मों का प्रचार	फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में अच्छी भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहन, देश में वृत्तचित्रों को बढ़ावा देना, बेहतरीन बाल फिल्मों को प्रोत्साहन देना। सभी प्रमुख फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्मों की बेहतर सदृश्यता देना और फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों के लिए अधिक अवसरों को देना।	शून्य	15.00	शून्य	संबंधित मीडिया ईकाई के अध्याय में समाहित	चलचित्रों का अधिग्रहण और संरक्षण	2014-15	
2.	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण एवं संग्रहण	उत्कृष्ट वृत्तचित्रों, बाल फिल्मों और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन		30.00					
3.	फिल्म अभिलेखों का वेबकास्ट	फिल्म प्रभाग की पुरानी फिल्मों को दर्शकों में प्रदर्शित करने के लिए वेबकास्ट करना		1.00					
4.	फिल्मों और फिल्म सामग्रियों का अधिग्रहण	फिल्मों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय द्वारा फिल्मों-फिल्म सामग्रियों के संरक्षण हेतु उनका संग्रहण करना		2.00					
				48.00					

(घ) राष्ट्रीय एनीमेशन गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए उत्कृष्टता केन्द्र

(करोड़ रुपये में)

1.	विदेशी फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी (भारत और विदेश में फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों में भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना योजना के उप-घटक के रूप में)	भारतीय फिल्मों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और भारतीय फिल्मों के लिए बाजार का विस्तार करने के लिए फिल्मों को एक उद्योग के रूप में मजबूती प्रदान करना	-	3.00	-	भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देना, निर्माताओं और खरीददारों को नेटवर्किंग और विविध द्विपक्षीय दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण में समझौतों में भाग लेने के लिये मंच प्रदान करना वित्त वर्ष में सभी महाद्वीपों के प्रमुख फिल्म समारोहों/बाजारों में भागीदारी	भारतीय फिल्में विश्व बाजार में अधिक से अधिक दिखाना तथा भारतीय फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देना	2014-15 में वितरण योग्य	.
2	ऐनिमेशन, गेमिंग और इफेक्टस के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना	कार्मिकों की समस्या के समाधान के लिए ऐनिमेशन गेमिंग और स्पेशल इफेक्ट्स में उत्कृष्टता के लिए सरकारी-निजी भागीदारी में केन्द्र की स्थापना	-	5.00	-	1) निजी भागीदार का चयन 2) केंद्र के संचालन के लिये एसवीपी/जेवी का गठन/ पंजीकरण 3) संस्थान के संचालन तंत्र की व्यवस्था करना 4) योजना आयोग डीपीआर को तैयार एवं मंजूर कर चुका है। 5) योजना के लिये ईएफसी ज्ञापन परिव्यय एवं योजना आयोग को वितरित किया जा चुका है।	चालू वित्त वर्ष में मंजूरी की प्रक्रिया पूर्ण करने की स्थिति में होना	-	-

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक योजना बजट के अंतर्गत 20.00 करोड रुपए और गैर-योजना बजट के अंतर्गत 4.07 करोड रुपए का प्रावधान रखा गया है । निर्धारित फार्मेट में ब्यौरा निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समय सीमा	टिप्पणी जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	इलेक्ट्रानिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र (ईएमएमसी) का सुदृढ़ीकरण	ईएमएमसी की स्थापना का उद्देश्य केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों में निहित कार्यक्रमों और विज्ञापनों की मानीटरिंग, निजी एफएम चैनलों के कार्यक्रमों की मानीटरिंग था । इस समय केंद्र में 300 चैनलों की रिकार्डिंग की सुविधा है । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी क्षमता बढ़ाकर 1500 टीवी चैनल कर दी जाएगी । केंद्रीकृत एफ एम और सीआरएस निगरानी कार्यविधि की भी स्थापना की जाएगी ।	4.07	20.00	पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित। कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधन नहीं।	सूचना भवन के दसवें तल में बदलाव लाना और नेटवर्किंग का कार्य करवाना ii- 600 टीवी चैनलों की रिकार्डिंग और मानिटरिंग व्यवस्था को चालू करना, iii- 250 निजी एफएम चैनलों में केंद्रीकृत मानीटरिंग सुविधा की योजना, डिजाइन तथा चालू करना, iv- सीआरएस में केंद्रीकृत मानीटरिंग सुविधाके लिए योजना, डिजाइन और चालू करने के कार्य को अंतिम रूप देना ।	ईएमएमसी लगभग 600 टीवी, 100 एफएम और 100 सीआरएस चैनलों की सामग्री की निगरानी और रिकार्डिंग करेगा । यह केंद्र, सरकार को यह सुनिश्चित करने के विधायी कार्य को करने में सक्षम करेगा कि टीवी में प्रसारित होनेवाली सामग्री केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेगुलेशन) एक्ट, 1995 में शामिल कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अनुरूप है । रेडियो में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एआईआर कोड और लागू होनेवाले नियमों की अनुरूपता सुनिश्चित करने की भी निगरानी करेगा ।	अंतिम सूची इस प्रकार है- i- अगस्तू 2014 ii- नवंबर 2014 iii- मार्च 2015 iv- फरवरी 2015	एक बहुजाति/ भाषा-भाषिक समुदाय में ईएमएमसी की स्टेट ऑफ आर्ट सुविधा टीवी और एफएम तथा सीआरएस चैनलों की प्रसारण सामग्री की निगरानी करने का सार्थक माध्यम होगा ।

प्रसार भारती

आकाशवाणी

वार्षिक योजना (2014-15)

(करोड़ रुपये में)

क्रम	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	आबंटन 2014-15 योजना बजट	खर्च 31.12.2013 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.13 तक)	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	योजना -1 प्रसारण ढांचागत नेटवर्क विकास (जारी)							
1	**वर्तमान नेटवर्क का डिजिटलीकरण (पूंजी)**	प्रसारण गुणवत्ता में सुधार, डिजिटलीकरण द्वारा रिकोडिंग और कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाने के लिये, डिजिटलीकरण और स्वचलीकरण द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं को किराये पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना						
1.1.	**ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण**							
क	**मीडियम वेव ट्रांसमीटर (जारी)**		90.00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
i	राजकोट में 1000 KW MW TR की 1000 KW MW DRM ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना				राजकोट में 1000 KW MW ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी भुगतान नहीं हुआ	Q 1-भुगतान नहीं हुआ		
ii	कावरत्ती में 1 kw MW TR की 10kW MW डिजिटल सक्षम ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना				5. कावरत्ती - 10 KW MW ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी	Q 1- स्थापना पूरी और भुगतान		
					कावरत्ती में हॉस्टल का निर्माण	Q 1.-कार्य प्रगति पर और भुगतान		
iii	चिनसूरा (प.बं) में 1000 kw MW TR की 1000 kW MW DRM ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना				4. चिनसुरा 1000 KW MW ट्रांसमीशन स्थापित	लंबित कार्य और भुगतान		
iv	6 स्थानों पर 20 kW MW ट्रांसमीटर (दिल्ली VB, बाड़मेर एवं बीकानेर (राज.), चेन्नई (तमि.) VB, गुवाहाटी 'B', तवांग)				बकाया भुगतान और बचे खुचे काम किए जाने	Q 1/Q2 - बकाया काम और भुगतान		
v	•100 KW -12 संख्या में विजयवाड़ा (आं.प्र.), पटना(बिहार),पणजी(गोवा),रांची (झार.), मुंबई *A*				1. 100 kW MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य रु. 43.00 करोड़)	Q1- बकाया उपकरणों का निरीक्षण, इन्सटालेशन की प्रगति Q2- सभी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, इन्सटालेशन की प्रगति Q3, Q4- सभी ट्रांसमीटर लगाया जाना	AT स्थापित (नवंबर 2012 में), डी पी 12 महीने में, बकाया ट्रांसमीटरों का निरीक्षण चल रहा है	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
vi	•200 KW -10 संख्या में दिल्ली *A*,अहमदाबाद (गुज.),बंगलुरु एवं धारवाड़ (कर्ना.), जबलपुर(म.प्र.), अजमेर (राज.), चेन्नई *A*(तमि.), सिलिगुड़ी, कोलकाता'ठ'(पं.बं., तथा इटानगर (100 kw MW के स्थान पर 200 kw MW DRM की प्रतिस्थापना)				100 kW MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य :रु. 49.51 करोड़)	क्यू 1- बकाया ट्रांसमीटरों की जांच, लगाए जाने का कार्य क्यू 2-सभी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति और लगाया जाना क्यू 3 एवं क्यू 4-सभी ट्रांसमीटर लगाया जाना	AT स्थापित (नवंबर 2012 में), डी पी 12 महीने में, सभी ट्रांसमीटरों का निरीक्षण पूरा, ट्रांसमीटर भेजने का काम पूरा हो रहा है	
vii	• 300 KW -6 संख्या में डिब्रूगढ़ (असम), राजकोट (गुज.),जम्मू एवं क), जालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राज.), लखनऊ (उ.प्र.)				ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य रु. 38.00 करोड़)	क्यू 1- बकाया ट्रांसमीटरों की जांच, लगाए जाने का कार्य क्यू 2-सभी ट्रांसमीटरों की प्राप्ति और लगाया जाना क्यू 3 एवं क्यू 4-सभी ट्रांसमीटर लगाया जाना	AT स्थापित (नवंबर 2012 में), डी पी 12 महीने में, सभी ट्रांसमीटरों का निरीक्षण पूरा	
viii	36 वर्तमान DRM सक्षम MW ट्रांसमीटर का DRM में परिवर्तन				एसआईटीसी को इस कार्य के लिए आदेश देना और ट्रांसमीटर लगाना	Q-1 से Q-4 आदेश देना और कार्य संपन्न करना	यह कार्य फिलहाल स्थगित कर दिया गया है	
ix	**MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना के तहत अन्य प्राप्तियां**				DRM रिसीवर प्राप्त, (36 व्यावसायिक) और 144 सामान्य उद्देश्य के	Q-2 :- उपकरण के आदेश Q-4 :- उपकरण की प्राप्ति		
(ख)	**SW ट्रांसमीटर** **कुल**			**20.00**				
	SW ट्रांसमीटर (जारी योजना)			**20.00**				
	SW DRM ट्रांसमीटरों की जगह 5 SW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना (दिल्ली-2 संख्या में., अलीगढ़ -2 संख्या में , बंगलुरु-1)				250 kW SW ट्रांसमीटर प्राप्त	Q1- उपकरणों की खरीद के लिए आदेश Q2- स्थल का निरीक्षण Q3-उपकरणों की प्राप्ति	तकनीकी मूल्यांकन चल रहा है। परियोजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					100 kW SW ट्रांसमीटर प्राप्त (अनुमानित आदेश मूल्य 17 करोड़ रुपये	Q-2- स्थल का निरीक्षण Q-3- उपकरणों की प्राप्ति Q-4- उपकरण लगाया जाना	ट्रांसमीटरों की जांच हो गई है	
					क्षेत्रीय ऑक्सीलरी उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 से Q-4 - क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	क्षेत्रीय कार्यालयों में उपकरण प्राप्ति की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। ट्रांसमीटर मिलने के बाद विभागीय कार्य शुरु हो जाएगा	
(C)	**एफ एम ट्रांसमीटर (कुल)**		**43.50**					
(i)	**एफ एम ट्रांसमीटर (जारी योजनाएं)**		**37.00**					
	एफ एम विस्तार योजना जारी योजनाएं		**37.00**					
	FM विस्तार योजना (जारी)				हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में : 1. स्थलों का अधिग्रहण 2. चारदीवारी बनाई गई 3. अनुमानित लागत स्वीकृत	Q 1- हल्द्वानी और चंपावत में स्थल अधिकार में लिया। रायबरेली में सिविल कार्य चल रहा है Q 2- हलद्वानी और चंपावत में भवन निर्माण कार्य के आकलन की स्वीकृति, रायबरेली में सिविल कार्य चल रहा है Q 3, Q 4-सभी स्थानों पर कार्य सिविल कार्य चल रहा है	हल्द्वानी :-स्थल के लिये डिमांड नोट प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष स्वीकृत लेकिन राज्य सरकार ने भूमि मूल्य में वृद्धि कर दी.1% से 10% तक...जो वहन करने योग्य नहीं मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है चंपावत :- राज्य सरकार से डिमांड नोट मिलना शेष रायबरेली-स्थल की पहचान की गयी राज्य सरकार द्वारा आवंटन की प्रतीक्षा	
					20 KW FM ट्रांसमीटर प्रप्त, (4 संख्या में)फाजिल्का, अमृतसर, चौटनहिल और रायबरेली में	Q1- ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, पैनल एंटीना लगाना Q2-इन्सटालेशन संपन्न करना Q3-ट्रांसमीटरों का निरीक्षण और लगाया जाना	ट्रांसमीटर उपकरणों के लिए दिसंबर 2012 में आदेश दिए गए	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					गैरसैंण और न्यू टिहरी में 1 kw के एफ एम ट्रांसमीटर की स्थापना 1. टावर की स्थापना 2. ट्रांसमीटर की जांच, लगाया जाना	Q1- भवन कार्य पूरा करना, ट्रांसमीटर और अन्य उपकरणों को लगाया जाना Q2-ट्रांसमीटर का परीक्षण और लगाया जाना		
					बागेश्वर और उज्जैन में 5 KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना	क्यू 1-भवन कार्य पूरा करना और स्टूडियो उपकरण प्राप्त करना क्यू 2-स्टूडियो उपकरणों की जांच और लगाया जाना	पूरा	
					दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, वर्धमान और सूर्यपेट में 10 किलोवाट एफ एम ट्रांसमीटर लगाना क. चार ट्रांसमीटर हासिल करना ख. उपकरण लगाना ग. सहायक उपकरण प्राप्त करना और लगाना घ. सिविल कार्य पूरा करना ड. सूर्यपेट में टॉवर लगाना	क्यू 1-सूर्यपेट को छोड़कर बाकी सभी जगह पर सिविल कार्य पूरा करना। सूर्यपेट, धनबाद और वर्धमान में टॉवर की एसआईटीसी के लिए आदेश देना। ट्रांसमीटर लगाना क्यू 2- टॉवर कार्य की प्रगति। कूचबिहार परियोजना शुरु करना क्यू 3- टॉवर कार्य की प्रगति और लगाया जाना क्यू 4- सूर्यपेट को छोड़कर अन्य स्थानों पर टॉवर लगाना	नवंबर 2012 में 10 ट्रांसमीटरों का आदेश दिया गया। तीन स्थानों पर 100 मी. के टॉवर के लिए एनआईटी मांगी गई। सूर्यपेट में निर्माण कार्य की मंजूरी मिलनी है	
					6 पटना और देहरादून में 10 kW के एफ एम ट्रांसमीटरों की स्थापना क. एसटीएल की प्राप्ति और लगाया जाना। ख. देहरादून में सिविल कार्य पूरा करना।	Q-1:- एसटीएल की प्राप्ति और देहरादून में सिविल कार्य पूरा करना। Q2-उपकरणों की स्थापना और जांच Q3.-कमीशनिंग	पूरा	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					सिलचर में 5 कि.वा. और गंगटोक में 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर लगाना क. एसटीएल की प्राप्ति और लगाया जाना। ख. सिविल कार्य पूरा करना।	Q-1:- एसटीएल की प्राप्ति। Q2-उपकरणों की स्थापना और जांच Q3.-कमीशनिंग	जुलाई 2013 में एसटीएल के लिए आदेश दिया गया।	
					कोहिमा में 10 kW FM ट्रांसमीटर लगाना क. टेलिविजन केन्द्र के स्थल पर परियोजना शुरू करना।	Q 1-परियोजना शुरू करना		
					अनिनि (अरुणाचल प्रदेश) तमेनलांग और उखरुल (मणिपुर) में 1 kW के एफ एम ट्रांसमीटर की स्थापना क. स्थल का अधिग्रहण ख. पीएसएफ लगाना ग. भवन कार्य शुरू करना	Q1, Q2-स्थल का अधिग्रहण और फेंसिंग की शुरूआत Q2, Q3, Q4-भवन निर्माण कार्य की प्रगति।	राज्य सरकारों से स्थल आवंटित होना है और बातचीत चल रही है। अनिनि में वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव राज्य सरकार ने दिया है। तामिंगलोंग और उखरूल में क्षेत्रिय कार्यालय की टीम, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरते ही, स्थल का दौरा करेगी।	
					पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 स्थानों पर 1 kW के एफ एम ट्रांसमीटर की स्थापना और कमिशनिंग क. करीमनगर और जुनेबोटो में भवन निर्माण कार्य पूरा करना। ख. टावर कार्य पूरा करना। ग. ट्रांसमीटरों को लगाया जाना और प्रसारण शुरू करना। घ. उक्त सभी स्थानों में कर्मचारियों के लिए आवास बनाना।	Q1- करीम नगर में सिविल कार्य पूरा करना। जुनेबोटो में काम की प्रगति। सभी स्थानों पर होस्टल/स्टॉफ क्वाटरों के लिए एस्टीमेट की मंजूरी होनी है। टॉवर लगाए जाने और बाकी उपकरणों के लिए एसआईटीसी की प्रगति। Q2-Q3-कमीमगंज में काम पूरा किया जाना और जुनेबोटो में उसे आगे बढ़ाना। 6 स्थानों पर टॉवर लगाने और प्रसारण शुरू करने का काम संपन्न करना। अन्य स्थानों पर इसे आगे बढाना सभी स्थानों पर होस्टल निर्माण का काम शुरू करना। Q1- जुनेबोटो में ट्रांसमीटर से जुड़े भवन का निर्माण पूरा करना और होस्टल बनाने का काम शुरू करना।	चम्पाई, फेक, गोलपाड़ा, कोलाशिक, चांगलांग, कोशना और डापोरिजो में आकाशवाणी के कार्यस्थलों तक सड़क बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से संपर्क किया जा रहा है।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					10 स्थानों पर 1 kw FM ट्रांसमीटर की स्थापना	Q1- 6 स्थानों पर 50 मीटर टॉवर लगाना। 10 स्थानों पर काम सोंपा जाना है। 10 स्थानों पर ट्रांसमीटर लगाए जाने हैं। Q 2- 10 स्थानों पर काम आगे बढाना। Q-3 - ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा करना। Q-4 - सभी 16 स्थानों पर परीक्षण और मापन कार्य पूरा करना	इन स्टेशनों के प्रारंभ किए जाने के लिए कर्मचारियों की भर्ती की मंजूरी ली जानी है।	
					बाकी 100 वॉट एफएम ट्रांसमीटरों को लगाया जाना और प्रसारण की शुरूआत।	परियोजना पूरी करना	मणिपुर सरकार ने इन ट्रांस्मीटरों को लगाने के लिए जगह नहीं दी है। वैकल्पिक स्थान की तलाश की जा रही है।	
	वर्तमान 24 आकाशवाणी/ दूरदर्शन स्थलों पर FM विस्तार तथा XI योजना के तहत आकाशवाणी/ दूरदर्शन के वर्तमान 100 LPT पर 100 Watt FM ट्रांसमीटर				12 स्थानों पर 1 kw FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति और स्थापना। क. 12 स्थानों के लिए सहायक उपकरण हासिल करना तथा ट्रांसमीटर लगाकर प्रसारण शुरू करवाना।	Q1, Q2-सहायक उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना, कमीशनिंग	ट्रांसमीटर दिसंबर 2012 में प्राप्त हुए।	
					12 स्थानों पर 5kw FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति और स्थापना क. 12 स्थानों के लिए सहायक उपकरण हासिल करना तथा ट्रांसमीटर लगाकर प्रसारण शुरू करवाना। ख. भवन निर्माण कार्य पूरा करना।	Q1, Q2-भवन निर्माण कार्य पूरा करना। सहायक उपकरणों की प्राप्ति, स्थापना, कमीशनिंग	ट्रांसमीटर अक्टूबर 2012 में प्राप्त हुए। अल्मोडा को छोड़कर अन्य स्थानों पर भवन निर्माण कार्य की अनुमति मिल गई।	
					100 वॉट एफएम ट्रांसमीटर हासिल करना क: ट्रांसमीटरों से प्रसारण आरम्भ करना। ख. आवर्ती व्यय	Q1, Q2, Q3, Q4-ट्रांसमीटरों से प्रसारण आरंभ हो गया है		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ii	**FM /MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना** XI योजना के तहत 40 वर्तमान स्टेशनों पर FM/MW ट्रांसमीटरों की उच्च शक्ति से प्रतिस्थापना				5/6 कि.वा. क्षमता के 27 एफएम ट्रांसमीटरों को बदलना क. ट्रांसमीटरों की प्राप्ति ख. डिप्लेक्सर की प्राप्ति ग. पैनल एंटीना की प्राप्ति घ. जौनल उपकरण की प्राप्ति	Q1, Q2-ट्रांसमीटरों का निरीक्षण। पैनल एंटीना की प्राप्ति और डिप्सेक्सर लगाना। Q3, Q4-ट्रांसमीटर और पैनल एंटीना लगाना।	क. ट्रांसमीटरों के लिए आदेश दिया जा चुका है ख. पैनल एंटीना का आदेश दिया जा चुका है। ग. डिप्लेक्सर की जांच हो चुकी है।	
					7 स्थानों पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों को बदलना और 6 स्थानों पर 1 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटरों की जगह पर 10 कि.वा. एफएम ट्रांसमीटर लगाना क. आदिलाबाद और क्योंझर में 6 मीटर टावर की एसआईटीसी ख. ट्रांसमीटरों की प्राप्ति ग. डिप्लेक्सर की प्राप्ति घ. पैनल एंटीना की प्राप्ति ड़. जौनल उपकरण की प्राप्ति	Q1, Q2-एफएम ट्रांसमीटर और डिफ्लेक्सर लगाना टॉवर की एसआईटीसी का आदेश Q3, Q4-उपकरण लगाना और टावर कार्य की प्रगति	ट्रांसमीटर और डिफ्लेक्सर की जांच हो चुकी है। पैनल एंटीना की खरीद का आदेश दिया जा चुका है।	
	एफ एम ट्रांसमीटर (नई योजना)			**6.50**				
	118 स्थानों पर विभिन्न क्षमता के ट्रांसमीटर लगाकर एफएम प्रसारण का विस्तार।				स्कीम की मंजूरी। वर्तमान इमारतों के पुर्ननिर्माण के लिए सिविल आकलन की तैयारी और आकलनों की मंजूरी। काम शुरू करना। उपकरण तथा एनआईटी की प्राप्ति के लिए ब्यौरे तैयार करना।	Q 1- स्कीम की मंजूरी Q 2- आकलन की स्वीकृति, ब्यौरे तैयार करना Q 3- सिविल कार्य सौंपा जाना Q 4- एनआईटी जारी करना, सिविल कार्य शुरू करना	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। सीसीईए की मंजूरी मिलनी है।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	XII योजना के तहत 77 स्थानों पर 286 की संख्या में पुराने FM ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना का प्रस्ताव इनमें दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं MW ट्रांसमीटरों की जगह FM ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना				स्कीम की मंजूरी। वर्तमान इमारतों के पुर्ननिर्माण के लिए सिविल आकलन की तैयारी और आकलनों की मंजूरी। काम शुरू करना। उपकरण तथा एनआईटी की प्राप्ति के लिए ब्यौरे तैयार करना।	Q 1- स्कीम की मंजूरी Q 2- आकलन की स्वीकृति, ब्यौरे तैयार करना Q 3- सिविल कार्य सौंपा जाना Q 4- एनआईटी जारी करना, सिविल कार्य शुरू करना	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
1.2 **(i)**	**स्टूडियो एवं नेटवर्क** **कुल** **स्टूडियो (जारी योजना)**			**21.00** **20.00**				
i	10वीं **योजना के तहत 48 स्थानों पर उच्च सीमा वाले सर्वर की स्थापना**				उच्च सीमा वाले सर्वरों का 48 स्टेशनों पर स्थापना कार्य पूरा करना (आदेश मूल्य 29 करोड़ रुपये) क. बकाया कार्य और भुगतान	Q 1- परिक्षण पूरा करना और उपकरणोंका कार्य करना शुरू करनों की पावती	नवंबर 2012 में आदेश दिए गए।	
iii	11वीं **योजना के तहत 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, नेटवर्क, RNU का स्वचलीकरण, 7 नये RNU का सृजन, दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का संवर्धन एवं 4 स्थानों पर सृजन**				सर्वर के SITC केंद्रीयकृत भंडारण तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित (डाटा अवयव सर्वर 38+10, डिजिटल कार्य 643+138+94) , DOT 21. 10.2011 को खुलनी तय,आश्वासन तिथि 30.09. 2011 आदेश मूल्य रु. 23.30 करोड़	Q1- उपकरणों के लिए आदेश Q4-उपकरणों की प्राप्ति	दोबारा टेंडर किया जाना है।	
					कंसोल की प्राप्ति	Q1-उपकरणों के लिए आदेश Q4-उपकरणों की प्राप्ति	टेंडरों की तकनीकी जांच की जा रही है।	
					सर्वर के SITC, वर्क स्टेशन और RNU के लिये सिस्टम सॉफ्टवेयर हासिल करना। क. बकाया कार्य और भुगतान	Q1, Q2-बकाया कार्य और भुगतान		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 :-क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	क्षेत्रीय कार्यालयों ने क्षेत्रीय उपकरण हासिल करने के लिए सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं। ट्रांसमीटर मिलने के विभागी कार्य शुरू हो जाएगा।	
					स्टूडियो का नेटवर्क	Q1- NIT जारी Q-2 : - निविदा खुलीं, और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 :- उपकरणों के आदेश Q-4 :- उपकरणों की प्राप्ति		
					स्टूडियो की सुसज्जा	Q-1 to Q-4 -कार्य पूरा किया जाना		
ii.	**स्टूडियो (नई स्कीम)**		**1.00**					
iii	80 STL की प्रतिस्थापना तथा 35 नये STL की प्राप्ति				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1-योजना का अनुमोदन Q-2-आकलन की स्वीकृति, योजना के ब्यौरे तैयार किए जाने हैं।	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
1.3	**कनेक्टिविटी**			**16.00**				
(i)	**कनेक्टिविटी (जारी योजना)**			15.00				
iii	80 STL को बदलकर 35 नए एसटीएल हासिल करना				STL कनेक्टिविटी बदलना।	Q1-Q4-उपकरण का निरीक्षण, प्राप्ति और लगाया जाना।	उपकरण की एसआईटीसी के लिए जुलाई 2013 में आदेश दिए गए हैं।	
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना				5 स्थानों पर CES	Q 3- आकलन की स्वीकृति Q 4-स्थापना कार्य आरंभ	टेंडरों का आंकलन किया जा चुका है। खरीद के प्रस्ताव का अनुमोदन होना है।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	आरएन टर्मिनल				आरएन टर्मिनल हासिल करना	Q 3- आकलन की स्वीकृति Q 4-स्थापना कार्य आरंभ		
	कनेक्टिविटी (नई योजना)			**1.00**				
iv	टेलीकॉम सुविधाओं का संवर्धन: 2-पोल फीड और डिसेज को 4-पोल से प्रतिस्थापित करना-(24 प्रतिस्थापन)।32 मामलों में SCPC की जगह MCPC को प्रतिस्थापित करना			**1.00**	योजना का अनुमोदन सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 - योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरे तैयार करना Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा जाना Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ करना	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
1.4	**स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण**			**2.10**				
	STI(T) व STI(P) का संवर्धन, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित			**2.00**	STI(T) दिल्ली में मेडीटेशन हॉल और लायब्रेरी निर्माण	Q1- कार्य की प्रगति Q2-कार्य की प्रगति Q3-कार्य संपन्न किया जाना	आकलन को मंजूरी मिल गई है। सिविक एजेंसी की मंजूरी के बाद काम शुरू होना है।	
					एसटीआई(टी) दिल्ली में कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान और ई-लर्निंग फैसिलिटी का निर्माण	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :- कार्य पूरा	आकलन मंजूर किए जा चुके हैं।	
					योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 to Q-4 :- योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरण योजना के तहत प्रक्रियाधीन अन्य उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, कार्यवाही जारी है		
	प्राशिक्षण सेवाओं का उन्नयन			**0.10**				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	XII योजना के तहत दिल्ली तथा भुवनेश्वर के लिये DRM+ तथा DTT ट्रांसमीटर, डिजिटल प्रसारण उपकरण प्राप्त करना				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 आकलन की स्वीकृति, ब्यौरे तैयार करना Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा जाना Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
1.5	**शोध व विकास का सुदृढ़ीकरण (कुल)**	डिजिटल प्रसारण, जैसे DRM/DRM/DVB/FM/VHF/UHF/CW आदि से प्रसारण पर अध्ययन करना डिजिटल प्रसारण के लिये निगरानी तंत्र विकसित करना व्यापक परस्पर प्रसाण सेवा विकसित करना		**2.10**			ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
	शोध व विकास का सुदृढ़ीकरण (जारी योजना)			**2.00**				
					DRM उपकरण की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के लिये आदेश Q2-उपकरणों की जांच Q4-आकलन की स्वीकृति, और कार्य सम्पन्न किया जाना है	दुबारा टेंडर किया जाना है	
					अन्य काम और उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 to Q-4 :-योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति, कुछ उपकरण योजना के तहत प्रक्रियाधीन अन्य उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, कार्यवाही जारी है		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	शोध और विकास का सुदृढ़ीकरण (नई योजना)			0.10				
	XIIवीं योजना में R&D के लिये नये प्रस्ताव			0.10	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, उपकरण और NIT प्राप्त करना	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरे तैयार करना Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गयो Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ		
	सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण (कुल)			18.00				
i	**सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण (जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र-जारी योजना)**			15.00				
	जम्मू-कश्मीर में एचपीटी/एलपीटी की स्थापना- 10 kW FM ट्रांसमीटर (3) और 10 kW TV ट्रांसमीटर-(3) की स्थापना। 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (वर्तमान दूरदर्शन स्थल पर)। आकाशवाणी स्थल पर 5 कि.वा. के 2 टेलिविजन ट्रांसमीटर स्थापित करना। 100 वाट के 4 एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करना।				100 वॉट के 4 FM ट्रांसमीटर प्राप्त करना	कार्य पूरा		
					नौशेरा में 10 कि.वा. के एफएम ट्रांसमीटर (1+1) हासिल करना।	Q-1-उपकरण का आदेश Q-2-उपकरण का निरीक्षण Q-3-उपकरण लगाया जाना और कार्य शुरू करना।	तकनीकी आकलन हो चुका है ट्रांसमीटर और अन्य उपकरण की खरीद का आदेश दिया जाना है	
					राजौरी में 5 kW क्षमता के 2 टीवी ट्रांसमीटर खरीदना।	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3-उपकरणों की जांच Q4-उपकरण लगाया जाना और प्रसारण शुरू होना	तकनीकी आकलन हो चुका है ट्रांसमीटर और अन्य उपकरण की खरीद का आदेश दिया जाना है।	
					1. सिविल कार्यों की प्रगति 2. 10 कि.वा. के 2 एफएम ट्रांसमीटर और दूरदर्शन के लिए 3 स्थानों पर 10 कि.वा. के 2 ट्रांसमीटर हासिल करना	Q1- उपकरणों के आदेश, सिविल कार्य शुरू करना Q2-उपकरणों की जांच, सिविल कार्य। Q2-Q4-तकनीकी कार्य संपन्न करना और उपकरण लगाना।	तकनीकी आकलन हो चुका है ट्रांसमीटर और अन्य उपकरण की खरीद का आदेश दिया जाना है। 3 स्थानों पर भवन निर्माण कार्य की मंजूरी ली जानी है।	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	भारत-नेपाल सीमा का सुदृढ़ीकरण 1. दूरदर्शन के स्थल से भारत-नेपाल सीमा पर 8 स्थानों से एफएम प्रसारण शुरू करना। 2. 2 स्थानों पर प्रोडक्शन केन्द्र खोलना। 3. 2 स्थानों पर अपलिंकिंग सुविधा।			**3.00** 3.00				
3	**वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारण**	इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चैनलों तक पहुंच बनाने		**0.10**	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की मंजूरी			
		लायक सुविधा देना आकाशवाणी प्रसारण प्राप्त करने के लिये बहुमुखी माध्यम उपलब्ध कराना			आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, ब्यौरे तैयार करना ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरे तैयार करना Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा जाना Q-4 NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
4	**संरचना का एकीकरण (कुल)**	वर्तमान सुविधाओं में सुधार, प्रतिस्थापना से प्रसारण गुणवत्ता को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाना। स्टाफ कल्याण के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराना		**4.10**				
	संरचना का सुदृढ़ीकरण			**4.00**				
	XI योजना के तहत वर्तमान केंद्रों पर I-O-F-				5 चलायमान FM ट्रांसमीटर का प्रस्ताव आपात स्थिति के लिये	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की जांच	दुबारा निविदा होनी है	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					स्टूडियो के लिये मापक यंत्र का प्रस्ताव	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना, Q4-जांच और माप	आडियो एनालाइजर का तकनीकी आंकलन होना है।	
					23 जगहों पर MW पर टेलीमेट्री ट्रांसमीटर का प्रस्ताव. रिमोट कंट्रोल के लिये.	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों की जांच Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना, Q4-जांच और माप	ज़ोनल कार्यालय द्वारा डीटीई तैयार। आकाशवाणी की आर एण्ड डी इकाई द्वारा उपकरण लिया तथा लगाया जाना है।	
					वर्तमान FM स्टेशन पर UPS का प्रस्ताव 80 स्थानों पर	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों की जांच Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना, Q4-जांच और माप		
	गुवाहाटी में कार्यालय स्थान स्टाफ क्वार्टर्स, श्रीनगर में हॉस्टल सुविधा सहित				श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिये अक्टूबर 2010 में स्वीकृति (रु. 3.68 करोड़). CCW ने काम नहीं सौंपा क्योंकि वर्तमान भवन के ध्वंस का अनुमोदन देर से मिला (जून 2011 में)। काम सौंपा जाना है।	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :- कार्य पूरा	काम सौंपा जा चुका है और प्रगति पर है।	
					गुवाहाटी के लिये 19.10. 2010 को स्टाफ क्वार्टर्स स्वीकृत (रु. 7.14 करोड़) कार्य फरवरी 2011 में सौंपा गया।	Q-1 :-बाकी कार्य और भुगतान		
					गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने 03.03.2011 को स्वीकृति जारी की (रु. 7.67 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ DD द्वारा)	Q-1 :- बचा कार्य और परियोजना का पूरा होना		
	संरचना सुदृढ़ीकरण (नई योजना)			**0.10**				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	दिल्ली और मुंबई में सामुदायिक केंद्र				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी .आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
	पटना, श्रीनगर में सुरक्षा चारदीवारी का सुदृढ़ीकरण, HPT मलाड एवं पोर्ट ब्लेयर				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरों की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	ईएफसी बैठक 2-9-1913 को हुई। कैबिनेट नोट बनाया गया है। मार्च 2014 में स्कीम को मंजूरी मिल गई है।	
	इंदौर में डीडीजी (ई) कार्यालय का पुर्ननिर्माण और वाइरिंग बदलना।				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, ब्यौरों की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :-योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरों की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ		
	सुरक्षा फैंसिंग की मजबूती				सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, ब्यौरों की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :-योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरों की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ		
	रोहतक में स्टूडियो और कार्यालय भवन का पुन:निर्माण				सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, ब्यौरों की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :-योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, ब्यौरों की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ		
5	**ई- गवर्नेंस**	मीडिया इकाइयों तक तीव्र गति से सूचना का प्रसार करना। स्टेशनों के व्यापक संजाल प्रबंधन को ऑन लाइन प्रबंध तंत्र		**0.10**	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		मुहैया कराना है आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से जोड़ना						
	योजना II: अवयव विकास और प्रसार **सॉफ्टवेयर (डीबीएस)**	उच्च गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर विकसित करना ताकि मीडिया के प्रतिद्वंद्विता वाले वातावरण में आकाशवाणी के श्रोता आकर्षित हो और बने रहे		10.00	1. नये और ताजा अवयव सृजन 2.रेडियो कार्यशाला, संगीत सम्मेलन, कॉन्सर्ट्स, आदि 3. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज 4. फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रोडक्शन 5.आकाशवाणी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण	सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिये कोष का उपयोग,ध्अधिग्रहण और अवयव सृजन, फ्लैगशिप कार्यक्रम, अभिलेखों का डिजिटलीकरण.	प्रगति पर	
	योजना III: मानव संसाधन विकास			0.00				
	योजना IV: विशेष परियोजनाएं			0.01				
(i)	**दिल्ली में ऑडिटोरियम की पुनर्सज्जा (नई स्कीम)**	दिल्ली में आकाशवाणी के पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिये ऑडिटोरियम का निर्माण करना आमंत्रित श्रोताओं के लिये कार्यक्रम की व्यवस्था की सुविधा व्यापक समूहों की प्रतिभागिता से लाइव कार्यक्रम आयोजित करना		0.01	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	स्कीम प्रसार भारती बोर्ड द्वारा स्वीकृत। मंत्रालय से स्वीकृती मिलनी है।	
	कुल (पूंजी)			217.01				
	कुल (राजस्व)			10.00				
	कुल (आकाशवाणी)			227.01				

दूरदर्शन - वार्षिक योजना (2014-15)
परिणाम और लक्ष्यों का ब्यौरा (2014-15)

परिणाम

(करोड़ रुपये में)

क्रं. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2014-15 के लिए अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक प्रतिफल	प्रक्रियाएं/समयबद्धता माध्यमिक/अंतिम	टिप्पणियां/ जोखिम घटक
1	2	3	4	5	6	7
	जारी स्कीम					
	योजना-I प्रसारण संरचना संजाल विकास		84.00			
1.	**ट्रांसमीटर और स्टूडियो का डिजिटलीकरण**					
	a) ट्रांसमीटर का डिजिटलीकरण	भौमिक प्रसारण का डिजिटलीकरण		डिजिटल HPTs-19 डिजिटल HPTs-21 DFTs के नेटवर्क के लिए भूमिगत स्टेशन 39 स्टूडियो का संपूर्ण डिजिटलीकरण	Q.1. कई चरणों में 5 डिजीटल HPTs शुरू करना-पहली तिमाही Q.2. 7 डिजीटल HPTs शुरू करना-दूसरी Q.3. 7 डिजीटल HPTs शुरू करना-तीसरी Q.3.-Q.4. 19 डिजीटल HPTs की कमीशनिंग, तीसरी व चौथी तिमाही Q.III. 21 डिजीटल HPTs शुरू करना	एन्टेना सिस्टम और फीडर केबल पर प्राप्त टॉवर शुद्धीकरण का कार्य प्रगति पर 19 डिजीटल HPTs और 5 HPTs का आर्डर दिया गया। शेष HPTs शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना।
					Q.II. आदेश दिया गया Q.IV. कैमरों की सप्लाई की गई।	निविदा प्राप्त की गई और तकनीकी मूल्यांकन किया गया।
	b) स्टूडियो का डिजिटलीकरण	प्रोडक्शन का संपूर्ण डिजिटलीकरण , प्रोडक्शन उपरांत संपादन सुविधा		कोलकाता में मीडिया संपत्ति प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई	Q.III. आपूर्ति और स्थापना	कैमरों के अलावा सभी उपकरणों की आपूर्ति खरीद का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया। 14 मार्च को आदेश दिया गया।

2	**ट्रांसमीटर तथा स्टूडियो उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना**		50.00			
	a) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना डीटीएच का विस्तार	ट्रांसमीटर तथा उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना, जिसने तकनीकी अनिवार्यता के आधार पर उपयोगी सेवा दी		15 HPT की प्रतिस्थापना	QI. 3HPTs की स्थापना और ट्रांसमीटर की आपूर्ति QII, III. 12HPTs की स्थापना QIII. 15HPTs शुरू किया गया	अमरीका में OEM सुविधा में फैक्टरी का निरीक्षण शेष HPTs की सप्लाई शीघ्र ही।
					QIV. कैमरा श्रृंखला की आपूर्ति और स्थापना	निविदा प्राप्त हुई और कार्य जारी है
					QII, III. आवश्यक सेवा उपकरणों जैसे लाइटिंग ग्रिड, ए. सी. प्लांट आदि को बदलना।	क्षेत्रीय कार्यालयों ने काम शुरू किया गया। कुछ केन्द्रों में फ्लोटिंग और ए.सी. प्लांट को बदला गया। अन्य केन्द्रों पर काम जारी है।
	b) ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना	ट्रांसमीटर तथा प्रोडक्शन संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना, इसके डिजिटल प्रतिरूप द्रारा, जिसने तकनीकी अनिवार्यता के आधार पर उपयोगी सेवा दी		स्टूडियो उपकरणों की प्राप्ति, जैसे- कैमरा श्रंखला, डिजिटल VCRs, SD OB वैन आदि	चरणों में उपकरण आपूर्ति - III तिमाही	
						9 कलर मॉनीटर को छोड़ कर अन्य उपकरणों के लिये VCR एवं कैमरा श्रंखला के लिये आपूर्ति आदेश जारी

				आवश्यक सेवा उपकरणों की प्रतिस्थापना जैसे, टॉवर सप्लाई, एसी प्लांट, लाइटिंग ग्रिड, accoutic एवं flloring	विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर आवश्यक सेवा उपकरणों की प्रतिस्थापना, चरणों में – IV तिमाही	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्य लिया गया और लागू होने के विभिन्न स्तरों पर हैं
3	**a) डीटीएच**	**डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनल वृद्धि, 59 से 97**	36.00	DTH प्लेटफॉर्म की क्षमता वृद्धि (59 से 97 चैनलस) DTH चैनल की संख्या में वृद्धि	उपकरणों की आपूर्ति II तिमाही DTH प्लेटफॉर्म का उच्चीकरण –III तिमाही	जून 2013 में आदेश दिया गया। कुछ उपरकणों की सप्लाई की गई। DTH प्लेटफॉर्म के उच्चीकरण हेतु 59 टीवी चैनल के बजाय 97 चैनल के लिये फिर से निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं।
				दूरदर्शन DTH सेवा के लिए कंडीशनल एक्सस सिस्टम	Q. III. आदेश दिया गया Q. III. CAS का SITC	
				दूरदर्शन DTH सेवा के लिए लिजिंग ऑफ कॉल	Q. II. आदेश दिया गया	
4.	**सैटेलाइट प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना**	**सैटेलाइट प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्धन और प्रतिस्थापना, इसके डिजिटल प्रतिरूप द्वारा, जिसने तकनीकी अनिवार्यता के आधार पर उपयोगी सेवा दी। समाचार संकलन सुविधा का संवर्धन**	16.00	4 स्टेशनों का आधुनिकीकरण	Q.III. RF उपकरणों की सप्लाई Q.IV. 4 अर्थ स्टोशनों की शुरूआत	चंडीगढ़, हिसार पणजी और पोर्ट ब्लेयर में सभी अर्थ स्टेशनों की स्थापना की गई और जांच की गई।
				नए अर्थ स्टेशन (गोरखपुर)	–आपूर्ति आदेश II तिमाही –2 स्थानों पर अर्थ स्टेशनके कंप्रेशन उपकरणों की प्रतिस्थापना –IV तिमाही	(i) एक स्थान के लिये पहले दी गयी निविदा तकनीकी कारणों के से निरस्त (ii) एक स्थान पर भवन निर्माण प्रगति पर.भवन निर्माण के बाद उपकरण प्राप्त होंगे

				1 स्थान पर (देहरादून) अर्थ स्टेशन के उपकरणों को बदलना। वर्तमान IRDs की DVB-S2 आधारित IRDs से बदलना	वर्तमान IRD की DVB-S2 आधारित IRD से प्रतिस्थापना -IV तिमाही	निविदा प्राप्त की गई और तकनीकी मूल्यांकन किया गया।
				नई DSNG-9 संख्या में	-9 DSNG के लिये I तिमाही -9 DSNG की आपूर्ति III तिमाही	निविदाएं खोली गयीं, और तकनीकी मूल्यांकन जारी
5.	**हाई डेफिनिशन टीवी**	**हाई डेफिनिशन टीवी का प्रोडक्शन , प्रोडक्शन उप रांत सुविधा और ट्रांसमिशन**	41.00	आउटडोर प्रोडक्शन के लिए मोबाईल उपकरणों को शुरू करना।	दिल्ली मुंबई में के HDTV स्टूडियो आपूर्ति, स्थापना, टेस्टिंग, कमीशनिंग -I तिमाही	2 जून 2013 को आपूर्ति आदेश जारी
6.	**स्टाफ क्वार्टर तथा अन्य फुटकर योजना**	**स्टाफ के लिये आवास सुविधा का प्रस्ताव. संवर्धन और संरचना/विभिन्न स्टेशनों पर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण**	9.00	निर्माण कार्य 1. 4 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर 2. 2 स्थानों पर अतिथि गृह 3. डीडी भवन परिसर में टॉवर "C" भवन 4. संवर्धन और संरचना सुधार तथा वर्तमान दूरदर्शन कार्यालय की सुरक्षा	3 स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर्स का निर्माण - III-IVQ 1 स्थान पर अतिथि गृह का निर्माण - III-IVQ टॉवर "C" भवन का निर्माण प्रगति पर - IVQ	अतिथि गृह का निर्माण, सामुदायिक केंद्र का काम प्रगति पर है। स्टाफ क्वार्टर निर्माण का काम भी प्रगति पर है। टॉवर 'C' भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर
7.	**योजना X की अन्य फुटकर योजना. जारी स्कीम**	**XI योजना से पहले स्वीकृत परियोजनाएं पूरी**	24.00			
				ऑटोमोड HPT की स्थापना (15 संख्या में), कैनानोर में टॉवर का कार्य पूरा, अमृतसर में DD1 and DD(News) HPT की कमीशनिंग, 300M टॉवर एंटेना सहित	LPT की स्थापना पूरी I तिमाही कैनानोर टॉवर के लिये आपूर्ति आदेश-III I तिमाही	8.4.2012 को HPT कन्नौट का काम पूरा। अमृतसर में निविदा जारी की गई।

				HPT महबूबनगर (pmt.सेटअप) 59 कैमरों की शृंखला की खरीद	टॉवर के लिये आपूर्ति आदेश -II तिमाही कैमरा शृंखला की सप्लाई और स्थापन-II तिमाही निविदा जारी की गई	HPT महबूबनगर 08.12. 2012 को अंतरिम सेट अप में कमीशन्ड, वर्तमान टॉवर उपयोग में।
				देहरादून स्टूडियो	देहरादून स्टूडियो का काम पूरा IVQ	तकनीकी कार्य पूरा किया गया।
	अवयव विकास और प्रसार		**10.00**			
	नई योजना					
1	**योजना-I -प्रसारण के संरचना नेटवर्क विकास**		**8.00**	नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में (आकाशवाणी, दूरदर्शन) के 8 HPTs	स्थल का चयन-II तिमाही	नेपाल सीमा पर नये केन्द्र स्थापित करने के लिए बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के उपयुक्त स्थलों को उपलब्ध करने के लिए कहा। 18.3.2014 को मंत्रालय द्वरा 12वीं योजना के लिए CCEA की स्वीकृति
2	**योजना-IV-विशेष परियोजनाएं**		**0.02**			
	क) डीडी का वैश्विक कवरेज और अंतर्राष्ट्रीय चैनल ख) प्रसारण अभिलेखागार ग) किसान चैनल (राजस्व रु 80.00 करोड़ और पूंजी रु 10 करोड़-90 करोड़					
	पूंजी		368.02			
	राजस्व		90.00			
	कुल		278.02			

मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग की योजनाएं

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

'भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग' नामक आयोजना योजना के दो घटक–''सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना'' और ''सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधियां'' हैं।

मंत्रालय मौजूदा और नए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को बुनियादी सुविधाओं/उपकरणों/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण आदि प्राप्त करने के लिये वित्तीय सहायता मुहैया करायेगा।–''सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना'' घटक के अधीन कुल अनुमानित खर्च का पचास फीसदी अधिकतम अनुदान के रूप में दिया जा सकेगा, जिसकी सीमा 7.50 लाख रूपये होगी। शेष धनराशि गारंटी के रूप में होगी, जिसके लिये गारंटी के दस्तावेज जमा कराने होंगे। वर्ष 2014–15 के दौरान करीब 100 नए सीआरएस और 30 मौजूदा स्टेशनों को सहायता दी जाएगी।

मंत्रालय अनुमति प्राप्त करने वालों के लिये कई जागरूकता/क्षमता निर्माण कार्यशालायें/राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर उन्हें नीति के बारे जागरूक बनायेगा और क्षमता निर्माण करेगा। इसके अलावा सीआर ऑपरेटरों के लिये कई प्रमुख आईईसी गतिविधियों के तहत डिजाइनिंग और तकनीकी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का संचालन होगा, श्रोताओं के सर्वेक्षण कराये जायेंगे, प्रभाव के अध्ययन कराये जाएंगे, समकक्ष समीक्षा, वितरण के लिये आईईसी सामग्री/किट्स का प्रचार/प्रकाशन और राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।

वर्ष 2014–15 के दौरान,मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में आठ कार्यशालाओं के आयोजन की योजना बनाई है। पांचवां राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा जिसमें राष्ट्रीय सीआर पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। **भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग** योजना का विवरण निम्नलिखित है :–

मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग की योजनाएं

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समय सीमा	टिप्पणियां जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	भारत में सामुदायिक रेडियो सहयोग	घटक-1 कम्युनिटी रेडियो सहयोग योजना नए और कार्यरत सामुदायिक रेडियो को स्रोत, क्षमता और तकनीकी द्वारा सशक्त करना ताकि वे सामुदायिक दायित्व निभा सकें।	—	750	—	1.) हर साल 100 नए सीआरएस और 30 मौजूदा स्टेशनों को सहायता दी जाएगी। 2.)सामुदायिक रेडियो क्षेत्र में नवरचना को प्रोत्साहित करने के लिये नवरचना अनुदान देना।	संचालित सीआरएस की संख्या में वृद्धि बेहतर समुदाय सम्पर्क, प्रोग्रामिंग और सीआरएस की निरंतरता	पहले चरण में नए और मौजूदा सीआर स्टेशनों से वित्तीय सहायता के लिये 30 अप्रैल 2014 तक आवेदन आमंत्रित आवेदनों का दूसरा चरण जुलाई 2014 में पूरा हो जाएगा। स्वीकृति/मंजूरी दिसम्बर 2014 के अंत तक मिलेगी। नवरचना अनुदान के लिये आवेदन 15 अगस्त तक आमंत्रित किये जाएंगे। स्वीकृति/मंजूरी दिसम्बर 2014 के अंत तक मिलेगी।	

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समयसीमा	टिप्पणियां जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
		घटक-2 सामुदायिक रेडियो के लिए आई ई सी गतिविधियां एनजीओ/समुदाय आधारित संगठनों के बीच नए और वर्तमान में कार्य कर रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशनों संचालकों की नीति,क्षमता निर्माण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समकक्ष आकलन, श्रोताओं के सर्वेक्षण तथा प्रभाव के अध्ययन कराना आदि।	—		—	समुदायिक रेडियो प्रसारण अनुदान को मंजूरी	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जागरूकता, समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक समरूपता के जरिये सामुदायिक विकास	1.जागरूकता कार्यशालाओं के आयोजन के लिये संगठनों का चयन हो चुका है। 2. दिसम्बर 2014 तक आठ कार्यशालाएं और पांच सम्मेलन आयोजित किये जाएंगे तथा सीआर पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। 3.समकक्ष आकलन के पहले चरण की रिपोर्ट जुलाई 2014 तक प्रकाशित कर दी जाएगी। 4. श्रोताओं के सर्वेक्षण के लिये एजेंसी से सम्पर्क करने हेतु आरएफपी अगस्त 2014 तक जारी होगा।	

(ख) प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

(रुपये करोड़ों में)

क्र. सं.	योजना/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			मात्रात्मक लाभ/उत्पादन वास्तविक प्रतिफल	अनुमानित परिणाम	प्रक्रिया में/ समयसीमा	टिप्पणी जोखिम/ घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना बजट (अनुमोदित) राजस्व	पूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन				
1.	'प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण' मंजूरी देने की प्रक्रिया दुरुस्त करना और इसे पारदर्शी बनाना।		—	4.00	—	टीवी चैनल, सीआरएस, एमएसओ लाइसेंस और एफएम की अनुमति देने की समस्त प्रक्रिया को स्वचालित बनाना।	टीवी चैनल,सीआरएस, एमओएस लाईसेंस और एफएम की संख्या बढाना।		

(ग) डिजिटलाइजेशन मिशन

गैर योजना

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम/ कार्यक्रम	सकारात्मक/ परिणाम	परिव्यय 2014-15			परिणात्मक/ भौतिक उपलब्धि	परियोजना परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयसीमा	टिप्पणी/ जोखिम घटक
1	2	3	4			5	6	7	8
			4(i)	4(ii)	4(iii)				
			गैर योजना बजट	योजना	पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन				
1.	मिशन डिजिटलाइजेशन	III और IV का कार्य पूर्ण करना	शून्य	4.00	शून्य	1. 12 क्षेत्रीय निगरानी केन्द्र स्थापित करना। 2. मल्टी सीट कॉल सेन्टर और वेबसाइट की स्थापना 3. एमआईएस प्रणाली की निगरानी के लिए व्यवस्था	राज्य सरकार से डाटा का संकलन और एमएसओ द्वारा केबल टीवी के डिजिटलाइजेशन पर जागरूकता फैलाना	टास्क फोर्स का सहयोग से समयसीमा पर परियोजना पूर्ण हुई	–

अध्याय-3

सुधार, उपाय तथा नीतिगत पहल

सूचना क्षेत्र

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

सुधार उपाय तथा नीतिगत पहल

3.1 **परिचयः** पारदर्शिता, सशक्तीकरण, विकेंद्रीकरण तथा निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिये डीएवीपी ने निम्न पहल की है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) भारत सरकार की नोडल विज्ञापन एजेंसी की भूमिका को मजबूत करने के लिये परिवर्तन एवं पहल करता है। डीएवीपी भारत सरकार की अधिकृत विज्ञापन एजेंसी है, जो विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रचार करती है। जिसमें सामाजिक आर्थिक उत्थान, राष्ट्रीय सद्भावना, आतंकवाद के विरुद्ध संप्रभुता और स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शनी, समाचार पत्र, सैटेलाइट, टीवी चौनल, रेडियो, डिजिटल कैमरा, आउटडोर प्रचार और मुद्रित प्रचार सामग्री आदि शामिल है।

3.2 **मीडिया-लिस्ट सॉफ्टवेयर का सृजन** : विज्ञापनों को क्रमबद्ध तरीके से समाचारपत्रों को देने के लिये डीएवीपी ने स्वयं एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जो विज्ञापनों को प्रसार, कीमत, शामिल विज्ञापनों की संख्या जैसे विविध आधारों पर विज्ञापन आवंटित करता है।

3.3 **इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान जारी करनाः** डीएवीपी ने इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नेशनन इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर सिस्टम के जरीये भुगतान जारी करना शुरू किया है। डीएवीपी की वेबसाइट www.davp.nic.in पर बिलों की स्थिति देखी जा सकती है।

3.4 **समाचारपत्रों का नया पैनल तथा दर समीक्षा** : अक्टूबर 2014 में समाचारपत्रों की दरों में एक बारगी वृद्धि की गई थी। प्रसार के साथ ही समाचारपत्रों को बेहतर पारिश्रमिक देने के लिये दरों की हर साल की जाने वाली नियमित वृद्धि जनवरी 2014 में की गई थी जो परामर्श समिती द्वारा तय की गई थी।

3.5 **दृश्य-श्रव्य विंग के लिये एंपैनलमेंट ऐडवायजरी समिति का गठनः** एक समान फार्मूले पर आधारित रेडियो और टीवी चैनलों के लिये नयी दरें सुधारने के लिये एक समिति गठित की गयी है।

3.6 **नवीन मीडियाः** हाल ही में तेजी से बदली प्रौद्योगिकी ने प्रचार के तरीकों को भी नई दिशा दी है। डीएवीपी ने इस नये उभरते 'नवीन मीडिया' को प्रचार के लिये इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि डीएवीपी के जरिये प्रचार करने वाले मंत्रालयों के पास भी इस नये प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करने का विकल्प उपलब्ध हो सके।

3.7 **डिजिटल सिनेमाः** निदेशालय के तहत मई 2014 तक देश भर में 7178 से भी ज्यादा स्क्रीनों वाले 7 डिजिटल सिनेमा एजेन्सियों का पैनल तैयार किया गया है। डिजिटल सिनेमा एजेन्सियों के पैनल के लिये संशोधित दिशा निर्देश जनवरी 2014 से लागू किये गये हैं।

3.8 **इंटरनेट विज्ञापन:** मुख्य परियोजना के आधार पर 42 वेबसाइटों का पैनल बनाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में इंटरनेट विज्ञापनों की दरें तय करने और वेबसाइट की पैनल में लाने के लिये 3 अप्रैल 2013 को एक समिति गठित की गई थी।

3.9 **बल्क एस एम एस:** डीएवीपी ने जून 2013 में इस परियोजना के तहत 9 बल्क एस एम एस एजन्सियों का पैनल बनाया है। इसके लिये बातचीत के आधार पर खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा दरें तय की गई हैं।

3.10 **सार्वजनिक-निजी भागीदारी**: एक और क्षेत्र जिसमें पहल की गयी है, वह है दृश्य श्रव्य माध्यम में सृजनात्मकता। डीएवीपी ने अपने ग्राहक मंत्रालयों के लिये सृजनात्मक डिजाइन करने के लिये रिकॉर्ड संख्या में निजी विज्ञापन एजेंसियों का पैनल बनाया। मल्टी मीडिया विज्ञापनों के लिये ग्राहक मंत्रालयों के साथ मिलकर एजेंसियों को एंपैनल किया गया है।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

मानव शक्ति के पुर्नगठन द्वारा क्षमता बढ़ाने के लिए निदेशालय अपनी रचना के पुर्नसंरचना और नवीनीकरण की प्रक्रिया में है। आदिवासी, सीमा, दूरदराज और पिछले इलाके के लोगों के लाभ के लिए जो अन्य स्रोतों से वंचित हैं, उपलब्ध संसाधनों के सर्वश्रेष्ठ उपयोग पर ज़ोर दिया गया है।

पारदर्शिता के लिए निदेशालय ने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की www.employmentnews.gov.in और हिन्दी के लिए www.rojgarsamachar.gov.in एक प्रभावशाली वेबसाइट है। प्रतिमाह 7 लाख से अधिक लोग वेबसाइट खोलते हैं। यह सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या है। इसके द्वारा ऑनलाइन नौकरियों का चुनाव भी कर सकते हैं। इसमें सीधे प्रतिस्पर्धियों को ई मेल द्वारा सरकारी नौकरी की खबर दी जाती है।

भारतीय जनसंचार संस्थान

संस्थान विभिन्न मीडिया संस्थानों के साथ जुड़ने को इच्छुक युवकों एवं युवतियों को बुनियादी कौशल/आवश्यक तकनीकी ज्ञान से सुसज्जित करता है तथा क्षेत्र के विभिन्न आयामों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। संस्थान की ओर से यह प्रयास किया जाता है कि वह अपने पिछड़े जाति के छात्रों को समाज के लिए उपयोगी सदस्य बनाये। सामान्यत: यह पाया गया है कि 60 प्रतिशत छात्र विभिन्न डिप्लोमा कोर्स में युवतियां हैं। इस तरह भारतीय जनसंचार संस्थान, मीडिया और संचार में महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहा है।

विकेंद्रीकरण पर प्रमुख बल देते हुए भारतीय जनसंचार संस्थान ने चार नए क्षेत्रीय केंद्र आइजोल (मिजोरम), अमरावती (महाराष्ट्र), जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) और कोट्टायम (केरल)में खोले हैं। ये ढेंकनाल (उड़ीसा) में क्षेत्रीय केंद्र और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त हैं।

पूरे देश में प्रवेश परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए सभी लिखित परीक्षा के परिणाम, साक्षात्कार और अंतिम दाखिला सूची संस्थान के वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाती है।

फोटो प्रभाग

फोटो डिवीजन का मुख्य कार्य देश में आए राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों और देश के विकास और तरक्की के फोटोग्राफिक दस्तावेज तैयार करना और विभिन्न सरकारी संगठनों को तस्वीरें प्रदान करना है। फोटो डिवीजन की वेबसाइट पर तस्वीरों को डाला जाता है ताकि अनुसंधानकर्ता, तस्वीरें खोजने वाले और संगठन, डिवीजन के आर्काइव से तस्वीरें देख सकें। उत्तरपूर्व, जम्मू-कश्मीर, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप जैसे स्थानों में विकास की गतिविधियों के दस्तावेज तैयार करने के लिए प्लान योजना के तहत एक विशेष पहल की गई है। लंबे समय तक डिजीटल तस्वीरें संरक्षित रखने और डिजीटल लाइब्रेरी तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए पहल की गई हैं। फोटो डिवीजन ने अपनी स्थापना के स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश में असाधारण फोटोग्राफी के लिए पुरस्कारों की शुरूआत की। पेशेवर और गैरपेशेवर वर्गों में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के साथ-साथ डिवीजन ने लाइफटाईम अचीवमेंट पुरस्कार भी शुरू किए हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

प्रेस परिषद ने अर्द्ध न्यायिक संस्था होने और प्रेस के आचरण संबंधी मानदंडों के नियमन का उत्तरदायित्व संभालते हुए निम्नलिखित सुधार के उपाय और नीतिगत पहलें की हैं :

1. सुधारात्मक उपाय

*प्रेस परिषद अधिनियम में संशोधन के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विचार विमर्श किया जा रहा है।

2. **पारदर्शिता**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू करना
2. फैसलों और विभिन्न मामलों पर उप समिति की रिपोर्ट्स, अन्य उपायों/कार्रवाइयों को वैबसाइट पर डालना
3. शुल्क वसूली की बकाया राशि वैबसाइट पर डालना
4. परिषद का सतर्कता/शिकायत निवारण तंत्र/नागरिक चार्टर जो सार्वजनिक है।

3. नीतिगत उपाय :

1. महिलाओं के अभद्र निरूपण (निषेध) संशोधन विधेयक 2011, के कैबिनेट के मामले पर उप समिति (रिपोर्ट 22.7.2013 को स्वीकार की गई)

2. जांच दल बिहार में प्रेस की आजादी के उल्लंघन की शिकायतों के सभी पहलुओं की पड़ताल करेगा (रिपोर्ट 22.7.2013 को स्वीकार की गई)

3. पेड न्यूज से संबंधित मामले पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों पर रिपोर्ट (रिपोर्ट नवम्बर 2013 को स्वीकार की गई)

4. मीडिया स्वामित्व से जुड़े मामलों पर भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा पत्रों से विचार-विमर्श के बारे में मिले संदर्भ पर उपसमिति की रिपोर्ट (रिपोर्ट नवम्बर 2013 को स्वीकार की गई)

5. प्रिंट मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में क्षेत्रवार सीमा की नीति पर रिपोर्ट (रिपोर्ट नवम्बर 2013 को स्वीकार की गई)

6. छोटे और मझौले समाचारपत्र विकास निगम के गठन की दृष्टि से वित्तीय दृष्टिकोण से छोटे और मझौले समाचारपत्रों के मामलों पर उपसमिति

पत्र सूचना कार्यालय

भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नोडल एजेंसी है। ब्यूरो मीडिया प्रतिनिधियों को मीडिया सुविधाएं प्रदान करता है। सरकार के आम आदमी तक पहुंचने के प्रयासों के एक हिस्से के रुप में पीआईबी राष्ट्रीय स्तर पर जनसूचना अभियान (पी आई सी) आयोजित कर रहा है। पीआईबी का मुख्य उद्देश्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सूचना का अधिकार अधिनियम, अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस) स्कीम, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक बनवासी कल्याण इत्यादि के बारे में जागरुकता पैदा करने तथा सूचना पहुंचाना है।

ब्यूरो ने एक ही स्थान पर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को मीडिया सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित किया है। एनबीसीसी इसकी क्रियान्वयन एजेंसी थी। परियोजना लागत 60 करोड़ रुपये तक पहुंचने के कारण ईएफसी का नया अनुमोदन 15 सिंतबर 2009 को प्राप्त किया गया। 31 मार्च 2014 तक 57.41 करोड़ रुपये का उपयोग कर लिया गया। भवन अब पूरी तरह तैयार है और इसमें कार्य किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, स्कीम में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह तथा प्रवासी भारतीय दिवस हिस्सा बन गया है। ये भारत सरकार के प्रतिष्ठित कार्यक्रम हैं, जो मिली-जुली संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार, पीआईबी इन दोनों कार्यक्रमों के लिए मीडिया सुविधाएं प्रदान कर रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में पत्र सूचना कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए नई योजनाओं का प्रस्ताव है। इसका मुख्य लक्ष्य आधुनिकीकरण और संचार का उन्नयन और सूचना प्रणाली को संपूर्ण रूप से आधुनिक तकनीक के साथ उपयोग करना और कार्यालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय एवं शाखाओं दफ्तर में कार्यक्षमता में बदलाव दर्शनीय हैं।

प्रकाशन विभाग

सुधार उपाय व नीतिगत पहल

एम्पॅलाइमेंट न्यूज द्वारा उठाए पहले कदमों को अलग से दिया गया है जबकि इस निदेशालय के प्रशासन, सम्पादकीय, व्यापार, उत्पादन (प्रकाशन) और योजना विंग्स में उठाए गए कदमों को यहां दिया जा रहा है:

3.1 प्रशासन

3.1 अ निदेशालय द्वारा अपेक्षित सेवाओं और सामानों की खरीद की स्वीकृति प्रक्रिया सरल और कारगर कर दी और जीएफआर के अधिनियमों के आधार पर आदेश दी।

3.1 ब प्रशासनिक मुद्दों पर जानकारी पाने के लिए फील्ड अधिकारियों से टेलीफोन पर निरंतर सम्पर्क बनाए रखने हेतु पहल की गई और अगर कोई समस्या थी तो उसे सुलझा लिया गया।

3.2 उत्पादन

3.2 अ हाल ही में अंतिम रूप से स्वीकृत प्रकाशकों के नवीन पैनल के माध्यम से विभिन्न आकारों की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वार्षिक दर अनुबंध बनाए जाएंगे।

3.2 ब पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कागज़ की गुणवत्ता कठोरता से सुधारी गई है।

3.3 संपादकीय

3.3 अ अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बाज़ार में चुनौती बनाये रहने के लिए प्रकाशन प्रभाग अपनी पुस्तकों की विषय वस्तुओं और उनके स्वरूप (रुपरंग) को सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता रहता है। समय के साथ कदम मिलाने के लिए विभाग ने बच्चों के सभी प्रकाशन को चार रंगों में चित्र देने का निर्णय लिया है। निदेशालय की पत्रिकाएं आजकल, साहित्य, संस्कृति और बाल भारती बच्चों के साहित्य की विभिन्न समसामयिक विषयों पर लेख प्रकाशित करती है।

3.3 ब वर्ष 2013-14 में भारतीय परिदृश्य के विभिन्न पक्षों को उजागर करने वाले विभिन्न प्रकार के विषयों पर, प्रकाशन प्रभाग ने अपनी परम्परा बनाए रखते हुए, पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं: भारतीय सिनेमा का सफरनामा, हमारे डाक टिकट: रंग भारत के हिन्दी में और भारतीय शहीदों पर दो खंड हिन्दी में।

3.4 योजना और कुरुक्षेत्र

योजना और ग्रामीण विकास पर योजना (13 भाषाओं में प्रकाशित) और कुरुक्षेत्र (हिन्दी और अंग्रेज़ी) अग्रणी पत्रिकाएं हैं। दोनों पत्रिकाएं विकास के विभिन्न विषम विषयों पर लेख प्रकाशित कर विकास के मुद्दों को उठाती है।

3.5 व्यापार

3.5 अ प्रकाशन प्रभाग ने अपनी पुस्तकों और पत्रिकाओं की रुपरेखा को सुधारने के लिए विभिन्न प्रयास किए। उसके लिए प्रभाग ने उच्च स्तरीय पुस्तकें विमोचित की, पुस्तक समीक्षाओं का प्रचार किया और महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों तथा पुस्तक मेलों में भाग लिया।

3.5 ब नए सदस्यों को शामिल करके घरेलू पुस्तकालय की सदस्यता को बढ़ाया।

3.5 स हमारे प्रकाशनों को विस्तार देने के लिए ऑन-लाइन पुस्तक भंडारों से टाई-अप करने की पहल की।

3.6 रोज़गार समाचार

एम्पॅलाइमेंट न्यूज, एक साप्ताहिक है जो अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित होता है। यह प्रकाशन प्रभाग का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इस साप्ताहिक में केन्द्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों, परिषदों इत्यादि में रिक्तियों के विज्ञापन होते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, यूपीएससी, एसएससी की परीक्षा नोटिसों और

परीक्षाफलों और अन्य आम नियोक्त निकायों तथा मध्य स्तर नौकरी के विज्ञापन को छापा जाता है। इसमें विभिन्न विभागों में डेपुटेशन पर भी जाने के विज्ञापन छपते हैं। इनके अतिरिक्त, इसमें संपादकीय खंड (सेगमेंट) भी होता है जिसमें कैरियर अवसरों पर दो प्रमुख लेख प्रकाशित होते हैं।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

पिछले कुछ वर्षों में प्रिंट मीडिया का जिस तरह से विस्तार हुआ है उससे वह प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम 1867 के दायरे के भी बाहर निकल गया है। पी.आर.बी. अधिनियम 1867 के अनुसार और इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा की गई है ताकि उन्हें प्रिंट मीडिया के वर्तमान परिदृश्य के अनुसार प्रासंगिक बनाया जा सके। मौजूदा पीआरबी अधिनियम 1867 कई तरह से अपयति हो गया है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से शीर्षक पुष्टिकरण, विदेशी प्रकाशनों और प्रसारण संख्या पुष्टि संबंधी धाराएं स्पष्ट नहीं है। इसमें शीर्षक प्रार्थनापत्रों और ज़िला अधिकारियों द्वारा की गई घोषणा की प्रामाणिकता संबंधी समयबद्धता का अभाव है जिससे अकारण विलम्ब होता है और जिसे टाला जा सकता है। इसलिए मौजूदा अधिनियम की जगह पर 'द प्रेस एंड रज़िट्रेशन ऑफ बुक्स एंड पब्लिकेशन अधिनियम 2013' को लाने का सुझाव दिया गया ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

एक जून से लागू नई विज्ञापन नीति के तहत प्रसारण संख्या पुष्टिकरण का काम उन समाचारपत्रों की बड़ी प्रसारण संख्या की चेकिंग तक सिमट कर रह गई जिनकी प्रसारण संख्या 75000 या इससे ज़्यादा प्रतिदिन है और जो आइएनआई में व्यक्तिगत प्रकाशकों के अनुरोध पर डीएवीपी द्वारा प्रेषित किए जाती है। प्रसारण संख्या का सत्यापन आरएनआई अधिकारियों की टीम के द्वारा किया जाता है। समाचार पत्रों के त्वरित, कुशल और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीआरबी संशोधित अधिनियम 2011 को अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना और समाचार पत्रों की प्रसार संख्या की कड़ी जांच करने जैसे कार्य किए जा रहे हैं और 2007-12 तक की 11वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी और मध्य क्षेत्र भोपाल में दो नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की जा रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के मुख्य उद्देश्य हैं : (1) ऑनलाइन पंजीकरण करना (2) फाईलिंग का वार्षिक सूचकांक फाइलिंग द्वारा किया जाए।

हाल की मुख्य बातें

12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार ई-फाइलिंग के द्वारा वार्षिक ब्यौरा आरएनआई मुख्यालय में सफलतापूर्वक आरंभ हुआ। इसका उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। जुलाई 2014 को डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान किया।

कम्प्यूटर के डाटाबेस में प्रकाशकों से फीडबैक प्राप्त करने से शेयरधारकों को लाभ प्राप्त होता है।

आरएनआई के 12 वीं पंचवर्षीय योजना में ऑनलाइन शीर्षक आवेदन कार्यक्रम अंतिम प्रारूप में है और ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण का कार्य प्रगति पर है।

डाटाबेस ई मेल और मोबाइल नंबर प्रकाशक और मालिकों को जोड़ा जा रहा है।

अपने आप एसएमएस द्वारा शीर्षक और पंजीकरण आवेदकों के पास सूचना पहुंच जाती है।

शीर्षक वितरण, नामंजूर, कार्यवाही पत्र ऑनलाइन प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है।

ऑनलाइन जनता की जिज्ञासा और जानकारी को मजबूत किया जा रहा है।

प्रतिदिन सुबह और शाम एक घंटा स्टैक होल्डर के लाभ के लिए प्रकाशक से मुलाकात किया जाता है।

वितरण निगरानी (संयुक्त उप-भाग आरसीई/एसएफसी के अंतर्गत प्रस्तावित

उच्चस्तरीय सूचना एवं प्रसारण समिति द्वारा डीएवीपी के विज्ञापन के रेट की पुर्नरचना में आरएनआई वितरण निगरानी/सर्वेक्षण की प्रत्येक वर्ष निगरानी करता है। इसके मद्देनजर आइएनआई ने एक नए अनुभाग की स्थापना करने का सुझाव दिया है जो वितरण का सर्वेक्षण करे। इसमें सलाहकार, सीए, तकनीकी सहायक इत्यादि होगें। बजट मद में सुनियोजित योजना के तहत कर्मचारी आदि का खर्च दिया जाए। इसके तहत आरएनआई/डीएवीपी/पीआईबी के कर्मचारी मिलकर कार्य करेंगे।

गीत एवं नाटक प्रभाग

संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक एवं पारम्परिक स्वरूपों को काम में लाने हेतु प्रभाग की 1954 में लघु प्रयोगात्मक ईकाई के रूप में स्थापना की गई। लाइव मीडिया, जो आज इस नाम से विख्यात हो चुका है, जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों को समावेश करके और समसामयिक मुद्दों, विचारों तथा तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में लचीलेपन को अपना कर बहुत प्रभावशाली साबित हुआ है। प्रभाग का कार्यक्रम और आकार, इसीलिए बढ़ा दिया गया है ताकि, दुर्गम पर्वतीय इलाकों, रेगिस्तान और सीमा क्षेत्रों को शामिल करते हुए ज़मीनी स्तर पर इसके प्रयासों को बताने के लिए इसकी व्यापक एवं सुगम पहुंच संभव हो सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य, जैसा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तार से बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों से संबद्ध मुद्दों पर जनसाधारण के बीच जागरुकता और भावनात्मक ग्रहणशीलता को बनाने का है। ये आदर्श राष्ट्र के विकास के प्रेरक हैं; इसका मुख्य कार्यसीमा क्षेत्रों में बसे लोगों में रक्षा की पूर्व तैयारियों की अनुभूतियों को जगाना है और बाकी भारत के साथ सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखना है तथा सुदूर एकाकी क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों के नैतिक मनोबल, सजीव मनोरंजन माध्यमों के द्वारा बनाए रखना है। सजीव मनोरंजन माध्यमों में शहरी रंगमंच स्वरूप और लोक स्वरूप दोनों शामिल है और इनमें देश के सभी क्षेत्रों की झलक है।

अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभाग लोक और पारम्परिक कला स्वरूपों को व्यापक स्तर पर अपनाया है, जैसे लोक और पारम्परिक नाटक, बैले, ओपेरा, नृत्य नाटिकाएं, लोक और पारम्परिक प्रस्तुतियां, कठपुतली खेल और यहां तक हज़ारों जादूगरों की प्राचीन परम्परायुक्त कुशल प्रदर्शन, इसके अलावा, प्रभाग ने साम्प्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय अखंडता, धर्मनिरपेक्षवाद, सांस्कृतिक धरोहर, स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा इत्यादि को बढ़ावा देने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर आधारित कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए आधुनिक तकनीकों से युक्त ध्वनि एवं प्रकाश तथा सैकड़ों कलाकारों को अपनाया है।

देश के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध असंख्य लोक और पारम्परिक स्वरूपों के इस्तेमाल के जरिये, प्रभाग एक ओर इन कला स्वरूपों के जीर्णोद्धार और टिकाऊपन का प्रबल स्रोत है और दूसरी ओर हज़ारों कलाकारों को अपनी-अपनी क्षमताओं/प्रतिभाओं का अपनी-अपनी भाषाओं, मुहावरों और बोलियों के सोद्देश्य संवाद के कारण, आजीविका उपलब्ध कराने में भी सक्षम है।

अपेक्षाकृत कहीं अधिक पारदर्शिता और कहीं अधिक बड़े पैमाने पर प्रचार सुनिश्चित करने की दिशा में संगीत उपकरणों आधुनिकीकरण शीर्षक के तहत सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों में आधुनिक तकनीकियों के अनुकूल बनने और कंप्यूटरीकरण को अपनाने का प्रस्ताव रखा गया है। कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुधारने के दृष्टिकोण से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और प्रभाव आकलन जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

सूचना भवन का निर्माण चरण-V

वर्ष 2006 में पांचवें चरण के निर्माण का प्रस्ताव इस मंत्रालय के नीति योजना प्रकोष्ठ में भेजा गया ताकि इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में शामिल किया जा सके। योजना आयोग की सहमति प्राप्त होने के बाद, सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए 12.03.2008 को व्यय वित्त समिति की (ईएफसी) की बैठक हुई। ईएफसी ने परियोजना को 74.60 करोड़ रुपये की लागत सीमा के साथ स्वीकृति दे दी। परियोजना की कुल लागत 77,04,55,919.00 रुपए आएगी।

वार्षिक योजना 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान आबंटित बजट के विवरण 2014-15 के लिए अनुमानित बजट को यहां नीचे दिया जा रहा है:

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	आबंटित बजट	वार्षिक योजना	जारी राशि
1	सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में सूचना भवन के पांचवें चरण का निर्माण	1.00 करोड़ रुपये	2007-08	1.00 करोड़
2	- वही -	3.53 करोड़ रुपये	2008-09	1.762 करोड़ रुपये
3	- वही -	10.00 करोड़ रुपये	2009-10	10.00 करोड़ रुपय
4.	- वही -	18.00 करोड़ रुपये	2010-11	18.00 करोड़ रुपये
5.	- वही -	31.30 करोड़ रुपये	2011-12	31.30 करोड़ रुपये
6.	- वही -	10.83 करोड़ रुपये	2012-13	8.57 करोड़ रुपये
7.	- वही -	6.40 करोड़ रुपये	2013-14	6.30 करोड़ रुपये
	कुल	**85.06**		**76.93 करोड़ रुपये**

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी राशि 6.40 करोड़ रुपए के आबंटित बजट की तुलना में कम है, इस अंतर राशि को वर्ष 2014-15 के अनुमानित बजट में जोड़ दिया जाएगा।

मीडिया ईकाइयों (प्रसार भारती के अलावा) सभी तीनों क्षेत्रों में नीति संबंधी अध्ययन, सेमिनार, सम्मेलन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि (प्रसार भारती को छोड़कर) (नई योजना)

परियोजना मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में मंत्रालय की नई योजना/परियोजनाओं/निरंतरता के अध्ययनों, सम्मेलनों और पुनर्मूल्यांकन संबंधी नीति उपलब्ध कराने का वादा करती है।

मानव संसाधन विकास के लिये प्रशिक्षण

हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान और क्वीनलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्नालॉजी, आस्ट्रेलिया के बीच एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किये गए जिसके तहत दोनों संस्थानों के बीच अकादमीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों को चलाया जायेगा। इस कार्यक्रम में मुख्यतया भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों को विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाना है। इस कार्यक्रम के लिये दी जाने वाली वित्तीय राशि 12 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई जाने वाली योजना 'मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण' से लिये जाने का प्रस्ताव है।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

1. फिल्मों को लोक प्रदर्शन करने लिए प्रमाणित करने के उद्देश्य से सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा फिल्म सेंसर बोर्ड को जून 1983 में 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' को नए नाम से स्थापित किया गया।

2. वर्तमान बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा 19 गैर सरकारी सदस्य हैं जिन्हें 25 मई 2011 को नामित किया गया। बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में तथा 9 क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु, तिरूवनंतपुरम, दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी में है।

3. प्रमाणन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सीबीएफसी ऑन लाइन प्रमाणन प्रक्रिया में अग्रसर है। सीबीएफसी की गतिविधियों को प्रेस विज्ञप्ति तथा इसकी वेबसाइट http://cbfcindia.gov.in के द्वारा प्रचारित किया जाता है।

बाल फिल्म समिति, भारत

मंत्रालय द्वारा किए गए सुधार उपाय और नीतिगत पहलकदमियां

सीएफएसआई के कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली सूचनाओं को नियमित तौर पर सीएफएसआई की वेबसाइट पर नवीनतम किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और परिणामों को बताया जा सके। फिल्म निर्माण के लिए ऑनलाइन प्रपोजल फार्मों को भरने की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। इसी तरह, सीएफएफआई द्वारा आयोजित चलचित्र महोत्सवों में भाग लेने के लिए चलचित्र प्रविष्टियों को ऑनलाइन भरा जा सकता है।

आयोजनों के कैलेंडर के रूप में सीएफएसआई की वेबसाइट पर बाल चलचित्र प्रदर्शनी गतिविधियों को प्रमुखता से दर्शाया जाता है और कार्यान्वयन पर चित्रों और आलेखों को भी प्रमुखता से पेश किया जाता है।

सीएफएसआई की गट्टू शीर्षक से निर्मित चलचित्र को 20 जुलाई, 2012 को रिलीज़ किया गया जिसे पहली बार चार सप्ताह तक भारत के 55 शहरों के 100 सिनेमाघरों में एक साथ दिखाया गया। यह दु:साहस नियमित बाज़ार में घुसने और चलचित्रों के साथ मुकाबला करने के लिए किया गया।

जैसे पहले ही जानकारी दी जा चुकी थी, महाराष्ट्र सरकार से याचना की गई कि वह बाल-चलचित्र परिसर निर्माण के लिए फिल्म सिटी में भूमि आवंटित करे जिसका (बाल चलचित्र परिसर का) उपयोग बच्चों के सिनेमा के लाभ के लिए किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र चलचित्र, मंच एवं सांस्कृतिक विकास संघ लि. गोरेगांव, मुंबई स्थित फिल्म सिटी के प्रवेश पर 1460 वर्ग मी. भूमि देने का प्रस्ताव रखा। सीएफएसआई अब महाराष्ट्र सरकार की स्वीकृति का इंतज़ार कर रही है। सीएफएसआई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर परिसर के ऊपर एक आवर्ती बनाने का काम पूरा कर दिया है।

सीएफएसआई का मकसद राष्ट्रीय महत्व का आधुनिक बाल चलचित्र परिसर निर्मित करने का है जिसमें एनिमेशन और कठपुतली स्टूडियो सहित फिल्म निर्माण के सभी पक्ष मौजूद होंगे। निर्माण की गुणवत्ता भी एक बहुमूल्य कोष बनाएगी जिसका बड़े पैमाने पर भारतीय बच्चे आनन्द उठा सकेंगे। परिसर में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा एवं इसकी चारदीवारी के अंदर बाल चलचित्र पुरातत्व को भी स्थापित किया जाए।

फिल्म समारोह निदेशालय

61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बाद 3 मई 2014 को गठित एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा विशेष स्क्रीनिंग कर 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2014 की उद्घोषणा की गई। 2014 के लिए भारतीय पैनोराम का चयन और अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन को तैयार किया गया।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

सुधार के उपाय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के मामले

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने संबंधी संसद के विधान का प्रस्ताव किया गया है। संसद का यह विधान संस्थान के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता देगा और संस्थान को अपना अधिदेश कारगर रूप से पूरा करने की दिशा में विविध उपाय करने में सक्षम बनायेगा।

व्यापक पारदर्शिता लाने के लिये संस्थान नागरिक चार्टर का प्रकाशन करता है, जो उसकी वैबसाइट पर उपलब्ध है।

फिल्म प्रभाग

सुधार, उपाय और नीतिगत पहल

बाहरी निर्माताओं/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से निर्मित वृत्तचित्र फिल्मों में विचारात्मक सामाजिक मसलों और समस्याओं को उनके समाधान के साथ तथा राष्ट्र निर्माण के सरकार के प्रयासों सहित दर्शाया गया।

मुंबई में फिल्म प्रभाग के परिसर में 'भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय' नामक संग्रहालय बनाने का फैसला भी किया गया, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास को दृश्य-श्रव्य प्रस्तुति और महत्वपूर्ण कलाकृतियों के प्रदर्शन तथा जाने-माने निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थाओं आदि के कार्य को आगंतुकों/फिल्म प्रेमियों के लाभ के लिये दर्शायेगा। यह संग्रहालय सिर्फ आम लोगों को सूचना का भंडार ही मुहैया नहीं करायेगा, बल्कि फिल्म निर्माताओं, फिल्म छात्रों, फिल्म प्रेमियों और आलोचकों को कलात्मक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप सिनेमा के विकास के बारे में जानने और उसका आकलन करने में सिर्फ देश में नहीं, बल्कि दुनिया के सभी भागों में भी मददगार साबित होगा।

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

पहले और दूसरे चरण में चलचित्र (फिल्म) तहखानों, मुख्य प्रेक्षागृह, डीजी सेट तथा अग्निशमन प्रणाली को बदलने को शामिल करते हुए वर्तमान आधारभूत संरचना के उन्नयन का कार्यवर्ष 2014-15 के दौरान एनएफएआई के लिए पूर्ण बजट के विनियोजन के बाद अगली तिमाही में शुरू किया जा सकेगा।

सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सुधार के उपाय और सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के मामले

सत्यजित रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने संबंधी संसद के विधान का प्रस्ताव किया गया है। संसद का यह विधान संस्थान के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मान्यता देगा और संस्थान को अपना अधिदेश कारगर रूप से पूरा करने की दिशा में विविध उपाय करने में सक्षम बनायेगा।

मुख्य सचिवालय की फिल्म विंग स्कीमें

(क) एंटी पायरेसी मिशन

फिल्म क्षेत्र, कुल मिलाकर एक निजी क्षेत्र होने के बावजूद, भारत का प्रबल सांस्कृतिक उद्योग है। संख्या की दृष्टि से भारत सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण कर दुनिया में पहले स्थान पर है, हालांकि जहां तक राजस्व अर्जित करने की बात है, भारतीय फिल्म की हिस्सेदारी विश्व बाजार में नगण्य है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति फिल्म उद्योग में- निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति का मुख्य वाहक साबित हुई है।

फिल्म उद्योग पर पाइरेसी के प्रभाव के बारे में पिछले अध्याय में चर्चा की जा चुकी है। पाइरेसी से निपटने के लिये प्रभावशाली कानूनी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है, वह इसके प्रभावों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि उपभोक्ता ही हैं। इसलिये फिल्म और संगीत उद्योग के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए 12वीं योजना अवधि के दौरान प्रभावशाली और व्यापक मल्टी मीडिया प्रचार अभियान चलाने की सिफारिश की गई है। साथ ही, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पाइरेसी के प्रभाव का सटीक अनुमान लगाने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियां शुरू करने की भी जरूरत है।

एंटी पाइरेसी योजना का लक्ष्य निम्नलिखित गतिविधियों में सहायता उपलब्ध कराना होगा : -

1) पाइरेसी पर मल्टी मीडिया प्रचार अभियानों के प्रसार में

2) पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासनिक अधिकारियों को कॉपीराइट कानून की जानकारी देने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के आयोजन में

3) पाइरेसी के प्रभावों पर शोध कराने में, ताकि विकास हो सके तथा साथ ही साथ पाइरेसी से निपटने के लिये सार्वजनिक-निजी रणनीतियां भी लागू की जा सकें।

वर्ष 2013-14 के दौरान, फिक्की के साथ फरवरी-2014 में 0.60 लाख रुपये निधि वाली एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।

(ख) फिल्म सामग्री का विकास, संचार एवं प्रसार

पूर्व में लागू की गई विभिन्न योजना स्कीमों की समीक्षा के पश्चात् विभिन्न स्कीमों के तहत गतिविधियों यथा फिल्म निर्माण, भारतीय फिल्मों का फिल्म समारोह एवं फिल्म बाजारों में संवर्द्धन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन, आर्काइव्स सामग्री का अधिग्रहण आदि को एक एकल योजना में विलय किया गया है जिससे उसका बेहतर परिणाम मिल सके।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन

12वीं वर्षीय योजना के तहत एक राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन (एनएफएचएम) में पुर्नद्धार, डिजिटलाइजेशन और धरोहर फिल्में और फिल्मों की सामग्री को राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में सुरक्षित रखना है।

मोशन पिक्चर उद्योग में एक आर्काइव्स में बेहतर संरक्षित परिस्थितियों में मास्टर स्तरीय सामग्री को रखा जाता है जिसमें दीर्घावधि तक रखने की क्षमता होती है। इसका लक्ष्य होता है ''प्रिजर्वेशन विदाउट एरर्स, एक्सेज विदाउट एंड''।

(घ) ऐनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभावों के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

फिल्म क्षेत्र, एक निजी क्षेत्र होने के बावजूद, भारत का सशक्त सांस्कृतिक उद्योग है। संख्या की दृष्टि से भारत सबसे ज्यादा फिल्मों का निर्माण कर दुनिया में पहले स्थान पर है, हालांकि जहां तक राजस्व अर्जित करने की बात है, भारतीय फिल्म की हिस्सेदारी विश्व बाजार में नगण्य है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति फिल्म उद्योग में निर्माण, वितरण, प्रदर्शन और विपणन सहित सभी क्षेत्रों में प्रगति का मुख्य वाहक साबित हुई है।

मानव संसाधन पर मैसर्स पीडब्ल्यूसी द्वारा कराये गये अध्ययन के आधार पर सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में ऐनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है। इस योजना को 'सैद्धांतिक'मंजूरी दिलाने के लिये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने योजना आयोग से सम्पर्क किया है।

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग केंद्र (ईएमएमसी)

सुधार, उपाय और नीतिगत पहल

12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) में 90 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली 'ईएमएमसी का सुदृढ़ीकरण' संबंधी नामक स्कीम को अनुमोदित किया गया है । इस स्कीम में निम्नलिखित पर विचार किया जाता है :-

- केबल टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट, 1995 तथा इसके तहत गठित नियमों में निहित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं के उल्लंघन के संदर्भ में ईएमएमसी की मानीटरिंग क्षमता को चरणबद्ध तरीके से 300 टीवी चैनलों से बढाकर 1500 टीवी चैनल करना ताकि निजी सैटलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारण से संबंधित सरकार को प्राप्त शिकायतों की निगरानी और उन पर विचार करने में ईएमएमसी को सक्षम बनाया जाए।

- मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों को प्रतिक्रिया देते हुए टिप्पणियों और विश्लेषण समेत दैनिक समाचार रिपोर्टों का संकलन।
- विशेष निगरानी के तौर पर एसएमएस अलर्ट भेजना तथा मंत्रिमंडलीय सचिवालय, पीएमओ, एमएचए इत्यादि द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट रिपोर्ट उपलब्ध कराना
- निजी एफएम चैनलों और कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों की सामग्रियों की निगरानी करने हेतु ईएमएमसी में केंद्रीकृत एफएम मानीटरिंग कार्यविधि की स्थापना करना

प्रसार भारती

प्रसार भारती के पास प्रसारण और टेलीकास्टिंग के क्षेत्र में ढांचागत, श्रमशक्ति और तकनीकी विशेषज्ञता के संदर्भ में संसाधनों का व्यापक भंडार है। ढांचागत भंडार में, विशेष रूप से भूमि, इमारत, टावर, ट्रांसमीटर, स्टूडियो, सेटेलाइट अर्थ स्टेशन, अभिलेखकरण की सुविधा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण (तकनीकी)संस्थान, अनुसंधान और विकास आदि शामिल हैं। 500 डब्ल्यू मीडियम वेव ट्रांसमीटर से शुरुआत करते हुए आकाशवाणी आज प्रमुख प्रसारक संगठन बन गया है। 493 रेडियो ट्रांसमीटर के साथ यह 91.87 प्रतिशत क्षेत्र और 99.19 प्रतिशत आबादी के दायरे में फैला हुआ है। दूरदर्शन 31 चैनलों से बढ़कर 39 सेटेलाइट अर्थ स्टेशनों तक फैल गया है और विभिन्न क्षमताओं वाले इसके 1416 ट्रांसमीटर देश की 92 प्रतिशत आबादी को अपने दायरे में लिए हुए है।

अपनी क्षमता के सदुपयोग के लिए आकाशवाणी ने मई 2001 में अपने संसाधनों को स्वतंत्र केंद्र के रूप में स्थापित किया जिससे व्यापक ढांचे से राजस्व अर्जित किया जा सके। निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत, अगले 10 से 15 वर्षों में आकाशवाणी के संसाधनों द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से राजस्व उत्सर्जित किए जा सकते हैं :

- निजी प्रसारकों, मोबाइल सर्विस प्रदाताओं/इग्नू के साथ लाइसेंस फीस आधार पर प्रसार भारती (पीबी)के ढांचागत संसाधन, जैसे टावर (एसटीएल टावर, स्व सहायक एस डब्ल्यू टावर, एकीकृत टीवी/एफएम टावर)निर्माण और भूमि को बांटना। अभी पीबी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की निजी एफएम चरण 1 और चरण 2 योजना के तहत निजी एफएम प्रसारकों के साथ अपने ढांचागत संसाधनों को बांट रहा है। इस योजना के तहत वे अपने एंटीना को माउंट कर सकते हैं और अपने ट्रांसमीटर और दूसरे सहायक उपकरणों के इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस खोल और बंद कर सकते हैं। भविष्य में, अगर पीपीपी के माध्यम से अपेक्षित हो, तो हम अपने ढांचागत संसाधन की व्यापक हिस्सेदारी कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त प्रसार भारती परिसर में लगे अपने उपकरण इंस्टॉल करने वाले निजी एफएम प्रसारकों को संचालन और रखरखाव सेवाएं भी प्रदान की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए एआईआर/डीडी स्टेशनों को श्रमशक्ति आउटसोर्स करने की अनुमति देने की जरूरत होगी क्योंकि श्रमशक्ति की पहले ही कमी है। पीबी निजी प्रसारकों के स्टूडियो और ट्रांसमीटरों को इंस्टॉल और कमीशन करने का काम भी कर सकता है।
- आकाशवाणी/डीडी सेटअप के साथ को साइट करने वाले चैनल/इग्नू ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव का काम भी आकाशवाणी/डीडी स्टेशन कर रहे हैं। प्रसार भारती की योजना है कि भविष्य में इग्नू के ट्रांसमीटरों के लिए भी यह कार्य किया जाएगा।
- मौजूदा समय में आकाशवाणी स्टूडियो और ट्रांसमीटरों का खाली समय इग्नू को किराए पर दिया गया है। जब भी कभी ऐसी आवश्यकता होगी और अगर भविष्य में ऐसा समय देना संभव होगा तो प्रसार भारती दूसरे शैक्षणिक संस्थानों/विश्वविद्यालयों और आउटस्टेशन एजेंसियों को प्रतिस्पर्धात्मक दर पर, मौजूदा ट्रांसमीशन घंटों के लिए किराए पर ये सुविधाएं प्रदान करेगा।
- प्रसार भारती श्रोताओं को आईवीआरएस और एसएमएस आधारित सेवा जैसी मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए टेलीकॉम सेवाओं के साथ एक समझौता कर रहा है। इस प्रकार की लोकप्रिय सेवाएं प्रदान करके, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मिलने वाले राजस्व में से आकाशवाणी को भी राजस्व प्राप्त हो सकता है। दूरदर्शन पहले से दिल्ली से मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान कर रहा है और जल्द इसे दूसरे शहरों में भी विस्तार देना चाहता है।

- आकाशवाणी के नेटवर्क में एमडब्ल्यू/एफएम/एसडब्ल्यू प्रसारक ट्रांसमीटर का एयर टाइम शैक्षणिक/कृषि संस्थानों को किराए पर दिया जा सकता है।
- विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/आवासीय स्कूलों में 50/100 वॉट के एफएम सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में भी प्रसार भारती मदद प्रदान कर सकता है।
- प्रसार भारती विभिन्न आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्रों पर ब्रॉडकास्टिंग के विभिन्न क्षेत्रों में ऑन साइट और संस्थात्मक प्रशिक्षण भी प्रदान कर सकता है। कुछ केंद्रों में यह प्रशिक्षण पहले से दिया जा रहा है जिसका आगे चलकर विस्तार किया जा सकता है।
- डेटा ऑडियो चैनल (डीएआरसी) सेवा के माध्यम से प्रसार भारती राजस्व अर्जित कर सकता है।

दूरदर्शन का डिजिटलीकरण

देश के विभिन्न भागों में 31 आंशिक डिजिटल और आठ एनालॉग स्टूडियो के पूर्ण डिजीटलीकरण का काम पूरा होने के करीब है। कैमरा चेनों को छोड़कर सभी उपकरण खरीदे और स्थापित किए जा चुके हैं। कैमरा चेनों की खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर है। इन स्टूडियो का पूर्ण डिजीटलीकरण 2014 के अंत तक कर लिया जाएगा।

40 उच्च शाक्ति वाले डिजिटल ट्रांसमीटरों को लगाने की परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। पहले चरण में 19 और दूसरे में बाकी 21 डिजिटल ट्रांसमीटर लगाए जाने हैं। उन्नीस ट्रांसमीटरों की खरीद का आदेश दिया जा चुका है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पटना में ट्रांसमीटर उनके स्थापना स्थल पर ही सप्लाई किए जाने हैं। एंटीना प्रणाली और फीडर केबल खरीदा जा चुका है। इन ट्रांसमीटरों को 2014 में चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाने की संभावना है।

चौबीसों घंटे प्रसारण वाले नए हिंदी चैनल

चौबीसों घंटे प्रसारण वाले चार नए हिन्दी चैनल डीडी बिहार, डीडी यूपी, डीडी एमपी और डीडी राजस्थान शुरु किए गए हैं। इन चैनलों के सिगनलों को सी बैंड और क्यू बैंड (डीटीएच), दोनों पर अपलिंक किया जा रहा है।

डीटीएच

दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता मौजूदा 59 से बढ़ा कर 97 टीवी चैनल करने की परियोजना लागू की जा रही है। इसके उन्नयन के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। परियोजना के 2014-15 की दूसरी तिमाही में पूरा हो जाने की संभावना है। ये सभी चैनल मुफ्त होंगे और इन्हें देखने के लिए दर्शकों को कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा।

हाई डेफिनेशन टेलीविजन (एचडीटीवी)

एचडीटीवी का वीडियो रेजोल्यूशन पारंपरिक टेलीविजन प्रणाली (स्टैंडर्ड डेफिनेशन टीवी) से पांच गुना अधिक होता है। इसमें तस्वीर एकदम साफ और विचलन रहित तथा रंग ज्यादा जीवंत दिखाई देते हैं। इसकी वाइड स्क्रीन तस्वीर ज्यादा वास्तविक प्रतीत होती है। निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है:-

दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो लगाए गए हैं।

दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एचडीटीवी से संबंधित निर्माण पश्चात सुविधाएं स्थापित की गई हैं।

कोलकाता और चेन्नई में आठ कैमरों वाले दो एचडी ओबी वैन शामिल किए गए है।

निम्नलिखित एचडीटीवी परियोजनाओं पर फिलहाल काम चल रहा है:-

- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में लगाए गए एचडीटीवी ट्रांसमीटरों के परीक्षण का काम जारी है।
- दिल्ली और मुंबई के लिए एचडीटीवी ओबी वैनों का आदेश दिया जा चुका है।
- दिल्ली में मल्टी कैमरा सचल निर्माण सुविधा के लिए दिया गया आदेश संबंधित फर्म को स्वीकार नहीं था इसलिए पुनः एनआईटी जारी किया जा रहा है।
- उपरोक्त परियोजनाएं अमल के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 2014 में चरणबद्ध तरीके से पूरा किए जाने की संभावना है।

आधुनिकीकरण,सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना

दूरदर्शन अपने नेटवर्क के आधुनिकीकरण, पुराने उपकरणों को अत्याधुनिक उपकरणों से बदलने और मौजूदा सुविधाओं में सुधार के लिए हमेशा प्रयासरत है। दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने की निम्नलिखित परियोजनाएं लागू की गईं या की जा रही हैं:-

ट्रांसमीटर

111 पुराने 100 वॉट एलपीटी को 500 वाट ऑटोमोड (1+1) एलपीटी से बदलने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं (इनके स्थलों की जानकारी अनुलग्नक पांच में दी गई है) सभी ट्रांसमीटर सप्लाई किए जा चुके हैं और 99 स्थानों पर इन्हें लगाने का काम पूरा हो चुका है। बाकी ट्रांसमीटरों को लगाने का काम जारी है जिसे 2014-15 की पहली तिमाही के अंत तक पूरा किए जाने की संभावना है।

डिब्रूगढ़, जैसलमेर, जबलपुर ,तुरा, कोलकाता (डीडी न्यूज),रायपुर, पुणे, विशाखापत्तनम, आगरा, फाजिल्का, भुज, मऊ, अनंतपुर, डालटनगंज और भवानीपटना में 15 मौजूद एनालॉग उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को बदला जा रहा है। ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। फाजिल्का, मऊ, कोलकाता में तीन ट्रांसमीटरों की सप्लाई की जी चुकी है और उन्हें लगाया जा रहा है। बाकी ट्रांसमीटरों की सप्लाई भी 2014 में कर दिए जाने की संभावना है।

भौगोलिक कवरेज के विस्तार के लिए जम्मू कश्मीर में राजौरी (डीडी 1 और डीडी न्यूज), ग्रीन रिज (डीडी 1), हिंबोटिंगला टॉप (डीडी 1) तथा नाथा टॉप (पटना टॉप) (डीडी 1) में उच्च शक्ति के पांच ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। राजौरी में ट्रांसमीटर आकाशवाणी की मौजूदा इमारत में ही लगाए जाने हैं। इसके लिए इमारत में तब्दीलियों का काम पूरा कर लिया गया है। राजौरी के लिए ट्रांसमीटरों की खरीद की प्रक्रिया जारी है। अन्य तीन ट्रांसमीटरों के लिए स्थलों का चयन कर उन्हें कब्जे मे ले लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है।

स्टूडियो केन्द्र

पुरानी कैमरा शृंखलाओं, निर्माण स्विचरों, कलर मानिटरों, डिजिटल वीसीआर और लोगो, जेनरेटरों को बदल कर 20 स्टूडियो केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके लिए कैमरों को छोड़कर बाकी सभी उपकरण मुहैया करा दिए गए हैं।

डीडी न्यूज मुख्यालय के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में 17 क्षेत्रीय समाचार इकाइयों पर सेल्यूलर मोबाइल समाचार संग्रह सुविधा मुहैया कराई गई है।

उपग्रह भूकेन्द्र

लेह में भूकेन्द्र के उन्नयन का काम पूरा कर लिया गया है।

पणजी, चंडीगढ़, हिसार और पोर्ट ब्लेयर में भूकेन्द्रों के उन्नयन का काम प्रगति पर है। आरएफ उपकरण को छोड़कर सभी उपकरणों को लगाने और उनके परीक्षण का काम पूरा कर लिया गया है।

प्रशिक्षण

पिछले दो दशकों में दूरदर्शन में आमूल-चूल बदलाव आए है। टेलीविजन प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। बरसों से चल रहे एनालॉग उपकरण तेजी से पुराने पड़ रहे हैं। हर तरफ डिजिटलाइजेशन की चर्चा है। दूरदर्शन भी अपने समूचे नेटवर्क का डिजिटलीकरण कर रहा है। प्रसारण प्रौद्योगिकी में आ रहे बदलावों को देखते हुए उसका जोर अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर है। एसटीआई (टी) दिल्ली, डीटीआई लखनऊ तथा आरएसटीआई (टी) शिलांग, भुवनेश्वर और मलाड (मुंबई) में नए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और मौजूदा कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के कार्यक्रम के अलावा प्रबंधन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा आईआईटी खड़गपुर, आईआईएम शिलांग और कई अन्य संस्थानों में प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाते हैं। उपकरणों के निर्माता भी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल पर ही प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2013-14 में लगभग 900 इंजीनियरिंग अधिकारियों को तकरीबन 73 कोर्सों में प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है। नेटवर्क में शामिल किए जाने वाले नए उपकरणों के निर्माताओं की ओर से 2013-14 में लगभग 450 इंजीनियरिंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में खराब उपकरणों की मरम्मत के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

दूरदर्शन की 12 वीं योजना

12 वीं योजना के तहत प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्टचर और नेटवर्क के विकास की दूरदर्शन की 1893.14 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दी गई है। इससे दूरदर्शन की पूंजीगत संपत्ति का सृजन होगा। इसमें से 1215 करोड़ रुपए मौजूदा और 678.14 करोड़ रुपए नई परियोजनाओं के लिए है।

12 वीं योजना में मुख्य तौर पर दूरदर्शन नेटवर्क के डिजिटलीकरण, डीटीएच और एचडीटीवी के विस्तार, दूरदर्शन स्टूडियो, ट्रांसमीटर और उपग्रह प्रसारण उपकरणों के आधुनिकीकरण तथा भारत-नेपाल सीमा पर टीवी कवरेज को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

12 वीं योजना के तहत निम्नलिखित नई परियोजाओं को मंजूरी दी गई है:-

1. सीमा पर कवरेज का सुदृढ़ीकरण

   क. भारत-नेपाल सीमा पर आठ एचपीटी की स्थापना

   ख. रामेश्वरम में टॉवर (300 मीटर) का सुदृढ़ीकरण

2. स्टूडियो और ट्रांसमीटर उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्द्धन और उन्हें बदलना

   क. सीपीसी और केन्द्रों का आधुनिकीकरण

   ख. समाचार मुख्यालय दिल्ली में सुविधाओं का उन्नयन

3. एचडीटीवी

   क. कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी स्टूडियो की स्थापना

4. उपग्रह प्रसारण उपकरणों का आधुनिकीकरण, संवर्द्धन और उन्हें बदलना

   क. 13 स्थलों पर भू-केन्द्रों का उन्नयन

   ख. पांच स्थलों पर अपलिंक पीडीए और आरएफ उपकरणों को बदलना

ग. दो स्थलों पर भू केन्द्र इमारतों का निर्माण

5. ढांचागत सुविधाओं का संवर्द्धन और अन्य कार्य

क. सुरक्षा से संबंधित और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण

ख. चंडीगढ़ में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

6. डीटीएच का विस्तार

250 टीवी चैनलों के ट्रांसमिशन के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन

7. नई मीडिया प्रौद्योगिकी/वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफॉर्म

दूरदर्शन के चुनिंदा चैनलों की लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरनेट के जरिए उपभोक्ता उपकरणों पर डिलीवरी

8. दूरदर्शन नेटवर्क का डिजिटलीकरण: केन्द्रीय अभिलेखागार, दिल्ली और चार क्षेत्रीय अभिलेखागारों में सुविधाओं को बेहतर बनाना

9. ओएफसी कनेक्टीविटी

चुनिंदा दूरदर्शन केन्द्रों को ओएफसी नेटवर्क के जरिए जोड़ना

10. किसान चैनल

मुख्य सचिवालय प्रसारण विंग

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग

मंत्रालय ने भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सशक्त बनाने के लिये पिछले चार वर्षों में कई कदम उठाये हैं। जिनके परिणामस्वरूप प्रदत्त अनुमतियों की संख्या 186 से बढ़कर 382 हो गई है और संचालित स्टेशनों की संख्या 64 से बढ़कर 170 हो गई है। सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सशक्त बनाने के लिये मंत्रालय द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नलिखित हैं :-

मंजूरी की प्रक्रिया का सरलीकरण- अंतर-मंत्रालय मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और संचार की कमियां दूर करने के लिये सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के साथ मासिक समन्वय बैठकें शुरू की गईं।

समग्र सामुदायिक रेडियो प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीआरएमआईएस) 2011 में विकसित और चालू की गई ताकि सीआर स्टेशन लगाने के लिये अनुमति प्रदान करने में पारदर्शिता और कुशलता लाई जा सके।

सीआर आवेदकों/आगंतुकों की मदद के लिये मंत्रालय में सहायता केंद्र खोला गया है-एक निशुल्क नम्बर-(1800-11-6346) शुरू किया गया है।

जागरूकता उत्पन्न करना : देश भर में वर्ष 2008 से अब तक 55 कार्यशालायें आयोजित की जा चुकी हैं। इन कार्यशालाओं ने निचले स्तर पर काम करने वाले संगठनों और अन्य को आवेदन प्रक्रिया, सीआर के पीछे का उद्देश्य और दर्शन समझने का अवसर प्रदान किया है।

सी आर ऑपरेटरों के **राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन** नामक चार वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किये गये हैं ताकि सरकारी कार्मिक, मीडिया प्रतिनिधि और सीआर ऑपरेटर एक ही स्थान पर जमा कर विचारों और सीखी गई बातों का आदान-प्रदान कर सकें। सीआरएस सारांश के चार संस्करण (2011, 2012, 2013 और 2014) प्रकाशित किये जा चुके हैं।

सीआर स्टेशनों पर बेहतर कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने और सीआर ऑपरेटरों को सामुदायिक सशक्तिकरण के लक्ष्य हासिल करने के लिये प्रेरित करने हेतु नकद राशि वाले राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों की भी स्थापना की गई। ये पुरस्कार पात्र सीआर स्टेशनों को राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलनों में प्रदान किये जाते हैं।

निरंतरता में वृद्धि: 12वीं योजना में सामुदायिक रेडियो को वित्तीय सहायता देने के लिये 100 करोड़ रुपये की नई आयोजना योजना ''भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग'' शुरू की गई है।

सीआरएस विज्ञापनों की दरें भी संशोधित करते हुए एक रूपये प्रति सेकेंड से बढ़ाकर चार रूपये प्रति सेकेंड कर दी गई है। इसके अलावा सीआरएस पर प्रायोजित कार्यक्रमों के लिये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश एवं दरें लागू हैं।

सीआरएस को डीएवीपी की सूची में समाहित करने की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। करीब 45 सीआरएस पहले से डीएवीपी की सूची में सम्मिलित हैं।

मंत्रालयों/विभागों का समर्थन : महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आदि के साथ निरंतर सम्पर्क उन्हें विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में सीआर की सम्भावनाओं को समझने में मदद करता है। मंत्रालयों ने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, बालिकाओं की शिक्षा, उपभोक्ता मामले, आपदा से निपटने की तैयारी से जुड़े सार्वजनिक संदेशों को प्रसारित करने के लिये सीआर स्टेशनों के साथ भागीदारी बनानी शुरू कर दी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरएस के लिये अनुमति : नीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिये 10 सीआर स्टेशनों को मंजूरी दी है। पहला स्टेशन छत्तीसगढ़ के बस्तर में शुरू होने की सम्भावना है। अम्बिकापुर और बिलासपुर में एक-एक, रायपुर में दो, बस्तर जिले के जगदलपुर, सुर्जपुर जिले के बिश्रामपुर में तथा छत्तीसगढ़ के भिलाइनगर में एक-एक सीआर स्टेशन की अनुमति मिल चुकी है। दो सीआरएस रांची, झारखंड में हैं।

प्रसारण शाखा का स्वचालितीकरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह तय किया गया कि प्रसारण शाखा के विभिन्न विभागों को प्रसारण सेवा की अनुमति देने की प्रक्रिया को स्वचालित बनाया जाए। इस परियोजना में एक व्यापक ऑनलाइन पोर्टल बनाना है जिसमें उसका विकास और स्थापन भी शामिल है। इस परियोजना का कार्यान्वयन एनआईसी के जरिए हागा। एनआईसी को इसके लिए

क. व्यापक अध्ययन करना होगा

ख. सॉफ्टवेयर बनाना और लगाना होगा

ग. प्रणाली का कार्यान्वयन करना होगा

- पुराना डाटा एकत्र करना होगा
- रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर बनाना होगा

घ. प्रशिक्षण देना होगा

च. स्थापन के बाद रखरखाव करना होगा।

नयी योजना में आवश्यक डाटा तैयार करना और सुचारू रूप से कार्य प्रणाली के लिए एक समग्र ऑनलाइन पोर्टल तैयार करना है। टीवी/इनसेट/ की मौजूदा प्रणाली सीमित संभावनाएं हैं। इसमें वित्तीय और तकनीकी दृष्टि से सुधार की गुजाइश है जिससे यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। फिलहाल चैनलों को प्रसारण के मुददों और नाम बदलने या पोर्टफोलियो में बदलाव के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुमति की जरूरत पडती है। फिलहाल टीवी /इनसेट/ विभाग में 18 प्रमुख विषय है:-

- टीवी चैनल की अपलिंकिंग
- टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग
- टेलीपोर्ट की मंजूरी
- नाम और लोगो में बदलाव
- टेलीपोर्ट में बदलाव
- सेटेलाइट में बदलाव
- भाषा में बदलाव
- शेयर होल्डिंग में बदलाव
- निदेशकों की नियुक्ति
- समाचार की श्रेणी से गैर-समाचार की श्रेणी में बदलाव और इससे उलट बदलाव
- गैर-समाचार विषयवस्तु के प्रसारण के लिए अपलिंकिंग की अस्थायी मंजूरी का आवेदन/ विदेशी चैनल का सीधा प्रसारण
- डीएसएनजी अनुमति- भाडे पर लेना/खरीदना
- भारतीय समाचार समिति द्वारा अपलिंकिंग की अनुमति
- संसदीय प्रश्न
- आरटीआई
- अदालती मामले

- वीआईपी संदर्भ

- अनुरोधों की स्थिति की जानकारी रखना

मंत्रालय में प्रसारण नीति एवं विधायन विभाग पंजीकरण और लाईसेंस की अनुमति देने के साथ प्रसारण वितरण सेवा के निम्न मामले भी देखता है:-

- मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ)

- डायरेक्ट टू होम सर्विसेस

- हेडेन्ड इन द स्काई सर्विस (एचआईटीएस)

इस योजना के अंतर्गत इन सेवाओं के लिए स्वत: मंजूरी और लाईसेंस देने का निर्णय लिया गया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए स्वत: सीआरएस मंजूरी का प्रावधान किया गया है।

डिजिटलाइजेशन का मिशन

चरणबद्ध रूप से परियोजना के पूर्ण होने का डाटा

पृ.सं.	चरण	शहर के नाम	पूर्ण होने के डाटा
i)	चरण-एक	चार महानगरों दिल्ली मुंबई कोलकाता और चैन्नई	31 अक्टूबर 2012
ii)	चरण-दो	38 शहर (1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले)	31 मार्च 2013
iii)	चरण-तीन	अन्य शहरी इलाका	30 सितम्बर 2014
iv)	चरण-चार	कार्य बाकी	31 दिसम्बर 2014

चरण एक चार शहरों और चरण दो में 38 शहरों में फैला है। चरण एक और दो पूर्ण हो गया है। डाटा जमा करने और तीन और चार का निरीक्षण और मूलभूत परियोजना का कार्य बेसिल के साथ आरंभ हो गया है। एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है जो परियोजना के समयसीमा पर पूरा करवाने के लिए जिम्मेदार हैं। देर होने की स्थिति में समयसीमा का पुर्ननिरक्षण किया जायेगा।

अध्याय 4
पिछले कार्य प्रदर्शन की समीक्षा
सूचना क्षेत्र
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

वर्ष 2012-13 के लक्ष्य एवं उपलब्धियां : 2012-13 के लिये लक्ष्य और उपलब्धियां वित्तीय और भौतिक, दोनों ही संदर्भों में, निम्नलिखित पैराग्राफ में दी जा रही हैं

वित्तीय प्रदर्शन: पिछले वर्ष का वित्तीय प्रदर्शन योजना और गैर योजना आवंटन का लगभग पूरी तरह उपयोग कर लिया गया.

(करोड़ रुपये में)

(वित्तीय अनुमान 2012-13)			(वास्तविक व्यय 2012-13)		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
105.92	62.54	168.47	105.99	61.80	167.79

*वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना के दौरान 110.00 लाख रुपये का स्वीकृत प्रावधान आरई/एफजी चरण में संशोधित होकर 106.18 लाख रुपये तक बढ़ गया।

वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना दो जारी स्कीमों - क- 'विकासात्मक प्रचार कार्यक्रम : अवधारणा एवं प्रसार' के लिये बनाया गयी है। इसके तहत 100.00 लाख रुपये की मंजूरी दी गयी है। हालांकि, संशोधित अनुमान अंतिम राशि के रूप में 10318.00 लाख रुपये का अतिरिक्त कोष दिया गया, जिसमें मार्च 2012 तक 102.93 लाख रुपये के व्यय के साथ वित्तीय लक्ष्य के रूप में सौ प्रतिशत की उपलब्धि हासिल हुई है। ख- डीएवीपी के आधुनिकीकरण के लिये 1000.00 लाख रुपये का परिव्यय अनुमोदित था, जबकि 300.00 रुपये लाख का अतिरिक्त कोष संशोधित अनुमान/अंतिम कोष उपलब्ध कराया गया, जिसमें मार्च 2013 तक वित्तीय लक्ष्य के सौ प्रतिशत उपलब्धि के साथ 299.00 लाख रुपये व्यय किये गये। यह योजना बाह्य प्रचार माध्यम, मुद्रित प्रचार माध्यम, प्रदर्शनी, डिस्प्ले और वर्गीकृत विज्ञापन तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा सूचना के प्रसार के लिये लागू की गई है।

वास्तविक उपलब्धियां: वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिये गये और वास्तविक उपलब्धियां भी उत्कृष्ट रहीं, जो इस प्रकार थीं।

प्रदर्शनी: 2012-13 की वार्षिक योजना के तहत देश भर में कई महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जैसे कि 'स्वस्थ भारत', पुनरुत्थानशील भारत, कई फ्लैगशिप कार्यक्रम 'भारत निर्माण', एन1 एच 1 प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), क्रांति यात्रा, एड्स जागरूकता एवं स्वस्थ मां, स्वस्थ बच्चा आदि।

मुद्रित विज्ञापन: वर्ष 2012-13 में 'भारत निर्माण' और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर विज्ञापन जारी किये गये। डीएवीपी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों स्वायत्तशासी संगठनों के 16890 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें 1321 डिस्प्ले तथा अन्य क्लासीफाइड विज्ञापन शामिल थे। इनमें 130 विज्ञापन यूपीएससी के लिये थे।

दृश्य-श्रव्य: वर्ष 2012-13 में डीएवीपी के बजट से भारतीय एकता (भारत मेरी पहचान) भारतीय संविधान के साठ वर्ष, गांधी जयंती, शहीद दिवस, सद्भावना दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अभियान।

मुद्रित प्रचार माध्यम: वर्ष 2012-13 में योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित 14.20 लाख प्रतियां मुद्रित और वितरित की गई। इसके अलावा रक्षा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंगलम और प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए 3 लाख प्रतियां मुद्रित और वितरित की गईं।

बाह्य प्रचार : होर्डिंग, बस पैनल, सार्वजनिक सुविधाओं इत्यादि से 4.80 लाख डिस्प्ले दिवस आयोजित किए गए।

डीएवीपी का आधुनिकीकरण: वित्तीय वर्ष के दौरान आधुनिकीकरण की योजना के तहत ऑनलाइन बिलिंग के लिये आवश्यक हार्डवेयर, कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर खरीदे गये, डीएवीपी मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था की गयी। कॉन्फ्रेंस हॉल को अद्यतन किया गया है तथा प्रदर्शनी खंड में डिजिटल लायब्रेरी के लिये सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर प्रदान किया गया है और निदेशालय के कर्मचारियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है

वर्ष 2012-13 के लिये लक्ष्य और उपलब्धियां संक्षेप में, निम्न प्रकार से हैं :

क्र.सं.	ब्योरा	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी	1792 प्रदर्शनी दिवस	1810 प्रदर्शनी दिवस
2	डिसप्ले/वर्गीकृत विज्ञापन	7.00	7.56
3	श्रव्य व दृश्य प्रचार अभियान	31.50 डिस्प्ले इकाईयां	31.50 डिस्प्ले इकाईयां
4	मुद्रित प्रचार	12.75 लाख प्रतियां	14.20 लाख प्रतियां
5	बाह्य प्रचार	4.80 लाख डिस्प्ले	4.80 लाख डिस्प्ले

* श्रव्य एवं दृश्य प्रचार अभियान की एक डिस्प्ले इकाई में टेलीविजन एक बार के लिए, रेडियो में 3 बार के लिए, डिजिटल सिनेमा में 10 बार के लिए, 1000 एस एम एस और 25000 बार इंटरनेट पर दिखाना शामिल है।

वर्ष 2013-14 के लिये लक्ष्य और उपलब्धियां: वर्ष 2013-14 के लिये लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्योरा इस प्रकार है

वित्तीय लक्ष्य : वर्ष का बजट प्रावधान नीचे दिया गया है। डीएवीपी ने अपने योजना और गैर योजना, दोनों के लिये अतिरिक्त राशि मांगी है।

(करोड़ रुपये में)

योजना	गैर-योजना	कुल
192.50 रु.	62.90 रु.	255.40 रु.

उपलब्धियां : 2013-14 की वार्षिक योजना में दो योजनाएं प्रारंभ की गई : (1) विकास संचार के माध्यम से लोगों का सशक्तिकरण। इसके लिए 18900.00 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। (2) ''मीडिया मूलभूत ढांचा विकास कार्यक्रम'' जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक नई योजना के रूप में शामिल किया गया है और इसके लिए 350.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। 31 मार्च 2014 तक योजना और गैर योजना के अन्तर्गत 25536.00 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

स्कीमः विकासात्मक प्रचार से लोक सशक्तीकरण

प्रदर्शनीः वार्षिक योजना 2013-14 के दौरान देश भर में महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों का आयोजन हुआ। जैसे कि स्वस्थ भारत, पुनरुत्थानशील भारत, फ्लैगशिप कार्यक्रम, भारत निर्माण, एच1 एन1-प्रदर्शनी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआर (एचएम) आदि

डिस्प्ले एवं वर्गीकृत : मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्तशासी संगठनों के कुल 31 मार्च 2014 तक 17036 विज्ञापन जारी किये गये। इनमें से रिकॉर्ड 1461 डिस्प्ले विज्ञापन थे। शेष वर्गीकृत विज्ञापन थे, जिनमें 122 यूपीएससी के थे।

दृश्य-श्रव्यः वर्ष 2012-13 में डीएवीपी के बजट से भारतीय एकता (भारत मेरी पहचान) भारतीय संविधान के साठ वर्ष, गांधी जयंती, शहीद दिवस, सद्भावना दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अभियान।

रेडियो स्पॉटः सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बजट से भारत निर्माण अभियान चलाया गया.अन्य मंत्रालयों के लिये अतुल्य भारत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये प्रचार, सेना, नौसेना में भर्ती, उपभोक्ता जागरूकता, जनसंख्या नियंत्रण पर भी अभियान चलाये गये।

बाह्य प्रचारः 4.80 बाह्य प्रचार के अंतर्गत उपभोक्ता मामले, भारतीय नौसेना, आयकर, वीआईएस, जनगणना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, वीईई, डब्ल्यूसीडी, एमएचए (एनडीएमए) भारत निर्माण तथा सार्वजनिक सुविधाओं पर कार्यक्रम चलाये गये।

मुद्रित प्रचार : वर्ष 2013-14 में 14.20 लाख रुपये के विभिन्न कापियां छापी व बांटी गई। तीन लाख का अन्य मुद्रित कार्य भी किया गया। एनसीसी और भारतीय वायुसेना की भी पुस्तिका छापी गई। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के लिए कई कैलेंडर और डायरिया मुद्रित की गईं।

स्कीमः मीडिया ढांचागत विकास कार्यक्रम

कार्यालय व्ययः एमआईडीपी स्कीम के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान ऑनलाइन बिलिंग के लिये आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदे गए। साथ ही डीएवीपी मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये ढांचागत सुविधाएं मुहैया करायी गयीं।

वर्ष 2013-14 के दौरान वास्तविक उपलब्धियां संक्षेप में इस तरह हैं

योजना/गैर-योजना/अन्य मंत्रालय/विभाग (2013-14)

क्र.स.	विवरण	लक्ष्य	31.3.2014 तक उपलब्धियां
1	प्रदर्शनी (प्रदर्शनी दिवस की संख्या)	1792 प्रदर्शनी दिवस	
2	डिसप्ले/वगीकृत विज्ञापन	7.00	7.56
3	रेडियो/टीवी के लिए विज्ञापन	81.20	95.00 डिस्प्ले इकाईयां
4	मुद्रित प्रचार	12.75	14.20 लाख कापी
5	बाह्य प्रचार	4.80 लाख डिस्प्ले	4.80 लाख डिस्प्ले
6.	श्रव्य और दृश्य	31.50 डिस्प्ले यूनिट	31.50 डिस्प्ले यूनिट

@ श्रव्य और दृश्य प्रचार अभियन में एक डिस्प्ले इकाई में टेलीविजन में एक बार, रेडियो में 3 बार, डिजीटल सिनेमा में 10 बार, 1000 एसएमएस और 2500 बाट इंटरनेट पर दिखाना शामिल हैं।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

भौतिक कार्यक्रम गतिविधियां :

	2012-13		2013-14		2014-15
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
दौरे के दिन	28512	18447	28512	13294	14904
चलचित्रों का प्रदर्शन	28512	26436	28512	21855	28512
विशेष कार्यक्रम	4968	7500	4968	5850	4968

''विशेष पहुंच कार्यक्रम'' अवयव के अंतर्गत वार्षिक योजना 2013-14 के दौरान काम को अंजाम देने के लिए डीएफपी को 86.99 लाख रु. आबंटित किए गए, जो कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए अपर्याप्त थे, इसलिए तथाकथित राशि वापस लौटा दी गई और कोई खर्च नहीं हुआ ''सीटीएसयू'' अवयव के तहत अंतिम अनुदान (फाइनल ग्रांट) 2013-14 में आबंटित 27.50 लाख रूपये की जगह 8 संचालित दौरों को 27.11 लाख रु. के व्यय पर आयोजित किया गया, 20 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टरों, 30 जेनेरेटरों, 2 लैपटॉप के प्रबंध के लिए, आईआईएमसी द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और सीसीडब्ल्यू को स्वीकृत कुल राशि का 40 प्रतिशत यानी 52.40 लाख रु अदा किए गए रू.ब.रू. मुख्यालय का सूचना भवन में स्थानांतरण। इसके अतिरिक्त यह उल्लिखित किया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 12 योजना परियोजना एमआईडी के तहत डीएफपी की उप परियोजना केंद्रीय सूचना सदनों का निर्माण'' को जनवरी 2014 में रद्द कर दिया।

निदेशालय की वित्तीय निष्पत्तियां निम्नलिखित हैं :

(रु. करोड़ों में)

	2012-13		2013-14		2014-15
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**
योजना	1.38	0.55	8.00	1.06	5.00
गैर-योजना	44.47	44.14	46.52	46.67	49.74
कुल	**45.85**	**44.69**	**54.52**	**47.74**	**54.74**

एम्प्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार

वर्ष 2013-14 में एम्प्लाइमेंट न्यूज ने कुल 4601.70 लाख रुपये का राजस्व कमाया। पूर्ण व्यय 2556.15 लाख के बाद का राजस्व मई 2014 तक 5000.00 लाख और 2556.15 लाख लाभ है।

2012-13 के वित्तीय वर्ष में 5474.77 लाख रुपये 5000.00 के लक्ष्य से प्राप्त हुआ। 2014-15 में (मई 2014 तक) 962.72 लाख रुपये प्राप्त किए जा चुके हैं।

भारतीय जनसंचार संस्थान

वित्त वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिये वास्तविक उपलब्धियां और वर्ष 2014-15 के लिये लक्ष्य (गैर-नियोजित)

योजना/ गतिविधि का नाम	वित्त वर्ष 2012-13		वित्त वर्ष 2013-14		वित्त वर्ष 2014-15	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धियां	भिन्नताओं के कारण	वास्तविक लक्ष्य
जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवं अनुसंधान	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : पत्रकारिता (हिंदी) 62 पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) विज्ञापन एवं जनसम्पर्क (70) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के अधीन कोलम्बो योजना के अधीन) कुल 60 पत्रकारिता (उड़िया) (23) **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ ओरियेटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन करना	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: पत्रकारिता -हिंदी (62) पत्रकारिता-अंग्रेजी 87 52+35 -विज्ञापन एवं जन संपर्क(66) रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (46) -20 एनआरआई सीटों में से 11 भरी गई - विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम 55 (25+0 और 25+5) उड़िया पत्रकारिता (19) अल्पकालीन पाठ्यक्रम/ अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं -12 -प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम शोध अध्ययन(5 अध्ययन) -अंग्रेजी पत्रिका कम्युनिकेटर अंक 2008 प्रकाशित हो चुका है	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : पत्रकारिता (हिंदी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) -विज्ञापन एवं जनसम्पर्क (70) -रेडियो व टीवी पत्रकारिता (46) -उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के अधीन् 5 कोलम्बो योजना के अधीन) कुल 60 पत्रकारिता (उड़िया) (23) **-अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4से5 अध्ययन) . अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन करना	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम: -हिंदी पत्रकारिता (58) -अंग्रेजी पत्रकारिता 102 (56+46) -विज्ञापन एवं जनसंपर्क (69) - रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता (46) -20 एनआरआई सीटों में से 9 भरी गईं - विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम 49 (29+0 और 25+0) -पत्रकारिता (उड़िया)(19) -उर्दू में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम-8 **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 13 -सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (6 अध्ययन) अंग्रेजी में कम्युनिकेटर 2009 का अंक और हिंदी में संचार माध्यम 2008 अंक का प्रकाशन	शारीरिक रूप से विकलांग और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति जैसी कुछ आरक्षित श्रेणियों में ज्यादा छात्र न होने की वजह से कुछ सीटें खाली रह सकती हैं या कुछ छात्र दाखिले के बाद भी संस्थान छोड़ सकते हैं।	पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करना : पत्रकारिता (हिंदी) 62 - पत्रकारिता (अंग्रेजी) 124 (62+62) -विज्ञापन एवं जनसम्पर्क (70) - रेडियो व टीवी पत्रकारिता(46)-उपरोक्त प्रत्येक पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 05 सीटें एनआरआई के लिये आरक्षित -विकास पत्रकारिता में दो डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रत्येक में 30 (25 आईटीईसी के अधीन 5 कोलम्बो योजना के अधीन) कुल 60 -पत्रकारिता (उड़िया)(23) -उर्दू पत्रकारिता 15 **अल्पकालीन कार्यक्रम** -अल्पकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं 12 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एवं भेजे गये आई आई एस के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों के लिए सेवाकालीन फाउंडेशन/ ओरियेंटेशन पाठ्यक्रम - अनुसंधान अध्ययन (4 से 5 अध्ययन) -अंग्रेजी में कम्युनिकेटर और हिंदी में संचार माध्यम का प्रकाशन करना

नोट- 1. कोष्ठक में दी गई संख्या में छात्रों की संख्या इंगित हैं।

2. उर्दू पत्रकारिता 2013-14 के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं, लेकिन पाठ्यक्रम 08 छात्रों के लिये संचालित किया गया

12 वीं पंचवर्षीय योजना में भारतीय जनसंचार संस्थान के योजनाबद्ध वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

	2012-13				2013-14				2014-15	
योजना	बी ई 2012-13	वास्तविक खर्च 2012-13	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	बीई 2013-14	वास्तविक खर्च 2013-14	लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धियां	बीई 2014-15	लक्ष्य
अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय जनसंचार संस्थान को पहुंचाना	10.00	03.97	जनसंचार में प्रशिक्षण, शिक्षण एवंअनुसंधान अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम -60 (15+15+15+15) डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से मंजूरी मिलने के बाद आईआईएमसी, नई दिल्ली में अतिरिक्त इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना -आईआईएमसी ढेंकानाल में इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना -जम्मू एवं कश्मीर तथा केरल में संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा अस्थायी जगह और स्थायी परिसर के लिये जमीन उपलब्ध कराये जाने पर उनके क्षेत्रीय केंद्रों को चालू करवाना -आइजोल और अमरावती में स्थायी परिसरों के लिये निवेश पूर्व गतिविधियां प्रारम्भ कराना	अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कराना-26; (4+8+8+6) डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से इमारत की योजना को मंजूरी नहीं मिलने से निर्माण शुरू नहीं हो सका। निर्माण जुलाई 2012 में शुरू हुआ जम्मू एवं कश्मीर तथा केरल में क्षेत्रीय केंद्र अगस्त 2012 में शुरू हुए अमरावती में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जमीन हस्तांतरित नहीं किये जाने से निवेश पूर्व गतिविधियां प्रारम्भ नहीं हो सकी मिजोरम सरकार से 31.3.2011 को जमीन मिली और जंगल साफ करवाया गया	5.00	03.00	अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम -60 (15+15+15+15) नई दिल्ली में क्षेत्र विकास का प्रारम्भ करना नई दिल्ली में नई इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करना ढेंकानाल में नई इमारत के निर्माण का पूर्ण करना आइजोल में जहां जमीन मिल चुकी है, वहां स्थायी परिसर के निर्माण की गतिविधियां शुरू करना जम्मू में निवेश पूर्व गतिविधियां प्रारम्भ होना जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा स्थायी परिसर के लिये जमीन हस्तांतरित किये जाने पर निर्भर है	अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 40; (6+10+11+13) डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिक रणों से इमारत की योजना को मंजूरी नहीं मिलने से क्षेत्र विकास शुरू नहीं हो सका डीडीए और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से इमारत की योजना को मंजूरी नहीं मिलने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका ढेंकानाल में नई इमारत के निर्माण का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण आइजोल में ढांचागत डिजाइन और बीओक्यू मार्च 2014 तक नहीं मिलने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने जमीन का हस्तांतरण नहीं किया	08.00	अंग्रेजी में पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रम 60 (15+15+15+15) नई दिल्ली में क्षेत्र विकास और नई इमारत के निर्माण का कार्य प्रारम्भ होना डीडीए,डीयूएसी और दिल्ली अग्निशमन सेवा से इमारत की योजना को मंजूरी मिलने पर निर्भर है शेष निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। आइजोल में स्थायी परिसर की इमारत के निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। कोट्टायम में निवेश पूर्व गतिविधियां प्रारम्भ होना केरल सरकार द्वारा जमीन हस्तांतरित किये जाने पर निर्भर है
क्षेत्रीय केंद्र खोलना	1.00	0.04			2.00	0.70			15.00	

फोटो प्रभाग

2012-13 के वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां

लक्ष्य और प्राप्ति

वित्तीय

(करोड़ रुपये में)

स्वीकृत बजट अनुदान			वास्तविक परिव्यय		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
0.50	4.06	4.56	0.19	3.79	3.98

2013-14

(करोड़ रुपये में)

	योजना	गैर-योजना	कुल
स्वीकृत बजट अनुदान	0.40	4.10	4.50
संशोधित अनुमान (प्रस्तावित)	0.45	4.26	4.71
दिसंबर, 2012 तक वास्तविक परिव्यय	0.40	4.25	4.65

प्रदर्शन

		2012-12		2013-14		2014-15
क्र.सं.		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	2013/2014 तक उपलब्धियां	लक्ष्य
1.	तैयार समाचार और फीचर असाइनमेंट	3500	2430	3500	2974	3500
2.	इन हाउस सर्वर में डिजीटल तस्वीरें	125000	157090	125000	150296	125000
3.	फोटो डिवीजन की वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए डिजीटल तस्वीरों का चुनाव	10000	11130	10000	10095	10000
4.	कुल प्रिंट्स का उत्पादन और आपूर्ति	100000	154614	100000	118646	100000
5.	सर्वर पर अपलोडेड तस्वीरें पुरानी रंगीन आर्काइव	100000	120076	120000	54779	120000
6.	कुल फोटो अलबम	250	209	250	212	250

भारतीय प्रेस परिषद

पिछले निष्पादन की समीक्षा

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) का कामकाज अर्द्ध न्यायिक किस्म का है। वह इस बात पर नजर रखती है कि प्रेस नैतिक मानदंडों का पालन करे। इसलिए इसके कामकाज का लक्ष्य के हिसाब से आकलन करना सही नहीं होगा। अलबत्ता इसकी अर्द्धन्यायिक गतिविधियों को आंकड़ों की नजर से देखा जा सकता है। वर्ष 2013-14 और 2014-15 के दौरान उसे मिली शिकायतों और उनके समाधान का ब्यौरा संलग्न है।

परिषद ने मीडिया को, जनता को जानकारी प्रदान करने वाली और देश के विभिन्न भागों में लाखों लोगों की सोच को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली एजेंसी मानते हुए लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका, का विश्लेषण करने के लिये साल भर और राष्ट्रीय प्रेस दिवस समारोहों के दौरान चर्चाएं आयोजित कीं। वर्ष 2013 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय 'सार्वजनिक हितों की पूर्ति में मीडिया की भूमिका' पर केंद्रित था। इस अवसर पर एक स्मारिका प्रकाशित की गई जिसमें इस विषय पर महत्वपूर्ण लेख और प्रमुख नेताओं के विचार थे। ज्यादातर राज्यों/संघशासित प्रदेशों में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। देश के कोने-कोने से मिले नामांकनों में से उचित प्रक्रिया से चयन करते हुए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये।

परिषद ने सलाहकार की भूमिका में सरकार और अन्य प्रतिष्ठानों को कई मसलों पर अपनी राय मुहैया कराई। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परामर्श इस प्रकार हैं:-

1. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्रेस मीडिया संदर्भ के लिये नियामक संस्था के गठन के बारे में लोकसभा सदस्य श्री दिलीप गांधी से संदेश मिला।
2. लीवसन रिपोर्ट और भारतीय मीडिया के लिये इसकी प्रासंगिकता/अभिप्राय।
3. श्री एम के राघवन का गैर सरकारी विधेयक ''विज्ञापन (विनियमन)विधेयक 2013'' लोकसभा में पेश करने के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 01.08.13 को पत्र मिला।
4. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से मिले संदर्भ पर विचार करते हुए उसके बाद सांसद श्री तरूण विजय द्वारा मीडिया और कला में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में किये गये विशेष उल्लेख के निकर्श की प्रति अग्रेषित की जा रही है।
5. समाचारपत्र में प्रकाशित सामग्री का उत्तरदायित्व सम्पादक पर है: माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला।
6. लोकसभा चुनाव 2014।
7. गुमराह करने वाले विज्ञापनों के संबंध में अंतर-मंत्रीमंडलीय निगरानी समिति का गठन।
8. वृद्धावस्था पेन्शन के बारे में राष्ट्रीय नीति 1999 के बारे में श्री वी वी रूपारेलिया का ज्ञापन अग्रेषित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संदर्भ प्राप्त हुआ।

परिषद का पुनर्गठन

14.6.2014 के बाद अगले तीन वर्षों के लिये परिषद के 12वें सत्र हेतु उसके पुनर्गठन की प्रक्रिया 22 जुलाई 2013 की बैठक में शुरू की गई। प्रेस परिषद-परिषद के पुनर्गठन के लिये प्रेस परिषद कानून 1978 के खंड (3) के उपखंड (ए) (बी)और (सी) की संदर्भित श्रेणियों के लिये, मान्यता के लिये कानून के खंड 5(4) के अधीन व्यक्तियों/समाचार एजेंसियों से दावे आमंत्रित किये गये।

विचार गोष्ठियां और कार्यशालायें

मीडिया मामलों पर डाटाबेस तैयार करने के प्रयासों के तहत परिषद ने देश के विभिन्न भागों में चर्चाएं आयोजित की।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2013 और पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार

राष्ट्रीय प्रेस दिवस वह अवसर होता है, जब हितधारक देश भर में विभिन्न मंचों पर एकत्र होते हैं और चयनित विषय पर परामर्श और विचार विमर्श करते हुए अपनी राय व्यक्त करते हैं। इस वर्ष के प्रेस दिवस के लिये ''**लोकहित में मीडिया**'' की भूमिका विषय का चयन किया गया था।

प्रेस दिवस के अवसर पर प्रेस परिषद पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित भी करती है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये गये। ऐसे सम्मान से पत्रकार मूल्यांकन और स्पर्धा के लिये प्रोत्साहित होते हैं, इस प्रकार राष्ट्रहित में ऊंचे मानक स्थापित करते हैं।

पुरस्कार विविध श्रेणियों में दिये गये और पुरस्कार विजेताओं का चयन प्राप्त नामांकनों के गहन विश्लेषण और जांच के बाद किया गया।

परिषद की वैबसाइट

सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप परिषद की नयी पुन:स्थापित वैबसाइट तैयार की गई है और उसे चालू कर दिया गया है।

हिन्दी भाषा को बढ़ावा

परिषद ने अपने अधिकारिक कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया। राजभाषा नियम 1976 के खंड 10(4) में पहले से ही अधिसूचित उसके सभी कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस अवधि के दौरान प्रत्येक तिमाही में कर्मचारियों के लाभ के लिए राजभाषा पर एक अनिवार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया।

परिषद के फैसलों और अन्य घोषणाओं को द्विभाषी स्वरूप में सार्वजनिक किया गया।

प्रकाशन

1. वार्षिक रिपोर्ट को द्विभाषी स्वरूप में तैयार कर उसे समय पर संसद के दोनों सदनों में रखा गया।
2. 2012-13 के फैसलों का संकलन (हिंदी और अंग्रेजी)
3. राष्ट्रीय प्रेस दिवस - स्मारिका 2013

पत्र सूचना कार्यालय

1. वर्ष 2012-13 के दौरान योजना और गैर योजनागत प्रदर्शन
2. वर्ष 2013-14 के दौरान योजना और गैर-योजनागत प्रदर्शन

वार्षिक योजना 2012-13 **पत्र सूचना कार्यालय मार्च 2013 तक योजना व्यय** *(करोड़ रुपये में)*

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना आबंटन		अंतिम अनुदान	वास्तविक व्यय 31.3.12 तक	पूर्वोत्तर क्षेत्र		कमी के कारण (यदि कोई हो)
		एसबीजी	संशोधित व्यय			2011-12 का आंबटन	31.3.2012 तक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केंद्र की स्थापना	9.00	16.45	16.45	11.78	नई दिल्ली में स्थित इमारत पूरे देश के लाभ के लिए है इसलिये पूर्वोत्तर के लिए कोई निधि निश्चित नहीं की गई।		31 अक्टूबर 2012 तक 9 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गई। 31 जनवरी 2013 को एनबीसीसी को 6 करोड़ रुपये जारी करने के लिए आईएफए/सीसीए को प्रस्ताव भेजा गया। यह एनवीसीसी की उन प्रतिबद्धता पर आधारित था। जिसके अनुसार 31 मार्च 2013 तक पूरा हो जाना था। बाद में वास्तविक कार्य प्रगति के आधार पर भुगतान प्रस्ताव को 5.95 करोड़ रुपये कर दिया गया। लेकिन सीसीआईएफए के 31 मार्च 2013 के सहमति पत्र में 2.78 करोड़ रुपये जारी करने की अन्तिम सहमति दी गई और इस योजना के तहत 4.67 करोड़ रुपये की बचत हुई।
2.	मीडिया की पहुंच के कार्यक्रम							

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रचार यह योजना निम्नलिखित तीनों भागों को सम्मिलित करती है—							
	(1) मीडिया पहुंच कार्यक्रम	11.90	7.90	7.2248	6.32	0.80	0.83	31 मार्च 2013 तक 90 पीआईसी, 10 प्रेस भ्रमण और एक मीडिया संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कमी के निम्नलिखित कारण थे :- 1. यह योजना अगस्त 2012 के अंत में मंजूर की गई। इस वजह से पीआईसी आयोजित करने के लिए सिर्फ सात महीने उपलब्ध थे और लक्ष्य और व्यय को भी कम किया गया। 2. गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, और मेघालय में विधानसभा चुनावों के कारण और विद्यालय परीक्षाओं की वजह से आयोजन स्थलों की अनुपलब्धता। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं पर लघु फिल्में बनाने और पुस्तिकाएं छापने के लिए डीएवीपी को भुगतान के मकसद से 25.44 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। सीसीए/आईएफए की मंजूरी नहीं मिलने के कारण डीएवीपी को रकम हस्तांतरित नहीं की जा सकी। अंत में डीएवीपी ने यह व्यय अपने बजट से उठाने का फैसला किया। 3. अतिविशिष्ट व्यक्तियों से तारीख नहीं मिलने, आयोजन स्थल की उपलब्धता की समस्या और उपचुनावों जैसे स्थानीय कारणों से पीआईबी के कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों के कोष का पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका। 4. आईएफए से मंजूरी जैसी कुछ प्रक्रियात्मक विलंब के कारण पीआईसी प्रकोष्ठ में चार डीईओ की तैनाती के लिए एनआईसीएसआई को भुगतान नहीं किया जा सका।

(करोड़ रुपये में)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								5. मार्च में बजट आवंटन के 15 प्रतिशत व्यय की सीमा के कारण पीएओ ने कुछ बिल वापस कर दिए। 6. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ईएफसी की मंजूरी लेते समय लक्ष्य को बढ़ाने के अलावा प्रति पीआईसी खर्च को 10.00 लाख रुपए से घटाकर 7.78 लाखरुपए कर दिया। बाद में कठोर वित्तीय निगरानी और व्यय नियंत्रण लागू करने के अलावा इस बारे में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए। इस तरह प्रति पीआईसी औसत व्यय को 7.78 लाख रुपए से घटाकर लगभग 6.52 रुपए किया गया जिससे काफी रकम की बचत हुई। 7. हिस्सा लेने वाले केन्द्रीय मंत्रियों की व्यस्तता और क्षेत्रीय मीडिया की अपर्याप्त दिलचस्पी के कारण दो के लक्ष्य के बरक्स सिर्फ एक मीडिया संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जा सका।
	(1) भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह			0.0978	0.0966	शून्य	शून्य	अल्प बचत। आईएफएफआई 2012 को नवंबर-दिसंबर 2012 में और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह को जनवरी 2013 में आयोजित किया गया।
	पीआईबी का आधुनिकीकरण	5.00	5.00	1.67 (पूर्वोत्तर क्षेत्र) समेत	1.6256	0.50		मंजूरी 17 जनवरी 2013 को प्राप्त की गई। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार आखिरी तिमाही में सिर्फ एक तिहाई आवंटन यानी 1.67 करोड़ रुपए तक व्यय बुक किया जा सकता है। इसके अनुरूप एनआईसीएसआई को एनपीसी, नई दिल्ली में कुछ आईटी प्रावधानों के लिए 1.40 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान किया गया। बाकी 27 लाख रुपए का कोष क्षेत्रीय कार्यालयों और पीआईबी मुख्यालय को सूचना प्रौद्योगिकी के तहत कार्यालय उपकरणों की खरीद के लिए 11 मार्च 2013 को आवंटित किया गया। मार्च में 15 प्रतिशत व्यय की सीमा की वजह से संबंधित पीएंडएओ ने कुछ बिल पारित नहीं किए और इस योजना के तहत लगभग 3.50 लाख रुपए की बचत हुई। यह मामूली बचत आदेश देने और पीएओ को बिल सौंपने में दिक्कतों की वजह से हुई।
	कुल	**26.00**	**29.45**	**25.4426**	**19.8213**	**1.30**	**0.83**	

पत्र सूचना कार्यालय
(योजना व्यय 2013-14)

(करोड़ रुपये में)

	योजना का नाम	एसबीजी	संशोधित अनुमान	अंतिम भुगतान	वास्तविक व्यय 31.3.14 तक	पूर्वोत्तर क्षेत्र 2013-14 का आंबटन	पूर्वोत्तर क्षेत्र 31.3.2014 तक व्यय	कमी के कारण (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6	7		8
1.	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना	0.50	2.10	2.10	2.09	नई दिल्ली में यह बिल्डिंग क्योंकि पूरे देश के फायदे से जुड़ी है, इसलिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अलग से फंड नहीं।		अल्प कमी
2.	मीडिया आउटरीच प्रोग्राम और विशेष इवेंट्स का प्रचार इस योजना में शामिल मद इस प्रकार हैं:-							
	(क) मीडिया आउटरीच प्रोग्राम	9.88	8.38	8.38	8.35 (पूर्वोत्तर क्षेत्र समेत)	1.00	0.95	6वीं लोकसभा के चुनावों की वजह से आकार संहिता लागू होते ही वजह से कोई भी पीआईसी मीडिया संपर्क सत्र और प्रेस दौरे मार्च 2014 में नहीं आयोजित किए गए। हालांकि इसके लिए आंवटित 10.00 करोड़ रुपये घटाकर 8.50 करोड़ रुपए कर दिए गए।
	(ख) इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और प्रवासी भारतीय दिवस समारोह	0.12	0.12	0.12	0.12	-	-	आईएफएफआई, 2013 नवंबर-दिसंबर 2013 में और जनवरी 2014 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया
3.	पीआईबी का आधुनिकीकरण	4.00	1.50	1.72	1.41	-	-	अल्प कमी
	कुल	**14.50**	**12.10**	**12.32**	**11.97**	**1.00**	**0.95**	

प्रकाशन विभाग

वर्ष 2012-13 और 2013-2014 के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां

वित्तीय

(रु. करोड़ों में)

वास्तविक व्यय 2012-13			वास्तविक व्यय 2013-14		
योजना	**गैर-योजना**	**कुल**	**योजना**	**गैर-योजना**	**कुल**
शून्य	24.19	24.19	1.41	26.33	27.74

भौतिक

2012-13			2013-14	
	लक्ष्य	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य**	**उपलब्धियां**
पत्रिकाएं	18	18	18	18
पुस्तकें	90	73	90	84

4.2 अन्य सरकारी विभागों के साथ समझौता

निदेशालय बिक्री के लिए डाक विभाग के साथ समझौता की सम्भावना की तलाशने की प्रक्रिया में है ताकि प्रकाशन विभाग द्वारा छापी जाने वाली पुस्तकों/पत्रिकाओं को आसानी से जनता को उपलब्ध कराया जा सके।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी

हमारी पुस्तकों को बेचने के लिए प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं/प्रकाशकों को शामिल करके सार्वजनिक निजी साझेदारी को बढ़ावा दिया गया। पांडुलिपियों की प्रूफ रीडिंग, अनुवाद इत्यादि से जुड़े कार्यों को मानव संसाधन की कमियों के कारण बाहर से कराया जा रहा है। निदेशालय की तमाम गतिविधियों और हमारी प्रक्रियाओं को कम्प्यॅटरीकृत करने के प्रयास किए गए है। इस प्रक्रिया में तेज़ी आई है जिससे, पारदर्शिता बढ़ी है और संगठन की क्षमता भी बढ़ी है। हमारी वेबसाइट www.publicationdivision.nic.in के माध्यम से सभी निविदा संबंधी जानकारी नेट पर डाला जा रहा है।

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक प्रकाशित और जारी पुस्तकों की कुल संख्या

भाषा

अंग्रेजी

1. लॉन्स एंड गार्डेन्स
2. हूज़ हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वोल्यूम 1) (पी बी)

3. हूज़ हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वोल्यूम 1) (एच बी)
4. इंडियन सिविलाइज़ेशन एंड द साइंस ऑफ फिंगर प्रिंटिंग
5. चिल्ड्रेन्स विवेकानंद (Rep)
6. हूज़ हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वोल्यूम III) (पीबी)
7. हूज़ हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वोल्यूम III) (एचबी)
8. बोंसाई (Rep)
9. इंटरनेशनल क्लाइमेट चेन्ज़ नेगोशियेशन्स
10. नटी फ्रेन्ड्स एंड अदर स्टोरीज़
11. एस्थेटीशियन्स (Rep)
12. सी डब्ल्यू एम जी बुक (वोल्यूम-22)
13. हूज़ हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वोल्यूम II) Rep (पीबी)
14. हूज़ हू ऑफ इंडियन मर्टियर्स (वोल्यूम II) Rep (एचबी)
15. चिल्ड्रेन्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया (Rep)
16. सेलेक्टेड स्पीचेज़ ऑफ सुभाष चंद्र बोस (Rep) (पीबी)
17. इंडिया-2014 (अ रिफ्रेन्स एनुअल)
18. मैडम भीखाजी रुस्तम कामा (बी एम आई) (Rep)
19. मैडम भीखाजी रूस्तम कामा (बीएमआई) (Rep) (एचबी)
20. बसोहली पेंटिंग (डीलक्स) (Rep)
21. इंडिया-2014 (Rep)
22. वोट और अकाउन्ट 2014-15 (एम/ओ आईएंडबी)
23. कैटेलॉग-2014 ऑफ डीपीडी बुक्स
24. इंडिया-2014 (Rep)
25. एन्शियंट इंडिया (Rep)
26. द वर्ल्ड ऑफ थिन फिल्म कोटिंग
27. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार (बाइलिंगुअल)
28. सीडब्ल्यूएमजी-बुक (वोल्यूम-038)

29. 1857-द अपराइजिंग
30. चार्ल्स फ्रीरर एन्ड्रयूज़ (बीएमआई)
31. इंडियन बीमैन-रिविज़िटेड (पेपर-बैक)
32. इंडियन वीमैन-रिविज़टेड (हार्ड बाउंड)

हिन्दी :

1. ग्लोबल वार्मिंग
2. डॉ. भीमराव अम्बेडकर (बीएमआई) (पुर्नमु)
3. सुरों के साधक
4. राजकमल चौधरी : जीवन और सृजन
5. साहसी की सदा जय
6. अज्ञेय-अपने बारे में (पीबी)
7. अज्ञेय-अपने बारे में (एचबी)
8. आचार्य नरेन्द्र देव (बीएमआई)
9. प्राचीन भारत में पेड़ पौधों का ज्ञान
10. शहीद बच्चों की गौरव गाथा
11. बुद्ध गाथा (पीबी)
12. बुद्ध गाथा (एचबी)
13. बदरूद्दीन तैथ्यबजी (बीएमआई) (पुर्नमु)
14. धोड़ो केशव कर्वे (बीएमआई) (पुर्नमु)
15. चुन्नू-मुन्नू का स्कूल
16. भगत सिंह-अमर विद्रोही
17. हंसने वाला कुत्ता (पुर्नमु)
18. विज्ञान के नए क्षितिज
19. भारतीय कला के हस्ताक्षर (पीबी)
20. भारतीय कला के हस्ताक्षर (एचबी)
21. हमारे डाक टिकट : रंग भारत के (पीबी)

22. हमारे डाक टिकट : रंग भारत के (एचबी)
23. गीतों की फुलवारी
24. भारत के पक्षी
25. पर्यावरण संरक्षण चुनौतियां और समाधान
26. रज़िया सुल्तान
27. उपेन्द्रनाथ अश्क जीवन और सृजन
28. भारतीय सिनेमा का सफरनामा (पीबी)
29. भारतीय सिनेमा का सफरनामा (एचबी)
30. शमशेर बहादुर सिंह
31. बेग़म हज़रत महल
32. ग्रह नक्षत्रो की आत्मकथाएं
33. केदारनाथ मिश्र
34. स्वामी विवेकानन्द (बीएमआई)
35. हाथी दादा की चौपाल (Rep)
36. भारत-2014
37. धार की दाढ़ी (पुर्नमु)
38. कुर्बानी अनजान शहीदों की (पुर्नमु)
39. ज्योति प्रसाद अग्रवाल (बीएमआई)
40. हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में घराना परम्परा (पुर्नमु)
41. मध्य भारत के आदिवासी और स्वतंत्रता आंदोलन
42. मदन मोहन मालवीय (बीएमआई)
43. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
44. जाने अपने जिगर को
45. भारतीय बाघ
46. माउंट एवरेस्ट की गाथा

क्षेत्रीय भाषाएं :

1. खुदीराम बोस (बंगाली)
2. आइचे माया (मराठी)
3. एन्शियेन्ट इंडिया (तेलुगु)
4. अवर नेशनल फ्लैग (तमिल)
5. डॉ. बी आर अम्बेडकर (बीएमआई) (तमिल)
6. मदन मोहन मालवीय (बीएमआई) (उर्दू)

वर्ष 2012-13 के दौरान जारी हुए कुल शीर्षक

अंग्रेज़ी	=	32
हिन्दी	=	46
क्षेत्रीय भाषाएं	=	06
कुल	=	**84**

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें

अंग्रेजी

क्रं.सं. शीर्षक

1. सूर्य : सोलर एसप्लोरेशन्स
2. लैम्प्स ऑफ इंडिया (पेपर बैक)
3. लैम्प्स ऑफ इंडिया (हार्ड बाउंड)
4. फार्मिंग हिस्ट्री
5. ऑल आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ गॉड
6. लोकल गवर्नेन्स अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव
7. राइज़ ऑफ द मराठा पावर
8. रबिन्द्रनाथ टैगोर
9. सलेक्टेड स्पीचेज़ : प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह (वोल्यूम 6)
10. इन्वेन्शन्स दैट मेड हिस्ट्री
11. फोल्डर फॉर डीपीडी

12. पोस्टर्स फॉर डीपीडी (2 प्रकार के)
13. फोल्डर्स फॉर डीपीडी (4 प्रकार के काला/सफेद)
14. फोल्डर फॉर डीपीडी (इन 4 कलर)
15. पोस्टर्स फॉर डीपीडी (3 प्रकार के)
16. इंडो-इस्लामिक आर्किटेक्चर
17. 2500 इयर्स ऑफ बुद्धिज़्म
18. प्रेसिडेंट : प्रतिभा देवीसिंह पाटिल सलेक्टेड स्पीचेज़ (वोल्यूम 1)
19. इंडिया-2013: अ रिफ्रेन्स एन्युअल
20. होलिस्टिक हीलिंग
21. सोशल किलॉसफर
22. द एडवेंचर ऑफ झिलिक
23. डीपीडी कैटेलॉग-2013
24. लुकिंग अगेन एट इंडियन आर्ट
25. लिविंग विद अदर्स : बायोडाइवर्सिटी अराउंड अस
26. इंडिया : बिफोर एंड आफ्टर म्यूटिनी
27. डॉ. बीआर अम्बेडकर (बीएमआई)
28. डॉ. एस राधाकृष्णन्
29. रामायण, महाभारत और भगवद् राइटर्स
30. सद्गुरु राम सिंह एंड कूका मूवमेंट
31. प्रेस इन द नॉर्थ-ईस्ट
32. डिवोशनल पोएट्स एंड मिस्टिक्स-(पार्ट-II)
33. आउटकम बजट : 2013-14
34. एम/ओ आई एंड बी एन्युअल रिपोर्ट 2012-13
35. रिमेम्बर अस वन्स इन अ व्हाइल (Rep)

36. इंडिया–2013 (Rep)

हिन्दी :

1. डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (बीएमआई)
2. संत रवि दास
3. हवा और धूप
4. बाल बोध कथाएं
5. गोपाल सिंह नेपाली
6. सब बुद्धू हैं
7. गढ़वाल चित्रकला
8. हरियाणा की लोक कथाएं
9. हमारे राष्ट्रीय प्रतीक
10. आर सी प्रसाद सिंह : व्यक्तित्व और कृतित्व
11. मदर टेरेसा
12. भारत–2013
13. स्वांग नौटंकी
14. जंगल की पुकार
15. पीटर पेन
16. छत्तीसगढ़ की लोककथाएं
17. नागार्जुन (पेपर बैक)
18. नागार्जुन (हार्ड बाउंड)
19. केदार नाथ अग्रवाल का रचना लोक (पेपर बैक)
20. केदार नाथ अग्रवाल का रचना लोक (हार्ड बाउंड)
21. बंकिम चन्द्र के हिन्दी में अप्रकाशित निबंध
22. जब्तशुदा तरानें
23. 1857–साहित्य झांकी
24. फैज अहमद फैज (पेपर बैक)

25. फैज अहमद फैज (हार्ड बाउंड)

26. डीपीडी पब्लिसिटी फोल्डर (6 पृष्ठ)-द्विभाषी

27. परिणाम (आउटकम) बजट : 2013-14

28. आई एंड बी मंत्रालय का एन्युअल रिपोर्ट : 2012-13

29. महिलाएं और स्वराज

30. बाल साहित्य के शिखर व्यक्तित्व

31. टेलो दी मैरो (बीएमआई)

32. बिरसा मुंडा (बीएमआई)

33. सुरों के साधक

34. भारत-2013 (Rep)

क्षेत्रीय भाषाएं :

1. भारतीय विज्ञान दे चानन मुनारे (पंजाबी)

2. प्राचीन भारत में प्रेक्षागृह (मराठी)

3. 1857-का स्वतंत्रता संग्राम (उड़िया)

अंग्रेजी	36
हिन्दी	34
क्षेत्रीय भाषाएं	03
कुल	**73**

5. मार्केटिंग और बिक्री को बढ़ावा

प्रकाशन विभाग की पुस्तकें लोगों तक बिक्री एम्पोरिया/आउटलेट्स, पुस्तक प्रदर्शनियों के माध्यम से और 450 से अधिक एजेन्टों के नेटवर्क द्वारा पहुंचती हैं। ब्रिक्री एम्पोरिया नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, चेन्नई, पटना और तिरूवनन्तपुरम् में स्थित है। बिक्री केन्द्र बंगलुरु, गुवाहाटी और अहमदाबाद में योजना कार्यालय में स्थित हैं।

वर्ष 2014-15 वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशालय द्वारा आयोजित/भाग मे लों/प्रदर्शनियों की सूची यहां दी जा रही है।

		स्थान	**तारीखें और समय**
1.	नेयवेली पुस्तक मेला	नेयवेली	प्रायोजकों अधिकारियों
2.	कोयम्बटूर पुस्तक प्रदर्शनी	कोयम्बटूर	पर निर्भर अथवा इस निदेशालय
3.	दिल्ली पुस्तक मेला	नई दिल्ली	द्वारा बाद में निर्णय

4.	इंदौर पुस्तक मेला	इंदौर
5.	फैज़ाबाद पुस्तक मेला	फैज़ाबाद
6.	इलाहाबाद पुस्तक मेला	इलाहाबाद
7.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	देहरादून
8.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	जयपुर
9.	कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला	कोच्चि
10.	राजधानी पुस्तक मेला	भुवनेश्वर
11.	चेन्नई पुस्तक मेला	चेन्नई
12.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	लखनऊ
13.	हैदराबाद पुस्तक मेला	हैदराबाद
14.	विशेष पुस्तक प्रदर्शनी	पुणे
15.	देवधर पुस्तक मेला	देवधर
16.	पांडिचेरी पुस्तक मेला	पांडिचेरी (तमिलनाडु)
17.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	नागपुर
18.	विजयवाड़ा पुस्तक मेला	विजयवाड़ा
19.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	पटना
20.	कोलकाता पुस्तक मेला	कोलकाता
21.	विश्व पुस्तक मेला	नई दिल्ली
22.	उत्तर पूर्व पुस्तक मेला	उत्तर पूर्व
23.	इरोड पुस्तक महोत्सव	इरोड
24.	राष्ट्रीय पुस्तक मेला	वाराणसी

वित्तीय वर्ष 2013-14 में हमारे बिक्री काउन्टरों और बिक्री केन्द्र पर निदेशालय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोहों पर ''इन्सिटु'' पुस्तक प्रदर्शनियां भी लगाने जा रहा है

1.	ग्रीष्म पुस्तक प्रदर्शनी	जून 2014	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
2.	स्वतंत्रता दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	अगस्त 2014	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
3.	अध्यापक दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	सितंबर 2014	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
4.	हिन्दी पखवाड़ा पुस्तक प्रदर्शनी	सितंबर 2014	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

5.	गांधी जयंती पुस्तक प्रदर्शनी	अक्टूबर 2014	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
6.	राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पुस्तक प्रदर्शनी	नवम्बर 2014	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
7.	क्रिसमस व नव वर्ष पुस्तक प्रदर्शनी	दिसम्बर 2014-15	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
8.	गणतंत्र दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	जनवरी 2015	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)
9	उपभोक्ता अधिकार दिवस पुस्तक प्रदर्शनी	मार्च 2015	(अपने 10 बिक्री आइटलेट्स में)

इसके बाद 2014-15 वित्तीय वर्ष के दौरान पीआईसी प्रचारों के अवसर पर निदेशालय की पुस्तक प्रदर्शनियां लगाने की भी योजना है।

अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान निदेशालय ने 774.77 लाख रुपए का कुल राजस्व (रोजगार समाचार से अर्जित राजस्व को निकालकर) अर्जित किया। उसने यह राजस्व पुस्तकों, पत्रिकाओं की बिक्री और विज्ञापनों से कमाया।

अपने प्रकाशनों और पत्रिकाओं के अलावा प्रभाग दूसरे सरकारी विभागों, राज्य सरकारों और स्वायत्त संगठनों जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, सीएसआईआर, आईसीएआरआईसीसीआर, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय के प्रकाशनों की भी मार्केटिंग सम्भालता है।

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक

वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 (31.3.2014 तक) तथा 2014-15 के दौरान लक्ष्य और निष्पादन

वित्तीय

(करोड़ रुपये में)

गतिविधि का नाम	वर्ष	योजना	गैर-योजना	कुल
बजट आंकलन	2012-13	0.20	4.17	4.37
वास्तविक व्यय	2012-13	0.19	3.91	4.15
बजट आंकलन	2013-14	0.30	4.42	4.72
पुनरीक्षित आंकलन	2013-14	0.22	4.07	4.29
बजट आंकलन	2014-15	0.20	4.65	4.85

भौतिक

क्र. सं.		2012-13		2013-14		2014-15
	कार्यक्रम/गतिविधियां	**लक्ष्य/प्राप्त**	**उपलब्धियां**	**लक्ष्य/प्राप्त**	**उपलब्धियां** जनवरी 2014 तक	**लक्ष्य**
अ.	**गतिविधियां**					
1.	शीर्षक दिया गया	***	13381	**	12985	***
2.	शीर्षकों की डि-ब्लॉकिंग	***	6213	***	5747	***
3.	पंजीकरण	***	9273	***	7881	***
4.	प्रिंटिंग मशीनरी के आयात के लिए प्रमाणपत्र आवश्यकता की संख्या	***	0	***	0	***
5.	एफ.सी.आर.ए., 1976 के अंतर्गत जारी नहीं किए गए समाचारपत्र प्रमाणपत्र	***	01	***	7	***
6.	न्यूज़प्रिंट के आयात के लिए जारी प्रमाणपत्रों की वैधता की तादात	***	1153	***	1279	***
7.	आरटीआई के अंतर्गत निष्पादित प्रार्थनापत्रों की संख्या	**	1077	**	871	***
8.	प्राप्त स्टेटमेंट्स की संख्या	**	16467	**	19007	***
ब.	**कार्यक्रम**					
9.	आर एन आई की वार्षिक रिपोर्ट (प्रेस इन इंडिया)	2011-12 रिपोर्ट	2011-12 रिपोर्ट	2012-13 रिपोर्ट	2012-13 रिपोर्ट	2013-14 रिपोर्ट

नोट : ***प्रकाशकों से प्राप्त प्रार्थनापत्रों/अनुरोध पत्रों के आधार पर। इन श्रेणियों में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

2012-13 की योजना का प्रारूप	0.20 करोड़
2012-13 के लिए योजना का निष्पादन	0.19 करोड़
2013-14 के लिए योजना का प्रारूप	0.30 करोड़
2013-14 के लिए परिशोधित आकलन	0.30 करोड़
2014-15 के लिए बजट का आकलन	0.22 करोड़
2014-15 बजट आंकलन	0.20 करोड़
कुल योजना का प्रारूप	**1 करोड़**

12वीं योजना : आरएनआई का मज़बूतीकरण

2011-12 के दौरान योजना में 17.00 रुपए आबंटित किए गए और खर्च के रूप में 4.00 लाख रुपए रखे गए। दस्तावेज़ों/रिकॉर्डों का डिज़िटाइज़ेशनर, वार्षिक स्टेटमेंटों की ई-फाइलिंग, शीर्षकों/इस तरह के शीर्षकों के प्रमाणपत्रों का ऑनलाइन पंजीकरण।

12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 में आरएनआई के मजबूतीकरण के लिए कुल 1.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया। 2013-14 में 19.44 लाख, 22.53 लाख रुपये का इस्तेमाल हुआ और वर्ष 2014-15 के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। 12 वीं पंचवर्षीय योजना में 335.00 परिव्यय बजट मंत्रालय में स्वीकृति के लिए भेजा गया।

कम्प्युटरीकरण प्रकाशकों द्वारा फाइल किए गए डिक्लेरेशंस, मास्टहेड्स/प्रकाशनों की प्रिंटलाइन, महत्वपूर्ण अदालता फैसले, महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित इन विशाल रजिस्टरों को डिज़िटली संरक्षित चिन्हित किया गया है, जिससे पारदर्शिता और प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी ताकि संबंधित लागों को बेहतर सेवाएं मिल सकें। इससे आरएनआई को आरटीआई प्रार्थनापत्रों और अदालता मुकदमों को निपटाने में पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।

ऑनलाइन वार्षिक स्टेटमेंट की सुविधा हो जाने से अन्य प्रकाशकों के लिए अपनी वैधानिक ज़िम्मेदारी निभाना आसान हो जाएगा और अनुमान है कि ऐसा हो जाने से कहीं ज़्यादा रिटर्न दाखिल हो सकेंगे।

वर्ष 2012-13 के दौरान भारतीय समाचारपत्रों के पंजीकद्दत कार्यालयों की निम्न गतिविधियां भी रहीं :-

पी.आर.बी. ऐक्ट का पुर्ननिरक्षण : प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 और इसके तहत नियमों ने वर्तमान मीडिया परिदृश्य में अधिनियम को और प्रभावी बनाने के लिए इसका पुनरीक्षण किया। तथानुसार 'द प्रेस और पुस्तक पंजीकरण एवं प्रकाशन अधिनियम, 2013' के रूप में संशोधन किए गए जो विधायिका के अंतिम चरण में हैं

सरकारी भाषा : 'पंजीयन भारती' का पांचवां सस्करण, जो सरकारी भाषा के लिए समर्पित अर्धवार्षिक पत्रिका है, मार्च 2013 में आने के लिए तैयार है

राजभाषा : 14–18 सितम्बर 2013 को राजभाषा में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और पंचजन्य भारती पंजीयन कार्यालय की अपनी पत्रिका को पांचवें संस्करण का प्रकाशन हुआ। एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और दो अनुवादक का दफ्तर में हैं।

शिकायते : उप प्रेस रजिस्ट्रार को आंतरिक शिकायतों को सुनने एवं दूर करने का कार्य करते हैं।

उत्तर पूर्व के लिए उठाए गए कदम : आरएनआई ने उत्तर–पूर्वी राज्यों और मध्य क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए विशेष कदम उठाते हुए 2007–08 के दौरान गुवाहाटी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला। ऐसा आरएनआई के मज़बूतीकरण की 11वीं योजना के तहत किया गया। चूंकि गुवाहाटी कार्यालय बाद में बंद हो गया इसलिए योजना स्कीम के तहत गुवाहाटी को आबंटित राशि मंत्रालय को लौटा दी गई।

12वीं योजना काल में आरएनआई मुख्यालय के मज़बूतीकरण योजना के तहत उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए 10 लाख रुपए तय किए गए हैं। ''मीडिया संरचना विकास कार्यक्रम के तहत आएनआई मुख्यालय को मजबूत करना। 2014–15 से 2016–17 तक 10 लाख रुपये पूर्वोत्तर 10 लाख रुपए खर्च करना है।

न्यू मीडिया विंग

पिछले कार्य निष्पादन की समीक्षा

'क' गतिविधिवार वर्गीकरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.		2012-13 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा अंतिम अनुमान			2013-14 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा अंतिम अनुमान		
1	2	3	4	5	6	7	8
		गैर योजना (बीई)	गैर योजना (आरई)	गैर योजना (अंतिम ग्रांट)	गैर योजना (बीई)	गैर योजना (आरई)	गैर योजना (अंतिम ग्रांट)
1	अनुसंधान, संदर्भ एवं डाक्यूमेंटेशन	2.17	1.81	1.78	2.16	2.09	2.13
	कुल	2.17	1.81	1.78	2.16	2.09	2.13

गीत एवं नाटक प्रभाग

संचार उद्देश्यों के लिए प्रचुर लोक एवं पारम्परिक स्वरूपों के उपयोग हेतु 1954 में लघु प्रयोगात्मक ईकाई के रूप में प्रभाग की स्थापना की गई। 'लाइव मीडिया', जो आज इस नाम से विख्यात हो चुका है, जनसमुदाय के साथ सीधे सम्पर्क के लाभों का समावेश करके और समसामयिक मुद्दों, विचारों तथा तरीकों को प्रतिबद्धता के साथ लागू करने में लचीलेपन को अपना, बेहद प्रभावशाली साबित हुआ है। प्रभाग का कार्यक्षेत्र और आकार, इसीलिए, विस्तृत कर दिया गया है ताकि दुर्गम पर्वतीय इलाकों, रेगिस्तान और सीमा क्षेत्रों को शामिल करते हुए, ज़मीनी स्तर पर इसके (प्रभाग के) प्रयासों को बताया जा सके।

प्रभाग का मुख्य कार्य, जैसा कि आधिकारिक रूप से वेबसाइट पर विस्तार से बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक आदर्शों से जुड़े मुद्दों पर जनसाधारण के बीच जागरुकता और भावनात्मक ग्रहणशीलता को बनाने का है। ये आदर्श राष्ट्र के विकास के प्रेरक हैं, प्रभाग का प्रमुख कार्य सीमा क्षेत्रों में बसे लोगों में रक्षा की पूर्व तैयारियों की अनुमति को जगाना है और बाकी भारत के साथ सांस्कृतिक अखंडता को बनाए रखना है और सजीव मनोरंजन माध्यमों के द्वारा सुदूर एकाकी क्षेत्रों में तैनात सेना के जवानों का नैतिक मनोबल बनाए रखना भी है।

लोक और पारम्परिक मीडिया या यथार्थ में ज्ञात लाइव मीडिया में, भाषाई, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक साम्य एवं तादात्म्य (पहचान) के कारण न केवल विशेष महत्व हासिल कर लिया है बल्कि ग्रामीण भारत में मौजूदा सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में यह सर्वाधिक प्रभावशाली होने के कारण भी विशेष महत्व हासिल किया है। यह वास्तव में बेहद लाभप्रद स्थिति है कि हमारा देश लोक और पारम्परिक स्वरूपों का विशाल भण्डार है जिसके ज़रिये आवश्यक संदेशों, सूचना अथवा जागरुकता को इस तरीके से निर्मित किया जा सकता है जिसे तत्काल मान्यता मिल जाती है, ग्रहण कर लिया जाता है और जनसमूह द्वारा पालन किया जाता है। खासतौर पर विकासशील परियोजनाओं के संदर्भ में इसका लक्ष्य राष्ट्रीय एकीकरण एवं साम्प्रदायिक सद्भाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण जनसमूहों का आम कल्याण तथा गरीबी उन्मूलन है।

इसीलिए, लोक और पाराम्परिक मीडिया का, सम्पूर्ण मीडिया रणनीति के प्रभावशाली और समग्र घटक के रूप में उपयोग जारी रहेगा खास तौर पर ग्रामीण, बिजली विहीन तथा सुगम क्षेत्रों में जनसाधारण के बीच इस बात की जागरुकता पैदा करने के लिए कि उनके लिए, खासतौर पर गरीब के हित में सरकार ने कई विभिन्न पहल की हैं।

लगभग 10,000 लोक और पारम्परिक कलाकार हैं। उन कलाकारों में विभागीय मंडलियां, सूचीबद्ध कलाकारों और पूर्ण रूप से नियमित आधार पर प्रभाव के साथ काम करने वाली निजी पंजीकृत मंडलियां भी शामिल हैं। सरकारी मानक संगठनों में शायद गीत एवं नाटक प्रभाग एक ऐसा प्रभाग है जिसके पास, गैर-योजना व्यय को बढ़ाए बिना अपने संचालन क्षेत्रों को बढ़ाने हेतु भरपूर लचीलापन है और साथ ही गतिविधियों को प्रमात्रा (क्वांटम) भी है और इस तरह स्थाई दीर्घकालीन ज़िम्मेदारी को बनाए रहता है, प्रभाग की कार्यरत ताकत का मात्र लगभग 8 प्रतिशत प्रभाग का नियमित कर्मचारी है। इसके साथ ही यह एक गैर-विवादास्पद तथ्य है कि पारम्परिक मीडिया अथवा लाइव मीडिया आईसीसी गतिविधियां दी गई अपनी पहुंच, असर और लचीलेपन के लिए सर्वाधिक महंगा प्रभावशाली माध्यम है।

निदेशक की अगुआई में प्रभाग तीन स्तरों पर कार्य करता है। यह स्तर हैं : 1. दिल्ली में मुख्यालय, 2. दस क्षेत्रीय कार्यालय जो बंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे और रांची में स्थित है, 3. आठ सीमा केन्द्र हैं जो सहायक निदेशकों द्वारा संचालित हैं और जो दरभंगा, गुवाहाटी, जम्मू, जोधपुर, जिनकी अगुआई प्रबंधकों द्वारा की जाती है और जो भुवनेश्वर, ल्लि, हैदराबाद, पटना, पुणे तथा श्रीनगर (जम्मू) में स्थित है।

वर्ष 2014-15 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां

आर्थिक

बजट आकलन-2012-13			वास्तविक व्यय 2012-13		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
8.00	22.24	30.24	6.18	21.94	28.12

वार्षिक योजना 2012-13 (कार्यक्रम) की भौतिक निष्पादन

क्रम संख्या	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	लक्ष्य/परिणाम	लागत (2012-13) (वित्त)	परिमाणात्मक उद्धारकात्मक (भौतिक)	उपलब्धियां डब्ल्यू.आर.टी कॉलम (5) 31.3.13 के अनुरूप	टिप्पणियां आर्थिक उपलब्धि/व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	ग्रामीण भारत के लिए जीवित कला व संस्कृति	प्रचार के लिए	8.00	12000	15930	6.18

योजना/गैर-योजना

वर्ष 2012-13 के दौरान भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों को नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	विवरण	लक्ष्यों के कार्यक्रम	उपलब्धियों के कार्यक्रम	टिप्पणियां
1.	गैर-योजना	5100	5513	-
2.	योजना	12000	15930	-

वर्ष 2013-14 के लिए लक्ष्य और उपलब्धियाँ
वर्ष 2013-14 (आर.ई.) के लिए बजट आवंटन

योजना (रु. करोड़ में)	गैर-योजना (रु. करोड़ में)	कुल (रु. करोड़ में)
6.50	23.29	29.79

वर्ष 2013-14 के दौरान उठाया गया व्यय

योजना (रु. करोड़ में)	गैर-योजना (रु. करोड़ में)	कुल (रु. करोड़ में)
6.43	22.93	29.36

भौतिक निष्पत्ति योजना 2013-14

क्रम संख्या	परियोजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	लागत 2013-14 (वित्तीय)	कार्यक्रमों का लक्ष्य	कार्यक्रमों की उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6
1.	ग्रामीण भारत के लिए लाईव व आर्ट एंड कल्चर	प्रचार कार्यक्रम	6.50	15685	11772

योजना-गैर-योजना (2013-14) भौतिक

क्रम संख्या	विवरण	लक्ष्यों के लिए कार्यक्रम	उपलब्धियों के लिए कार्यक्रम
1.	गैर-योजना	5100	4802
2.	योजना	15685	11772

मुख्य सचिवालय की सूचना विंग स्कीमें

(क) सूचना भवन का निर्माण

1.00 करोड़ रु., 1,76,20,000 रु., 10.00 करोड़ रु., 18.00 करोड़ रु., 31.30 करोड़ रु., 8.57 करोड़ रु. और 6.30 करोड़ रु. की राशि सूचना भवन के पांचवें चरण के निर्माण के लिए क्रमशः वार्षिक योजना वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14 के दौरान सीसीडब्ल्यू, आकाशवाणी को जारी कर दी गई। निर्माण कार्य 30-09-2013 को पूरा हो गया और वित्तीय समापन अर्थात सूचना भवन परियोजना के अंतिम बिलों के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 12.00 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान जारी राशि 6.40 करोड़ रुपए की आबंटित बजट की तुलना में कम है, इस अंतर को वर्ष 2014-15 के अनुमानित बजट में जोड़ दिया जाएगा। यह धन सूचना भवन परियोजना के वित्तीय समापन के लिए इच्छित है।

नीति समन्वय प्रकोष्ठ (पिछले निष्पादन की समीक्षा)

12वीं योजना (2012-17) के दौरान निम्नलिखित अध्ययनों को संचालित किया गया :

(i) सूचना और चलचित्र क्षेत्र की निम्न परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन :

ए) नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना।

बी) आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उन्नयन।

सी) सूचना भवन का निर्माण।

डी) भारतीय सिनेमा पर राष्ट्रीय संग्रहालय।

ई) एसआरएफटीआई को मदद के रूप में अनुदान।

(ii) बारहवीं योजना के दौरान आकाशवाणी (एआईआर) के पुनर्मूल्यांकन की परियोजनाएं।

(iii) बारहवीं योजना के दौरान दूरदर्शन (डीडी) के पुनर्मूल्यांकन की परियोजनाएं।

(iv) एफटीआईआई, पुणे के पुनर्मूल्यांकन की योजनाएं।

(v) बारहवीं योजना के दौरान लागू पीआईबी की परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी)को अध्ययन की जिम्मेदारी।

(vi) 'विकास, प्रसारण और प्रचार' परियोजना के तहत डीएवीपी परियोजना के पुनर्मूल्यांकन हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (आईआईएमसी) नई दिल्ली को अध्ययन कार्य सौंपा गया।

(vii) 'ईएमएमसी' की स्थापना योजना परियोजना के पुनर्मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को अध्ययन की ज़िम्मेदारी दी गई।

(viii) दूरदर्शन के लिए सॉफ्टवेयर परियोजनाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन किया गया।

(ix) बारहवीं योजना के दौरान चलचित्र प्रभाग, सीएफएसआई, एनएफएआई द्वारा ''विभिन्न भारतीय भाषाओं में चलचित्रों एवं वृत्तचित्रों के निर्माण (प्रोडक्शन)'' के पुनर्मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति को अध्ययन की ज़िम्मेदारी दी गई।

(ग) मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

परिणाम बजट 2013-14 में परिणाम लक्ष्य

मीडिया इकाई का नाम : मुख्य सचिवालय

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	आंबटन (2012-13)	आंबटन (2013-14)	परिणामात्मक हस्तांतरणीय/ वास्तविक उत्पादन	टिप्पणी/जोखिम
1.	मानव संसाधन विकास प्रसार भारती को छोड़कर मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण	2.00	1.50 2013-14 की वार्षिक योजना के अंतर्गत 1.50 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट स्वीकृत किया गया हालांकि निर्देशों के अनुसार इसे संशोधित करके 90 लाख रुपये कर दिया गया था।	2012-13 में कुल 65 अधिकारियों को देश के अंदर प्रशिक्षण दिया गया। 2013-14 के वर्ष में विभिन्न प्रशिक्षणों के लिए 165 अधिकारियों को नामित किया गया और इसी वित्त वर्ष में काठमांडू में एक विदेशी प्रशिक्षण आयोजित किया गया।	कोई जोखिम नहीं।

(घ) अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम

2012-13 की भौतिक उपलब्धि और 2013-14 और 2014-15 का लक्ष्य

	वर्ष 2012-13		वर्ष 2013-2014	
योजना का नाम/कार्यक्रम	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**लक्ष्य**	**उपलब्धि**
अंतरराष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम	10*	शून्य**	18*	08*

* लक्ष्य सेमिनार/कार्यशाला/संयुक्त समिति बैठक/प्रशिक्षण सार्क और यूनिस्कों में भागीदारी का लक्ष्य।

**2012-2013 में गतिविधि से नहीं हुई क्योंकि योजना की प्रशासनिक सहमति 11/3/2013 को हुई।

फिल्म क्षेत्र

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, मुंबई

भौतिक उपलब्धियां

सी बी एफ सी ने 280 भारतीय और आयातित सेल्युलाइड फिल्मों का प्रमाणन किया।
सी बी एफ सी ने 6902 भारतीय और आयातित वीडियो फिल्मों का प्रमाणन किया।
सी बी एफ सी ने 9050 भारतीय एवं आयातित डिजीटल फिल्मों का प्रमाणन किया।

स्कीम का नाम	भौतिक लक्ष्य (2012-13)	भौतिक उपलब्धियां (2012-13)	भौतिक लक्ष्य (2013-14)	भौतिक उपलब्धियां (2013-14)	भौतिक लक्ष्य (2014-15)
सीबीएफसी और इसकी प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन और आधुनिकीकरण	i) फिल्म प्रमाणन की प्रक्रिया ऑनलाइन करना और वेबसाइट उन्नयन तथा हार्डवेयर प्राप्त करना	फिल्मों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग का विकास और बेहतर हार्डवेयर प्राप्त करना	फिल्म आवेदनों और प्रमाणान की ऑनलाइन प्रोसेसिंग और प्रमाणन तथा वेबसाइट का उन्नयन तथा हार्डवेयर की प्राप्ति	हार्डवेयर प्राप्त किया जा चुका है। फिल्म आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग की डीयगिंग का काम चल रहा है।	सॉफ्टवेयर विकास, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, डीबगिंग और हार्डवेयर का भुगतान
	ii) चार कार्यालयों में प्रोजेक्शन प्रणाली का डिजीटलीकरण और सभी कार्यालयों में डिजीटल थियेटर खोलना	सीबीएफसी के चार क्षेत्रीय कार्यालयों में डिजीटल प्रोजैक्शन प्रणाली लगाने का काम प्रगति पर।	चार कार्यालयों में प्रोजेक्शन प्रणाली का डिजीटलीकरण और सभी कार्यालयों में डिजीटल थियेटर खोलना	हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय में डिजीटल प्रोजैक्शन प्रणाली लगाई गई। मुंबई और चैन्नई कार्यालयों के लिए डिजीटल प्रोजैक्शन प्रणाली हासिल की गई।	मुंबई, चैन्नई और तिरुअनंतपुरम केंद्रों में डिजीटल प्रोजैक्शन प्रणाली लगाना
	iii) सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान हासिल करना	हैदराबाद और तिरुअनंतपुरम कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान हासिल करने की प्रक्रिया विचाराधीन है और इस पर काम चल रहा है।	सीबीएफसी के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान हासिल करना	हैदराबाद में सिविल और विद्युत कार्यों सहित नया कार्यालय तैयार है। तिरुअनंतपुरम कार्यालय को नए भवन में ले जाया गया है।	मुंबई, चैन्नई, कोलकाता और कटक के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान हासिल करना

भौतिक उपलब्धियां

(लाख रुपए में)

स्कीम का नाम	आउटले 2013-14	भौतिक लक्ष्य 2012-13 31.12.2012 को	भौतिक उपलब्धियां (2012-13) 31.12.2012 को	कमी, यदि कोई हो, का कारण	भौतिक उपलब्धियां (2014-15)
मानव संसाधन का विकास और प्रशिक्षण	0.25	फिल्मों के प्रमाणन के लिए कार्यकारी सुविधा प्रदान करना। फिल्म आवेदनों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग, वेबसाइट उन्नयन तथा हार्डवेयर प्राप्ति का विकास चार कार्यालयों के लिए प्रोजेक्शन तन्त्र का डिजीटाइजेान तथा सभी कार्यालयों के लिए डिजीटल थिएटर	स्टाफ और अधिकारियों को प्रशिक्षण	संपूर्ण राशि का उपयोग	स्टाफ और अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यशाला और सेमिनार का आयोजन

बाल फिल्म समिति, भारत

पिछली उपलब्धियों की समीक्षा (वास्तविक उपलब्धियां)

	उपलब्धियां 2012-13	लक्ष्य 2013-14	उपलब्धियां		लक्ष्य 2014-15
			वास्तविक (अप्रैल 2013 से दिसं. 2014 तक)	अनुमानित (जनवरी 2013 से मार्च 2014 तक)	
	परियोजना : विभिन्न भारतीय भाषाओं में चलचित्रों और वृत्तचित्रों का निर्माण- बाल चलचित्रों का निर्माण (सीएफएसआई)				
क. निर्माण	2 फीचर फिल्में पूरी की गईं, 6 फीचर फिल्में और एक वृत्तचित्र का निर्माण किया जा रहा है	3 फीचर फिल्में 2 लघु फिल्में	2 फीचर फिल्में पूरी होने के करीब, 2 फीचर्स और एक लघु फिल्म निर्माण पूर्व के चरणों में हैं।		3 फीचर फिल्में 2 लघु फिल्में
ख. डबिंग	पूर्वोत्तर भाषाओं में 7 फिल्मों की डबिंग	12 फिल्में	14 फिल्मों के 14 रूपांतरणों पर काम चल रहा है		12 फिल्में
ग. उप शीर्षक	40 फिल्मों के उप शीर्षक अंग्रेज़ी भाषा में किए गए	10 फिल्में	20 फिल्मों के शीर्षक, डिजीडाटा फॉर्मेट में उपशीर्षकों के लिए 20 फिल्में चुनी जाएंगी		10 फिल्में
घ. खरीद	3 फिल्मों के सभी अधिकार 10 वर्षों के लिए खरीदे गए	2 फिल्में	पुरस्कार जीतने वाली 3 फिल्मों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है		2 फिल्में
ड. प्रिंट कीमत	डीसीपी फॉर्मेट में 100 शीर्षक	30 फिल्में	80 शीर्षकों को किया जा चुका है		30 प्रिन्ट्स
	परियोजना : स्कूलों में बाल चलचित्रों की प्रदर्शनी				
स्कूलों में बाल फिल्मों की प्रदर्शनी	9833 शोज़ का आयोजन किया जिन्हें 29 लाख से अधिक बच्चों ने देखा	13000 शोज़ का आयोजन होगा जो 65 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंच बनाएगा	277 शोज़ आयोजित जिन्हें 75,241 से अधिक बच्चों ने देखा		13500 शोज़ का आयोजन होगा जिनमें 68 लाख से अधिक बच्चों को शामिल किया जाएगा
	भारत और सुदूर देशों में चलचित्र महोत्सवों और चलचित्र बाज़ारों के माध्यम से भारतीय सिनेमा का निर्माण				
क) आईसीएफएफ का संगठन	-	1 (18वीं आईसीएफएफ)	18वीं आईसीएफएफ		1 (पहली एनसीएफएफ)
ख) अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र महोत्सवों में भाग लेना	31	15	88		15

फिल्म समारोह निदेशालय

वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा : योजना बजट के तहत 2012-13 और 2013-14 (31.12.2013)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	2011-12 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2012-13	शाटफॉल के कारण	2013-14 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2013-14 (31.12.13 तक)	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेशी यात्रा खर्च	–	–	–	–	–	प्रशासनिक खर्च
2.	(i) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	01	01	शून्य	01	01	शून्य
3.	(i) विदेशी फिल्म समारोहों में भागीदारी	55	50	शून्य छोटा सा शॉटफाल तकनीकी गडबडी के कारण	55	51	डीएफएफ अधिक से अधिक फिल्म महोत्सव में लेने के लिए फंड पर विचार का रहा है।
	(ii) भारतीय पैनोरमा	01	01	शून्य	01	01	शून्य
4.	सीरीफोर्ट परिसर के स्तर में सुधार	सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम की सुविधाओं में सुधार		शून्य सक्षम अधिकारियों द्वारा योजना को स्वीकृत नहीं किया गया	सीरीफोर्ट ऑडिटोरियम की सुविधाओं में सुधार	योजना जून 2013 में स्वीकृत सिविल और इलेक्ट्रिक अपग्रेट के लिए पहल।	सक्षम अधिकारी द्वारा योजना स्वीकृत जून 2013 को। उसी समय से अपग्रेड करने पर पहल किया गया। प्रगति की निगरानी के लिए उच्चस्तरीय सलाहकार समिति का गठन।

फिल्म समारोह निदेशालय

वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा : योजना बजट के तहत 2012-13 और 2013-14 (31.12.2013)

क्र. सं.	योजना का नाम	2012-13 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2012-13	कमी के कारण	2013-14 के लिए लक्ष्य	उपलब्धियां 2013-14 (31.12.13 तक)	वास्तविक प्रदर्शन की समीक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	वेतन	-	-	-	-	-	#
2.	ओवरटाइम भत्ता	-	-	-	-	-	#
3.	घरेलू यात्रा	-	-	-	-	-	#
4.	कार्यालय व्यय	-	-	-	-	-	#
5.	किराया, दर और कर	-	-	-	-	-	#
6.	लघु कार्य	-	-	-	-	-	#
7.	भत्ते	-	-	-	-	-	#
8.	अन्य प्रभार	-	-	-	-	-	#
9.	सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोह	08	09	शून्य	06	08	-
10.	राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार	1	1	शून्य	1	1	-
11.	बैंकिंग नकदी लेन-देन कर	-	-	-	-	-	#
12.	चिकित्सा व्यय	-	-	-	-	-	#

प्रशासनिक खर्चे होने के कारण कोई लक्ष्य नहीं

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

योजना बजट के अधीन वास्तविक निष्पादन की समीक्षा

(रु.करोड़ों में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	2013-14 के लिये लक्ष्य	2013-14 की उपलब्धियां			कमी का कारण
1	2	3	4			5
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	
I	भारतीय फिल्मएवं टेलीविजन संस्थान पुणे को सहायता अनुदान (गैर योजना)	अध्यापक, तकनीकी और अन्य स्टॉफ के वेतन और भत्ते, बुनियादी सुविधाओं, उपकरणों का रखरखाव और संस्थान की अकादमिक गतिविधियों के संचालन पर खर्च, संस्थान से विविध दीर्घावधि/लघु अवधि पाठ्यक्रमों से कुल 120 छात्रों का पास होकर निकलना	19.27			भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से पास होने वाले छात्रों के मामले में बैकलॉग है। संस्थान कार्यक्रम के अनुसार छात्रों का पास होना सुनिश्चित करने के उपाय कर रहा है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पाठ्यक्रम और तकनीकी में सुधार लाने की प्रक्रिया में है। यह वर्तमान अकादमिक वर्ष में होने की सम्भावना है। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दो बैच के छात्र अभिनय, पटकथा, कला निर्देशन, टेलीविजन के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के नियमित

						छात्रों के साथ भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान से पास होकर करके निकलेंगे।
II	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे को सहायता अनुदान-. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के सुधार और आधुनिकीकरण के लिये (योजना)	सिनेमैटोग्राफी, सम्पादन और ध्वनि विभाग के लिये उपकरणों की खरीद तथा आईटी बुनियादी ढांचे का विकास। योजनायें और वास्तुशिल्प संबंधी डिजाइन पूर्ण। क्लास रूम थिएटर, स्टूडियो फ्लोर, रिहायशी क्वाट्र्स, आर्ट वर्कशॉप्स आदि निर्माण कार्य के लिये अनुबंध देने को मंजूरी दी गई		15.00		शून्य
III	सहायता अनुदान सामान्य- फिल्म मीडिया के लिये मानव संसाधन विकास	वार्षिक कैलेंडर के आधार पर छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिये सेमिनार और मास्टर क्लासिज का आयोजन		0.45		शून्य
		कुल	19.27	15.45		

वित्तीय समीक्षा 2012–13

(रु.करोड़ों में)

मीडिया इकाइयों/ गतिविधि का नाम	बीई 2012.2013			आर ई 2012.2013			वास्तविक 2012.13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रमुख मद . 2220. सूचना, फिल्म और प्रचार									
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे को सहायता अनुदान	7.00	13.50	20.50	3.50	21.84	18.34	0	17.84	17.84

वित्तीय समीक्षा 2013–14

(रु.करोड़ों में)

मीडिया इकाइयों/ गतिविधि का नाम	बीई 2013–2014			आर ई 2013–2014			वास्तविक 2013.14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रमुख मद . 2220. सूचना, फिल्म और प्रचार									
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	15.00	18.72	33.72	15.00	19.27	34.27	15.00	19.27	34.27

फिल्म प्रभाग

(करोड़ रुपयों में)

निर्माण (गतिविधि)

2012-13 के लिये वास्तविक			2013-14 के लिये वास्तविक		
योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
0.96	0.13	1.09	2.28	13.54	15.82

(ए) "वृत्तचित्र (आर्काइवल मैग्जीन्स सहित)

	उपलब्धियां 2012-13	उपलब्धियां 2013-14
1	2	3
(1) इन हाउस निर्माण (ए) गैर योजना (i) थिएट्रिकल रिलीज, नॉन- थिएट्रिकल रिलीज वाली न्यूज मैग्जीन्स	11	9
(ii) (थिएट्रिकल रिलीज के लिये 4-6 एनिमेशन फिल्मों सहित)"वृत्त चित्रों का निर्माण। यह लक्ष्य इन हाउस, साथ ही साथ तदर्थ आधार पर जुड़ने वाले निर्देशकों तथा फिल्म प्रभाग की गैर- निर्देशात्मक इकाइयों तथा कुछ बहुत खास मामलों में बाहरी निर्माताओं द्वारा हासिल नहीं किया जा सका	8	8
(iii) नॉन-थिएट्रिकल रिलीज के लिए वृत्त चित्र (इन हाउस)	6	14
(iv) थिएटर में प्रदर्शित नहीं करने के लिए रक्षा मंत्रालय के वास्ते निर्देशात्मक शिक्षण और प्रशिक्षण फिल्में	-	-
(II) बाहरी निर्माताओं के जरिये बाहरी निर्माण (ए) गैर योजना-"वृत्त चित्र	4	1
2. फिल्म प्रभाग के जरिये भुगतान के आधार पर निर्मित फिल्में अथवा इन हाउस निर्माता के जरिये प्रत्यक्ष भुगतान के जरिये	-	2
नियोजित योजना के अंतर्गत : "वृत्तचित्र फिल्मों का निर्माण	71	2 - टीआर 15 - एन टीआर
कुल	**89**	**51**

(3) वितरण :

फिल्म प्रभाग "वृत्त चित्रों और आर्काइव्ल मैग्जीन्स के थिएट्रिकल और नॉन-थिएट्रिकल वितरण का दायित्व वहन करता है। थिएट्रिकल वितरण भारत में सिनेमा घरों के माध्यम से किया जाता है, जिन्हें अनिवार्य प्रदर्शनी योजना के अंतर्गत स्वीकृत फिल्में(609 मीटर तक यानी 2001 फुट) प्रदर्शित करने की जरूरत होती है

(वित्तीय)

(करोड़ रुपयों में)

2012-13 के लिये वास्तविक			2013-14 के लिये वास्तविक		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
1.36	17.89	19.24	3.22	19.19	22.41

(वास्तविक)

प्रिंट्स और कैसेट्स की संख्या	उपलब्धियां 2012-13	उपलब्धियां 2013-14
थिएट्रिकल रिलीज	12080	10680
नॉन-थिएट्रिकल रिलीज	24	21
35 एमएम प्रिंट्स	2	0
डीवीडी	3360	2605
वीसीडी	884	298

2 फिल्म प्रभाग पूरे देश को एक परिधि मानते हुए हर सप्ताह थिएट्रिकल वितरण के लिये एक आर्काइव्ल मैग्जीन अथवा एक वृहत चित्र फिल्म वैकल्पिक तौर पर रिलीज करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान थिएट्रिकल वितरण के लिये हर हफ्ते 200 प्रिंट तैयार किये गये।

3. फिल्म प्रभाग एनएफडीसी और अन्य एजेंसियों के माध्यम से अपनी फिल्मों का व्यवसायिक वितरण विदेशों में करने का प्रयास करता है। इसके अलावा फिल्म प्रभाग साथ ही साथ व्यवसायिक और गैर-व्यवसायिक इस्तेमाल के लिये स्टॉक शॉट्स सरकार द्वारा समय-समय पर तय किये जाने वाली दरों पर बेचता है।

4. विदेश मंत्रालय की ओर से फिल्म प्रभाग के "वृत्तचित्रों और आर्काइव्ल मैग्जीन्स के प्रिंट्स विदेशों में भारतीय दूतावासों को भेजे जाते हैं, जो इन्हें सरकारी अर्द्ध-सरकारी संगठनों, शैक्षिक संगठनों आदि को निशुल्क प्रदर्शन के लिये देते हैं। प्रिंट्स विदेश में गैर-व्यवसायिक इस्तेमाल के लिये भी बेचे जाते हैं। विदेशों में कुछ "वृत्तचित्रों को टेलीविजन पर रॉयल्टी के आधार पर सीधे फिल्म प्रभाग द्वारा साथ ही साथी राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा व्यवसायिक रूप से काम में लाया गया है।

5. भारत में फिल्मों के व्यवसायिक प्रदर्शन, प्रिंट और स्टॉक शॉट्स की बिक्री साथ ही साथ वेस्ट फिल्मों की बिक्री से 2012-13 के दौरान फिल्म प्रभाग को हुई राजस्व प्राप्ति तथा 2013-14 और 2014-15 का अनुमानित राजस्व नीचे दर्शाया गया है :-

(लाख रुपयों में)

लघु मद	2012-13 के लिये वास्तविक	2013-14 के लिये वास्तविक
1. किराया	5.37	6.17
2. प्रिंट्स और स्टॉक शॉट्स की बिक्री	0.17	0.14
3. अन्य पावतियां	0.14	0.39
कुल	**5.68**	**6.70**

1. ज्यादातर प्रदर्शकों ने 1995-1999 की अवधि की बकाया राशि का भुगतान डब्ल्यूपीएस/डब्ल्यूएएस फाइल अपने-अपने राज्यों के उच्च न्यायालय के समक्ष होने के मद्देनजर नहीं किया है।
2. उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश के 500 से ज्यादा सिनेमा घरों ने फिल्म प्रभाग से स्वीकृत्त फिल्में लेना बंद कर दिया है।

(5) प्रशासनिक खर्च:

(करोड़ रुपयों में)

2012-13 के लिये वास्तविक			2013-14 के लिये वास्तविक		
योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
0.35	4.56	4.91	0.82	4.89	5.71

विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राबट्रीय फिल्म समारोह में भागीदारी

	समारोहों की संख्या	प्रविबटी पाने वाली फिल्मों की संख्या
राज्य फिल्म समारोह	5	10
राष्ट्रीय फिल्म समारोह	10	30
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	20	50
कुल	35	90

भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

विगत कार्यनिष्पादन की समीक्षा :

कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाओं/कार्यक्रमों के नाम :

(रुपये करोड़ में)

क्रं. संख्या	परियोजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	स्वीकृत 12वीं योजना रूपरेखा 2012-2017	एस.बी.जी. 2012-13	आर.ई. 2012-13	अंतिम अनुदान 2012-13	वर्ष 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय
	नई परियोजनाएं					
1	पुरातत्वीय चलचित्रों और चलचित्र सामग्री का अधिग्रहण	10.00	2.00	1.00	0.94	0.99
2	जयकर भवन को शामिल करते हुए एनएफआई की आधारभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना	19.00	3.00	1.50	0.00	0.00
	कुल	**29.00**	**5.00**	**2.50**	**0.94**	**0.92**

भौतिक उपलब्धियां :

पहली अप्रैल, 2012 से 31.3.2013 के दौरान एनएफएआई ने निम्नलिखित अधिग्रहण किए :

चलचित्र	192 चलचित्र एलटीएल 156, आधार पर ताज़ 32 और प्रतिकृति 4
डीवीडी	481
पुस्तकें	455
चलचित्र फोल्डर्स/पॅम्फ्लेट्स	34
स्टील्स	1549
गीत पुस्तिकाएं	92
वॉल पोस्टर्स	1047
पटकथा	1134

आर्थिक समीक्षा

परियोजना का नाम	एस.बी.जी. 2013-14	अंतिम अनुदान 2013-14	व्यय 31.03.2014 तथा वास्तविक व्यय
1. पुरातत्वीय चलचित्रों और चलचित्र सामग्री का अधिग्रहण	2.00	1.29	1.29
2. जयकर बंगले को शामिल करते हुए एनएफएआई की मूलभूत संरचना का उन्नयन और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना	3.00	2.00	1.82
कुल	**5.00**	**3.29**	**3.11**

भौतिक उपलब्धियां

पहली अप्रैल, 2013 से 31.3.2014 के दौरान एनएफएआई ने निम्नलिखित अधिग्रहण किए :

चलचित्र	151 चलचित्र एलटीएल आधार पर 59, ताज़े 55 और प्रतिकृति 37
डीवीडी	121
पुस्तकें	138
चलचित्र फोल्डर्स/पॅम्फ्लेट्स	95
स्टील्स	2952
गीत पुस्तिकाएं	156
वॉल पोस्टर्स	726

परियोजनाबद्ध भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां (2013-14)

परियोजना/कार्यक्रम का नाम	भौतिक लक्ष्य 2013-14	31.03.2014 तक भौतिक उपलब्धियां	यदि कोई कमी रह गई तो उसके कारण
परियोजना 1. पुरातत्वीय चलचित्रों और चलचित्र सामग्री का अधिग्रहण	70 चलचित्रों/इंटर-निगेटिव्स/डीवीडी और अनुषंगिक सामग्री को प्राप्त करना।	92 चलिचत्र, 121 डीवीडी और 4067 अनुषंगिक सामग्री अधिग्रहीत की गई।	कोई कमी नहीं रही
2. जयकर बंगले को शामिल करते हुए एनएफएआई की मूलभूत संरचना का उन्नयन और डिटिजटल लाइब्रेरी की स्थापना	शुरुआत के लिए सुरक्षा बाड़ की वर्तमान मूलभूत संरचना, सड़क, लीकेज कार्य इत्यादि का उन्नयन	14.06.2013 को एसएफसी स्वीकृति प्राप्त की गई और एआईआर, सीसीडब्ल्यू को आवश्यक धन जारी किया गया ताकि सुरक्षाबाड़ इत्यादि के कार्य को अंजाम दिया जा सके। उनको आबंटित कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है	परियोजना की एसएफसी स्वीकृति 14.06.2013 को प्राप्त की गई

गैर योजना

गैर योजना व्यय का संबंध बिजली के खर्चों, पोस्टेज (डाक खर्चों) टेलीफोन, कर्मचारियों के वेतन और स्टेशनरी की चीज़ों से है :

(रुपये लाख में)

क्रं.	उपशीर्षक	वास्तविक व्यय 2012-13	एस.बी.जी. 2013-14	अंतिम अनुदान 2013-14	31.03.2014 तक वास्तविक व्यय	बी.ई. 2014-15
1.	वेतन	152.11	190.00	124.00	123.78	190.00
2.	ओवरटाइम भत्ता	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10
3.	चिकित्सीय व्यय	2.89	5.00	3.00	2.68	4.90
4.	घरेलू यात्रा व्यय	5.50	4.00	5.00	4.30	6.00
5	विदेश यात्रा व्यय	2.76	3.00	0.00	0.00	4.00
6.	कार्यालय व्यय	149.93	160.00	170.00	169.98	160.00
7.	किराया और कर	2.22	5.60	2.60	2.60	5.00
8.	छोटे-मोटे कार्य	99.85	94.90	85.70	85.70	95.00
	कुल	**415.31**	**462.00**	**390.14**	**389.14**	**465.00**

सत्यजित रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान
योजना बजट के अधीन वास्तविक निष्पादन की समीक्षा

(रु.करोड़ों में)

क्रम संख्या	योजना/ कार्यक्रम का नाम	2013-14 के लिये लक्ष्य	2013-14 की उपलब्धियां			कमी का कारण
1	2	3	4			5
			4(i) गैर-योजना बजट	4(ii) योजना बजट	4(iii) पूरक अतिरिक्त बजट संसाधन	
1	सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान (गैर-योजना)	अध्यापकों, तकनीकी औरप्रशासनिक स्टॉफ के वेतन और भत्ते, उपकरणों और बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव और संस्थान की अकादमिक गतिविधियों के संचालन, विविध पाठ्यक्रमों के 37 छात्रों के पास होने पर होने वाला खर्च	09.90			शून्य
2	सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान- सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में सुधार और आधुनिकीकरण (योजना) 11वीं योजना की वर्तमान योजना सहित	1. जारी योजना-फिल्म स्टुडियो का निर्माण-सीसीडब्ल्यू द्वारा लोक निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। एयरकंडिशनिंग और बिजली के कुछ और काम 31.8.2014. तक पूरे होने की सम्भावना है। 2. छात्राओं के छात्रावास का निर्माण-निविदा और कार्य आदेश आवंटित करने के बाद सीसीडब्ल्यू निर्माण कार्य शुरू कर चुका है 3. क्लास रूम का निर्माण- थिएटर और कॉमन वर्क स्टेशन-निविदा और कार्य आदेश आवंटित करने के बाद सीसीडब्ल्यू निर्माण कार्य शुरू कर चुका हैटीवी सेंटर, सम्पादन विभाग से संबंधित उपकरणों की खरीद की जा रही है और मुख्य थिएटर का नवीकरण का काम शुरू हो चुका है।			15.00	शून्य
3	सहायता अनुदान सामान्य-फिल्म मीडिया के लिये मानव संसाधन विकास	वार्षिक कैलेंडर के आधार पर छात्रों और शिक्षकों के कौशल विकास के लिये सेमिनार और मास्टर क्लासिज का आयोजन		0.30		शून्य
		कुल	**09.90**	**15.30**		

वित्तीय समीक्षा 2012–13

(रु.करोड़ों में)

मीडिया इकाइयों/ गतिविधि का नाम	बीई 2012.2013			आर ई 2012.2013			वास्तविक 2012.13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रमुख मद . 2220. सूचना, फिल्म और प्रचार									
सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	15.00	7.00	22.00	11.50	9.01	20.51	8.00	9.01	17.01

वित्तीय समीक्षा 2013–14

(रु.करोड़ों में)

मीडिया इकाइयों/ गतिविधि का नाम	बीई 2013.2014			आर ई 2013.2014			वास्तविक 2013.14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रमुख मद . 2220. सूचना, फिल्म और प्रचार									
सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	15.00	10.11	25.11	15.00	9.90	24.90	15.00	9.90	24.90

फिल्म सामग्री का विकास, संचार तथा प्रसार

योजना बजट के तहत 2012–13 और 2013–14 की भौतिक उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	2012-13 के लक्ष्य	2012-13 में उपलब्धियां	लक्ष्य प्राप्ति में बाधक	2013-14 के लक्ष्य	2013-14 की उपलब्धियां	वास्तविक निष्पादन का आंकलन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	विदेश यात्राओं पर व्यय	–					**प्रशासनिक व्यय**
2.	फिल्म समारोहों और फिल्म बाजारों के द्वारा भारतीय सिनेमा को प्रोत्साहन	संबंधित मीडिया को वित्तीय सहायता दी गई			संबंधित मीडिया को वित्तीय सहायता दी गई		
3.	विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण						
4.	भारतीय सिनेमा के शताब्दी समारोह का आयोजन						
5.	पुरानी फिल्मों की वेबकास्टिंग						
6.	पुरातन फिल्म सामग्री का अधिग्रहण						

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विरासत उद्देश्य

राष्ट्रीय फिल्म विरासत को फिल्मी विरात का पुर्नद्वार करना।

2013-14 के कार्य :

क्रम संख्या	योजना का नाम	12वीं योजना में स्वीकृत परिव्यय 2012-17	एसबीजी 2012-13	आर.ई 2012-13	कुल अनुदान	2012-13 वार्षिक व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत उद्देश्य	291.00	20.00	1.095	1.095	डीपीआर तैयार कर ली गई तथा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। योजना का ई एफ सी मेमो व्यय विभाग तथा योजना आयोग को परिचालित किया जा चुका है।

भौतिक उपलब्धि

योजना का आयोग द्वारा अनुमोदित योजना व्यय वित्त समिती (ईएफसी) के सचिव अध्यक्ष हैं, कैबिनेट कमेटी का आर्थिक समीक्षा (सीसीईए) द्वारा योजना की सिफारिश और बढ़ावा दिया।

वित्तीय समीक्षा

क्रम सं.	योजना का नाम	एसबीजी 2013-14	आइई 2013-14	कुल अनुबंध 2013-14	वास्तिवक व्यय 31.03.2014
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन	20.00	0.01	00.00	शून्य

भौतिक लक्ष्य और उपलब्धि
(2013-14)

क्रम	योजना का नाम	भौतिक लक्ष्य 2013-14	भौतिक उपलब्धि 2013-14	शॉर्टफॉल का कारण
1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन का उद्देश्य			

(ग) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विशेष प्रभाव के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना

(पिछले निष्पादन की समीक्षा)

योजना बजट के अंतर्गत 2012–13 और 2013–14 (31.3.2014 तक) के दौरान वास्तविक निष्पादन की समीक्षा

क्रम सं.	योजना का नाम	2012–13 के लिए लक्ष्य	2012–13 में उपलब्धियां	कमी के कारण	वर्ष 2013–14 के लिये लक्ष्य	वर्ष 2013–14 की उपलब्धियां	वास्तविक निष्पादन की समीक्षा
1.	ऐनिमेशन, गेमिंग और इफेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र	योजना को मंजूरी	–	योजना मंजूर नहीं हुई	योजना को मंजूरी दिलाना और प्रारम्भ करना	01	योजना को सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी मिलना और निजी भागीदार के चयन के लिये आरएफपी का चयन किया जाना अभी बाकी है
2.	फिल्म बाजारों में भागीदारी	04	04	–	2	2	–

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केन्द्र

पिछले निष्पादन की समीक्षा

वार्षिक योजना 2012–13 के अंतर्गत 'ईएमएमसी का सुदृढीकरण' हेतु 10.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था जिसमें से मॉनीटरिंग टर्मिनल के नवीकरण और तकनीकी स्थापना के रखरखाव हेतु 0.86 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया था । वर्ष 2013–14 के लिए बजट अनुमान में 12.00 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर बढाकर 17.00 करोड़ रुपए कर दिया गया । तथापि, आबंटित स्थल के नवीकरण और बदलाव, 600 टीवी चैनलों, 100 एफएम चैनलों और 100 कम्यूनिटी रेडियो चैनलों की तकनीकी स्थानपना हेतु मशीनरी और उपस्कर का प्रापण, एएमसी तथा कंट्राक्ट आधार पर नियोजित कर्मचारियों के भुगतान पर 11.00 करोड रुपए (पूँजी तथा राजस्व अनुभाग दोनों के अंतर्गत) उपयोग किए गए ।

इस समय ईएमएमसी में 300 सैटलाइट टीवी चैनलों की सामग्री की निगरानी करने की क्षमता उपलब्ध है । निजी एफएम चैनलों के लिए केंद्रीकृत सामग्री निगरानी प्रणाली की स्थापना अभी की जानी है । परियोजना निष्पादन एजेंसी–ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने परियोजना के निष्पादन हेतु खरीद ऑर्डर दे दिए हैं । परियोजना की स्थापना, परीक्षण तथा चालू करने का कार्य चल रहा है ।

प्रसार भारती
आकाशवाणी
परिव्यय तथा परिणाम/लक्ष्यों का वक्तव्य (2013-14)

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.2014 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/
1	2	3	4		5	6	7	8
	जारी योजनाएं							
	योजना-1- प्रसार ढांचा नेटवर्क विकास							
1	**वर्तमान नेटवर्क का डिजिटलीकरण(पूंजी)**	ट्रांसमिशन गुणवत्ता में सुधार, डिजिटलीकरण के माध्यम से रिकोडिंग एवं कनेक्टिविटी, कार्यक्षमता सुधार के लिये ऑटोमेशन तथा अतिरिक्त सुविधाओं को किराये पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना						
	वर्तमान नेटवर्क का डिजिटलीकरण(राजस्व)							
1.1	**ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण**							
a	**MW ट्रांसमीटर (कुल)**		81.00	94.18				
	MW ट्रांसमीटर (जारी योजना)		80.00	94.18				
i	राजकोट में 1000 kw MW ट्रांसमीटर को 1000 kW MW DRM ट्रांसमीटर से बदलना		0.50		लंबित कार्य और भुगतान पूरा	Q 1-लंबित भुगतान	काम पूरा	
ii	कावरती में 1 kw MW ट्रांसमीटर को 10kW MW उपयुक्त डिजिटल ट्रांसमीटर से बदलना		0.50		5. **कावारती- 10 KW MW** ट्रांसमिशन की स्थापना पूरी	Q 1- कार्य पूरा Q 2- जांच और मापन	पूरा नहीं हुआ	भवन कार्य पूरा न होने की वजह से
			0.60		**कावारती में हॉस्टल आवास**	Q 1.-कार्य प्रगति पर है Q2-कार्य पूरा हुआ	कार्य पूरा नहीं	भवन कार्य पूरा न होने की वजह से

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
iii	चिनसूरा(प.बं) में 1000 kw MW ट्रांसमीटर को 1000 kW MW DRM ट्रांसमीटर से बदलना		1.00		**4.चिनसूरा 1000 KW MW** ट्रांसमीशन की स्थापना पूरी	Q 1 :-लंबित कार्य और भुगतान Q-2-परियोजना की कमीशनिंग	पूरा	
iv	6 स्थानों पर 20 kW MW ट्रांसमीटर (दिल्ली वीबी, बाड़मेर एवं बीकानेर (राज.),चेन्नई (तमि.) वीबी,,गुवाहाटी'बी',तवांग)		2.40		लंबित भुगतान और लघु कार्य पूरा	Q1/Q-2- लंबित कार्य और भुगतान	पूरा	
v	• 100 KW -12 संख्या में. [विजयवाड़ा(आं. प्र),पटना(बिहार),पणजी(गोवा),रांची (झार.), मुंबई 'ए' (महा.), मुंबई'बी'(महा.), पुणे (महा),तिरुचिरापल्ली(तमि.),वाराणसी(उ.प्र.), कोलकाता'ए' (प.बं),मुंबई सी(50 kW) एवं पासीघाट (10 kW का परिवर्तन 100 kW से)		12.00		1. 100 kW MW किलोवाट ट्रांसमीटरों की प्राप्तियां, स्थापना और कमीशनिंग (ऑर्डर मूल्य :रु. 43.00 करोड़)	Q3- उपकरणों का निरीक्षण Q4 तथा संस्थापना - उपकरणों की रसीद	पूरा	12 नवंबर में औपचारिक A/T लगाया गया, DP 12 माह
			1.00		सिविल कार्य पूरा	Q-4 :- उपकरणों की स्थापना के बाद सिविल कार्य पूरा	पूरा नहीं	सभी भवन कार्य स्वीकृत वित्त वर्ष के अंत में ट्रांसमीटर प्राप्त हुए
			5.00		क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य का आरंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर है	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की.ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे
vi	•200 KW -10 संख्या में, दिल्ली 'ए', अहमदाबाद (गुज.), बंगलुरु और धारवाड़ (कर्ना), जबलपुर (म. प्र.),अजमेर (राज.), चेन्नई'ए'(तमि.), सिलिगुड़ी ,कोलकाता'बी'(पं.बं), एवं इटानगर (100 kw MW को 200 kw MW DRM से बदलना)		12.00		1. 100 kW MW DRM ट्रांसमीटरों की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग (ऑर्डर मूल्य : रु. 49.51 करोड़)	Q3- उपकरणों की निरीक्षण Q4- उपकरणों की रसीद	पूरा	12 नवंबर में औपचारिक A/T लगाया गया, DP 12 माह
			1.00		सिविल कार्य पूरा	Q-4:- उपकरणों की सस्थापना के बाद सिविल कार्य पूरा	पूरा नहीं	सभी भवन कार्य स्वीकृत
			4.00		क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य प्रारंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर है	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की.ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे
vii	• 300 KW -6 संख्या में [डिब्रूगढ़ (असम),राजकोट (गुज.),जम्मू (ज. एवं क.), जालंधर (पंजाब),सूरतगढ़ (राज.),लखनऊ (उ.प्र.)		12.00		100 kW MW DRM ट्रांसमीटर की प्राप्ति, स्थापना और कमीशनिंग (ऑर्डर मूल्य: रु. Rs 38.00 करोड़)	Q3- उपकरणों का निरीक्षण Q4- आंशिक आपूर्ति की रसीद	कार्य पूरा हुआ	12 नवंबर में औपचारिक A/T लगाया गया, DP 12 माह

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			1.00		सिविल कार्य पूरा	Q-1 :- सिविल कार्य की प्रगति Q-2-Q-4 :-सिविल कार्य पूरा	कार्य पूरा	जम्मू में भवन कार्य स्वीकृत तथा अन्य मंजूरी की प्रक्रिया में
			4.00		क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य प्रारंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ		क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की.ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे
viii	वर्तमान 36 DRM सक्षम MW ट्रांसमिशन को DRM में परिवर्तित करना		19.50		उपकरण प्राप्त	Q-1 :- उपकरणों के लिये आदेश जारी Q-3 to Q-4 :-उपकरणों की रसीद	SITC ने आदेश नहीं दिया इसलिए प्रसार भारती ने कार्य स्थगित कर दिया	अवयव सर्वर और मॉड्यूलेटर के लिये 19 Tr-(हैरिस मेक) DP-01.08.2012.हेतु आदेश जारी. कनवर्जन उपकरण 17 ट्रांसमीटरों के लिये अभी आदेश दिया जाना शेष -PAC पर कनवर्जन उपकरण हेतु आदेश अभी जारी होने हैं
			0.50		क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य प्रारंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	शुरू नहीं किया व्यवसायिक रिसिवर प्राप्त	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की विभागीय कार्य, संस्थापना और कनवर्जन किट प्राप्त होने के बाद आरंभ होगा
ix	MW ट्रांसमीटर परिवर्तन के तहत अन्य अधिप्राप्तियां		3.00		DRM रिसीवर प्राप्त (36 पेशेवर) - 144 सामान्य उद्देश्य के लिये	Q-2 :- उपकरणों के लिये आदेश Q-4 :- उपकरणों की रसीद	व्यवसायिक रिसिवर नहीं दिया गया।	फर्म ने वैधता प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया, इसलिये पुनर्निविदा होनी है
	MW ट्रांसमीटर (नई योजना)		1.00					
x	4 MW ट्रांसमीटरों को बदलना		1.00	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिये सिविल प्राक्कलन तैयार करना, लागत अनुमान का अनुमोदन, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति तथा विशिष्ट के लिये तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य प्रस्तुत Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य का आरंभ	शुरू नहीं किया	नई योजना की राशि को 10.20 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस उप योजना को समाप्त कर दिया गया।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
(b)	**SW ट्रांसमीटर(कुल)**		3.10	0.65				
(i)	**SW ट्रांसमीटर (जारी योजना)**		3.00	0.65				
	SW DRM ट्रांसमीटर को 5 SW ट्रांसमीटरों से बदलना (दिल्ली -2,अलीगढ़ -2, बंगलुरु-1)		0.10		250 kW SW ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q-1 - उपकरणों के आदेश NIT जारी Q-3 - स्थल का निरीक्षण Q-3 - उपकरणों की रसीद	आदेश नहीं हुआ	व्यवसायिक रिसिवर उपलब्ध न होने की वजह से प्रसार भारती ने परियोजना स्थगित कर दी
			0.10		100 kW SW ट्रांसमीटर की प्राप्ति (अनुमानित ऑर्डर मूल्य रु. 17.00 करोड़)	Q-2 - स्थल का निरीक्षण Q-3 -उपकरणों की रसीद Q-3/Q-4 -उपकरणों की संस्थापना	प्राप्त नहीं हुआ	निरीक्षण में देरी
			0.80		भवन कार्य पूरा	Q-1 :- 2 स्थानों पर सिविल कार्य पूरा तथा 1 स्थान पर कार्य प्रगति पर Q-2 :- सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा	आवश्यकता नहीं	मौजूदा भवन को इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया
			2.00		ऑक्जिलरी उपकरण की प्राप्ति /क्षेत्रीय उपकरण और विभागीय कार्य का आरंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर है	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे
(ii)	**SW ट्रांसमीटर(नई योजना)**		0.10					
	लेह में XII योजना के तहत SW ट्रांसमीटरों को बदलना और उन्हें उच्चस्तरीय बनाना		0.10		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का आकलन, आकलन की मंजूरी, कार्य आरंभ, NIT तथा उपकरणों की प्राप्ति की विशिष्टता की तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा. Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	नव योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस योजना को रदद् कर दिया गया।
(C)	**FM ट्रांसमीटर (कुल)**		30.40	37.15				
	FM ट्रांसमीटर (जारी योजना)		25.00	37.15				
(i)	**FM विस्तार योजना (जारी योजना)**		20.75					

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	FM विस्तार योजना स्कीम (जारी)		1.00		हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में FM ट्रांसमीटर स्थापित करने की परियोजना (a) स्थल का अधिग्रहण (b) चाहरदीवारी का कार्य पूरा (c) अंतिम रूप देना और आकलन की स्वीकृति	Q 1-हल्द्वानी और चंपावत, रायबरेली का स्थल अधिकार प्राप्त Q 2- भवन कार्य के आकलन को स्वीकृति और कार्य आरंभ .भवन LOP को अंतिम रूप. Q-3 /Q-4 :- भवन कार्य के आकलन को स्वीकृति, सिविल कार्य प्रगति पर	सीमित स्टुडियो सुविधा के साथ 5KWFM ट्रांसमीटर की अंतरिम स्थापना हल्द्वानी और चंपावत में भूमि अधिग्रहण नहीं को सका	**हल्द्वानी :**-स्थल के लिये मांगपत्र प्राप्त पिछले साल प्राप्त और स्वीकृत लेकिन,राज्य सरकार ने भू लाभांश 1: से 10: बढ़ाया, जो बहुत अधिक है, मामले पर राज्य सरकार से वार्ता **चंपावत :**-राज्य सरकार से मांगपत्र प्राप्त होना से **रायबरेली:**-स्तल चिह्नित, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा आवंटन बाकी
			2.00		फाजिल्का, अमृतसर और चौटनहिल में FM ट्रांसमीटरों की स्थापना (a) 20 KW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (3) (b) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग (c) ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना और प्राप्ति (d) सिविल कार्य पूरा	Q1- भवन कार्य पूरा, ऑक्जिलरी उपकरणों की संस्थापना Q-2 :- रसीद प्रगति पर / ऑक्जिलरी उपकरणों की संस्थापना और ट्रांसमीटर उपकरणों का निरीक्षण Q4-ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	भवन का कार्य पूरा हो चुका है। ट्रांसमीटर नहीं खरीदा गया।	-हल्द्वानी : राज्य सरकार ने भूमि प्रिमियम की दरें 1% से 10% तक बढ़ा दी। - मामला राज्य सरकार के अधीन है - चंपावत राज्य सरकार की ओर से मांग नहीं रखी गई।
			0.10		गैरसेण और नये टिहरी में 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) टॉवर की स्थापना (b) ट्रांसमीटर की स्थापना/ टेस्टिंग/कमीशनिंग	Q1- भवन कार्य पूरा, टॉवर स्थापना कार्य, ऑक्जिलरी उपकरणों और ट्रांसमीटर का कार्य Q-2 - ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	कार्य पूरा	संचालन और रख-रखाव के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता
			0.50		बागेश्वर और उज्जैन में 5 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) टॉवर की स्थापना (b)ट्रांसमीटरों की स्थापना/ टेस्टिंग कमीशनिंग	Q1- भवन कार्य पूरा ,टॉवर स्थापना कार्य, ऑक्जिलरी उपकरणों और ट्रांसमीटर का कार्य Q-2 - ट्रांसमीटर की टेस्टिंग और कमीशनिंग	कार्य पूरा	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			1.00		दार्जिलिंग, कूचबिहार, धनबाद, बर्धमान और सूर्यपेट में 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) 10 KW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4) (b) उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग (c) ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना और प्राप्ति (d) सिविल कार्य पूरा (e) सूर्यपेट में टॉवर लगाना	Q1- सूर्य पेट को छोड़ कर अन्य सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा सूर्यपेट, धनबाद और बर्धमान में टॉवर के SITC के आदेश Q-2 :- भवन कार्य और टॉवर का कार्य प्रगति पर ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और स्थापना Q3- ट्रांसमीटर उपकरणों का निरीक्षण , Q4-उपकरणों की पावती और संस्थापना	सूर्यपेट में भवन कार्य पूरा। ट्रांसमीटर की खरीद नहीं हो सकी 100 मीटर टावर के लिए बिड नहीं दी गई	10 kW FM ट्रांसमीटर के लिये नवंबर, 2012 में आदेश दिये गये हैं। 3 स्थानों पर नया NIT 100 मीटर टॉवर के लिये आमंत्रित सूर्यपेट में भवन कार्य जारी योजना के अनुमोदन के बाद आरंभ होगा
			0.50		देहरादून, पटना में 10 kW FM ट्रांसमीटर लगाना (a) STL की प्राप्ति और स्थापना (b) देहरादून में सिविल कार्य पूरा	Q1- STL की पावती तथा देहरादून में सिविल कार्य पूरा Q-2 उपकरणों की संस्थापना और टेस्टिंग Q-3 सेट अप की कमीशनिंग	कार्य पूरा	
			0.50		गंगटोक में 10 kW FM ट्रांसमीटर और सिलचर में 5 kW FM ट्रांसमीटर लगाना (a) STL की प्राप्ति और स्थापना (b) सिविल कार्य पूरा	Q-1 STL की रसीद Q-2 उपकरणों की संस्थापना और टेस्टिंग Q-3 सेट अप की कमीशनिंग	STL की खरीद नहीं	(i) STL के लिये आदेश दिया जाना है
			1.00		कोहिमा में 10 kW FM ट्रांसमीटर लगाना (a) टॉवर लगाने और परियोजना का कार्य पूरा	Q-1:- टॉवर कार्य के आदेश Q-2,-3 और Q-3, 4 :-टॉवर लगाने और स्थापना का कार्य पूरा	कार्य पूरा नहीं	दूरदर्शन स्थल पर ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय किया गया है।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			1.00		टी अनीनी (अरुणाचल) में और तामेंगलंग तथा उखरुल मणिपुर में ट्रांसमीटर स्थापना (a) स्थल का अधिग्रहण (b) PSF कार्य पूरा (c) भवन कार्य पूरा	Q-1 और Q-2 :-स्थल का अधिग्रहण तथा सुरक्षा चारदीवारी का कार्य आरंभ Q-2,Q-3-Q4:-भवन कार्य प्रगति पर	स्थल का अधिग्रहण नहीं हुआ	राज्य सरकार द्वारा स्थल का आवंटन किया जाना बाकी। मामला उठाया गया है। अनीनी राज्य सरकार के पास प्रतीक्षारत स्थल है, जबकि वैकल्पिक स्थान का विवरण भी दिया गया है। जैसे ही कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार होगा, तामेंगलॉग और उखरुल में , क्षेत्रीय कार्यालय का दल स्थल का दौरा करेगा। मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है
			5.00		पूर्वोत्तर में 16 स्थानों पर 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) कायमनगर और जुनेहबेटो में भवन कार्य पूरा (b) टॉवर का कार्य पूरा (c) सेट अप की स्थापना और कमीशनिंग का कार्य पूरा (d) सभी स्थानों पर स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	Q1 :- करीमनगर में सिविल कार्य पूरा और जुनेहबेटो में प्रगति पर। सभी स्थानों पर हॉस्टल/स्टाफ क्वार्टर के आकलन को स्वीकृति। टॉवर की SITC और ऑक्जिलरी उपकरणों की स्थापना का कार्य प्रगति पर Q2-Q-3 -करीमनगर में सिविल कार्य पूरा और जुनेहबोटो में प्रगति पर। 6 सेट अप पर टॉवर लगाने और कमीशनिंग का कार्य पूरा, अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर। सभी स्थानों पर C/O हॉस्टल का कार्य Q4-जुनेहबोटो में ट्रांसमीशन भवन पूरा और हॉस्टल का कार्य प्रगति पर	करीम नगर में सिविल कार्य पूरा। जुनेहबेटो में कार्य शुरू नहीं हुआ। टावर का काम कुछ स्थानों पर पूरा। स्टाफ नहीं होने की वजह से हॉस्टल आवास का कार्य नहीं स्वीकृत हुआ	संबंधित राज्य सरकार को चंफाई, फेक, गोलपाड़ा, कोलासिब, चागलांग, खोसना, और डापोरिजो के आकाशवाणी स्टेशनों तक संपर्क मार्ग बनाना है मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			0.50		6 स्थानों पर 1 K FM ट्रांसमीटर स्थापना का कार्य पूरा	Q-1:- 6 जगहों पर 50 मीटर टॉवर की स्थापना।10 स्थानों पर काम सौंपा. 10 जगहों पर 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना Q2-10 जगहों पर स्थापना कार्य प्रगति पर . Q3.-संस्थापना कार्य पूरा Q4- सभी 16 स्थानों पर टेस्ट और मापन का कार्य।	कार्य प्रगति पर	स्टेशन शुरू करने के लिए स्टाफ स्वीकृत नहीं किया गया।
			0.40		गंगटोक में हास्टॅल आवास	Q 1-कार्य प्रगति पर Q2- कार्य पूरा	कार्य पूरा	
			0.50		शेष 100 watt FM ट्रांसमीटर की स्थापना और कमीशनिंग	परियोजना पूरी	पूरा नहीं हुआ	मणिपुर सरकार ने 100 W FM ट्रांसमीटर के लिये स्थान उपलब्ध नहीं कराया। वैकल्पिक स्थान तलाश किया जाना है
	XI योजना के तहत वर्तमान 24 आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्थलों पर एफ एम विस्तार तथा आकाशवाणी के 100 एल पी पर 100 वाट एफ एम ट्रांसमीटर लगाना		0.75		1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और 1 kw FM ट्रांसमीटरों की स्थापना और कमीशनिंग	Q 1/Q-2 -ऑक्जिलरी उपकरणों की रसीद , संस्थापना और कमीशनिंग	कार्य पूरा	ट्रांसमीटर दिसंबर, 2012 में प्राप्त। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी।
			4.00		12 स्थानों पर 5 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना (a) ऑक्जिलरी उपकरणों की प्राप्ति और कमीशनिंग (b) भवन निर्माण का कार्य पूरा	Q 1/Q-2 -भवन कार्य पूरा ऑक्जिलरी उपकरणों की रसीद, संस्थापना और कमीशनिंग	7 स्थानों पर भवन कार्य पूरा। 7 स्थानों पर 5 ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा नहीं हुआ	अल्मोड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी जगहों पर भवन कार्य स्वीकृत
			2.00		100 watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (a) उपकरणों की कमीशनिंग (b) व्यय की पुनरावृत्ति	Q 1/Q-2/Q-3/Q-4- सभी उपकरणों की संस्थापना और कमीशनिंग तथा व्यय आवृति		ट्रांसमीटर लगाये गए।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
ii	**FM /MW ट्रांसमीटरों का परिवर्तन**		4.25					
	XI योजना के तहत FM/MW ट्रांसमीटरों को 40 वर्तमान स्टोशनों पर उच्च क्षमता वाले ट्रांसमीटरों से बदलना		2.25		27 की संख्या में 5 /6 kW FM ट्रांसमीटरों को बदलना (a) FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (b) डिपलेक्सर की प्राप्ति (c) पैनल एन्टेना की प्राप्ति (d) क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति	Q1- सभी स्थानों पर भवन कार्य पूरा। ट्रांसमीटर डिपलेक्सर और पैनल एंटेना के आदेश जारी, Q2- उपकरणों के आदेश Q-4- उपकरणों का निरीक्षण	ट्रांसमीटर का आदेश पैनल एंटेना का आदेश दिया गया डिप्लेक्सर का आदेश दिया गया	(a)पुनर्निविदा ट्रांसमीटरों के लिये नयी निविदा TE के तहत (b) पैनल एंटेना और डिपलेक्सर तकनीकी मूल्यांकन की प्रक्रिया के तहत
			2.00		7 स्थानों पर 10 kW FM ट्रांसमीटरों को बदलना तथा 6 स्थानों पर 1 kW MW ट्रांसमीटरों को 10 kW FM ट्रांसमीटर से बदलना। (a) FM ट्रांसमीटरों की प्राप्ति (b) डिपलेक्सर की प्राप्ति © पैनल एंटेना की प्राप्त (d) क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा क्योंझर में 100 मीटर ट्रांसमीटर की SITC	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3 उपकरणों का निरीक्षण Q4-उपकरणों की रसीद	ट्रांसमीटर का निरीक्षण किया गया और प्राप्त हुआ। अन्य उपकरण प्राप्त किए गए।	NIT नवंबर 11, में खुला , समयबद्धता TE की सफल समाप्ति के अनुरूप होगी, और जनवरी 12 में उपकरणों के आदेश होंगे
	FM ट्रांसमीटर (नई योजना)		5.40					
	XII योजना के तहत 138 स्थानों पर विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना से FM विस्तार का प्रस्ताव, जिनमें 26 में स्टूडियो सुविधा		0.10		योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिये सिविल आकलन की तैयारी, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति		अमेठी और लुधियाना में अंतरिम स्थापना का काम	EFC द्वारा नई योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दी गई। उपयोजना को छोटा कर दिया जाएगा।
	XII योजना के तहत दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में 77 स्थानों पर 26 पुराने MW के स्थान पर FM ट्रांसमीटरों को बदलने का प्रस्ताव		5.30		योजना का अनुमोदन, वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार के लिये सिविल आकलन की	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 -आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	शुरू नहीं किया गया	EFC तैयार और मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2012 में विपणन

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					तैयारी,आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT तथा उपकरणों की विशिष्टता की प्राप्ति	Q-3 :-सिविल कार्य सौंपा. Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ		
1.2	**स्टूडियो एवं नेटवर्क (कुल)**		24.00	27.35				
(i)	स्टूडियो में (जारी स्कीम)		22.00	27.35				
	X योजना के तहत 48 स्थानों पर उच्च सीमा वाले सर्वर की स्थापना		8.00		उच्च सीमा वाले सर्वर का 48 स्टेशनों पर कार्य पूरा (ऑर्डर मूल्य रु. 29.00 करोड़ (a) उपकरणों की कमीशनिंग और रसीद	Q 1to Q4 - सभी स्थानों पर उपकरण संस्थापना और उपकरण कमीशनिंग की पावती	लक्ष्य की उपलब्धि हुई	नवंबर, 2012 में आदेश दिया गया
	योजना के तहत 98 स्टूडियों का डिजिटलीकरण,के स्टूडियो, नेटवर्क, RNU का आटोमेशन,7 नये RNU का सृजन,दिल्ली में अभिलेखीकीय सुविधाओंके का संवर्धन		4.00		केंद्रीय स्टोरेज और सिस्टम साफ्टवेयर सहित सर्वर dh SITC (डाटा कंटेंट सर्वर 38+10, डिजिटल वर्क स्टेशन 643+138+94), अपेक्षित ऑर्डर मूल्य रु. 23.30 करोड़	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की पावती	लक्ष्य की उपलब्धि नहीं हुई	पुनर्निविदा, ताजा निविदा मार्च, 2013 में हुई
			2.00		ढांचे की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की पावती	लक्ष्य नहीं हासिल हुआ	पुनर्निविदा, ताजा निविदा दिसंबर 2012 में हुई
			0.30		सर्वर की SITC RNU- के लिये वर्क स्टेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर (a) संतुलित कार्य और भुगतान	Q1/Q2-कार्य और शेष भुगतान	कार्य पूरा	
			2.00		क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति और विभागीय कार्य का आरंभ	Q-1 to Q-4 :- सभी क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति तथा विभागीय कार्य का आरंभ	कार्य प्रगति पर	क्षेत्रीय उपकरणों की प्राप्ति के लिये क्षेत्रीय कार्यालयों ने सभी कार्यवाही की। ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होंगे

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			1.70		स्टूडियो का नेटवर्क	Q1- NIT जारी Q-2 : - निविदा खुलना और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 :- उपकरणों के आदेश Q-4 :- उपकरणों की रसीद	लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है	मानदंड को अंतिम रूप नहीं दिया गया
			2.00		दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का संवर्धन और चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा का सृजन	Q1- NIT जारी Q-2 : -निविदा खुलना और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 :-उपकरणों के आदेश Q-4 :- उपकरणों की रसीद	कार्य पूरा	क्रय प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में जनवरी, 2013 में आदेश की अपेक्षा
			2.00		स्टूडियो की सुसज्जा	Q-1 to Q-4 :- कार्य की प्रगति और कार्य पूरा	कार्य प्रगति पर	
					13 स्थानों पर न्यूज ऑन फोन सेवा का 3. स्तर का उच्चीकरण और 16 नये स्थानों पर सेवा का आरंभ (29 संख्या में)			योजना समाप्त करने की संस्तुति
ii	**स्टूडियो (नई योजना)**		2.00					
	XII योजना के तहत 116 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, संजाल, 1 नये RNU का सृजन, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधाओं का सृजन एवं स्टूडियो की पुनर्सज्जा		2.00		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना को अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति,विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा. Q-4. NIT जारी ,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शरू नहीं किया गया	नई योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दी गई।
1.3	**कनेक्टिविटी**		22.00	0.54				
(i)	**कनेक्टिविटी (जारी योजना)**		20.00	0.54				

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	82 STL का परिवर्तन और 35 नये STL की प्राप्तियां		14.00		STL कनेक्टिविटी को बदलना	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3-उपकरणों का निरीक्षण, Q4-उपकरणों की पावती	कार्य पूरा नहीं	एफएलसी नहीं खोले गए
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना		5.00		5 स्थानों पर CES बदलना	Q 3- उपकरणों की पावती Q 4-स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा नहीं	निविदा का मूल्यांकन हो चुका है. क्रय प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन
	आर एन टर्मिनल		0.10		RN टर्मिनल की प्राप्ति	Q 3- उपकरणों की पावती Q 4-स्थापना कार्य आरंभ	कार्य पूरा	
	DTH का संवर्धन		0.90		DTH का संवर्धन	Q1. शेष भुगतान और के A&N के संवर्धन के लिये नये आदेश	कार्य पूरा	
(ii)	**कनेक्टिविटी (नयी योजना)**		2.00					
	टेलीकॉम सुविधाओं का संवर्धन : 2 पोल फीड को 4-पोल फीड और 24 डिशों से बदलना SCPC को MCPC - 32 से बदलना OB के लिये Codec तथा STL -650 के लिये स्टैंड बाई मोबाइल V-Sat - 32 नये STL - 12 XII योजना के तहत DTH का 40 में संवर्धन		2.00		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 - योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति,विशेष्य की तैयारी Q-3 - सिविल कार्य सौंपा Q-4 - NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	ईएफसी द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित 1020 करोड़ रुपये की राशि को घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस उपयोजना को छोटा कर दिया गया है।
1.4	**कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान को शक्तिशाली बनाना (कुल)**		3.00	0.30				
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (जारी योजना)		2.00	0.30				
	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित STI(T) तथा STI(P) का संवर्धन		0.50		STI(T) दिल्ली में मेडीटेशन हॉल और लायब्रेरी का निर्माण	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :-कार्य प्रगति पर Q-3 :- कार्य पूरा	कार्य शुरू नहीं हुआ	आकलन स्वीकृत है. कार्य प्रगति सिविक एजेंसी के अनुमोदन पर निर्भर
			0.30		STI(T) दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालय का निर्माण	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :- कार्य प्रगति पर Q-3:- कार्य पूरा	कार्य प्रगति पर	आकलन CCW© द्वारा जमा। अनुमोदन की प्रक्रिया के अधीन

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			1.20		योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 से Q-4 :-योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की रसीद, कुछ उपकरण दूसरी योजनाओं के के तहत दूसरे उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, जिसके लिये प्राप्ति के कार्यवाही जारी है।	कार्य प्रगति पर है	
	प्रशिक्षण सुविधा का संवर्धन (नयी योजना)		1.00					
	XII योजना के तहत दिल्ली एवं भुवनेश्वर के लिये DRM+ तथा ट्रांसमीटर सहित डिजिटल प्रसारण उपकरण की अधिप्राप्ति		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं किया गया	योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दी गई। इस योजना को सुविधानुसार कम किया गया।
	मुंबई में हॉस्टल सुविधा समेत नया प्रशिक्षण संस्थान		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विश्ष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	योजना की राशि को 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस योजना को समाप्त कर दिया गया।
1.5	**शोध एवं विकास को मजबूत करना (कुल)**	व्यापक संवादात्मक प्रसारण सेवा. डिजिटल ट्रांसमिशन जैसे DRM/ DRM, DVB, FM, VHF, UHF, CW आदि पर प्रसार संबंधी अध्ययन करना डिजिटल ट्रांसमिशन के लिये निगरानी तंत्र विकसित करना	2.50	0.02				योजना का अनुमोदन होना शेष है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (जारी योजना)		2.00	0.02				
			0.50		FM DRM+ ट्रांसमीटरों की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q4-उपकरण और संस्थापना की रसीद प्राप्त	कार्य पूरा नही हुआ	दोबारा निविदा होनी है
			1.50		उपकरणों की प्राप्ति तथा अन्य कार्य	Q1- उपकरणों के आदेश Q2-उपकरणों के का निरीक्षण Q4-उपकरण और संस्थापना की रसीद प्राप्त	कार्य प्रगति पर	
	शोध एवं विकास को मजबूत करना (नयी योजना)		0.50					
	योजना के तहत R&D के लिये नये प्रस्ताव		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 -आकलन को स्वीकृति, विशष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं किया गया	योजना की राशि को 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया।
	सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करना (कुल)		22.00	0.77				
	सीमावर्ती क्षेत्रों को शक्तिशाली बनाना (जम्मू और कश्मीर) (जारी योजना)		20.00	0.77				
i	जम्मू और कश्मीर में HPT/LPT की स्थापना :- 3 की संख्या में 10 kW FM ट्रांसमीटर 3 की संख्या में 10 kW TV ट्रांसमीटरों की संस्थापना वर्तमान डीडी स्थल पर 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना आकाशवाणी स्थल पर 5 kW के 2 टीवी ट्रांसमीटर के और 100 Watt के 4 FM ट्रांसमीटर		0.10		100 watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4)	Q-1 से Q-4 :-योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की रसीद, कुछ उपकरण दूसरी योजनाओं के तहत	कार्य पूरा	आदेश दिया जा चुका है

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
			0.10		Q-1 :- स्थल का अधिग्रहण	Q-1 :- स्थल का अधिग्रहण	कार्य पूरा	MOD ने स्थल को क्लिअर किया
			2.00		नौसेरा में 10 kW FM T (1+1) की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश, Q4-उपकरणों का निरीक्षण	कार्य पूरा नहीं हुआ	जनवरी, 2013 में पुनर्निविदा, नयी विशेषताओं के साथ
			3.30		राजौरी में 2 की संख्या में 5 kW टीवी ट्रांसमीटर	Q1- उपकरणों के आदेश, Q3-उपकरणों का निरीक्षण, Q4-उपकरणों की पावती	कार्य पूरा नहीं हुआ	उपकरणों का आदेश देर से होने की वजह से
			9.00		10 kW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (1+1) and 10 kW Tv ट्रांसमीटर (1+1) डीडी के लिये 3 स्थानों पर	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों का निरीक्षण	आदेश हुआ लेकिन निरिक्षण नहीं हो सका	जनवरी, 2013 में पुनर्निविदा, नयी विशेषताओं के साथ
			4.00		क्षेत्रीय क्रय और विभागीय कार्य	Q-1-Q-4:- प्राप्ति और कार्य में प्रगति	कार्य प्रगति पर	
			1.50		सिविल कार्य	Q-1-Q-4:- कार्य प्रगति पर	कार्य प्रगति पर	
	सीमावर्ती क्षेत्रों की मजबूती (भारत-नेपाल सीमा (नई योजना)		2.00	0.00				
	भारत-नेपाल सीमा (i) भारत-नेपाल सीमा पर 21 FM प्रसारण की स्थापना (ii) 2 स्थानों पर प्रस्तुति केंद्र (iii) 2 स्थानों पर अनलिंकिंग		2.00					
3	**बारी बारी से उपयोग वाले प्लेटफॉर्म पर प्रसारण (नई योजना)**	इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चैनलों तक पहुंच की सुविधा देना; आकाशवाणी चैनलों के लिये बहुमुखी माध्यम उपलब्ध कराना	2.00	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	नई योजना की राशि को 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया।

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
4	**ढांचे का एकीकरण (कुल)**	प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण में श्रोताओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाये रखने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर उपार्जित करना	9.00	4.48				
	ढांचे का एकीकरण (जारी योजना)		7.00	4.48				
	XII योजना के तहत वर्तमान केंद्रों पर I-O-F-		0.20		आपात स्थिति के लिये 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 मोबाइल FM ट्रांसमीटरों का प्रावधान	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों का निरीक्षण		पुनर्निविदा होनी है
			0.20		स्टूडियो में मापक उपकरणों का प्रावधान	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों का निरीक्षण, Q3-उपकरण और संस्थापना की रसीद, Q4-टेस्टिंग और मापन	आंशिक तौर पर पूरा	तकनीकी मूल्यांकन पूरा ऑडियो एनालाइजर की निविदा फिर से की जाएगी
			0.60		23 स्थानों पर रिमोट कंट्रोल के लिये टेलीमेट्री MW ट्रांसमीटरों का प्रावधान,	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों के का निरीक्षण, Q3-उपकरण और संस्थापना की रसीद, Q4-टेस्टिंग और मापन	कार्य प्रगति पर	
			1.50		80 स्थानों पर वर्तमान FM स्टेशनों पर UPS का प्रावधान	Q1- शेष कार्य और भुगतान	कार्य प्रगति पर	यूपीएस की खरीद का कार्य अभी प्रक्रिया में है।
			0.50		ग्वालियर, रत्नागिरि और सांगली में स्टूडियो की सुसज्जा	Q1- लंबित कार्य और पूरा कार्य	कार्य पूरा	
	श्रीनगर और गुवाहाटी में कार्यालय /स्टाफ क्वार्टर, श्रीनगर में हॉस्टल समेत		1.50		श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिये अक्टूबर 2010 में स्वीकृति मिली (रु. 3.68 करोड़)। लेकिन CCW ने कार्य आरंभ नहीं कराया क्योंकि, वर्तमान भवन को तोड़ने	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :-कार्य पूरा	आंशिक तौर पर पूरा	स्थानीय निकाय कार्य स्वीकृति न मिलने की वजह से स्टूडियो स्थल पर हॉस्टल आवास का कार्य पूरा नहीं हुआ

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
					के अनुमोदन में देरी हुई। जून 2011 में ध्वंस का अनुमोदन मिला. कार्य अब आरंभ होगा			
			0.50			Q-1:- शेष कार्य और भुगतान	कार्य पूरा	
					गुवाहाटी में क्षेत्रीय कार्यालय - स्वीकृत 03.03.2011 को जारी (रु. 7.67 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ डीडी द्वारा).			
			2.00			Q-1 :-कार्य प्रगति पर Q-2 :- परियोजना पूरी		
	ढांचे का एकीकरण (नई योजना)		2.00					
	दिल्ली तथा मुंबई में सामुदायिक केंद्र		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा	नई योजना की राशि को 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दिया गया।
	DDG(E) कार्यालय प्रखंड का पुनर्निर्माण और इंदौर में विद्युत वायरिंग परिवर्तन		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता की तैयारी।	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य पूरा नहीं हुआ	
	सुरक्षा चारदीवारी को मजबूत करना आदि		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता की तैयारी।	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ		

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	रोहतक में स्टूडियो सह कार्यालय भवन का पुनर्निर्माण		0.50		योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दी गई।
5	**ई- गवर्नेंस (नई योजना)**	संजाल आधारित ऑन लाइन प्रबंध तंत्र के माध्यम से मीडिया इकाइयों को तीव्र गति से सूचनाओं का प्रसार तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के व्यापक संजाल हेतु प्रबंधन को ERP समाधान मुहैया कराना आकाशवाणी के सभी स्टोशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से परिपूर्ण करना	2.00	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति, कार्य का आरंभ, उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :-सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	योजना की राशि 1020 करोड़ रुपये से घटाकर 393 करोड़ रुपये कर दी गई।
	योजना II: अवयव विकास एवं प्रसार (जारी योजना)		42.50	42.00				
(i)	**सॉफ्टवेयर (DBS)**				1. नया और ताजा अवयव सृजन 2. रेडियो कार्यशाला , संगीत सम्मेलन, कॉंसर्ट्स आदि 3. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की कवरेज 4. फ्लैगशिप कार्यक्रमों का उत्पादन 5. आकाशवाणी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण	सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिये कोष का उपयोग/अवयव सृजन और अधिग्रहण के लिये ,फ्लैगशिप कार्यक्रम, अबिलेखकों को डिजिटलीकरण आदि	कार्य प्रगति पर	

क्र. सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/ परिणाम	स्वीकृत परिव्यय (2013-14)	31.3.14 तक व्यय	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/ समयबद्धता (तिमाही लक्ष्य)	कॉलम 5 से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणी/ जोखिम घटक
	नई योजना							
	योजना-1-प्रसारण ढांचा संजाल विकास (नया)							
	योजना III: मानव संसाधन विकास		0.00	0.00				
	योजना IV: विशेष परियोजनाएं		0.50	0.00				
(i)	**दिल्ली में ऑडिटोरियम का पुनरुद्धार (नई योजना)**	आकाशवाणी के पास दिल्ली में ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिये ऑडिटोरियम का निर्माण; कार्यक्रम आयोजन के लिये आमंत्रित श्रोताओं को सुविधा उपलब्ध कराना व्यापक समूहों की भागीदारी से लाइव कार्यक्रम करना	0.50	0.00	योजना का अनुमोदन वर्तमान भवनों के जीर्णोद्धार का सिविल आकलन, आकलन की स्वीकृति,कार्य का आरंभ, NIT और उपकरणों की प्राप्ति के लिये विशिष्टता तैयारी	Q-1 :-योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन को स्वीकृति,विश्ष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा Q-4. NIT जारी,सिविल कार्य आरंभ	कार्य शुरू नहीं हुआ	योजना का अनुमोदन होना शेष है
	कुल (पूंजी)		**201.50**	**165.44**				
	कुल (राजस्व) DBS		**42.00**	**32.00**				
	कुल (आकाशवाणी)		**243.50**	**197.44**				

प्रसार भारती

आकाशवाणी

वार्षिक योजना की समीक्षा (2012-13)

(बजट परिणाम 2012-13 के अनुसार) वास्तविक उपलब्धियां

(करोड़ रुपये में)

क्रम	योजना/कार्यक्रम	विषय/निष्कर्ष	व्यय 2012-1!3 योजना बजट	खर्च 31.12.2012 तक	वितरण/निर्धारण भौतिक निगम	विधियां/समयसीमा (त्रिमाही लक्ष्य)	उपलब्धियां (31.12.12 तक)	टिप्पणियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	**वर्तमान संजाल का डिजिटलीकरण (पूंजी)**	प्रसारण गुणवत्ता में सुधार, डिजिटलीकरण द्वारा रिकोडिंग और कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाने के लिये, डिजिटलीकरण और स्वचलीकरण द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं को किराये पर देकर अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करना	**225.53**	**77.67**				
	वर्तमान संजाल का डिजिटलीकरण (राजस्व)		**27.00**					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.1	**ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण**							
a	**MW ट्रांसमीटर**		95.00	39.16				
i	राजकोट में 1000 KW MW TR की 1000 KW MW DRM ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना				राजकोट में 1000 KW MW ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी	Q 1–परियोजना की कमीशनिंग	पूरा	
ii	कावरत्ती में 1 kw MW TR की 10kW MW डिजिटल सक्षम ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना				5. कावरत्ती – 10 KW MW ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी	Q 1– स्तापना पूरी Q 2– जांच और माप	आंशिक उपलब्धि L एयरियल पूरा	ट्रांसमीशन स्थल पर प्राप्त सीमित कार्य अवधि के कारण स्थापना नहीं हो सकी
					कावरत्ती में हॉस्टल का निर्माण	Q 1.–कार्य प्रगति पर Q2– कार्य पूरा	आंशिक उपलब्धि (काम सौंपा गया)	
iii	चिनसूरा (प.बं) में 1000 kw MW TR की 1000 kW MW DRM ट्रांसमीटर से प्रतिस्थापना				4. चिनसुरा 1000 KW MW ट्रांसमीशन स्थापित	Q 1 – स्थापना प्रगति पर Q 2 –परियोजना की कमीशनिंग	स्थापना पूरी जांच और कमीशनिंग मार्च 2013 में होगी	
iv	6 स्थानों पर 20 kW MW ट्रांसमीटर (दिल्ली VB, बाड़मेर एवं बीकानेर (राज.), चेन्नई (तमि.) VB, गुवाहाटी 'B', तवांग)				1. 20 kW MW DRM ट्रांसमीटर की प्राप्ति स्थापना और कमीशनिंग	Q–1 – योजना का अनुमोदन Q–2 – आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q–3 – सिविल कार्य सौंपा गया Q–4 – NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	स्थापना पूरी जांच और कमीशनिंग मार्च, 2013 में होगी	
					सिविल कार्य पूरा	Q–1 :– सभी सिविल कार्य पूरे	पूरा	
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त विभागीय कार्य पूरा	Q–1 से Q–4 – क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त विभागीय कार्य पूरा	प्रगति पर सभी कार्य और प्राप्तियां मार्च, 2013 तक पूरी होंगी	
v	•100 KW –12 संख्या में विजयवाड़ा (आं.प्र.), पटना(बिहार),पणजी(गोवा),रांची (झार.), मुंबई *A*				1. 100 kW MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य रु.	Q3– उपकरणों का निरीक्षण Q4– आंशिक आपूर्ति की पावती	ऐडवांस AT स्थापित 04/09/12 को. PBG प्राप्त हुआ फॉर्मल AT जनवरी 2013 में लगेगा	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	(महा.), मुंबई *B*(महा.), पुणे (महा.), तिरुचिरापल्ली(तमि.), वाराणसी (उ.प्र.), कोलकाता *A*(प.बं),मुंबई C (50 kW) एवं पासीघाट (10 kW by 100 kW)				43.00 करोड़) और 80% भुगतान आंशिक आपूर्ति पर			
					सिविल कार्य पूरा	Q-1 :- सिविल कार्य प्रगति पर Q-2 :- 10 स्थानों पर सिविल कार्य पूरा, शेष दो में प्रगति पर Q-3 :- सिविल कार्य पूरा	सभी स्थानों पर अधिकांश काम पूरे शेष कार्य ट्रांसमीटर स्थापना के बाद	
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 - क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	
vi	•200 KW -10 संख्या में दिल्ली *A*,अहमदाबाद (गुज.),बंगलुरु एवं धारवाड़ (कर्ना.), जबलपुर(म.प्र.), अजमेर (राज.), चेन्नई *A*(तमि.), सिलिगुड़ी, कोलकाता'ठ'(पं.बं., तथा इटानगर (100 kw MW के स्थान पर 200 kw MW DRM की प्रतिस्थापना)				100 kW MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य :रु. 49.51 करोड़) और 80% भुगतान आंशिक आपूर्ति पर	Q3- उपकरणों की जांच Q4- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	ऐडवांस AT स्थापित 04/09/12 को PBG प्राप्त हुआ फॉर्मल AT फॉर्मल पर...3.01.2013.को सामग्री पहुंचने की तिथि	
					सिविल कार्य पूरा	Q-1 -सिविल कार्य प्रगति पर. Q-2 -Q-4 :- सिविल कार्य पूरा	सभी स्थानों पर अधिकांश काम पूरे शेष कार्य ट्रांसमीटर स्थापना के बाद	
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 जव Q-4 - क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	
vii	• 300 KW -6 संख्या में डिब्रूगढ़ (असम), राजकोट (गुज.),जम्मू एवं क), ङ्कजालंधर (पंजाब), सूरतगढ़ (राज.), लखनऊ (उ.प्र.)				300 kW MW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापित और कमीशनिंग (आदेश मूल्य रु. 38.00 करोड़) और 80% भुगतान आंशिक आपूर्ति पर	Q3-उपकरणों की जांच Q4- आंशिक आपूर्ति की पावती	ऐडवांस AT लगा 04/09/12 को. PBG प्राप्त हुआ फॉर्मल AT 27.11 को लगा 2013 तक सामग्री पहुंचेगी	
					सिविल कार्य पूरा	Q-1 :- सिविल कार्य प्रगति पर Q-2-Q-4 :-सिविल कार्य पूरा	सभी स्थानों पर अधिकांश काम पूरे शेष कार्य ट्रांसमीटर स्थापना के बाद	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 :- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	
viii	36 वर्तमान DRM सक्षम MW ट्रांसमीटर का DRM में परिवर्तन				उपकरण प्राप्त	Q-1 :- उपकरों के लिये आदेश जारी. Q-3 to Q-4 :-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	अवयव सर्वर के लिये आदेश और 19 ट्रांसमीटर के लिये मॉड्यूलेटर (हैरिस मेक) DP-01.08. 2012. सामग्री प्राप्त मैन्युफैक्चरर को औपचारिक कोट देना है, SITC के लिये ताकि कनवर्जन किट की ट्रांसमीटर में स्थापना हो सके. 17 PAC स्वीकृतियां प्राप्त 17 ट्रांसमीटरों के लिये ताकि DRM मोड में परिवर्तन हो सके. 17 ट्रांसमीटरों के लिये कोट थॉमसन मेक ट्रांसमीटरों का अभी मैन्युफैक्चरर से प्राप्त होना है	
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 : षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	
ix	**MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना के तहत अन्य प्राप्तियां**				DRM रिसीवर प्राप्त, (36 व्यावसायिक) और 144 सामान्य उद्देश्य के	Q-2 :- उपकरण के आदेश Q-4 :- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	10.01.2012 को प्रस्तुत	
					C-बैंड RN टर्मिनल 69 स्तानों पर	Q3- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q4-उपकणों की स्थापना	पूरा	
					ध्वनि विश्लेषक (35 संख्या में),फाइल IFA-की संस्तुति के लिये प्रस्तुत की जानी है. आदेश दिया जाना है (आदेश मूल्य रु. 1.10 करोड़)आदेश दिया गया	Q-3 :- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	पूरा	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
x	**4 MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना**				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी .आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 - योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 - सिविल कार्य सौंपा गया Q-4- NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	अधूरा	योजना का अनुमोदन होना है
(b)	**SW ट्रांसमीटर**		**24.00**	**21.73**				
iv	**SW DRM ट्रांसमीटरों की जगह 5 SW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना (दिल्ली-2 संख्या में., अलीगढ़ -2 संख्या में , बंगलुरु-1 संख्या में.)**				500 kW SW ट्रांसमीटर प्राप्त, (आदेश मूल्य रु. 16.33 करोड़	Q2- उपकरणों की जांच Q3- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q4 -उपकणों की स्थापना	ट्रांसमीटर प्राप्त, स्थापना होनी है	
					250 kW SW ट्रांसमीटर प्रप्त	Q-1- NIT जारी Q-2- तकनीकी मूल्यांकन Q-3- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रसार भारती बोर्ड ने पुनर्निविदा के लिये कहा जनवरी, 2013 में होगा	
					100 kW SW ट्रांसमीटर प्राप्त, (आदेश मूल्य रु. 15.50 करोड़) स्थल पर पावती के बाद 80: भुगतान	Q1- NIT जारी Q-2- तकनीकी मूल्यांकन Q-3- षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	तकनीकी मूल्यांकन पूरा. वित्तीय बोली खुली. क्रय प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में	
					भवन कार्य पूरा	Q-1 :- सिविल कार्य पूरा 2 स्तानों पर और 1 पर प्रगति में . Q-2 :- सिविल कार्य सभी स्थानों पर पूरा	प्रक्रियाधीन	
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 जव Q-4 - क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	
ii	सक्षम बाह्य सेवा SW ट्रांसमीटरों का DRM में परिवर्तन (दिल्ली - 250 KW SW ट्रांसमीटर-2 संख्या में एवं अलीगढ़ - 250				SITC कार्य पूरा	Q1. स्थल पर उपकरणों की पावती आरंभ Q2- SITC कार्य आरंभ	अधूरा	प्रसार भारती बोर्ड द्वारा नियुक्त तकनीकी समिति ने निर्णय लिया कि वर्तमान ट्रांसमीटरों का परिवर्तन,

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	KW SW ट्रांसमीटर-2 संख्या में.)					(आपूर्ति, स्थापना, जांच, कमीशनिंग.) Q3-SITC कार्य पूरा		फिलहाल व्यावसायिक ष्टि से उपयुक्त नहीं होगा इसलिये परियोजना रोक दी गयी
iii	XII योजना के तहत एक SW ट्रांसमीटर की प्रतिस्थापना एवं उच्चीकरण				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT	Q-1- NIT जारी Q-2- तकनीकी मूल्यांकन Q-3- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	अधूरा	योजना का अनुमोदन होना है
(C)	**FM ट्रांसमीटर**		**40.10**	**53.56**				
i	**Expansion**							
	X योजना स्कीम के तहत FM विस्तार				हल्द्वानी, रायबरेली और चंपावत में स्थल प्राप्त	Q 1-Q-2- हल्द्वानी और चंपावत में स्थल अधिकार में लिया यदि राज्य सरकार प्रीमियम रेट कम करेगी रायबरेली साइट के लिये भुगतान, यदि डिमांड नेट प्राप्त होता है Q 3- रायबरेली में स्थल अधिकार में लिया	अधूरा, राज्य सरकार को उचित स्थान उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है	हल्द्वानी :-स्थल के लिये डिमांड नोट प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष स्वीकृत लेकिन राज्य सरकार ने भूमि मूल्य में वृद्धि कर दी.1% से 10% तक...जो वहन करने योग्य नहीं मुद्दा राज्य सरकार के सम्मुख रखा गया है चंपावत :- राज्य सरकार से डिमांड नोट मिलना शेष रायबरेलीरू-स्थल की पहचान की गयी राज्य सरकार द्वारा आवंटन की प्रतीक्षा
					20 KW FM ट्रांसमीटर प्रप्त, (4 संख्या में)फाजिल्का, अमृतसर, चौटनहिल और रायबरेली में	Q1- उपकरमों के लिये आदेश, Q4-उपकरणों की निरीक्षण,मूल्य बोली खोली गयी	20/07/12 को आदेश नवंबर 2012 में दिया गया	पुनर्निविदा के कारण आदेश में देरी

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					11 स्तानों के लिये पैनल एंटेना प्राप्त, (मुंबई, पटना, बलूरघाट, विजयवाड़ा, महबूबनगर, बांदा, मऊनात बंजन, फाजिल्का, अमृतसर, चौटनहिल और श्रीनगर)	Q 1- उपकरणों की जांच Q-2:-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q 3- स्थापना Q-4 :-उपकरणों की कमीशनिंग	जनवरी 2012 में आदेश दिया गया. DP - 30.09.2012 एंटेना प्राप्त नहीं	
					6 जगहों के लिये 10 kW FM ट्रांसमीटर प्राप्त, (धनबाद, बरंधमान, बलूरघाट, कूचबिहार, हल्द्वानी, और दार्जिलिंग	Q1- उपकरणों के आदेश Q3-उपकरणों की जांच Q4-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	मूल्य बोवी खुली 20/07/12 को और आदेश दिसंबर ,2012 में द्यिा गया	
					डिहाईड्रेटर सहित RF को ऐक्सियल केबिल धनबाद के लिये, बर्धमान, कूचबिहार, दार्जिलिंग, और हल्द्वानी:-फॉर्मल A/T-319 - 26.08. 2011 को मिले	Q1- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q2-उपकरणों की स्थापना		सप्लायर ने स्थल पर उपकरणों का निरीक्षण नहीं कराया
					RN टर्मिनल प्राप्त	Q1-Q-2- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी, Q3-Q-4-उपकरणों की स्थापना	पूरा	
					सूर्यपेट, बर्धमान और धनबाद के लिये 100 मीटर टॉवर के SITC प्राप्त	Q1- उपकरणों के आदेश Q4- स्थल पर सामग्री की पावती, और कार्य प्रगति पर	अधूरा	पुनर्निविदा के कारण आदेश में देरी
					3. अमृतसर, चौटनहिल, दार्जिलिंग, धनबाद, बर्धमान, न्यू टेहरी, सूर्यपेट, रायबरेली, चंपावत और हल्द्वानी में भवन कार्य पूरा	Q 1- दार्जिलिंग में भवन कार्य पूरा, दूसरी परियोजनाओं में प्रगति पर Q 2-भवन निर्माण प्रगति पर Q 3- अमृतसर, बर्धमान, धनबाद, चौटनहिल, में भवन कार्य प्रगति पर Q 4- रायबरेली, हल्द्वानी, चंपावत, के लिये आकलन स्वीकृति और सूर्यपेट में वन कार्य प्रगति पर	न्यू टेहरी को छोड़ कर सभी स्थानों पर पूरा, टेहरी में प्रगति पर सूर्यपेट का आकलन RCE का अनुमोदन न मिल सकने से नहीं बन सका रायबरेली, चंपावत, हल्द्वानी में स्थल का अधिग्रहण नहीं	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					न्यू टेहरी के लिये 1 kw FM ट्रांसमीटर की पावती	Q1- उपकरणों के आदेश Q4- स्थल पर सामग्री की पावती, और कार्य प्रगति पर		
						Q1- SITC पूरा	पूरा	
					देहरादून में CES	Q-1- क्रय आदेश जारी Q3- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q 4- स्थापना आरंभ, और कार्य पूरा	अधूरा	क्रय प्रस्ताव प्रक्रियाधीन
					बागेश्वर में 5 KW FM और उज्जैन में 5 KW FM ट्रांसमीटर की स्थापना	Q 1-परियोजना पूरी	पूरा	
					उपकरणों की क्षेत्रीय खरीद, (गैरसेंण और न्यू टेहरी में 50 मीटर की स्तथापना, अन्य उपकरण और विभागीय कार्य	Q-2 :-परियोजना पूरी	पूरा होना है	
					19 में से 3 लंबित साइट का काम शुरू 1 KW FM ट्रांसमीटर अनिनी (अरुणाचल), तामेंगलॉग और उखरुल (मणिपुर में)	Q-1-Q-2 - स्थल चिह्नित Q-3-Q4 - गृहण किया जा रहा है	अधूरा	**अनिनी :** वैकल्पिक स्थान चिह्नित उखरुलरू महानिदेशक आकाशवाणी ने प्रमुख अनुमोदन किया 0.5 एकड़ भूमि पर फैसला लंबित (आई बी बांगला). तामेंगलॉगरू DCE ने स्थल हवाले नहीं किया
					16 स्थानों पर सिविल कार्य पूरा, अंतिम मोहर 8 स्थानों पर भवन निर्माण प्रगति पर	Q1-चांगलांग, खोनसा, चेरापूंजी, फेक और वोखा में काम पूरा, जुनेहबोटो में काम सौंपा गया Q2-Q-3 -करीमगंज, बोमडिला, में काम पूरा,	पूरा	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
						जुनेहबोटो में सिविल कार्य आरंभ Q4-जुनेहबोटो में ट्रांसमीशन भवन पूरा		
					6 स्थानों पर 1 K FM ट्रांसमीटर की स्थापना पूरी	Q-1:- 50 मीटर टॉवर की स्थापना 6 जगहों पर 10 स्थानों पर काम सौंपा गया. 1 kW FM ट्रांसमीटर की स्थापना 10 स्थानों पर Q2-10 स्थानों पर स्थापना कार्य प्रगति पर Q3.-स्थापना कार्य पूरा Q4- सभी 16 स्थानों पर जांच और माप पूरी	पूरा	
					सिलचर और गंगटोक के लिये पैनल एंटेना प्राप्त	Q1- उपकरणों की जांच Q-2:-उपकरण की पावती Q 3- स्थापना Q4-उपकरणों की कमीशनिंग	जनवरी 2012.में आदेश... DP 30.09.2012.को एंटेना प्राप्त नहीं	सप्लायर ने स्थल पर उपकरणों का निरीक्षण नहीं कराया
					सिलचर और गंगटोक के लिये स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक प्राप्त	Q1-उपकरणों का आदेश Q3- उपकरणों का निरीक्षण और पावती Q4- उपकरणों की स्थापना, जांच और माप के साथ कमीशनिंग का काम पूरा	आदेश दिया जाना है	क्रय प्रस्ताव प्रक्रियाधीन
					सिल्चर, गंगटोक और चिनसूरा के लिये 1 kw FM ट्रांसमीटर RN टर्मिनल के लिये प्राप्त (19 संख्या में)	Q1- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q2-Q-3 : उपकरणों की स्थापना	पूरा नहीं	विशेष्यता संसोधित की गयी, उपकरण क्षेत्रीय कार्यालय प्राप्त करेंगे
					गंगटोक में हॉस्टल	Q1.कार्य प्रगति पर Q2. कार्य पूरा	प्रगति पर	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					19 स्थानों पर हॉस्टल सुविधा	आकलन का अनुमोदन, कार्य सौंपा गया और आरंभ हुआ. कार्य हॉस्टल की आवश्यकता की वास्तविकता पर निर्भर, ऑपरेशनल मेंटीनेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद	प्रारंभ नहीं	O& M स्टाफ पर निर्णय PB/मंत्रालय द्वारा लेना है
					कोहिमा में 10 kW FM ट्रांसमीटर का काम पूरा	Q 1-टॉवर स्थापना के लिये आदेश जारी Q 4- टॉवर का काम पूरा	प्रारंभ नही	कोहिमा में 10 kW FM ट्रांसमीटर लगाने के लिये कार्य रद्द शेष कार्य क्षेत्रीय कार्यालय करेगा 100 मीटर टॉवर के लिये आधार का IIT खड़गपुर द्वारा निरीक्षण ताकि, टॉवर और ऊंचा किया जा सके और परियोजना पूरी हो सके कार्य सौंपने के लिये कार्यवाही जारी
					शेष 100 watt FM ट्रांसमीटर की स्थापना और कमीशनिंग	परियोजना पूरी	प्रगति पर	मणिपुर सरकार ने 100 W FM ट्रांसमीटर लगाने के लिये स्थान उपलब्ध नहीं कराया.वैकल्पिक स्थान ढूंढा जा रहा है
	वर्तमान 24 आकाशवाणी/ दूरदर्शन स्थलों पर FM विस्तार तथा XI योजना के तहत आकाशवाणी/ दूरदर्शन के वर्तमान 100 LPT पर 100 Watt FM ट्रांसमीटर				12 स्थानों पर 1 kw FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति और स्थापना	Q1- उपकरण की पावतीज Q 3- स्थापना Q-4 - कमीशनिंग	उपकरण प्राप्त, स्थापना प्रगति पर	
					12 स्थानों पर 5kw FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति और स्थापना	Q-1 - उपकरणों की जांच Q 2- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q 3-Q-4 -स्तापना और कमीशनिंग	उपकरण प्राप्त, स्थापना प्रगति पर	आदेश दिये जा चुके हैं
					भवन कार्य पूरा	Q-1 :- सिविल कार्य प्रगति पर Q-2 :- सिविल कार्य पूरा 12 स्थानों पर शेष 12 में प्रगति पर Q-3 :- सिविल कार्य पूरा	प्रगति पर	सभी कार्यों को स्वीकृति

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 :- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय उपकरणों के लिये सभी कार्यवाहियां कर रहे है ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होगा
					100 watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q 1- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q2-Q4-स्थापना और कमीशनिंग	प्रगति पर	आदेश दिये जा चुके हैं
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 - क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	क्षेत्रीय कार्यालय ने क्षेत्रीय उपकरणों के लिये सभी कार्यवाहियां कर रहे है ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होगा
	138 स्थानों पर विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसमीटर लगा कर FM विस्तार का प्रस्ताव, XII योजना में 26 स्थानों पर स्टूडियो सुविधा				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 - योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 - सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
ii	**FM /MW ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना**							
	XI योजना के तहत 40 वर्तमान स्टेशनों पर FM/MW ट्रांसमीटरों की उच्च शक्ति से प्रतिस्थापना				5/6 kW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति 27 संख्या में	Q1-तकनीकी मूल्यांकन पूरा Q2- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की जांच	तकनीकी मूल्यांकन पूरा, क्रय प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में	
					13 स्थानों के लिये 10 kW FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश Q3 उपकरणों की जांच Q4-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	मूल्य बोली 0/07/12 को खुली दिसंबर, 2012 में आदेश दिये गये	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					भवन कार्य पूरा	Q-1 :- सिविल कार्य पूरा 27 स्थानों पर और 13 में प्रगति पर Q-2 :- सभी स्थानों पर सिविल कार्य पूरा	प्रगति पर	सभी कार्य स्वीकृत
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 :- क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	प्रगति पर	क्षेत्रीय कार्यालय ने क्षेत्रीय उपकरणों के लिये सभी कार्यवाहियां कर रहे है ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होगा
	FM ट्रांसमीटरों की प्रतिस्थापना के तहत अन्य प्राप्तिया				100 मीटर के स्वयं बल टावर आदिलाबाद और क्योंझर	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-स्थल पर सामग्री की पावती, और कार्य प्रगति पर	पूरा नही	विशेष्य संबंधी पालन न कये जाने के कारण फर्म से काम लेकर पुनर्निविदा की गयी
						Q 1- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q 2- स्थापना	प्राप्त और स्थापना	
						Q 2- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q 3- स्थापना	प्राप्त	
	योजना के तहत 77 स्थानों पर 286 की संख्या में पुराने FM ट्रांसमीटरों की परतिस्थापना का प्रस्ताव इनमें दूरदराज और सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं MW ट्रांसमीटरों की जगह FM ट्रांसमीटरों की परतिस्थापना				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 - योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 - सिविल कार्य सौंपा गयो Q-4 - NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
1.2	**स्टूडियो एवं नेटवर्क**		**46.20**	**13.09**				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
ii	**X योजना के तहत 4 स्टूडियो का सेट अप**				4 स्टूडियो में लंबित कार्य	1. परियोजना पूरी	पूरा	
i	**X योजना के तहत 48 स्थानों पर उच्च सीमा वाले सर्वर की स्थापना**				उच्च सीमा वाले सर्वरों का 48 स्टेशनों पर स्थापना (आदेश मूल्य रु. 29.00 करोड़	Q 1- उपकरणों के आदेश Q-3 कुछ स्टेशनों पर उपकरणों की पावती, SITC कार्य आरंभ Q 4- शेष स्टेशनों पर उपकरणों की पावती	जुलाई, 2013 में क्रय आदेश, उपकरण प्राप्त होने ह	क्रय प्रस्ताव में देरी के कारण, और फिर सप्लायर द्वारा प्रारूप के अनुसार प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा न किये जाने के कारण, कार्य में देरी
iii	**XI योजना के तहत 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, संजाल, RNU का स्वचलीकरण, 7 नये RNU का सृजन, दिल्ली में अबिलेखीय सुविधा का संवध ान एवं 4 स्थानों पर सृजन**				सर्वर के SITC केंद्रीयकृत भंडारण तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर सहित (डाटा अवयव सर्वर 38+10, डिजिटल कार्य 643+138+94) , DOT 21. 10.2011 को खुलनी तय,आश्वासन तिथि 30.09. 2011 आदेश मूल्य रु. 23.30 करोड़	Q1- उपकरमों के आदेश Q4-उपकरमों की पावती	शुरू नहीं	सप्लायर ने वैद्यता तिथि नहीं बढ़ायी, सिलिये पुनर्निविदा होगी
					ढांचा प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	शुरू नहीं	प्रसार भारती बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुनर्निविदा होगी
					सर्वर के SITC, वर्क स्टेशन और RNU के लिये सिस्टम सॉफ्टवेयर. आस्वासन तिथि 2. 09.2011 आदेश मूल्य रु. 4.2 करोड़ आदेश दिया जाना है	Q1- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q2- स्थापना प्रगति पर Q3- स्थापना पूरी	पूरा	क्रय प्रस्ताव प्रक्रिया में, समयबद्धता के अनुसार उपकरण आदेश जनवरी, 2012 में प्राप्त होंगे
					क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	Q-1 to Q-4 :-क्षेत्रीय उपकरण प्राप्त और विभागीय कार्य आरंभ	पूरा	क्षेत्रीय कार्यालय ने क्षेत्रीय उपकरणों के लिये सभी कार्यवाहियां कर रहे है ट्रांसमीटर प्राप्त होने के बाद विभागीय कार्य आरंभ होगा

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					स्टूडियो का संजाल	Q1- NIT जारी Q-2 : - निविदा खुलीं, और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 :- उपकरणों के आदेश Q-4 :- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	शुरू नहीं	विशेष्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है
					दिल्ली में अभिलेखीय सुविधा का संवर्धन, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में अभिलेखीय सुविधा का सृजन	Q1 - NIT जारी Q-2 - निविदा खुलीं, और तकनीकी मूल्यांकन Q-3 - उपकरणों के आदेश Q-4 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	जनवरी, 2013.में आदेश दिये गये	
					स्टूडियो की सुसज्जा	Q-1 to Q-4 -कार्य पूरा	प्रगति पर	
					3. न्यूज ऑन फोन सेवा का उच्चीकरण 13 स्थानों पर तथा 16 नई जगहों पर सेवा की शुरुआत (29 संख्या में)	Q1- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q3- स्थापना प्रगति पर Q4- स्थापना पूरी	शुरू नहीं	तकनीकी रूप से कोई भी निविदा स्वीकार्य नहीं पायी गयी, अब, स्वतंत्र मूल्यांकन समिति ने योजना रोक देने का निर्णय लिया है
iv	XII योजना के तहत 116 स्टूडियो का डिजिटलीकरण, संजाल, 1 नये RNU का सृजन, गुवाहाटी में अभिलेखीय सुविधा का आरंभ एवं स्टूडियो सुसज्जा under XII plan				योजना का अनुमोदन वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1-योजना का अनुमोदन आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 - सिविल कार्य सौंपा गया Q-4 - NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
1.3	**कनेक्टिविटी**		**15.10**	**5.67**				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
i	NESP स्कीम के तहत DSNG तथा MSS टर्मिनल प्राप्त करना				परियोजना पूरी	Q-1 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	पूरा	
ii	स्टूडियो सुविधा के स्वचलीकरण तथा अन्य पुटकर योजना के तहत 4 स्टेशनों पर STL की प्राप्ति				STL की प्राप्ति	Q1- उपकरण के आदेश Q3-उपकरणों की जांच Q4-उपकरण की पावती	आदेश दिये जाने हैं	क्रय प्रस्ताव प्रक्रियाधीन
iii	80 STL की प्रतिस्थापना तथा 35 नये STL की प्राप्ति				STL की प्रतिस्थापना	Q1-उपकरण के आदेश Q3-उपकरणों का निरीक्षण Q4-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	आदेश दिये जाने हैं	क्रय प्रस्ताव प्रक्रियाधीन
	44 C-बैंड RN टर्मिनल की प्राप्ति				44 स्थानों पर C-बैंड RN टर्मिनल	Q2-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q3-Q4-उपकरण की स्थापना	पूरा नहीं	विशेष्य संशोधित किये गये, उपकरण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त किये जाएंगें
	कैप्टिव अर्थ स्टेशन की स्थापना				3 स्तानों पर CES	Q 3- आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q 4-स्थापना कार्य आरंभ	पूरा नहीं	क्रय प्रस्ताव अनुमोदन की प्रक्रिया में
	DTH का संवर्धन				DTH का संवर्धन	Q1. शेष भुगतान	पूरा	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
iv	टेलीकॉम सुविधाओं का संवर्धन: 2 पोल फीड और डिसेज को 4-पोल से प्रतिस्थापित करना-24 SCPC की जगह MCPC की प्रतिस्थापन OB के लिये Codecs तथा STL -650 के लिये प्रतीक्षारत तैयार चलायमान V-Sats - 32 नये STL - 12 XII योजना के तहत DTH का संवर्धन 40 तक				Approval scheme preparationof Civil estimates for renovationof existing	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	पूरा नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
1.4	स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण		3.10	0.66				
	STI(T) व STI(P) का संवर्धन, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों सहित				दिल्ली STI(T)-में ऑडिटोरियम का निर्माण / कॉन्फ्रेंस हॉल और स्वागती कक्ष का निर्माण	Q1- आकलन की पावती Q2- सक्षम अदिकारी से AA&E/S की प्रक्रिया. Q3- काम सौंपा गया Q4- कार्य प्रगति पर	पूरा नहीं	योजना रद्द की गयी
					STI(T) दिल्ली में मेडीटेशन हॉल और लायब्रेरी निर्माण	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :- कार्य प्रगति पर Q-3:- कार्य पूरा	शुरू नहीं	आकलन पहले ही स्वीकृत सिविक एजेंसी का अनुमोदन रूपरेखा योजना के लिये प्राप्त होना शेष
					योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की प्राप्ति	Q-1 to Q-4 :- योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की पावती, कुछ उपकरण योजना के तहत प्रक्रियाधीन अन्य उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, कार्यवाही जारी है	प्रगति पर	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	XII योजना के तहत दिल्ली तथा भुवनेश्वर के लिये DRM+ तथा DTT ट्रांसमीटर, डिजिटल प्रसारण उपकरण प्राप्त करना				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदने Q-2 आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गयो Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन
	XII योजना के तहत दिल्ली तथा भुवनेश्वर के लिये हॉस्टल का व्यापक सुसज्जीकरण, चारदीवारी, सड़क आदि				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया. Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन
1.5	शोध व विकास का सुदृढ़ीकरण	डिजिटल प्रसारण, जैसे DRM/DRM/DVB/FM/VHF/UHF/CW आदि से प्रसारण पर अध्ययन करना डिजिटल प्रसारण के लिये निगरानी तंत्र विकसित करना व्यापक परस्पर प्रसाण सेवा विकसित करनाष	2.10	1.08				
					1 KW MW DRM ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के लिये आदेश Q2-उपकरणों की जांचफ4-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					FM DRM+ ट्रांसमीटर प्राप्त	Q1- उपकरणों के लिये आदेश, Q2-उपकरणों की जांच Q4-उपकरण और स्थापना की पावती,	शुरू नहीं	
					26 MHz SW DRM ट्रांसमीटर प्राप्त	Q1- उपकरण के आदेश , Q2-उपकरणों की जांच Q4-आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी और स्थापना	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
					क्रॉसफील्ड एंटेना प्राप्त	Q1- उपकरण के आदेश, Q2-उपकरणों की जांच Q4-उपकरण स्थापना की पावती	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
					अन्य काम और उपकरण प्राप्त	Q-1 to Q-4 :-योजना के तहत विभिन्न उपकरणों की पावती, कुछ उपकरण योजना के तहत प्रक्रियाधीन अन्य उपकरणों के साथ प्राप्त होंगे, कार्यवाही जारी है	प्रगति पर	
	XII योजना में R&D के लिये नये प्रस्ताव				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गयो Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभष	शुरू नही	योजना का अनुमोदन होना शेष
1.6	कार्यक्रम प्रबंधन इकाई		27.00	-	योजना लागू करने के लिये कॉंट्रैक्ट आदार पर स्टाफ की भर्ती		शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
2	सीमावर्ती क्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण		11.00	2.53				
i	जम्मू-कश्मीर में HPT/LPT की स्थापना :-							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	10 kW FM ट्रांसमीटर 3 और 10 kW TV ट्रांसमीटर - 3 की स्थापना 10 kW FM ट्रांसमीटर की स्तापना वर्तमान DD स्थल पर आकाशवाणी स्थल पर 2 संख्या में 5 ॉज्ट ट्रांसमीटर की स्थापना 100 Watt FM के 4 ट्रांसमीटर स्थापित करना				100 watt FM ट्रांसमीटर की प्राप्ति (4 संख्या में)	Q1-उपकरणों की पावती Q 2-Q4 :- स्थापना और कमीशनिंग	पूरा	
					तीसरे स्थल का अधिकार मिला	Q-1 रू- स्थल का अधिग्रहण	शुरू होना है	पटनी टॉप गांव के निकट वैकल्पिक स्थान को क्लियरेंस मिला डिमांड नोट की प्रतीक्षा
					नौशेरा में के 10 kW FM T (1+1) ट्रांसमीटर की प्राप्ति	Q1- उपकरणों के आदेश, Q4-उपकरणों की जांच	शुरू नहीं	उपकरणों के लिये निविदा आमंत्रण हेतु संसोधित विशेष्य तैयार
					राजौरी में 5 kW TV ट्रांसमीटर 2 की संख्या में	Q1- उपकरणों के आदेश , Q3-उपकरणों की जांच Q4-उपकरण की पावती	शुरू नहीं	दूरदर्शन द्वारा विशेष्य संशोधित होने हैं
					DD के लिये तीन स्थानों पर 10 kW FM ट्रांसमीटर का प्रस्ताव (1+1) और 10 kW टीवी ट्रांसमीटर	Q1- उपकरणों के आदेश, Q4-उपकरणों की जांच	शुरू नहीं	उपकरमों के लिये निविदा आमंत्रम हेतु संशोधित विशेष्य तैयार
					क्षेत्रीय क्रय और विभागीय कार्य	Q-1-Q-4:- कार्य और प्राप्ति प्रगति पर.	प्रगति पर	
					सिविल कार्य पूरा	Q-1-Q-4:- कार्य प्रगति पर	शुरू नहीं	ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी के कारण
	XII योजना के तहत FM ट्रांसमीटर भारत-नेपाल सीमा				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
3	वैकल्पिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारण	इंटरनेट उपभोक्ताओं को आकाशवाणी चैनलों तक पहुंच बनाने	0.10	0.00	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी			योजना का अनुमोदन होना शेष

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		लायक सुविधा देना आकाशवाणी चौनल प्राप्त करने के लिये बहुमुखी माध्यम उपलब्ध करानाष			आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4 NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
4	संरचना का एकीकरण वर्तमान सुविधाओं में सुधार, प्रतिस्थापना से प्रसारण गुणवत्ता को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाना	आवश्यकतानुसार कॉरपोरेट कार्य वातावरण उपलब्ध करानाय स्टाफ कल्याण के लिये सुविधाएं उपलब्ध कराना	10.10	8.85				
	XI योजना के तहत वर्तमान केंद्रों पर I-O-F-				5 चलायमान FM ट्रांसमीटर का प्रस्ताव आपात स्थिति के लिये	Q1- उपकरणों के आदेश Q4-उपकरणों की जांच	शुरू नहीं	कोई निविदा प्राप्त नहीं, और विशेष्य संसोधित होने हैं
					स्टूडियो के लिये मापक यंत्र का प्रस्ताव	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों का निरीक्षण Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना, Q4-जांच और माप	आदेश दिये जाने हैं	भवन Acoustic Analyser TE-के तहत
					23 जगहों पर MW पर टेलीमेट्री ट्रांसमीटर का प्रस्ताव. रिमोट कंट्रोल के लिये.	Q1- उपकरणों के आदेश , Q2-उपकरणों की जांच Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना, Q4-जांच और माप	प्रगति पर	DTE क्षेत्रीय कार्यालय ने तैयार किया है, उपकरण आकाशवाणी के R&D इकाई को प्राप्त होंगे
					वर्तमान थ्ड स्टेशन पर UPS का प्रस्ताव 80 स्थानों पर	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों की जांच Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना, Q4-जांच और माप	पूरा	
					ग्वालिअर, रत्नागिरि और सांगली में स्टूडियो की सुसज्जा	Q1- उपकरणों के आदेश, Q2-उपकरणों की जांच Q3-उपकरणों की पावती और स्थापना ,Q4-जांच और माप	पूरा	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	गुवाहाटी में कार्यालय स्थान स्टाफ क्वार्टर्स, श्रीनगर में हॉस्टल सुविधा सहित				श्रीनगर में हॉस्टल कार्य के लिये अक्टूबर 2010 में स्वीकृति (रु. 3.68 करोड़). CCW ने काम नहीं सौंपा क्योंकि वर्तमान भवन के ध्वंस का अनुमोदन देर से मिला. भवन जून 2011 में अनुमोदित काम सौंपा जाना है	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :- कार्य प्रगति पर Q-3:- कार्य प्रगति पर Q-4:- कार्य पूरा	प्रगति पर	
					गुवाहाटी के लिये 19.10. 2010 को स्टाफ क्वार्टर्स स्वीकृत (रु. 7.14 करोड़) कार्य सौंपा गया फरवरी 2011 में सौंपा गया	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :-कार्य प्रगति पर Q-3:- कार्य प्रगति पर Q-4:- कार्य प्रगति पर	प्रगति पर	
					गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने 03.03.2011 को स्वीकृति जारी की (रु. 7.67 करोड़ आकाशवाणी द्वारा तथा 1 करोड़ DD द्वारा)	Q-1 :- कार्य प्रगति पर Q-2 :-कार्य प्रगति पर Q-3:- कार्य प्रगति पर Q-4:- कार्य प्रगति पर	प्रगति पर	
	दिल्ली मुंबई में सामुदायिक केंद्र पुणे में, मरम्मत/ प्रतिस्थापना- एंटेना स्विच परिवर्तन, स्टूडियो/कार्यालय भवन का पुनर्निर्माण, सुरक्षा दीवार तथा लिफ्ट आदि				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी .आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
	पटना, श्रीनगर में सुरक्षा चारदीवारी का सुदृढ़ीकरण, HPT मलाड एवं पोर्ट ब्लेयर				वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
					वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी	Q-1 :- Approval of Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी	Not started	योजना का अनुमोदन होना शेष

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					आकलन की स्वीकति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ		
5	**ई- गवर्नेंस**	मीडिया इकाइयों तक तीव्र गति से सूचना का प्रसार करना इसके लिये आकाशवाणी और दूरदर्शन स्टेशनों के व्यापक संजाल प्रबंधन को संजाल आधारित ऑन लाइन प्रबंध तंत्र और ERP सॉल्यूशन मुहैया कराना है आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और शिकायत निवारण तंत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-टेंडरिंग, वेबसाइट से जोड़ना	0.10	0.00	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी, सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
	योजना II: अवयव विकास और प्रसार	उच्च गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर विकसित करना ताकि मीडिया के प्रतिद्वंद्विता वाले वातावरण में आकाशवाणी के श्रोता आकर्षित हो और बने रहे	25.00	5.58	1. नये और ताजा अवयव सृजन 2.रेडियो कार्यशाला, संगीत सम्मेलन, कॉन्सर्ट्स, आदि 3. राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय घटनाओं की कवरेज 4. फ्लैगशिप कार्यक्रम प्रोडक्शन 5.आकाशवाणी के अभिलेखों का डिजिटलीकरण	सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन के लिये कोष का उपयोग,ध्अधिग्रहण और अवयव सृजन, फ्लैगशिप कार्यक्रम, अभिलेखों का डिजिटलीकरण.	प्रगति पर	
	योजना III: मानव संसाधन विकास		0.00					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	योजना IV: विशेष परियोजनाएं		0.10	0.00				
(i)	दिल्ली में ऑडिटोरियम की पुनर्सज्जा	दिल्ली में आकाशवाणी के पास कोई ऑडिटोरियम नहीं है, उसके लिये ऑडिटोरियम का निर्माण करना आमंत्रित श्रोताओं के लिये कार्यक्रम की व्यवस्था की सुविधा व्यापक समूहों की प्रतिभागिता से लाइव कार्यक्रम आयोजित करना	0.10	0.00	वर्तमान भवन की सुसज्जा के लिये सिविल आकलन की तैयारी आकलन की स्वीकृति, कार्य प्रारंभ, विशेष्य की तैयारी, ताकि उपकरण और NIT प्राप्त हो	Q-1 :- योजना का अनुमोदन Q-2 - आकलन की स्वीकृति, विशेष्य की तैयारी Q-3 :- सिविल कार्य सौंपा गया Q-4. NIT जारी , सिविल कार्य प्रारंभ	शुरू नहीं	योजना का अनुमोदन होना शेष
	कुल (पूंजी)		**247.00**	**146.33**				
	कुल (राजस्व)		**52.00**	**19.56**				
	कुल (आकाशवाणी)		**299.00**	**165.89**				

प्रसार भारती

दूरदर्शन - वार्षिक योजना 2013-14 की समीक्षा

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2013-14) का लेखाजोखा

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	जारी योजनाएं							
1	ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण।		64.00	37.49				
	(क) ट्रांसमीटरों का डिजिटली करण।	टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।			19 डिजिटल एचपीटी।	टॉवरों का सुदृढ़ीकरण- तीसरी तिमाही। चरणों में 19 डिजिटल एचपीटी की आपूर्ति और उन्हें लगाने की शुरुआत- चौथी तिमाही।	चार स्थलों पर टॉवरों का सुदृढ़ीकरण पूरा। बाकी स्थलों पर काम शुरू/प्रगति पर। 19 डीटीटी के लिए ऑर्डर फरवरी 2013 में दिए गए। अमेरिका में ओईएम प्रतिष्ठान पर फैक्टरी का निरीक्षण पूरा। पांच एचपीटी की आपूर्ति हुई और उन्हें लगाने का काम शुरू। बाकी एचपीटी की आपूर्ति जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद।	नौ स्थलों पर सुदृढ़ीकरण पूरा। बाकी पर काम शुरू/प्रगति पर।
	(ख) स्टूडियो का डिजिटलीकरण।	निर्माण, निर्माण पश्चात और संपादन सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।			39 स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण।	39 स्टूडियो के डिजिटलीकरण के लिए बाकी उपकरणों की आपूर्ति- तीसरी तिमाही। बाकी उपकरणों की स्थापना- चौथी तिमाही।	कैमरा श्रृंखला को छोड़ कर बाकी उपकरण खरीदे और लगाए गए। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं प्राप्त, उनका मूल्यांकन पूरा और वाणिज्यिक बोलियां खोली गईं। खरीद का प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के लिए सौंपा गया।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।		30.00	74.00				
	(क) ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का तकनीकी अनिवार्यता के कारण आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।			15 एचपीटी को बदलना।	उपकरण की आपूर्ति- तीसरी तिमाही। एचपीटी की स्थापना प्रगति पर। नौ एचपीटी की लगाने का काम पूरा- चौथी तिमाही।	ओईएम प्रतिष्ठान पर फैक्टरी की जांच पूरी। तीन एचपीटी (यूएचएफ) की आपूर्ति हुई जिन्हें लगाया जा रहा है। बाकी एचपीटी की जल्दी ही आपूर्ति की संभावना।	
					500 वॉट के 60 ऑटोमोड एलपीटी।	ट्रांसमीटरों की चरणों में आपूर्ति- दूसरी तिमाही। 60 एलपीटी लगाए जाने का काम पूरा- तीसरी और चौथी तिमाही।	सभी एलपीटी की आपूर्ति पूरी। उनसठ एलपीटी स्थापित और शुरू। बाकी एक एलपीटी की स्थापना प्रगति पर।	
	(ख) स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके निर्माण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकी करण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।			कैमरा श्रृंखला, डिजिटल वीसीआर, एसडी ओबी वैन जैसे स्टूडियो उपकरणों की खरीद।	उपकरणों की चरणों में आपूर्ति- तीसरी तिमाही।	कैमरा श्रृंखलाओं को छोड़ सभी उपकरण खरीदे और लगाए गए। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं हासिल और उनका आकलन किया गया।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					बिजली आपूर्ति, एसी संयंत्र, प्रकाश ग्रिड, एकॉस्टिक और फ्लोरिंग जैसे आवश्यक सेवा उपकरणों को बदलना।	विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में आवश्यक सेवा उपकरणों को चरणबद्ध ढंग से बदलना- चौथी तिमाही।	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा काम शुरू। ज्यादातर केन्द्रों में प्रकाश ग्रिड और एसी संयंत्र बदले गए। कुछ केन्द्रों में एसी संयंत्र, एकॉस्टिक्स और फ्लोरिंग पूरी। अन्य केन्द्रों में काम प्रगति पर।	
3	डीटीएच।	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों को 59 से बढ़ा कर 97 करना।	35.00	6.83	डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता बढ़ा कर 59 से 97 चैनल करना।	उपकरण सप्लाई- दूसरी तिमाही। डीटीएच प्लेटफॉर्म का उन्नयन- तीसरी तिमाही।	डीटीएच प्लेटफॉर्म उन्नयन के जून 2013 में आदेश दिए गए। उपकरणों की आंशिक आपूर्ति हुई।	
4	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनि कीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का तकनीकी अनिवार्यताओं के कारण आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना। समाचार संग्रह सुविधाओं को मजबूत करना।	20.00	8.02	पांच भूकेन्द्रों का उन्नयन।	पांच भूकेन्द्रों का चरणों में उन्नयन और उन्हें शुरू करना- दूसरी तिमाही।	एक स्थान पर भूकेन्द्र चालू। बाकी स्थलों पर आरएफ उपकरण को छोड़ कर सभी उपकरण लगाए गए और उनका परीक्षण पूरा।	
					दो स्थलों पर भूकेन्द्र कंप्रेषन उपकरण बदलना।	आदेश जारी करना- दूसरी तिमाही। दो स्थलों पर भूकेन्द्र कंप्रेशन उपकरण बदलना- चौथी तिमाही।	एक स्थल के लिए आमंत्रित निविदाएं तकनीकी कारणों से रद्द। एक स्थल पर भवन निर्माण प्रगति पर।	
					छह स्थलों पर डीएसएनजी इकाइयों को बदलना।	छह डीएसएनजी की आपूर्ति- दूसरी तिमाही।	ऑर्डर अगस्त 2011 में जारी किए गए। आपूर्ति में देरी।	सभी डीएसएनजी वैनों की आपूर्ति कर दी गई है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					मौजूदा आईआरडी को बदल कर डीवीबी-एस2 आधारित आईआरडी लगाना।	मौजूदा आईआरडी को बदल कर डीवीबी एस2 आधारित आईआरडी लगाना- चौथी तिमाही।	निविदाएं प्राप्त और उनका तकनीकी आकलन किया जा रहा है।	
					नौ नए डीएसएनजी।	नौ डीएसएनजी के लिए ऑर्डर जारी करना- पहली तिमाही। नौ डीएसएनजी की आपूर्ति- तीसरी तिमाही।	पहले प्राप्त निविदाएं तकनीकी कारणों से रद्द। नया एनआईटी जारी।	इस बार भी कोई बोली नहीं मिली। निविदा रद्द। नया एनआईटी जारी।
					पांच नए भूकेन्द्र।	चार स्थलों पर नए भूकेन्द्रों की स्थापना- पहली तिमाही। एक स्थल के लिए एनआईटी जारी किया जाना- पहली तिमाही। एक स्थल के लिए ऑर्डर जारी करना- तीसरी तिमाही।	तीन स्थलों पर नए भूकेन्द्र स्थापित (एक भूकेन्द्र मार्च 2013 में स्थापित किया गया)।	पांचवें स्थल के लिए एनआईटी जारी। समय सीमा कई बार बढ़ाए जाने के बावजूद कोई बोली नहीं मिली। निविदा रद्द। नया एनआईटी जारी किया जाएगा।
5	हाई डेफिनेशन टीवी।	एचडीटीवी निर्माण, निर्माण पश्चात और ट्रांसमिशन सुविधाएं।	15.00	37.76	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी निर्माण सुविधा।	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और उसे चालू करना- पहली तिमाही।	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो सुविधा स्थापित।	
					दिल्ली और मुंबई में आउटडोर निर्माण सुविधाओं के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण।	उपकरणों के लिए ऑर्डर जारी करना- पहली तिमाही। एचडीटीवी ओबी वैनों की आपूर्ति- तीसरी तिमाही।	जून 2013 में ऑर्डर दिए गए। डीपी- जून 2014	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					दिल्ली में मल्टी कैमरा मोबाइल निर्माण सुविधा।	उपकरण के लिए ऑर्डर जारी करना- तीसरी तिमाही। उपकरण की आपूर्ति- चौथी तिमाही।	जून 2013 में ऑर्डर दिया गया (रिपीट ऑर्डर)। डीपी: मार्च 2014	रिपीट ऑर्डर पर फर्म के इनकार की वजह से ऑर्डर रद्द। नया एनआईटी जारी किया जाएगा।
					दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर।	ट्रांसमीटरों की आपूर्ति- पहली तिमाही। एंटीना प्रणाली की आपूर्ति और उसकी स्थापना- पहली तिमाही। ट्रांसमीटर की स्थापना- दूसरी तिमाही। ट्रांसमीटर स्थापना पूरा किए जाने की शुरुआत- चौथी तिमाही।	चार एचडीटीवी ट्रांसमीटरों के लिए ऑर्डर 19.11.2013 को दिया गया। सभी ट्रांसमीटरों की आपूर्ति और स्थापना पूरी। परीक्षण प्रगति पर। एंटीना प्रणाली के एसआईटीसी और टॉवरों के सुदृढ़ीकरण के लिए ऑर्डर जारी। सभी स्थलों पर टॉवर के सुदृढ़ीकरण तथा एंटीना और फीडर केबल लगाने का काम पूरा।	
6	सिविल ढांचागत सुविधाओं को मजबूत करना, स्टाफ क्वार्टर और अन्य विविध योजना।	स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था। ढांचागत सुविधाओं/ विभिन्न केन्द्रों पर सुरक्षा को मजबूत करना।	7.00	9.40	1. सात स्थलों पर स्टाफ क्वार्टरों 2. 22 स्थलों पर अतिथिगृहों 3. 10 स्थलों पर सामुदायिक केन्द्रों 4. 17 स्थलों पर डीएमसी भवनों 5. 10 स्थलों पर एलपीटी भवनों और 6. दूरदर्शन भवन परिसर में टॉवर सी का निर्माण। मौजूदा दूरदर्शन	तीन स्थलों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण। एक स्थल पर अतिथिगृह का निर्माण। टॉवर सी का काम आगे बढ़ाना।	सभी तीन स्थलों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा। टॉवर सी का निर्माण प्रगति पर। ढांचा पूर्ण।	भवन के अंदर प्लास्टर का काम पूरा। लिफ्टों के लिए काम सौंपे जाएंगे।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं और सुरक्षा को मजबूत करना।			
7	दसवीं योजना की अन्य जारी विविध योजनाएं।	11वीं योजना से पहले मंजूर परियोजनाओं को पूरा करना।	10.00	19.50	15 ऑटोमोड एलपीटी की स्थापना। कन्नानोर में टॉवर को पूरा करना। अमृतसर में 300 मीटर टॉवर पर एंटीना के साथ डीडी 1 और डीडी (न्यूज) एचपीटी चालू करना।	15 एलपीटी की स्थापना पूरी करना- पहली तिमाही। कन्नानोर टॉवर के लिए आदेश जारी करना- पहली तिमाही।	सभी एलपीटी की आपूर्ति पूरी। 40 एलपीटी स्थापित और चालू। बाकी एलपीटी की स्थापना प्रगति पर। कन्नानोर में टॉवर पूरी ऊंचाई तक स्थापित।	2012-13 में 35 एलपीटी स्थापना का लक्ष्य 2013-14 तक बढ़ाया गया। तब से चार और एलपीटी स्थापित और चालू।
					एचपीटी महबूबनगर।	टॉवर के लिए ऑर्डर जारी करना- पहली तिमाही।	150 मीटर टॉवर लगाने का काम शुरू। एनआईटी जारी।	एचपीटी महबूबनगर मौजूदा टॉवर का इस्तेमाल करते हुए अंतरिम सेटअप में 08.12.2012 को शुरू। सीसीडब्ल्यू द्वारा निविदा प्राप्त और प्रक्रिया में।
					स्टाफ क्वार्टर, पटना।	कार्य पूरा करना- दूसरी तिमाही।	पटना में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण पूरा होने के करीब।	
					मेट्रो स्टाफ क्वार्टर, मुंबई।	कार्य पूरा करना- दूसरी तिमाही।	निर्माण पूरा।	परियोजना की आकाशवाणी द्वारा निगरानी।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2013-14 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/ वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.14 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					59 कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद।	उपकरण आपूर्ति के लिए आदेश- पहली तिमाही।	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए निविदाएं प्राप्त और आकलन पूरा। खरीद का प्रस्ताव वित्तीय मंजूरी के लिए सौंपा गया।	
8	सामग्री विकास और प्रसार		65.00	42.84				
	नई योजना							
1	योजना 1- प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क विकास		14.00	0.00				सीसीईए की मंजूरी की जानकारी 18.03.2014 को मंत्रालय को दी गई। प्रसार भारती की मंजूरी का इंतजार।
2	योजना 4- विशेष परियोजनाएं		10.50	0.00				
	पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान		205.50	193.00				
	सामान्य सहायता अनुदान		65.00	42.84				
		कुल	270.50	235.84				

दूरदर्शन

वार्षिक योजना 2012-13

परिव्यय और परिणाम/लक्ष्य (2012-13) का लेखाजोखा

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	जारी परियोजनाएं							
1	दसवीं योजना के अपूर्ण कार्यक्रम 12वीं योजना में जारी रहेंगे।	11वीं योजना से पहले मंजूरी की गई परियोजनाओं को पूर्ण करना।	45.00	23.78				
					अमृतसर में 300 मीटर के टॉवर पर एंटीना के साथ डीडी 1 और डीडी (एचपीटी) स्थापित करना।	नए स्थल पर डीडी 1 और डीडी (न्यूज) ट्रांसमीटरों की स्थापना और उन्हें शुरू करना- दूसरी तिमाही।	पूरी ऊंचाई (283 मीटर) तक टॉवर लगाया गया। इमारत बनाई गई। अर्थिंग, डक्टिंग और बिजली आपूर्ति के कार्य संपन्न। एंटीना परीक्षण और पीडीए स्थापना पूर्ण। अनुबंध फर्म ने आगे का काम नहीं किया इसलिए ऑर्डर 16.01.2013 के आदेश के जरिए रद्द। बाकी काम विभागीय स्तर पर पूरा किया जाएगा।	
					स्टाफ क्वार्टर, पटना।	कार्य संपन्नता- तीसरी तिमाही।	65 प्रतिशत कार्य पूर्ण। पुराना अनुबंध रद्द। बाकी काम के लिए नई निविदाएं जारी और कार्य आवंटित।	कार्य पूर्णता की ओर।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					मेट्रो स्टाफ क्वार्टर, मुंबई।	कार्य पूर्णता- चौथी तिमाही।	कार्य प्रगति पर।	परियोजना की आकाशवाणी द्वारा निगरानी।
				ऑटोमोड एलपीटी-50	ट्रांसमिशन उपकरण के लिए आदेश देना-दूसरी तिमाही। 35 स्थलों पर चरणबद्ध तरीके से ऑटोमोड एलपीटी की स्थापना और उन्हें शुरू करना-चौथी तिमाही।	ऑटोमोड एलपीटी की खरीद के लिए आदेश जारी। कुछ नगों की सप्लाई।		
					एचपीटी महबूबनगर (अंतरिम सेटअप)।	महबूबनगर में 10 किलोवॉट ट्रांसमीटर की स्थापना और अंतरिम सेटअप की कमिशनिंग-दूसरी तिमाही।	मौजूदा टॉवर का इस्तेमाल कर अंतरिम सेटअप में एचपीटी महबूबनगर 08.12.2012 को शुरू।	
					कन्नानोर में टॉवर।	टॉवर लगाने के लिए आदेश जारी करना- दूसरी तिमाही। टॉवर लगाने का काम जारी-चौथी तिमाही।	फर्म द्वारा कार्य पूरा करने में नाकामी के कारण टॉवर का आदेश रद्द। नई निविदाएं आमंत्रित और मेसर्स ईसीआईएल को फरवरी 2013 में आदेश जारी। एनआईटी कालीकट द्वारा टॉवर के बुनियाद के परीक्षण की सिफारिश के बाद कार्य स्थगित।	टॉवर लगाने का काम पूरा किया जा चुका है।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					59 कैमरा श्रृंखलाओं की खरीद।	कैमरा श्रृंखलाओं के लिए आदेश जारी करना-पहली तिमाही। उपकरण आपूर्ति-चौथी तिमाही।	एनआईटी जारी किया जाएगा। मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाना।	निविदाएं प्राप्त। उनकी प्रोसेसिंग पूरी। खरीद के प्रस्ताव को वित्तीय अनुमति के लिए सौंपा गया।
					टीवी स्टूडियो देहरादून (स्थाई सेटअप)।	निर्माण कार्य की पूर्णता- दूसरी तिमाही। स्थापना कार्य की पूर्णता- चौथी तिमाही।	परियोजना के संशोधित व्यय अनुमान को मंजूरी दी जानी है। आरसीई के लिए एसएफसी बैठक 14.12.2012 को हुई।	तकनीकी कार्य पूर्ण।
2	ट्रांसमीटरों और स्टूडियो का डिजिटलीकरण।		69.79	98.42				
	(क)ट्रांसमीटरों का डिजिटलीकरण।	टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन का डिजिटलीकरण।			19 डिजिटल एचपीटी।	19 डिजिटल एचपीटी के लिए आदेश जारी करना-दूसरी तिमाही। डिजिटल ट्रांसमीटरों की आंशिक आपूर्ति-चौथी तिमाही। टॉवरों का सुदृढ़ीकरण समेत एंटीना प्रणाली की सप्लाई और स्थापना-चौथी तिमाही।	19 डीटीटी के लिए आदेश फरवरी 2013 में जारी। ट्रांसमिशन के लिए टॉवरों के सुदृढ़ीकरण समेत एंटीना प्रणाली के लिए आदेश दिए गए। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में टॉवर सुदृढ़ीकरण पूर्ण। दिल्ली और चेन्नई में एंटीना और फीडर केबल स्थापना और परीक्षण पूर्ण। कोलकाता के लिए आरएफ केबल का आदेश जारी। आगे का काम प्रगति पर। मुंबई में काम शुरू किया जाना है।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	(ख) स्टूडियो का डिजिटलीकरण।	निर्माण, निर्माण पश्चात, संपादन और अभिलेखीकरण सुविधाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण।			आठ एनालॉग स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण।	आठ एनालॉग स्टूडियो के डिजिटलीकरण के लिए उपकरणों की आपूर्ति- तीसरी तिमाही। आठ एनालॉग स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण- चौथी तिमाही।	कैमरा श्रृंखलाओं, कैमकॉर्डरों, और रिकॉर्डर/डेक को छोड़ कर सभी प्रमुख उपकरणों की खरीद और स्थापना संपन्न। बाकी उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर।	
3	ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।		26.00	26.29				
	(क) ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके ट्रांसमीटर उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और उन्हें बदलना प्रौद्योगिकीय विवशता है।			15 एचपीटी को बदलना।	एचपीटी और उनकी एंटीना प्रणाली के लिए ऑर्डर जारी करना- तीसरी तिमाही। उपकरण की आंशिक आपूर्ति- चौथी तिमाही।	15 एचपीटी के ऑर्डर फरवरी 2013 में जारी किए गए। दो यूएचएफ एंटीना प्रणाली के लिए निविदाएं तकनीकी कारणों से रद्द करनी पड़ी। नौ वीएचएफ एंटीना और आरएफ केबल के लिए निविदाएं प्राप्त और प्रक्रिया में।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					500 वॉट के 60 ऑटोमोड एलपीटी।	ट्रांसमिशन उपकरण के लिए ऑर्डर जारी करना- दूसरी तिमाही।	एलपीटी ऑटोमोड के लिए आर्डर 31.07.2012 को जारी। आंशिक आपूर्ति हुई।	
	(ख) स्टूडियो उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके निर्माण से संबंधित उपकरणों का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और उन्हें बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना प्रौद्योगिकीय विवशता है।			कैमरा श्रृंखला, कलर मॉनिटर, एसडी ओबी वैन, लोगो जेनेरेटर इत्यादि स्टूडियो उपकरणों की खरीद।	उपकरणों की चरणों में आपूर्ति। उपकरणों की आंशिक सप्लाई-दूसरी तिमाही। उपकरणों की आंशिक सप्लाई-चौथी तिमाही।	वीसीआर और कैमरा श्रृंखलाओं को छोड़कर सभी उपकरणों के लिए आदेश जारी। आपूर्ति किए गए उपकरणों की स्थापना। कैमरा श्रृंखलाओं के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
					बिजली आपूर्ति, एसी संयंत्र, प्रकाश ग्रिड एकॉस्टिक और फ्लोरिंग जैसे आवश्यक सेवा उपकरणों को बदलना।	विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों में आवश्यक सेवा उपकरणों को बदलना-चौथी तिमाही।	क्षेत्रीय कार्यालयों में शुरू किए गए कार्य अमल के विभिन्न चरणों में हैं।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	डीटीएच	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों की संख्या 59 से बढ़ा कर 97 करना।	25.00	0.00	डीटीएच प्लेटफॉर्म पर चैनलों की संख्या बढ़ाना।	ऑर्डर जारी करना- पहली तिमाही। डीटीएच प्लेटफॉर्म का 75 चैनल तक उन्नयन-दूसरी तिमाही।	डीटीएच प्लेटफॉर्म को 97 चैनलों का करने के लिए दूरदर्शन को अतिरिक्त ट्रांसपोंडर आवंटित। 75 चैनलों तक उन्नयन निविदा रद्द। डीटीएच प्लेटफॉर्म को 59 से 97 चैनलों के लिए निविदाएं आमंत्रित और खोली गईं।	ऑर्डर जून 2013 में जारी किए गए।
5	उपग्रह प्रसारण उपकरण का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और पुराने उपकरणों को बदलना।	अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके उपग्रह प्रसारण से संबंधित उपकरणों का आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण और उन्हें बदल कर डिजिटल उपकरण लगाना प्रौद्योगिकीय विवशता है। समाचार संग्रह सुविधाओं को मजबूत करना।	25.00	15.00	पांच भूकेन्द्रों का उन्नयन।	पांच भूकेन्द्रों का उन्नयन और उन्हें चालू करना-तीसरी तिमाही।	चंडीगढ़, हिसार, लेह, पणजी और पोर्ट ब्लेयर भूकेन्द्रों के उन्नयन के लिए ऑर्डर दिए गए।	
					दो स्थलों पर भूकेन्द्र कंप्रेशन उपकरण को बदलना।	ऑर्डर जारी करना- दूसरी तिमाही। दो स्थलों पर भूकेन्द्र कंप्रेशन उपकरण बदलना-चौथी तिमाही।		(क) एक स्थल के लिए आमंत्रित निविदाएं तकनीकी कारणों से रद्द। (ख) एक स्थल पर भवन निर्माण जारी। भवन निर्माण के बाद उपकरण की खरीद की जाएगी।
					छह स्थलों पर डीएसएनजी इकाइयों को बदलना।	छह डीएसएनजी की आपूर्ति-पहली तिमाही।	ऑर्डर अगस्त 2011 में जारी किए गए। डीएसएनजी आपूर्ति में देरी।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी 52 आधारित आईआरडी लगाना।	मौजूदा आईआरडी की जगह डीवीबी 52 आधारित आईआरडी लगाना- चौथी तिमाही।	मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।	
					नौ नए डीएसएनजी।	नौ डीएसएनजी के लिए ऑर्डर जारी करना-चौथी तिमाही।	निविदाओं को 10.07.2012 को खोल कर तकनीकी मूल्यांकन किया गया। तकनीकी आधार पर निविदाएं रद्द।	
					पांच नए भूकेन्द्र।	चार स्थलों पर नए भूकेन्द्रों की स्थापना-तीसरी तिमाही।	चार भूकेन्द्रों के लिए ऑर्डर दिए गए। सभी उपकरण स्थापित। एक स्थल पर मार्च 2013 में भूकेन्द्र शुरू।	
6	हाई डेफिनिशन टीवी।	एचडीटीवी निर्माण, निर्माण पश्चात सुविधाएं और ट्रांसमिशन।	25.00	29.81	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी निर्माण सुविधाएं।	एसआईटीसी कार्य के लिए ऑर्डर-दूसरी तिमाही। दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो का एसआईटीसी प्रगति पर- चौथी तिमाही।	24.08.2012 को ऑर्डर जारी। दिल्ली में एचडीटीवी स्टूडियो सुविधा स्थापित और मुंबई में कार्य प्रगति पर।	
					दिल्ली और मुंबई में आउटडोर निर्माण के लिए मल्टी कैमरा मोबाइल उपकरण।	दिल्ली और मुंबई में एचडीटीवी वैनों के लिए ऑर्डर-चौथी तिमाही।	पहले प्राप्त निविदाएं तकनीकी आधार पर रद्द। नई निविदाएं प्राप्त और प्रक्रिया।	ऑर्डर जून 2013 में जारी।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
					दिल्ली में फ्लाई अवे निर्माण सेटअप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर	उपकरण के लिए ऑर्डर जारी करना- चौथी तिमाही ट्रांसमीटरों के लिए ऑर्डर- दूसरी तिमाही। ट्रांसमीटरों की सप्लाई- चौथी तिमाही। टॉवर का सुदृढ़ीकरण और एंटीना प्रणाली की स्थापना-चौथी तिमाही।	मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एचडीटीवी ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए 29.11. 2012 को ऑर्डर दिए गए। DP-28.05.13 एंटीना प्रणाली के एसआईटीसी और टॉवरों के सुदृढ़ीकरण के लिए ऑर्डर दिए गए। एंटीना, फीडर केबल और अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति की गई। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में टॉवरों के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा। दिल्ली और चेन्नई में एंटीना और फीडर केबल की स्थापना और परीक्षण संपन्न। कोलकाता के लिए आरएफ केबल का आदेश जारी। आगे का काम प्रगति पर। मुंबई में काम शुरू किया जाएगा।	एचडीटीवी ट्रांसमीटरों की आपूर्ति और उन्हें स्थापित किया गया। उनका परीक्षण प्रगति पर। सभी चार स्थलों पर टॉवरों के सुदृढ़ीकरण का काम पूरा।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
7	सिविल ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, स्टाफ क्वार्टर और अन्य योजना।	कर्मचारियों के लिए आवास सुविधा का प्रावधान। ढांचागत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण/विभिन्न केन्द्रों पर सुरक्षा मजबूत करने का काम।	10.00	14.78	1. सात स्थलों पर स्टाफ क्वार्टरों, 2. 22 स्थलों पर अतिथिगृहों, 3. 10 स्थलों पर सामुदायिक केन्द्रों, 4. 17 स्थलों पर डीएमसी इमारतों, 5. 10 स्थलों पर एलपीटी भवनों और 6. दूरदर्शन भवन परिसर के टॉवर 'सी' का निर्माण। 7. मौजूदा दूरदर्शन कार्यालयों में ढांचागत सुविधाओं और सुरक्षा में सुधार।	चार स्थलों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण। चार स्थलों पर अतिथिगृहों का निर्माण। तीन स्थलों पर सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण। सात स्थलों पर डीएमसी इमारतों का निर्माण। टॉवर सी का निर्माण कार्य प्रगति पर।	चार स्थलों पर स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण प्रगति पर। अतिथिगृहों, सामुदायिक केन्द्रों और डीएमसी इमारतों का निर्माण पूरा। टॉवर सी का निर्माण प्रगति पर।	

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2012-13 बीई	खर्च	मात्रात्मक लाभ/वास्तविक परिणाम	प्रक्रियाएं/समयबद्धता	31.03.13 तक उपलब्धियां	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8	सामग्री विकास और प्रसार		60.00	61.02				
	नई योजनाएं							
1	योजना-1- प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क विकास		0.19	0.00				
2	योजना-चार-विशेष परियोजनाएं		0.02	0.00				
	पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान		226.00	208.08				
	सामान्य अनुदान सहायता		60.00	61.02				
	कुल (दूरदर्शन)		**286.00**	**269.10**				

मुख्य सचिवालय की योजनाएं

(क) भारत में सामुदायिक रेडियो का सहयोग

12वीं योजना में सामुदायिक रेडियो को वित्तीय सहायता देने के लिये 100 करोड़ रुपये की नई आयोजना योजना ''भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सहयोग'' शुरू की गई है।योजना के दो घटक-''सामुदायिक रेडियो सहयोग योजना''(सीआरएसएस) और ''सामुदायिक रेडियो के लिये आईईसी गतिविधियां'' हैं।

योजना लागू करने के लिये व्यापक दिशा-निर्देश तैयार किये गये हैं। मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समिति ने सीआरएस के लिये अनिवार्य उपकरणों की सूची तैयार की है और चुने गये प्रत्येक उपकरण की विशिष्टताओं/मानदंडों को अंतिम रूप दिया गया है। यह सीआरएस द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण का मापदंड होगा। 12वीं आयोजना योजना लागू करने के लिये कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का भी गठन किया गया है।

आईईसी गतिविधियों के अधीन मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ राज्य और क्षेत्र स्तर की कार्यशालाओं का आयोजन करके सामुदायिक रेडियो योजना का व्यापक प्रचार कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा समुदाय आधारित संगठन सामुदायिक रेडियो स्टेशन लगाने के लिये आगे आये। वर्ष 2007 के बाद से देश भर में 55 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण कार्यशालायें आयोजित की गई हैं। चार राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किये गये हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान, तीन संगठनों-वन वर्ड फाउंडेशन इंडिया, कॉमनवेल्थ एजुकेशन मीडिया सेंटर फॉर एशिया और कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन के सहयोग से 9 जागरूकता कार्यशालायें माउंट आबु, ओरछा (मध्य प्रदेश), आगरा, डिब्रूगढ़, दार्जिलिंग, गोआ, विजग, धर्मशाला और ऊटी में आयोजित की गईं।

फरवरी 2013 में तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सीआर पुरस्कार प्रदान किये गये और सीआर सारांश का तीसरा संस्करण जारी किया गया।

वित्त वर्ष 2013-14 में भी, मंत्रालय ने फरीदाबाद, भुवनेश्वर, कोच्चि, बेंगलुरु, जयपुर, जमशेदपुर, दार्जिलिंग और पटना में नौ जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया। ये विचार-विमर्श और कार्यशालायें सीआरएस के लिये दिशानिर्देशों, आवेदन प्रक्रिया, विषय वस्तु और निरंतरता के मामलों को सुलझाने में सफल रहीं।

दिसम्बर 2013 में नई दिल्ली में सीआर और डिजिटल टूल्स पर तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया ताकि सीआर स्टेशनों की पहुंच व्यापक बनाने के लिये फेसबुक, यू-ट्यूब, मोबाइल, वेबसाइट आदि जैसे डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करने की क्षमता उनमें विकसित की जा सके। इस कार्यशाला में करीब 30 एनजीओ आमंत्रित किये गये। इसका आयोजन डिजिटल इम्पॉवरमेंट फाउंडेशन ने किया था।

चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 13-15 मार्च 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। इसमें करीब 200 सीआर स्टेशनों के प्रतिनिधियों, सम्बद्ध मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किये गये और सीआर सारांश का चौथा संस्करण जारी किया गया।

मंत्रालय ने फरवरी 2014 में 30 सीआर स्टेशनों की स्वतंत्र समकक्ष समीक्षा/ मूल्यांकन शुरू कर दी। इस मूल्यांकन का उद्देश्य एक-दूसरे की उत्कृष्ट पद्धतियों के साथ ही साथ निरंतर सुधार के लिये एक-दूसरे की गलतियों से सीखना था। स्टेशनों ने समकक्ष मूल्यांकन के लिये दूसरे स्टेशनों में जाने से पहले अपना बारीकी से आकलन किया। इन दौरों और प्रतिक्रियाओं की रिपोर्ट्स जुलाई 2014 तक उपलब्ध होंगी।

(ख) प्रसारण विंग का ऑटोमेशन 2014-15 की योजना स्वीकृत

(ग) मिशन डिजिटलाइजेशन

12वी पंचवषीयि दो वर्ष का व्यय :

योजना वर्ष	वितरण	खर्च	टिप्पणी
2012-13	शून्य	शून्य	टोल फ्री कॉल सेंटर का कंट्रोल रूप सुविधा का स्पापना कर टीवी डिजिटलाइजेशन से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए जाते हैं।
2013-14	1		वेबसाइट का निर्माण कर टीवी डिजिटलाइजेशन की सूचना दी जाती है।

अध्याय-5

वित्तीय समीक्षा

2011-2012

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			वास्तविक 2011-2012		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**348400**	**406100**	**754500**	**261900**	**377900**	**639800**	**230272**	**362284**	**592556**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	12000	63000	75000	12000	61000	73000	10170	53597	63767
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	2000	2000	0	1000	1000	0	581	581
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**12000**	**65000**	**77000**	**12000**	**62000**	**74000**	**10170**	**54178**	**64348**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	108000	382800	490800	108000	344900	452900	116275	327132	443407
5. फिल्म समारोह निदेशालय	74000	92000	166000	74000	93800	167800	67812	98363	166175
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	200000	46800	246800	200000	40500	240500	190652	38403	229055
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता को अनुदान सहायता	70000	70000	140000	88000	73900	161900	88000	73900	161900
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	63000	15500	78500	63000	15500	78500	68045	15500	83545
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	113200	135000	248200	95200	145000	240200	94313	145000	239313
10. फिल्म सोसायटियों को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	0	45000	45000	0	42800	42800	0	43150	43150
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	2500	21700	24200	2500	17400	19900	493	15508	16001
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	10500	71700	82200	6500	71700	78200	7000	71700	78700
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	560000	673300	1233300	887900	653300	1541200	900130	645823	1545953

15. पत्र सूचना कार्यालय	127500	412300	539800	127500	363300	490800	92319	358472	450791
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	53200	53200	0	53200	53200	0	53200	53200
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	6900	413500	420400	6900	404100	411000	5002	417781	422783
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	48000	217400	265400	48000	227400	275400	58177	226037	284214
22. प्रकाशन विभाग	1000	222300	223300	1000	219600	220600	1000	244262	245262
23. रोजगार समाचार	500	272900	273400	500	267600	268100	499	238429	238928
24. भारत के समाचारपत्र पंजीयक	1700	43500	45200	1700	40500	42200	395	39829	40224
25. फोटो प्रभाग	20800	39600	60400	17300	39400	56700	8442	34855	43297
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	0 2000	0 2000	0	2000	2000	0	1903	1903
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**1407600**	**3232300**	**4639900**	**1728000**	**3117700**	**4845700**	**1698554**	**3089247**	**4787801**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**1768000**	**3703400**	**5471400**	**2001900**	**3557600**	**5559500**	**1938996**	**3505709**	**5444705**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			वास्तविक 2011-2012		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221))									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
अनुदान सहायता	716200	14123500	14839700	1116200	14623500	15739700	1318700	14623500	15942200
कुल-प्रसारण	**716400**	**14123700**	**14840100**	**1116400**	**14623700**	15740100	**1318700**	**14623500**	**15942200**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	250200	0	250200	249700	0	249700	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**2734600**	**17827100**	**20561700**	**3368000**	**18181300**	**21549300**	**3257696**	**18129209**	**21386905**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			वास्तविक 2011-2012		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	27100	0	27100	17500	0	17500	20585	0	20585
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	500	0	500	500	0	500	485	0	485
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	13000	0	13000	3600	0	3600	7100	0	7100
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000	5961	0	5961
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	10000	0	10000	10000	0	10000	2621	0	2621
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	8500	0	8500	4400	0	4400	1422	0	1422
14. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी- भवन									
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	625100	0	625100	480000	0	480000	441100	0	441100
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	12800	0	12800	2800	0	2800	2693	0	2693
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना, - भूमि अधिग्रहण और भवन निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	362200	0	362200	313000	0	313000	313000	0	313000
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	0	0	0	0	0	0		0	0
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	205000	0	205000	300000	0	300000	225500	0	225500

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			वास्तविक 2011-2012		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	0	0	0	0	0	0		0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	168500	0	168500	34800	0	34800	34800	0	34800
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	100	0	100	100	0	100	0	0	0
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	1800	0	1800	1800	0	1800	1800	0	1800
निवेश									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0	100	0	100	86300	0	86300
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**1464600**	**0**	1464600	**1198600**	**0**	1198600	**1163366**	**0**	1163366

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			वास्तविक 2011-2012		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋणs									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									
ऋण और अग्रिम राशि	3799700	0	3799700	2755500	0	2755500	3294600	0	3294600
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	7000	0	7000	3500	0	3500	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत	5000	0	5000	2500	0	2500	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना (प्रमुख शीर्ष - 6552))									
प्रसार भारती	599100	0	599100	539100	0	539100	0	0	0
कुल - पूंजी खंड	**5875400**	**0**	**5868400**	**4499200**	**0**	**4499200**	**4457967**	**0**	**4457967**
	8610000	**17827100**	**26430100**	**7867200**	**18181300**	**26048500**	**7715663**	**18129209**	**25844872**

वित्तीय समीक्षा

2012-2013

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**861000**	**409200**	**1270200**	**617500**	**416000**	**1033500**	**429603**	**407553**	**837156**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	65000	65000	0	64370	64370	0	63997	63997
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	1530	1530	0	1074	1074
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**0**	**66700**	**66700**	**0**	**65900**	**65900**	**0**	**65071**	**65071**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	9000	372800	381800	9000	355300	364300	7661	350651	358312
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	92000	92000	0	101500	101500	0	89925	89925
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46800	66800	10000	43100	53100	9230	41601	50831
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	80000	70000	150000	80000	90100	170100	80000	90100	170100
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	15500	15500	0	21400	21400	0	21400	21400
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	0	135000	135000	0	178400	178400	0	178400	178400
10. फिल्म सोसायटी को अनुदान सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	0	43800	43800	0	44600	44600	0	43335	43335
12. न्यू मीडिया विंग (पूर्ववर्ती गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग)	0	21700	21700	0	18050	18050	0	16946	16946

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान 2011-2012			संशोधित अनुमान 2011-2012			वास्तविक 2011-2012		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	0	71700	71700	46000	78150	124150	47000	78150	125150
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	990000	673300	1663300	949300	634900	1584200	1059915	617973	1677888
15. पत्र सूचना कार्यालय	153000	383300	536300	117000	402400	519400	79262	392649	471911
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	53200	53200	0	55500	55500	0	55500	55500
17. पीटीआई के ऋण पर ब्याज के बदले रियायत	0	0	0	0		0	0	0	0
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	0	0
19. पत्रकार कल्याण कोष में हस्तांतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	70000	430700	500700	36600	431100	467700	5463	441411	446874
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	232400	304400	72000	223600	295600	61863	219339	281202
22. प्रकाशन विभाग	18000	227000	245000	7000	243000	250000	0	241946	241946
23. रोजगार समाचार	0	269000	269000	0	191200	191200	0	200566	200566
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	41700	43700	2000	39100	41100	1943	39178	41121
25. फोटो प्रभाग	4500	40600	45100	6000	37400	43400	1888	37870	39758
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1700	1700	0	0	0
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2118	2118
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**1418500**	**3224300**	**4642800**	**1334900**	**3192600**	**4527500**	**1354225**	**3159058**	**4513283**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**2279500**	**3700200**	**5979700**	**1952400**	**3674500**	**5626900**	**1783828**	**3631682**	**5415510**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-2013			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन	100	100	200	100	100	200	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									0
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									0
अनुदान सहायता	1119800	14623500	15743300	790000	16500000	17290000	790000	16500000	17290000
कुल-प्रसारण	**1120000**	**14623700**	**15743700**	**790200**	**16500200**	**17290400**	**790000**	**16500000**	**17290000**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	210500	0	210500	184500	0	184500	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**3610000**	**18323900**	**21933900**	**2927100**	**20174700**	**23101800**	**2573828**	**20131682**	**22705510**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए- पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पत्र सूचना कार्यालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. गीत एवं नाटक प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. फोटो प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. भारतीय जनसंचार संस्थान हेतु उपकरण का अधिग्रहण	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0
8. सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे हेतु उपकरण का अधिग्रहण	60000	0	60000	30000	0	30000	0	0	0
10. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	15000	0	15000	7500	0	7500	0	0	0
11. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र- मशीनरी तथा उपकरण	80000	0	80000	80000	0	80000	8600	0	8600
13. प्रकाशन विभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. रोज़गार समाचार हेतु उपकरण का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बी- भवन									
15. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	10000	0	10000	0	0	
16. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
17. नाइट्रेट वॉल्ट्स/कर्मचारी आवास (एनएफएआई हेतु) निर्माण	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
18. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण	30000	0	30000	15000	0	15000	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
19. फिल्म समारोह परिसर – अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
20. कोलकाता में फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना,	70000	0	70000	35000	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन का निर्माण – प्रमुख कार्य	150000	0	150000	108300	0	108300	85700	0	85700
22. क्षेत्रीय प्रचार हेतु कार्यालय और आवासीय परिसर का निर्माण	20000	0	20000	100	0	100	0	0	0
23. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	90000	0	90000	164500	0	164500	117800	0	117800
24. भारतीय प्रेस परिषद हेतु भवन का निर्माण	12000	0	12000	6000	0	6000	0	0	0
25. आईआईएमसी हेतु भवन निर्माण तथा आवास परियोजना	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0
26. निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के लिए भवन और टावर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. मास मीडिया संस्थान की स्थापना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
निवेश									0
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल – पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**705000**	**0**	**705000**	**496400**	**0**	**496400**	**212100**	**0**	**212100**

(₹ in thousand)

Name of Media Units	BE-2012-13			R.E. 2012-13			Actuals 2012-13		
	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total	Plan	Non-Plan	Total
सूचना और प्रचार हेतु ऋण (प्रमुख शीर्ष – 6220)									
फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
(लघु शीर्ष)									
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम									
ऋण और अग्रिम राशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2012-13			संशोधित अनुमान 2012-13			वास्तविक 2012-13		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष - 6221)									
सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य अधीन उपक्रमों के लिए ऋण									
प्रसार भारती									0
ऋण और अग्रिम राशि	4010000	0	4010000	2826600	0	2826600	3335000	0	3335000
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना									
(प्रमुख शीर्ष - 4552)									
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए उपकरणों का अधिग्रहण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opening up of New Regional Centres of IIMC	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0
Upgradation and expansion of Infrastructure of CBFC	3000		3000	1500	0	1500	0	0	0
(प्रमुख शीर्ष - 4552)	5000	0	5000	1500	0	1500	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र पर पूंजी व्यय और अन्य लागत									
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के हित में परियोजना/योजना									
(प्रमुख शीर्ष - 6552)									
प्रसार भारती	720000	0	720000	508400	0	508400	0	0	0
कुल - पूंजी खंड	**5440000**	**0**	**5440000**	**3832900**	**0**	**3832900**	**3547100**	**0**	**3547100**
कुल सूचना प्रसारण मंत्रालय	**9050000**	**18323900**	**27373900**	**6760000**	**20174700**	**26934700**	**6120928**	**20131682**	**26252610**

वित्तीय समीक्षा

2013-2014

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड									
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं									
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	980000	457000	1437000	370200	427000	797200	324250	414090	738340
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन									
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	68700	68700	0	63150	63150	0	62050	62050
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	1250	1250	0	906	906
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	70400	70400	0	64400	64400	0	62956	62956
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार									
4. फिल्म प्रभाग	10000	387600	397600	8000	379600	387600	7835	375859	383694
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	93300	93300	0	112000	112000	0	111326	111326
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46200	66200	12900	38000	50900	12897	38914	51811
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	150000	101100	251100	150000	99000	249000	150000	99000	249000
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	26300	26300	0	22000	22000	0	22000	22000
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	150000	187200	337200	150000	192700	342700	150000	192700	342700
11. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद्र	0	49400	49400	35000	36700	71700	34996	33824	68820
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	0	21600	21600	0	20900	20900	0	21327	21327
13. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	68000	88900	156900	35500	102700	138200	37000	102700	139700
14. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1685000	705600	2390600	1790000	626000	2416000	1933442	621517	2544959

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
15. पत्र सूचना कार्यालय	130000	426400	556400	94000	430500	524500	98827	427253	526080
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	57100	57100	0	51100	51100	0	51100	51100
18. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	72000	458000	530000	18900	464200	483100	10642	466723	477365
21. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	238000	310000	59000	232900	291900	64279	229318	293597
22. प्रकाशन विभाग	10000	248000	258000	28900	242700	271600	14145	263323	277468
23. रोजगार समाचार	0	255200	255200	0	220900	220900	0	204422	204422
24. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	3000	44200	47200	3000	40400	43400	2252	40736	42988
25. फोटो प्रभाग	3500	41000	44500	4000	42600	46600	4011	42486	46497
26. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700	0	1500	1500	0	0	0
27. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2000	2000	0	2500	2500	0	2433	2433
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**2373500**	**3478900**	**5852400**	**2389200**	**3358900**	**5748100**	**2510326**	**3346961**	**5857287**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**3353500**	**4006300**	**7359800**	**2759400**	**3850300**	**6609700**	**2834576**	**3824007**	**6658583**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान- 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)									
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)									
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)									
वेतन	0	100	100	0	0	0	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)									
वेतन 100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)									
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)									
अनुदान सहायता	4503500	17300000	21803500	3595600	17300000	20895600	4E+06	17300000	21400000
कुल-प्रसारण	**4503500**	**17300200**	**21803700**	**3595600**	**17300000**	**4100000**		**17300000**	**21400000**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना									
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	905000	0	905000	740000	0	740000	0	0	0
कुल-राजस्व खंड	**8762000**	**21306500**	**30068500**	**7095000**	**21150300**	**28245300**	**6934576**	**21124007**	**28058583**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2013-14			संशोधित अनुमान- 2013-14			वास्तविक 2013-14		
	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड									
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	7500	0	7500	7500	0	7500	5762	0	5762
3. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण मशीनरी तथा उपकरण	100000	0	100000	100000	0	100000	75000	0	75000
बी- भवन									
5. फिल्म प्रभाग हेतु बहु-मंजिला भवन - प्रमुख कार्य	30000	0	30000	19900	0	19900	8386	0	8386
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण Bungalow and setting up of digital library	30000	0	30000	20000	0	20000	18245	0	18245
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	20000	0	20000	14851	0	14851
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	40000	0	40000	64000	0	64000	62991	0	62991
	8000	0	8000	100	0	100	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	5000	0	5000	21000	0	21000	20960	0	20960
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में ढांचागत सुविधाओं में सुधार	7500	0	7500	2500	0	2500	0	0	0
13. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - प्रमुख कार्य	20000	0	20000	35000	0	35000	0	0	0
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**288000**	**0**	**288000**	**305000**	**0**	**305000**	**206195**	**0**	**206195**
कुल सूचना प्रसारण मंत्रालय	**9050000**	**21306500**	**30356500**	**7400000**	**21150300**	**28550300**	**7140771**	**21124007**	**28264778**

वित्तीय समीक्षा

2014-15

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल
राजस्व खंड			
प्रमुख शीर्ष '2251' - सचिवालय सामाजिक सेवाएं			
1. मुख्य सचिवालय (पीएओ सहित)	**769400**	**496100**	**1265500**
प्रमुख शीर्ष - '2205' - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों			
का कला और संस्कृति से संबंधित प्रमाणन			
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	70100	70100
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	**0**	**71800**	**71800**
प्रमुख शीर्ष - '2220' - सूचना, फिल्म और प्रचार			
4. फिल्म प्रभाग	10000	401800	411800
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	123800	123800
6. भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46500	66500
7. सत्यजीत रे फिल्म और टेली. सं., कोलकाता का अनुदान सहायता	160000	108900	268900
8. बाल फिल्म समिति को अनुदान सहायता	0	27000	27000
9. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान सहायता	250000	210100	460100
10. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग केंद	96800	40700	137500
11. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नया नाम हुआ न्यू मीडिया विंग	0	24900	24900
12. आईआईएमसी को अनुदान सहायता	215000	95500	310500

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल
13. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1606000	697700	2303700
14. पत्र सूचना कार्यालय	140000	453000	593000
15. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान सहायता	0	61300	61300
16. विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	100	100
17. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	45000	497400	542400
18. गीत एवं नाटक प्रभाग	72000	243600	315600
19. प्रकाशन विभाग	50000	260500	310500
20. रोजगार समाचार	0	251900	251900
21. भारत का समाचारपत्र पंजीयक	2000	46500	48500
22. फोटो प्रभाग	4500	46700	51200
23. संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान	0	1700	1700
24. एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के लिए योगदान	0	2500	2500
कुल : प्रमुख शीर्ष '2220'	**2671300**	**3642100**	**6313400**
कुल : प्रमुख शीर्ष 2251, 2205 और 2220	**3440700**	**4210000**	**7650700**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल
प्रसारण (प्रमुख शीर्ष-2221)			
ध्वनि प्रसारण (उप प्रमुख शीर्ष)			
निर्देशन और प्रशासन (लघु शीर्ष)			
वेतन	0	0	0
टेलीविजन (उप प्रमुख शीर्ष)			
वेतन	0	0	0
सामान्य (उप प्रमुख शीर्ष)			
प्रसार भारती (लघु शीर्ष)			
अनुदान सहायता	5315800	18900000	24215800
कुल-प्रसारण	**5315800**	**18900000**	**24215800**
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के फायदे के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य व्यय योजना			
एकमुश्त प्रावधान (प्रमुख शीर्ष-2552)	1005000	0	1005000
कुल-राजस्व खंड	**9761500**	**23110000**	**32871500**

(हजार रुपये में)

मीडिया इकाई का नाम/गतिविधि	बजट अनुमान-2014-15		
	योजना	गैर योजना	कुल
ए) पूंजी खंड			
1. फिल्म प्रभाग हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000
2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड हेतु उपकरण का अधिग्रहण	10000	0	10000
3. फिल्म समारोह निदेशालय में प्रिंट इकाई के स्तर में सुधार	0	0	0
4. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र-मशीनरी तथा उपकरण	93200	0	93200
बी) भवन			
5. फिल्म प्रभाग की ढांचागच भवन सुविधाओं में सुधार	20000	0	20000
6. चलचित्र संग्रहालय की स्थापना (फिल्म प्रभाग)- प्रमुख कार्य	10000	0	10000
7. एनएफएआई परिसर हेतु दूसरे चरण का भवन निर्माण setting up of digital library	50000	0	50000
8. फिल्म समारोह परिसर - अतिरिक्त और वैकल्पिक	50000	0	50000
9. सूचना भवन का निर्माण - प्रमुख कार्य	300	0	300
10. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन	0	0	0
11. पत्र सूचना कार्यालय हेतु राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया केन्द्र की स्थापना	25000	0	25000
12. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ढांचागच सुविधाओं में सुधार	10000	0	10000
13. इलेक्ट्रोनिक मीडिया मॉनिटरिंग केंद्र - - प्रमुख कार्य	10000	0	10000
कुल - पूंजी खंड प्रमुख शीर्ष '4220'	**288500**	**0**	**288500**
कुल - मांग संख्या - 61	**10050000**	**23110000**	**33160000**

वित्तीय समीक्षा

विषय-शीर्षानुसार वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2011-2012		संशोधित अनुमान 2011-2012		वास्तविक 2011-2012		बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		वास्तविक 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
राजस्व खंड																				
वेतन	3000	1928800	3000	1783000	995	1774453	10200	1925600	10200	1960400	0	1941169	10000	2117200	0	2042800	0	2057929	0	2226700
मजदूरी	350	5230	350	5485	198	4810	16300	6940	8700	6090	457	6353	32872	7340	1630	7476	971	7275	100	17800
समयोपरि भत्ता	110	8290	110	5865	44	5067	0	6735		4746	0	3955	0	5925	50	4635		3593	50	5875
चिकित्सा व्यय	20	32415	20	33770	11	29267	0	33065		28380	0	26838	0	29600	0	33355		28564	0	29690
घरेलू यात्रा व्यय	12900	57355	12900	58985	11711	62354	13800	58755	12450	52360	7320	52869	13900	58500	7550	62220	6568	60241	20600	67961
विदेशी यात्रा व्यय	11600	9000	11600	6395	3512	2467	12200	9000	8200	7860	3075	6362	12000	8400	7250	7020	2584	2549	16100	8500
कार्यालय व्यय	62115	217050	58615	213056	54047	225173	180900	219080	96200	222951	52077	232478	86770	205245	140270	229505	74884	239207	91600	239845
किराया, महसूल और कर																	0			
स्वीकृत	0	41840	0	52371	0	44047	0	46295	0	41599	0	39904	0	51813	0	48467	0	37053	0	48689
भारित	0	300	0	300	0	0	0	300		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रकाशन	0	39540	0	39198	0	46526	600	39740		59072	0	58325	50	54250	0	50600	0	59327	15500	55110
अन्य प्रशासनिक व्यय.	17800	19120	17800	19220	12736	19709	19100	19620	23950	20288	17986	18425	31350	27620	17150	23100	15045	19632	95600	27700
आपूर्ति एवं सामग्री	18500	228700	18500	215400	15573	185567	49500	223995	36200	155300	14977	159133	40552	215900	33700	188700	25231	166139	30200	212900
पी.ओ.एल.	1100	20200	1100	20200	1079	16315	0	20200	0	17630	0	16798	0	20300	0	14720		15257	0	16800
विज्ञापन और प्रचार	675400	497475	1003300	492325	969708	491741	997100	495675	990400	440940	60932470	436841	1754850	487400	1783900	420200	1973241	402828	1681850	470270
लघु कार्य	5	78385	5	73785	0	72480	0	75185	0	73295	0	66527	0	85140	5000	101410	5000	114994	52900	112150
व्यावसायिक सेवाएं	272400	85130	230900	88255	223025	81931	502800	88355	304350	77702	192589	75104	569950	90255	128450	68560	108546	68822	383340	77335
सहायता अनुदान	109000	14406314	1289200	14438264	178545	14438239	1280300	1384586	907500	1389633	910000	1389645	1034500	1423020	783000	1421504	916217	1421531	1411000	1455060
पूंजी सृजन के लिए अनुदान	893900	63111	109700	545061	1427512	545061	70000	551514	106000	12613	107000	12613	18500	10900	3228100	9460	3604000	9460	4797800	9160
वेतन अनुदान	0	0	0	0	0	0	0	13033325	0	15521799	0	15521799	0	16327500	0	16337500	0	16337500	0	17939700
अंशदान	0	3700	0	3700	0	1903	0	3700	0	3700	0	2118	0	3700	0	4000	0	2433	0	4200
आर्थिक सहायता	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
एकमुश्त प्रावधान	250200	2000	249700	1000	0	581	210500	1700	184500	1530	0	1074	905000	0	740000	0	0	0	1005000	0
अन्य प्रभार	405200	62585	360200	67285	358405	64814	245500	62985	237250	61857	174006	49122	246344	58587	217050	53500	200351	52615	145800	68800
सूचना और प्रौद्योगिकी	1000	20560	1000	18380	595	16708	1200	17550	1200	14655	1094	14230	5362	17905	1900	21568	1938	17058	14060	15755
केंद्रीय अनुश्रवण सेवाए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
कुल	**3E+06**	**17827100**	**3E+06**	**18181300**	**3257696**	**18129213**	**3610000**	**18323900**	**2927100**	**20174700**	**3E+06**	**20131682**	**9E+06**	**21306500**	**7E+06**	**21150300**	**6934576**	**21124007**	**1E+07**	**23110000**

(हजार रुपये में)

विवरण	बजट अनुमान 2011-2012		संशोधित अनुमान 2011-2012		वास्तविक 2011-2012		बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		वास्तविक 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015	
	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
पूंजी भाग																				
मशीन और उपस्कर	89100	0	66000	0	58173	0	171000	0	117500	0	8600	0	117500	0	117500	0	80762	0	114200	0
मुख्य निर्माण कार्य	1375500	0	1132500	0	1018894	0	534000	0	378900	0	203500	0	170500	0	187500	0	125434	0	174300	0
निवेश	0	0	100	0	86300	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण प्रसार भारती	3799700	0	2755500	0	3294600	0	4010000	0	2826600	0	3335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर पूर्वी व सिक्किम	611100	0	545100	0	0	0	725000	0	509900	0	0	0		0	0	0	0	0		0
के लाभ के लिए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	**5875400**	**0**	**4499200**	**0**	**4457967**		**5440000**	**0**	**3832900**	**0**	**3547100**		**288000**	**0**	**305000**	**0**	**206196**		**288500**	**0**
कुल योग	**8610000**	**1.8E+07**	**7867200**	**18181300**	**7715663**	**18129213**	**9050000**	**18323900**	**6760000**	**20174700**	**6120928**	**20131682**	**288000**	**2.1E+07**	**7400000**	**21150300**	**7140772**	**21124007**	**10050000**	**23110000**

वित्तीय समीक्षा

स्वायत्त संस्थानों के आधार पर वर्गीकरण

(हजार रुपये में)

विवरण		बजट अनुमान 2011-2012		संशोधित अनुमान 2011-2012		वास्तविक 2011-2012		बजट अनुमान 2012-2013		संशोधित अनुमान 2012-2013		वास्तविक 2012-2013		बजट अनुमान 2013-2014		संशोधित अनुमान 2013-2014		वास्तविक 2013-2014		बजट अनुमान 2014-2015	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
बाल फिल्म समिति	(R)	70000	15500	70000	15500	68045	15500	0	15500	0	21400	0	21400	0	26300	0	22000	0	22000	0	27000
भारतीय फिल्म और	(R)	113200	145000	95200	145000	94313	145000	0	135000	0	178400	0	178400	150000	187200	150000	192700	150000	192700	250000	210100
टेलीविजन संस्थान पुणे	(C)	0	0	0	0	0	0	70000	0	35000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
सत्यजीत रे फिल्म और	(R)	70000	70000	88000	73900	88000	73900	80000	70000	80000	90100	80000	90100	150000	101100	150000	99000	150000	99000	160000	108900
टेलीविजन संस्थान कोलकाता	(C)			0			0	70000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय जनसंचार	(R)	11500	71700	7000	71700	7000	71700	0	71700	47000	78150	47000	78150	70000	88900	37000	102700	37000	102700	230000	95500
संस्थान	(C)	188500	0	41900	0	41900	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
भारतीय प्रेस परिषद	(R)	0	53200	0	53200	0	53200	0	53200	0	55500		55500	0	57100	0	51100	0	51100	0	61400
प्रसार भारती	(R)	918700	14123500	1318700	14623500	1318700	14623500	1119800	14623500	790000	16500000	790000	16500000	5140000	17300000	4100000	17300000	4100000	17300000	6050300	18900000
	(C)	4398800	0	3294600	0	3294600	0	4730000	0	3335000	0	3335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

उपभोग शेष के समेत विभिन्न निकायों को जारी अनुदान

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम	अवधि में जारी अनुदान				अप्रयुक्त शेष (यदि कोई हो)			
		2011-2012		2012-2013		2011-2012		2012-2013	
		योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना	योजना	गैर योजना
1.	बाल फिल्म समिति	680.00	155.00	NIL	214.00	46.44	NIL	29.48	N I L
2.	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे	943.12	1450.00	NIL	1784.00	NIL	NIL	NIL	N I L
3.	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता	880.00	739.00	800	901	0.021	NIL	0.15	N I L
4.	भारतीय जनसंचार संस्थान	489.00	717.00	470.00	781.50	NIL	1.83	68.52	5 . 0 6
5.	भारतीय प्रेस परिषद्	NIL	651.36	NIL	555.00	NIL	32.21	NIL	23.43
6.	प्रसार भारती	46133.00	146235.00	41250.00	165000.00	2747.00	NIL	1246.00	NIL

अध्याय-6

स्वायत्तशासी निकायों की समीक्षा और प्रदर्शन

सूचना क्षेत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान

जनसंचार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षण और अनुसंधान के मामले में आईआईएमसी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा क्योंकि आईआईएमसी ने अपने पाठ्यक्रम के संचालन के साथ-साथ सरकारी अधिकारियों, सेना और अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के प्रति पर्याप्त ध्यान दिया। आईआईएमसी ने मंत्रालयों और सरकारी विभागों की ओर से शुरू की गयी अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

आईआईएमसी ने आयोजना योजना के तहत अपने को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नयन की भी समय पर कार्रवाई की है। इस दिशा में, आईआईएमसी ने पहले चरण में, मीडिया उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए पत्रकारिता एवं जनसंचार के एक वर्ष के पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मास्टर डिग्री के समतुल्य बनाने के लिए दो वर्ष के एडवांस पी जी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में बदलने का प्रस्ताव किया है और जम्मू व कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र(विदर्भ) और केरल में चार नई शाखाएं खोली हैं।

भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद विधि द्वारा स्थापित स्वायत्त संस्था है। मंत्रालय में व्यय सुधार समिति की अनुशंसाओं पर विचार करते समय यह महसूस किया गया कि भारतीय प्रेस परिषद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए जो कि प्रेस की एक स्वनियामक संस्था है, ऐसी समीक्षा न तो उपयुक्त होगी और ना ही उसके कार्यों की समीक्षा करने के लिए कोई अन्य समकक्ष संस्था उपलब्ध है। उक्त निर्णय की जानकारी वित्त मंत्रालय को भी दे दी गयी।

तथापि, प्रेस परिषद के कार्य की समीक्षा संसद द्वारा सीधे उसके समक्ष प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के द्वारा की जाती है।

मामलों का ब्यौरा

क्रम संख्या	विवरण	2012-13	2013-14	14अप्रैल से 15 मार्च तक (अपेक्षित)
1	लम्बित मामले	816	870	942
2	दाखिल मामले	1051	1414	1500
3	परिषद ने जिन मामलों में फैसला सुनाया	190	240	280
4	जिन मामलों में अध्यक्ष ने फैसला सुनाया	807	1102	1200
5	31.3.2012 तक लम्बित मामले	870	942	962

फिल्म क्षेत्र

बाल फिल्म समिति, भारत

स्वायत्तशासी संस्थाओं का प्रदर्शन एवं समीक्षा

विगत पांच सालों से कई फिल्मों का निर्माण और बाल दर्शकों तक पहुंच निम्नलिखित है :

2009-10

निर्माण - 5 फीचर फिल्म पूरी।

विपणन- 4741 शो के आयोजनों में लगभग 23 लाख बच्चे दर्शक

व्यय - 419 लाख रुपये का व्यय।

2010-11

निर्माण - किसी भी फिल्म का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। जबकि 3 फिल्में और एक लघु फिल्म निर्माणाधीन।

विपणन- 6,378 शो आयोजित, लगभग 28 लाख बच्चे दर्शक।

व्यय - 400.00 लाख रुपये का व्यय।

2011-12

निर्माण - 3 फीचर फिल्में और 1 लघु फिल्म पूरी।

विपणन- 7,444 शो आयोजित, लगभग 31 लाख बच्चे दर्शक।

व्यय - 654.00 लाख रुपये का व्यय।

2012-13

निर्माण - 2 फीचर फिल्में पूरी और 6 फीचर फिल्में एवं 1 लघु फिल्म निर्माणाधीन।

विपणन- 9,833 शो आयोजित, लगभग 29 लाख बच्चे दर्शक।

व्यय - 1136.00 लाख रुपये का व्यय।

2013-14

निर्माण - किसी भी फिल्म का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका। जबकि 6 फीचर फिल्में और 1 लघु फिल्म निर्माणाधीन।

विपणन- 277 शो आयोजित, 75241 बच्चे दर्शक।

व्यय - 467.00 लाख रुपये का व्यय।

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे

स्वायत्त संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा और निष्पादन

वर्ष 1960 में स्थापित भारतीय फिल्म संस्थान को 1974 में बदलकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंर्तगत स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे बना दिया गया। सोसायटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति, संस्थान के पुराने छात्र और पदेन सरकारी सदस्य हैं। संस्थान का संचालन चेयरमैन की अध्यक्षता वाली गवर्निंग काउंसिल करती है। जाने-माने फिल्म निर्देशक श्री सईद मिर्जा वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। संस्थान निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन), सम्पादन (फिल्म और टेलीविजन) ऑडियोग्राफी (फिल्म और टेलीविजन) में तीन वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, अभिनय, कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में 2 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा एनिमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स, ऑडियोग्राफी और टेलीविजन इंजीनियरिंग में एक वर्ष का सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाता है। संस्थान बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अलावा कामकाजी पेशेवरों के लिए और संबंधित क्षेत्रों में रुचि रखने वालों के लिए लघु अवधि वाले पाठ्यक्रम का भी आयोजन करता है।

संस्थान फिल्म और टीवी उद्योग को अति कुशल विशेषज्ञ और तकनीशियन प्रदान करता है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्र भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में अपनी पहचान बना चुके हैं। फिल्म उद्योग के अनेक विख्यात लोग संस्थान के छात्र रह चुके हैं। छात्रों की डिप्लोमा फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेती है और सराही जाती रही हैं। सरकार सहायता अनुदान की किस्त जारी करने के लिए गवर्निंग काउंसिल और स्थायी वित्त समिति आदि की बैठकों में समय-समय पर संस्थान के कामकाज की समीक्षा करती है, इनमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट लेखा विवरण के अनुसार उसका कामकाज कुल मिलाकर संतोषजनक है।

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत 1995 में की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत किया गया था। सोसायटी में फिल्म, टेलीविजन,संचार, संस्कृति, संस्थान के पूर्व छात्र, सरकार के पदेन सदस्यों जैसी जानी-मानी हस्तियां हैं। संस्थान का संचालन अध्यक्ष के नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल द्वारा किया जाता है। संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, संपादन, सिनेमैटोग्राफी और ऑडियोग्राफी और फिल्म एवं टेलीविजन के लिये निर्माण में तीन वर्ष का स्नातोकोत्तर डिप्लोमा कराता है। बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान विविध लघु अवधि पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है और विभिन्न संगठनों तथा फिल्म उद्योग की मांग पर कई परियोजनाओं का भी उत्तरदायित्व वहन करता है।

संस्थान फिल्म और टीवी उद्योग को बेहद कौशल विशेषज्ञ और तकनीशियन प्रदान करता है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के छात्र भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में अपनी पहचान बना चुके हैं। छात्रों द्वारा बनाई गई डिप्लोमा फिल्में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लेती और सराही जाती रही हैं। हाल ही में सम्पन्न दूसरे राष्ट्रीय छात्र फिल्म अवाड्र्स के दौरान छात्रों की छह फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया।

सरकार सहायता अनुदान की किस्त जारी करने के लिए गवर्निंग काउंसिल और स्थायी वित्त समिति आदि की बैठकों में समय-समय पर संस्थान के कामकाज की समीक्षा करती है, इनमें सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट लेखा विवरण के अनुसार उसका कामकाज कुल मिलाकर संतोषजनक रहा।

प्रसारण क्षेत्र

प्रसार भारती

स्वायत्त निकायों के कामकाज की समीक्षा

प्रसार भारती देश का लोक सेवा प्रसारक है जिसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन आते हैं। इसका गठन 23 नवंबर 1997 को किया गया था। इसे जनता तक जानकारियां पहुंचाने , उसे शिक्षित बनाने और उसका मनोरंजन करने के लिए लोक प्रसारण सेवाओं के आयोजन और संचालन का काम सौंपा गया है। उसके कामकाज में यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि देश में प्रसारण का संतुलित विकास हो।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए प्रसार भारती की 2012-13 और 2013-14 की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों को अध्याय चार में दिया गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की मीडिया इकाई और मंत्रालय स्तरों पर निगरानी करता है। प्रसार भारती को जारी योजना कोष के व्यय की गति की निगरानी के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मंत्रालय स्तर पर नियमित योजना समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती है। प्रगति की वित्तीय और भौतिक, दोनों मानदडों पर निगरानी की जाती है। योजना परिव्यय के उपयोग में तेजी लाने के मकसद से मंत्रालय तीव्र विकास प्रक्रिया तथा योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों को प्रभावित करने वाली अड़चनों को दूर करन पर निरंतर जोर देता रहा है।